(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

ग्रंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का पंचम् दिवस [संख्या 4

बुधवार,
दिनांक 6 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, उद्योग, अकाल सहायता, यातायात एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन, श्री रामप्रसाद बोहरा!

मैला उठाने की व्यवस्था

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर), **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के पांच सालों में मैला ढोने की कुप्रथा को बन्द करने के लिये विभिन्न जिलों में क्या क्या कदम उठाये हैं और उन पर किस किस मद पर क्या क्या व्यय हुआ ? प्रत्येक जिले का विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरों और नगरों में उक्त कुप्रथा को खत्म करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया? क्या राज्य सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में उक्त कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी ?

राज्य मंत्री, (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा गांधी शताब्दी वर्ष 1969-70 में भंगी कष्ट मुक्ति योजना चलाई गई जिसके अन्तर्गत केवल नगरपालिकाओं व नगरपरिषदों को यांत्रिक उपकरण क्रय करने, निजी व सार्वजनिक सूखे शौचालय को फ्लश में बदलने के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया। यह कार्य इसके उपरान्त आगे के वर्षों में भी चालू रखा गया। उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करना मूलतः स्थानीय निकायों का कार्य है। इसको समाप्त करने का आधार सूखे शौचालयों को समाप्त करना है। राज्य सरकार ने सभी नगरपालिकाओं / परिषदों को ऐसे निर्देश जारी किये हुए हैं जिससे सूखे शौचालयों को समाप्त किया जा सके।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

Page No 2

(2)

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि देहाती क्षेत्रों में मैला सिर पर ढोया जा रहा है ? इसके लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि इस योजना के अन्तर्गत नगरपालिकाओं और नगर परिषदों को अनुदान दिया गया है और देहाती क्षेत्रों के लिये कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत जो राशि नगरपालिकाओं को विभिन्न जिलों में आवंटित की गई है उसमें कौनसे सिद्धान्त को अपनाया गया है ? बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर में बहुत कम राशि दी गई है और दूसरी जगहों पर अधिक दे दी गई है यह सूची से स्पष्ट है इसलिये मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या आधार और सिद्धान्त अपनाया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 1969-70 और 70-71 में फन्ड्स अलॉट किये गये उनका आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया और सन 1971-72 और 72-73 में समान वितरण के आधार पर फण्ड्स आवंटित किये गये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या यह सही है कि सरकार इस प्रथा को समाप्त करना चाहती है ? खत्म करना चाहती है तो व्यवस्थित योजना क्या है और खत्म नहीं करना चाहती है तो आगे के लिये सरकार के पास क्या योजना विचाराधीन है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सारे प्रदेश में मैला ढोने की प्रथा खत्म नहीं हुई है तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि इस प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है । केकड़ी, माउन्ट आबू आदि ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : यह जो रुपया लिया गया है इसका समुचित उपयोग हुआ है या नहीं ?

मंत्री, समाज कल्याण (श्री मोहनलाल छंगाणी) : अध्यक्ष महोदय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले यह तय कर लीजिये कि कौन जवाब देगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं जवाब दे रहा हूं ।

69-70, 70-71, 71-72 और 72-73 तक जो अवधि थी उसको 31-3-73 तक बढ़ा दिया गया है । इन फण्डस' का युटिलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिये सर्टिफिकेट्स हमारे पास आते हैं और हमारे पास रहते हैं । इसलिये 31-3-73 तक युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो भी म्युनिसपैलिटी नहीं देगी उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी । जयपुर के लिये पूछना चाहते हैं आप । सुबह से शाम तक इसके लिये बहस होती है । तो ……

श्री श्रीराम गोटेवाला : 31-3-73 तक के लिये बढ़ायी तो 31-3-73 तो खत्म हो चुका ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 31-3-74 तक अवधि बढ़ा दी गयी है । सर्टिफिकेट की अवधि भी आगे बढ़ा देंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जयपुर के लिये 11 लाख के फण्ड्स सारे कामों के

Page No 3

(3)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लिये दिये गये थे। मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन फण्ड्स का सही उपयोग हुआ है या नहीं ? क्या यह सही नहीं है कि चार लाख के भंगी कष्ट मुक्ति योजना के लिये एलॉट हुए थे और जिनके इक्विपमेंट खरीदे गये थे व यों ही कचरे में पड़े हुए हैं और चार लाख रुपया बरबाद हो रहा है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय सदस्य तीन मिटिंग्स में भाग ले चुके हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : तीनों का रिजल्ट जीरो है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 26-3-72, 5-2-73 और 6-3-73। और माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप उस समय मेरे साथ प्रश्न उठाने वालों में से थे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो पैसा बचा है जयपुर नगरपालिका के लिये वह सारा का सारा मुख्य मंत्री महोदय को सुपुर्द कर दिया जाय और उसको किस प्रकार यूज किया जाय यह आपके सामने आ जायगा। आप कमेटी के सदस्य हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या इस प्रकार की योजना विचाराधीन है या नहीं कि इस कुप्रथा को सारे प्रान्त में से समाप्त करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सरकार बहुत चाहती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : कब तक करना चाहते हैं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस कुप्रथा का सम्बन्ध अनटचेबिलिटी के साथ भी है तो क्या राज्य सरकार कोई कानून बना कर इस पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार करती है ? एक बात। दूसरा प्रश्न यह है कि फण्ड्स के एलॉटमेन्ट की बात कर रहे हैं तो फण्ड्स के एलॉटमेन्ट के साथ आपकी योजनानुसार यह प्रथा स्वतः कब तक समाप्त हो जावेगी ? और नहीं कर सकते हैं तो क्या कानून बना कर इसको समाप्त करेंगे ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि नगरपालिका और नगर परिषद में भंगी कष्ट मोचन योजना के माध्यम से फण्ड्स दिये गये। उसके दुरुपयोग की बात नगरपालिका और नगर-परिषद में भी है कि एक इन्सान का मैला एक दूसरा इन्सान उठाता है यह जो कलंक है उसके कोई रास्ता निकाला गया है ?

श्री अध्यक्ष : What is the supplementary ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बतायें कि नगरपालिका और नगरपरिषद के तीन नाम का उल्लेख किया तो इस प्रकार से इन फण्ड्स के एलॉटमेन्ट के बाद कितनी प्रतिशत यह प्रथा बन्द हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्या सरकार इस योजना को जीवन पर्यन्त चलाती रहेगी, या कई वर्षों तक चलाती रहेगी ?

श्री दीपंकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अलवर के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। कोई ऐसा फण्ड नहीं है और बदस्तूर मैला ढोते हैं। यह पैसा सारा वेस्ट हो रहा है। 25 वर्ष पहले भी किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। यदि इस रुपये को कन्स्ट्रक्टिव काम में लगाया जाय तो ज्यादा यूजफुल होगा वरना तो इस प्रकार अलॉटमेन्ट से कोई फायदा नहीं।

श्री दीपंकर : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज को रुपया दिया गया है उनके सर्टिफिकेट आने के बावजूद भी कलेक्टर काउण्टर सिग्नेचर नहीं करता है तो नहीं दिया जाता है? और इस प्रावधान के कारण पैसा नहीं मिला है? क्या मंत्री महोदय इसको दूर करने की व्यवस्था करेंगे ? जिन म्युनिसिपैलिटीज में पैसा पड़ा है और उपयोग नहीं हो रहा है उसको डाइवर्ट करने की योजना है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जिलों की अवहेलना की गई है। पापुलेशन बेसिस पर भी वितरण नहीं किया गया है। इसका उत्तर दें।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 69-70 में आपने अधिक प्रोविजन किया और उसके बाद के वर्षों में उससे कम करते गये हैं। यह क्यों ? और इसके लिये पांचवीं योजना में क्या प्रावधान रखा है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक प्रश्न उठाया गया कि इसका कानून विचाराधीन है या नहीं। दूसरी बात, नगरपालिका को धन देने से यह प्रश्न हल होने वाला नहीं है। क्या सरकार इसे अपने स्तर पर लेकर करने का इरादा रखती है ? जिससे कि यह प्रथा समाप्त हो सके। गांधीवाद की स्थापना और हरिजन कष्ट निवारण की स्थापना हमने आपने अरसे पहले की। तीस साल पहले इसके लिए गांधीजी ने बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया था। छः-सात वर्ष की सजाएं हमें भी हुई थीं। आज आप गांधीजी की उस परिपाटी का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा अर्ज करना यह है कि सरकार इसे अपने स्तर पर ले। और कुछ करे। नगरपालिका को धन सौंप कर निश्चिन्त नहीं हो जावे। जिस तरह से लाइटली आप इस मसले को ले रहे हैं ऐसा यह मसला है नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार ने इसके लिये कोई पायलट योजना बना कर भारत सरकार को भेजी है ? अगर भेजी है तो कौन कौन से नगर इसमें शामिल हैं? साथ ही यह भी बतावें कि किस निश्चित तारीख तक किन किन नगरों से आप इस प्रथा को समाप्त कर देंगे। इस काम को अगर आप जयपुर की ही नगरपालिका से प्रारम्भ करें तो बड़ी कृपा होगी। चालीस हजार का सामान नगर परिषद् के स्टोर्स में पड़ा पड़ा जंग खा गया है। क्या इसे आप परिवार नियोजन के भी काम में आता हो तो लेंगे ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं आशा करता हूं कि मेरे सप्लीमेन्ट्री का भी उत्तर साथ साथ मिल जावेगा। पिछले 25 वर्षों में इस कुप्रथा के बारे में जो काम हुआ उसको अगर रिव्यू किया जावे तो उपलब्धियां नगण्य साबित होंगी। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कुप्रथा को हटाने में सरकार ने अब तक कितना धन खर्च किया

(श्री लक्ष्मणसिंह)
है ? सरकार ने यह सूचना दी है कि तीन जगह कम्पलीटली इसे इरेडिकेट किया जा सका है और अगर इससे सरकार को सन्तोष है कि छोटी सी पिट्टी माउन्ट आबू भी इन तीन में शामिल है तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ इस सरकार को और तो क्या कह सकता हूं। साफ साफ, क्या मैं यह जान सकता हूं। कि पांचवीं योजना में योजनाबद्ध रूप से इस कुप्रथा को आप मिटा तो नहीं सकते, यह तो सामान्य बुद्धि की बात है समझना, और आपकी अब तक की उपलब्धियों को देखते हुए यह आपसे होना सम्भव भी नहीं है, किन्तु क्या आप पांचवीं योजना में इस दिशा में कोई न कोई ठोस कदम उठाकर इस कुप्रथा को आधी भी समाप्त करने के लिये व्यवस्थित ढंग से कदम उठा लेंगे तो सरकार की सफलता मान लूंगा।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है। नगरपालिकाओं को आपने जो इम्पलीमेन्ट्स एलॉट किये हैं क्या वे काम में आ रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सही बात यह है कि कोई नगरपालिका इस दिशा में वालन्टरी एफर्ट्स नहीं कर रही है। कुछ ये दो तीन नगरपालिकाएं ही ऐसी हैं जिन्होंने इस पैसे का कुछ सदुपयोग किया है और 25 पर्सेन्ट भाग अपनी तरफ से किसी नाम से इसमें लगाया है। नगरपालिकाएं दिलचस्पी केवल इसमें लेती हैं कि किसी तरह से किसी नाम से पैसा मिल जावे और उसे किसी भी काम में ले लिया जावे। उनकी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। यह स्वीकार करने में मुझे संकोच नहीं है।

हमारे में दर्द है, हम इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहते हैं पर सभी वर्गों का हमें सहयोग नहीं मिलेगा तो राज्य सरकार कितनी भी सदिच्छा रखे इस दिशा में वांछित प्रगति नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में कुछ ठोस प्रयास किये जावें। सही कदम उठायें जावें।

चूंकि पांचवीं योजना में इसके लिये प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिए इस बारे में तो मैं कोई कमिटमेन्ट नहीं कर सकता।

वृद्धिचन्द्र जी ने सवाल उठाया कि उनके जिलों को कम पैसा क्यों मिला इसकी मैंने पहली सफाई दे दी है। यह हमने पापूलेशन बेसिस पर दिया था।

हमने सारी नगरपालिकाओं को लिखा था कि वे अपने तहारत फ्लश में कनवर्ट करा लें और ह्वील बेरोज और दूसरी दूसरी तरह की मैकेनाइजेशन पद्धति प्रयोग में लें। इस बारे में मैं स्वीकार करता हूं कि कोई उत्साहवर्धक रेस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं मिला। पांचवीं योजना में प्रावधान नहीं है फिर भी मैं अब प्रयास करूंगा कि इस बारे में जितना सम्भव हो सके, किया जाय, यह आश्वासन मैं दे सकता हूं कि इस बारे में मेरी भावनाएं भी उतनी ही तीव्र हैं जितनी सभी माननीय सदस्यों की।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेन्ट्री का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री चेतराम !

श्री गुलाबमल लोढ़ा : यह बहुत जरूरी मसला है, अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब सन्तोषप्रद मिलना चाहिये। इस प्रश्न को एवॉयड न करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : जिनके प्रश्न रह जाते हैं वे भी आपत्ति करेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दूं। अक्सर माननीय सदस्य मुझसे मिलते रहते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके प्रश्न बिना उत्तर के ही रह जाते हैं। उनका नम्बर ही नहीं आता। तो मुझे यह भी खयाल रखना पड़ता है कि औरों के प्रश्नों के उत्तर भी इस समय में मिल जावें। नॉर्मल रूटीन में जितने होते हैं उतने भी हो जावें तो सन्तोष है। पर एक ही सवाल में बीस बीस मिनिट अगर लग जावेंगे तो यह दूसरे प्रश्नकर्त्ताओं के साथ ज्यादती होगी। तो इस पृष्ठभूमि में मैं स्वयं सदन का गाइडेन्स चाहता हूं। या तो जैसा चलता है चलने दिया जाय। या फिर दूसरे प्रश्न भी अनुत्तरित न रहें इसके लिये मुझे समय का नियन्त्रण करना चाहिये। फिर अगर यही चाहते हैं कि आप बोलते रहें, मैं बैठा सुनता रहूं तो यह रास्ता भी अगर आपकी यही राय हो तो एडॉप्ट किया जा सकता है। आपका जैसा मार्ग दर्शन हो, मैं तो वैसा ही कर सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह बहुत महत्व का जरूरी मसला है।

श्री अध्यक्ष : कुछ मर्यादाएं और नियमों का तो हमें पालन करना ही चाहिये। कम से कम आपसे तो मैं ज्यादा आशा करके चलता हूं।

नेक्स्ट। श्री चेतराम !

राज्य में बी. एड. कॉलिज

55. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में बी. एड. कॉलेज प्राइवेट मैनेजमेन्ट द्वारा चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस किस नाम से तथा उनके प्रबन्धकों एवं संचालक मण्डलों के नाम एवं पते क्या क्या हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन कॉलेजों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रों को स्थान संरक्षण नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? इन कॉलेजों में छात्रों की संख्या अनुसूचित जाति एवं जन जाति की पृथक् पृथक् बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि स्थान का संरक्षण न होने से इन वर्गों के शिक्षा संबंधी नौकरियों में उम्मीदवार न होंगे और संवैधानिक संरक्षण की अवहेलना होगी ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, इन कॉलेजों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों के लिये स्थान सुरक्षित रखने का प्रावधान है। मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की प्रवेश स्थिति की सूचना निदेशालय में नहीं साधी जाती है।

(3) मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में सुरक्षित स्थानों पर अनुसूचित जाति एवं

(श्री खेतसिंह) जन जाति के विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाय इसके लिए विभाग तुरन्त निर्देश जारी कर रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रश्न तीन खण्डों में है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह प्रश्न की भाषा है और जो समाचार पूछे गये हैं उस तरह का जवाब नहीं दिया गया है—खण्ड 1 में एड्स पूछे गये थे, एक नाम नहीं होकर सबके नाम होने चाहियें।

दूसरे खण्ड में जो बताया उनके लिये प्रावधान है, रिजर्वेशन है तो मंत्री महोदय बतायें कि उनके लिये प्रोविजन क्यों किया जा रहा है, दुबारा प्रोविजन क्यों किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा रिजर्वेशन नहीं है, इसको कन्सीडर करें। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स माने जाते हैं तो संख्या देने में क्या परेशानी है ? तीसरे रिजर्वेशन देने का जो आश्वासन सदन में दिया है, उसका प्रतिशत क्या होगा ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त तक कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लड़कों ने डिग्रियां हासिल की हैं ? क्या इसके फीगर्स हैं आपके पास ?

(2) क्या इन कालेजों में आपका कोई नियंत्रण है ?

(3) इन कालेजों में जो दाखिला दिया जाता है। बहुत से गरीबों के लड़के हैं उनको दाखिला नहीं मिल पाता, बड़े आदमियों और पैसे वालों के लड़कों को जगह मिल जाती है।

श्री अध्यक्ष : आमतौर से नियम यह है कि सप्लीमेन्ट्री प्रश्न एक समय में एक से अधिक नहीं पूछे जाते हैं। एक सप्लीमेन्ट्री में कई प्रश्न हो गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह भी सही है की प्रश्नकर्त्ता को प्राथमिकता दी जाय।

श्री मीठालाल (लालसोट) : और यह भी सही है कि प्रश्न का उत्तर सही दिया जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह भी सही है कि 10-12 मिनिट से ज्यादा एक प्रश्न को चलने नहीं दिया जाय।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, संचालन मण्डल के प्रबन्धकों के पूरे नाम नहीं दिये हैं। जो खास काम करने वाले हैं उनके ही नाम दिये हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं पूरे नाम भी दे दूंगा। यह रिजर्वेशन गवर्नमेंट की तरफ से है। और भेजने की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये प्राइवेट कालेजेज हैं। हमारे पास ये फीगर्स नहीं भेजते हैं कि किस पर्सन्टेज से दाखिला दिया है इसलिए ये निर्देश दिये हैं कि आपको पापुलेशन बेसिस पर 28 प्रतिशत इन लड़कों को लेना पड़ेगा।

श्री मीठालाल : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अलग अलग बता दीजिये।

श्री खेतसिंह : अनुसूचित जाति के 17 और अनुसूचित जन जाति के 11।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : मंत्री महोदय ने कहा प्राइवेट कॉलिजेज हैं तो मैं पूछना चाहता हूं प्राइवेट कॉलिजों को क्या सरकार अनुदान देती है और अगर देती है तो क्या इनका फर्ज नहीं है ?

श्री खेतसिंह : यह आपका कहना सही है। जब हमसे एड लेते हैं तो फीगर भेजें और पूरा पर्सेन्टेज भी देना चाहिये। अब हम ये दोनों ही हिदायतें भेज रहे हैं।

श्री दीपंकर : क्या शिक्षा मंत्री महोदय इस प्रकार के कॉलिजों की एड बन्द करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (भीनमाल) : बी. एड. कॉलिजेज एडेड हैं ही नहीं, यह मैं बता दूं।

श्री खेतसिंह : आप स्पेसिफिक उदाहरण कोई मेरे पास पेश करेंगे तो उसकी कार्यवाही की जायगी और जांच की जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बी. एड. कॉलिजेज एडेड हैं ही नहीं ? आपका अनुदान उन कॉलिजेज में नहीं मिलता है, उस पर यह ऑपरेटिव कैसे होगा ?

श्री खेतसिंह : अगर वे हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम रिकगनिशन नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मीठालाल !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल यह किया था कि माकूल रकम लेकर दाखिला दिया जाता है, क्या यह सही है ?

श्री खेतराम : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि रकमें लेकर दाखिला दिया जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक दूसरे मंत्री महोदय से मैं यह पेश करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मीठालाल !

सीमेन्ट का कोटा

56. श्री मीठालाल (लालसोट), श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य को जनवरी, 1973 से अब तक केन्द्रीय कोटे से अलग अलग माह में कितना सीमेन्ट आवंटित हुआ ?

(2) उक्त सीमेन्ट के कोटे में से कितना राज्य सरकार ने प्राप्त किया और कितना नहीं उठाने तथा अन्य कारणों से केन्सिल हुआ ? केन्सिल होने के क्या क्या कारण थे ?

(3) जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सीमेन्ट नहीं उठाया गया उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्यमन्त्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) राज्य सरकार के लिए जनवरी, 73 से मई, 73 तक सीमेन्ट का कोई कोटा निर्धारित किया हुआ नहीं था। माह जून, 73 से कोटा निर्धारित किया गया है। जनवरी, 73 से मार्च, 74 तक राज्य की सीमेन्ट आवंटन की सूची संलग्न है।

Page No 9

(9)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(2) राज्य सरकार द्वारा आवंटित कोटा नहीं उठाया जाता है। उद्योग विभाग द्वारा आवंटित कोटे की सीमेन्ट विभिन्न विभागों, इकाइयों, संस्थाओं आदि हेतु सिफारिश रीजनल सीमेन्ट अधिकारी, देहली को भिजवाई जाती है। नई दिल्ली से आॅथोराईजेशन प्राप्त होने पर सीमेन्ट उपभोक्ताओं द्वारा सीधी ही फेक्ट्रीज से उठाई जाती है। जिसकी सूचना विभाग को प्राप्त नहीं होती है। अन्य कारणों से कोई कोटा केन्सिल नहीं हुआ है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, 73-74 में विभिन्न इकाइयों, संस्थाओं और विभागों में पांच लाख 66 हजार बोरे सीमेन्ट अलाॅट हुई। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि आपको इनमें से विभिन्न विभागों ने कितनी सीमेन्ट उठाई, 5 लाख 66 हजार में से कितनी सीमेन्ट उनके पास आई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन किया कोटे का 60 पर्सेन्ट तो राज्य सरकार के विभिन्न डिपार्टमेन्ट पी. डब्ल्यू. डी., इर्रिगेशन लेती है। इसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती है।

श्री मीठालाल : जानकारी नहीं रहती है तो एक महीने पहले प्रश्न दिया था आपको सूचना मंगानी चाहिये थी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने निवेदन किया कि उद्योग विभाग का काम यह है कि जो कोटा हम एलाॅट करते हैं उस कोटे को हम अलग अलग ऐजेन्सियों को आॅथोराईजेशन लेटर दे देते हैं और वे डाईरेक्ट फेक्ट्री से माल उठाते हैं। जिन विभागों ने अलाॅटेड कोटा नहीं उठाया उसकी सूचना हमारे विभाग में नहीं है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है उस कोटे में से कितना कोटा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, आपके अधिकारी और कर्मचारी यह कह कर काम को टाल देते है कि बिना सीमेन्ट का काम अधूरा रह गया सीमेन्ट की शार्टेज है। आपके सरकारी अधिकारी सीमेन्ट के लिए रिश्वत दे नहीं सकते हैं और रिश्वत देने वाले प्राइवेट लोगों को सीमेन्ट दे देते हैं और हमारी योजनायें अधूरी रह जाती हैं। सीधे फेक्ट्री से सीमेन्ट बिकती है। सवाई माधोपुर में आप देख लीजिये या किसी और फेक्ट्री में देख लीजिए रिश्वत देने पर सीधे सीमेन्ट बिकी है।

तो मेरा निवेदन यह है कि जिन सरकारी प्रतिनिधियों और अधिकारियों को यह कह कर टाल दिया कि पावर शार्टेज है और इस ढंग की विभिन्न विभागों से कितनी शिकायतें मिलीं और कितनी सीमेन्ट लेप्स हुई इसकी जानकारी दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उद्योग विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : कितना कोटा लेप्स हुआ इसकी जानकारी नहीं है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह जानकारी आॅबटेन नहीं की गई है। जिस

Page No 10

(10)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मकसद से पूछा गया है वास्तविक सीमेन्ट विभिन्न एजेन्सियों को कितनी पहुंची स्टेट में यह इनफार्मेशन नहीं देंगे तो फिर उसका मतलब क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) : माननीय सदस्य। इस प्रश्न का मुख्य उत्तर यही आना था कि सीमेन्ट लेप्स हुई या नहीं और हुई तो कितनी। इसका उत्तर नहीं आया इसलिए मैं इस सवाल को स्थगित करता हूं। आगे इसकी जानकारी पूरी करके जवाब दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्थगित करके मुख्य मन्त्री जी के नाम पर इस प्रश्न को रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री भानुकुमार शास्त्री ?

राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर के लेखों की जांच

57. **श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा उप-निदेशक, उदयपुर के लेखा जांच दल ने राजस्थान महिला विद्यालय के लेखों की जांच की ?

(2) क्या यह सही है कि जांच के आधार पर उक्त विद्यालय के शुल्क के हिसाब में भारी मात्रा में गबन व गम्भीर अनियमिततायें पाई गई थीं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान महिला विद्यालय को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 25,000 रुपया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1,54,000 रुपया जमा कराने का कानूनी नोटिस दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जांच में कुछ अनियमिततायें पाई गयी हैं। जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

(3) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह सूचित किया है कि पार्टीज को कानूनी नोटिस दिया जा रहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने केवल अनियमिततायें बताई हैं। ऑडिट रिपोर्ट में गबन के बारे में उल्लेख है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : आपने 3 खण्डों में अलग अलग प्रश्न पूछा है। एक में यह पूछा है कि भारत सरकार से जो 25 हजार रुपया स्वीमिंग पूल के लिए मिला था उसका उपयोग हुआ या नहीं। उसके लिए मैंने आपको यह उत्तर दिया है कि उसके लिए कार्यवाही की जा रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। अलग स्वीमिंग पूल बनाया वह अच्छा नहीं है इसलिए भारत सरकार ने लिखा है यह रकम वापिस वसूल की जाये। दूसरे आपने यह पूछा है कि क्या शुल्क के हिसाब में भारी मात्रा में गबन है, मैंने निवेदन किया है कि हमने जांच करवाई है और कुछ अनियमिततायें पाई गयी हैं और विभाग इस पर कार्यवाही कर रहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे यह कहना है कि जो जांच करवाई है उसमें स्पष्ट शब्दों में खण्ड (2) के उत्तर में, आप तो अनियमितताओं के बारे में कह रहे हैं लेकिन उसमें गबन शब्द का प्रयोग है या नहीं ? आपके जांच विभाग ने आपको कहा है कि इसका गबन हैं इसका उल्लेख है ? यदि गबन हैं तो उसके खिलाफ केस पुलिस में रजिस्टर कराया या कुछ और कार्यवाही कराई ?

श्री खेतसिंह : उन्होंने जो रिपोर्ट की है उसकी छानबीन की जा रही है और गबन साबित होगा तो निश्चित रूप से पुलिस में कार्यवाही की जायेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है और डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में लिखा है गबन है। आपने जांच करवाई है उसमें स्पष्ट लिखा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपके पास आथोराइज्ड कापी नहीं है इसलिए आप उसको यहां कोट नहीं कर सकते।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अगर नहीं है तो फिर चेलेन्ज करें। मैं यही कह रहा हूं कि गबन शब्द का प्रयोग है और गबन के मामले इसमें हैं मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अनियमितताओं की बात वह भी कह रहे हैं और आप गबन की बात कह रहे हैं—एक ही बात है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : रिपोर्ट में गबन शब्द है तो फिर कहने में क्या आपत्ति है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप ही गबन को अनियमितता कह दें।

श्री खेतसिंह : यदि उसमें कोई गबन है तो मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं और गबन पाये जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जीथिंग ?

अतिवृष्टि से फसलों की क्षति

58. श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1973 में जिला बांसवाड़ा की पांचों तहसीलों में अतिवृष्टि के कारण खरीफ की तमाम फसलें नष्ट हो चुकी हैं और गिरदावरी रिपोर्ट द्वारा बारह आनी, चौदह आनी जिले में नुकसान माना गया है ? अगर हां, तो उक्त अतिवृष्टि से पीड़ित लोगों के निर्वाह के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो किस किस रूप में कितनी धनराशि की सहायता दी गई है ? तहसील क्षेत्रवार आंकडों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने जिला बांसवाड़ा को अकालग्रस्त एरिया घोषित किया है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार लगान व अन्य किस्म की वसूलियां स्थगित की गई हैं ? अगर नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त वसूली स्थगित की जायेगी ?

Page No 12

(12)

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) वर्ष 1973 में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण खरीफ की फसलों को जो नुकसान जिला बांसवाड़ा में हुआ, इसके बाबत जिलाधीश, बांसवाड़ा ने अभाव स्थिति का अन्तिम प्रतिवेदन सहायता विभाग को भेजा है। इस प्रतिवेदन के अनुसार इस जिले के ग्रामों में फसलों को खराबा हुआ है जिसका अनुमान जिलाधीश ने भिन्न भिन्न ग्रामों के लिए भिन्न भिन्न दिया है। परन्तु अभी तक यह प्रतिवेदन विचाराधीन है। अभी कोई राहत कार्य इस जिले में चालू नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं, अभी बांसवाड़ा को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया। जिलाधीश का प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(3) अभी तक लगान एवं अन्य राजकीय बकाया की वसूली को स्थगित करने के कोई आदेश राज्य सरकार ने नहीं दिये हैं, क्योंकि अभावग्रस्तता की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। अभावग्रस्तता की घोषणा होने के पश्चात् ही वसूलियों को स्थगित करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिला बांसवाड़ा के बारे में यह मसला विचाराधीन है या राजस्थान के समस्त जिलों के बारे में भी है ?

श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि विभिन्न स्थानों के बारे में रिपोर्ट आई है तो आप कितना प्रतिशत वहां पर फसल का नुकसान मान रहे हैं ? यह बतायें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो प्रारम्भिक प्रतिवेदन भेजा है उसके अनुसार 60 प्रतिशत के आस पास खराब माना है।

श्री विट्ठल भाई : तो क्या यह सही रिपोर्ट मान ली ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 75 प्रतिशत का, नोटीफिकेशन में कहा था और पटवारी की रिपोर्ट थी वह कलेक्टर ने किया था और आप 60 प्रतिशत बता रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका काम तो 60 प्रतिशत से ही हो जायेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कलेक्टर बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सहायता विभाग के विचाराधीन है, अण्डर स्क्रूटिनी है लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट दी है उसमें अन्दाजा इसी तरह का बताया है।

श्री जीथिंग : मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने यह पूछा था कि जिला बांसवाड़ा की पांचों तहसीलों की सूची मांगी थी जो सदन में पेश नहीं की गयी है और हम यह जानना चाहते हैं कि जो विचाराधीन आप बता रहे हैं तो क्या लगान की वसूली स्थगित करने और अकाल राहत का काम चलाना 1974 का वर्ष समाप्त होने के बाद ही करेंगे या तत्काल कोई फैसला लिया जायेगा ? मंत्री महोदय, स्पष्ट आश्वासन दें ताकि हम जनता को बता सकें वरना आपका इस तरह से कहना बिल्कुल गलत है और झूठा है और जबकि आप 60 प्रतिशत का नुकसान बता रहे हैं और कलेक्टर का नोटीफिकेशन प्रत्येक गांव के लिए हुआ है और उन गांवों में 14 आना और 12 आना का नुकसान बताया है। उस नुकसान

Page No 13

(१३)

(श्री जीथिंग)

का नोटीफिकेशन हम आपके समक्ष पेश कर सकते हैं और वह प्रमाणित है और आपके नियमों में इतना नुकसान होने के बाद भी लगान की वसूली के लिए डंडे चलाये हैं और राजस्व विभाग की आइन्दा वसूलियां भी तेजी से की जा रही हैं, तो यह क्यों है ? यह राजनैतिक वैर बदले की भावना से किया गया है इसलिए इसको आप इस तरह से टालना चाहते हैं।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पहले भी अनेक जगहों पर वसूली स्थगित की गई हैं, अब इसको भी कर दीजिये।

श्रीमति निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या केवल बांसवाड़ा जिले की ही नहीं है, बाढ़ और शीत लहर के कारण और जगहों की भी ऐसी ही समस्या है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या यह अभाव की घोषणा केवल बांसवाड़ा जिले के लिए ही की जाएगी या दूसरे स्थानों की भी की जाएगी ?

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मेरी भी बात सुन करके उत्तर देने की कृपा करें। मैं समझता हूं कि बांसवाडा में एक ठण्डा अकाल पड़ा है। वहां की फसलें कतई गल चुकी हैं। क्या मन्त्री महोदय यह नहीं जानते हैं कि आपकी गिरदावरी तो नाम मात्र की है। गिरदावरी एक प्रकार ढ़कोसला है। ऐसी परिस्थिति में जबकि वहां पर मेरे अनुमान से 75 प्रतिशत फसल गल चुकी है, ऐसी परिस्थिति में सरकार को कुछ न कुछ सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाना चाहिये। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेगी ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में सजग है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करेगी ?

श्री अध्यक्ष. मन्त्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बांसवाड़ा जिले में डाबली, गढ़ी, बागीडोरा, कुशलगढ़ के तहसीलदारों ने जो रिपोर्ट गिरदावरी के आधार पर की है उसके अनुसार आठ से दस आना और दस आना से बारह आना का खराबा बताया है। जैसा मैंने निवेदन किया कि कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और राज्य सरकार के सहायता विभाग के पास अण्डर स्क्रूटनी है और राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि अभी तक किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है और जब तक अभावग्रस्त घोषित नहीं किया जावे वसूलियां स्थगित नहीं की जा सकती हैं। यह मामला अभी विचाराधीन है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय किया जाएगा।

श्री **विट्ठलभाई** : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब बात है…

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अभी जैसा कि मेरे साथी विधायक महोदय ने कहा और मन्त्री महोदय ने भी माना कि वहां पर 60 प्रतिशत नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट के अधिकारी भी मानते हैं तो फिर भी वहां पर लगान क्यों वसूल किया जा रहा है। आप भले ही अभी अकाल वहां पर घोषित नहीं

Page No 14

(14)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली)
करें लेकिन वसूलियां स्थगित करना तो आपके अख्तियार में है। जबकि आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पर 60 प्रतिशत खराबा मानते हैं तो आप अपने अख्तियार से वसूलियां स्थगित कर सकते हैं।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह उठता है कि बांसवाड़ा जिले में ही क्यों यह स्थिति तो दूसरे जिलों में भी है। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर अभावग्रस्त करने के लिए जब कलेक्टर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तब यह स्थिति पैदा होती है कि अब वहां पर वसूली नहीं की जानी चाहिए। अब वसूली क्यों की जाती है। अब वसूलियां करना किसी भी तरह से अनूकुल नहीं बैठती।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जैसा बतलाया कि दस और बारह आने का खराबा है तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि अगर आप नीचे नहीं जा सकते तो ऊपर तो जा सकते हैं। नीचे के प्रश्न पर दस और बारह आने के खराब पर भी लगान वसूल करते हैं यह उचित नहीं हो सकता है।

श्री **गुलाबसिंह शक्तावत** : जो वसूली थी वह खरीफ की तो हो चुकी है, अभी वहां पर कोई वसूली नहीं हो रही है इसलिए अब खरीफ की वसूली स्थगित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री **विट्ठलभाई** : यह ठीक है कि वहां पर खरीफ का लगान वसूली हो चुकी है लेकिन जो सरकारी कर्जे हैं, जो खाद के कर्जे हैं और यहां तक कि सन् 54 के सरकारी कर्जे डण्डे के बल पर वसूली कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खैर आपने लगान तो डण्डे के बल पर वसूल कर लिया लेकिन यह जो सरकारी कर्जा है वह भी गवर्नमेंट डण्डे के बल पर वसूल करना चाहती है। वहां पर सत्तर प्रतिशत फसल खराब हो चुकी है और आप कहते हैं कि अकाल घोषित करेंगे लेकिन फिर भी कर्जों की वसूली हो रही है। आदिवासियों ने अपने कर्जे चुकाने के लिए अपने चने को बारह रुपये में बीस किलो बेचा है, घाटोल तहसील और तरावली वगैरा गांवों में और बारह रुपये मन के हिसाब से साहूकार के पास बेच कर रुपया कर्जा लेकर तकावी का पैसा भरा है। तो क्या आदिवासियों के साथ अन्याय करने पर उतारु हैं। जब चने की फसल आती तब आप वसूल करते लेकिन अभी खड़ी फसल ·· ····

श्री **अध्यक्ष** : कृपया पूरक प्रश्न पूछें।

श्री **विट्ठलभाई** : एक तरफ आप कहते हैं कि आदिवासियों का भला करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ उस इलाके को आपने भिखारी बना दिया है और आज हजारों की तादाद में बांसवाड़ा शहर में आदिवासी लोग भीख मांग रहे हैं। आप उनको लूटना चाहते हैं और कहते हैं कि हम ······

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री **विट्ठलभाई** : उनका भला करना चाहते हैं। आपने खरीफ की वसूली तो कर ली लेकिन आगे के लिए क्या करना चाहते हैं इसका मंत्री महोदय जवाब दें। आज मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं, नहीं तो····

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, दूसरे भी बहुत इम्पारटेंट क्वेश्चन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप पूरक प्रश्न पूछें, इतना लम्बा भाषण नहीं दें। इतने माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री विट्ठलभाई : आज आदिवासियों के बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं है, उनके लिए खाने को नहीं है। आप इन्क्वायरी कर लें। आपके सरकार के कोई भी अधिकारी और बड़े नेता वहां पर जाकर देख लें कि आदिवासी बांसवाड़ा शहर में भीख मांगते फिर रहे हैं। जिन आदिवासियों ने सन् 56 के अकाल में भी भीख नहीं मांगी, आज राजस्थान के आदिवासी भीख मांग रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आज आदिवासी भीख मांग रहे हैं........

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री विट्ठल भाई : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार इसकी तुरन्त व्यवस्था करे नहीं तो वहां पर महामारी होगी, चोरियां होंगी और डाके भी होंगे। भूखा क्या नहीं करता। एक तरफ अब आन्दोलन करते हैं ....

श्रीमती उषा प्रकाश : यह एक माननीय प्रश्न है अध्यक्ष महोदय।

श्री विट्ठलभाई : गुजरात में जो आन्दोलन हुआ क्या आप यहां पर भी करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : His speech is not to be recorded.

श्री विट्ठल भाई : XXX

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुरदयाल सिंह ?

भरतपुर जिले में बाढ़ से क्षति

59. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में अगस्त, 1972 में बाढ़ आई थी और उससे किसानों की पकी हुई खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी जिसका मुआवजा सरकार द्वारा किसानों को नहीं दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बाढ़ के पानी से जो फसल रबी 1972-73 की बोई गई थी उस पर सरकार ने सिंचाई दर कायम कर दी ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र के किसानों द्वारा रोष प्रकट करने पर सरकार ने किसानों को यह विश्वास दिलाया था कि उपरोक्त सिंचाई दर जो वसूल की गई है वह वापस करदी जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त रकम किसानों को आज तक वापस नहीं दी गई ?

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

(5) क्या यह सही है कि सरकार को ऐसी सिंचाई दर वसूल करने का कोई अधिकार नहीं था ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त सिंचाई दर किसानों को कब तक वापस कर देगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां, भरतपुर जिले में अगस्त, 1972 में बाढ़ आई थी। खरीफ 1972 की फसल नष्ट होने के कारण मुआवजा दिए जाने के मुद्दे का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी नहीं। सिंचाई दर नियमानुसार राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम, 1955 की धारा 22 के तहत लगाई गई है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : जब आपके बांध टूट चुके हैं और आपके पास कोई पानी का प्रोविजन नहीं है तो फिर आपको सिंचाई रेट लगाने का क्या अधिकार है ?

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगी। जब भरतपुर में बाढ़ आती है और फसल नष्ट हो जाती है तो उसके नुकसान का कोई मुआवजा सरकार नहीं देती है। दूसरी तरफ जब बाढ़ का पानी बांध तोड कर अपने आप पहुंच गया जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था तो फिर विभाग द्वारा उसके लिए सिंचाई शुल्क लेने का क्या अधिकार है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में सिंचाई का प्रश्न नहीं था। यहां पर अपनी तरह की अलग व्यवस्था है। भरतपुर में आम तौर पर जो नदियों में पानी आता है उसी पानी को चेनल्स के द्वारा फैलाया जाता है चारों तरफ और उसके बाद फसल पैदा होती है। यह सिंचाई शुल्क कोई नया नहीं लगाया गया है बल्कि भरतपुर स्टेट के वक्त से ही सिंचाई दर लगी हुई है वही वसूल होती है। इस वर्ष में चूंकि बाढ़ आने से ज्यादा पानी फैल गया तो उससे सिंचाई भी हुई है और फसल भी पैदा हुई है। वहां के जो सिंचाई शुल्क के नियम हैं, कानून हैं उसी हिसाब से वसूली की गई है, कोई नया कर वसूल नहीं किया गया है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे-अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : भरतपुर की बाढ़ में जहां पहले दस बारह फुट पानी आता था वहां अब 22-23 फुट पानी आया है और उसने सारी फसल नष्ट कर दी है, वहां पर कोई सिंचाई नहीं हुई है। भरतपुर के किसानों के साथ में जुल्म हो रहा है। उनसे शुल्क वसूली करके उनका सत्यानाश कर दिया है, उनके साथ पक्षपात करते हैं, वसूली करते हैं।

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपका सप्लीमेन्टरी है ?

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में आबियाना डण्डे से वसूल किया जाता है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बात मैं निवेदन कर रहा था, यह सदन है। पंचायत हाउस नहीं है। जब चाहा तभी खड़े हो गये। मर्जी हुई तभी बोलने लगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह पंचायत वाली बात तो नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : पंचायत से मेरा मतलब यह है कि वहां बोलने के बारे में कोई पाबन्दियां नहीं हैं। वैसे पंचायतों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। मैं बहुत सम्मान करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब सरकार की ओर से ही यह होता है।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : मेरे मन में पंचायतों के लिए सम्मान की कमी नहीं है। मैं बहुत इज्जत करता हूं। उनके बड़प्पन में कमी नहीं है। मेरा मतलब यह है कि वहां कोई बोलने की पाबन्दी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पंचायत में भी बीच में नहीं बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैंने कहा है। नियम का ध्यान रखें। कोई बोल रहा है तो उसके भाषण के समाप्त होने के बाद ही बोलें।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं.......

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने आपकी सेवा में ही तो इतना निवेदन किया था।

श्री मनोहरलाल : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भरतपुर में पहाड़ों का पानी बह कर आता है। उस पानी का आबियाना लेने का क्या नियम है ? वह कोट कर दें।

श्री गुरदयालसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, वह बरसात का पानी तो नेचुरल वाटर है। किसी सोर्सेज से नहीं आ रहा है। फिर क्या कारण है, सिंचाई लगाने का पहले वहां पर बांध था। वह टूट गया। यह अन्दाज नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय.......

श्री रामलाल (बाड़ी) : कई बार तो तालाबों में पानी नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री गौरीशंकर जी !

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : खानपुर तहसील में जो बांध बांधा जा रहा है.......

एक माननीय सदस्य : यह तो भरतपुर का मामला है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजा महाराजाओं की परम्परा बनी हुई है। क्या राज्य सरकार कोई परिवर्तन करना चाहती है ?

श्री जयकिशनलाल (कामां) : भरतपुर जिले के किसानों के लिए सरकार ने जो वायदा किया था.......

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : 72 की बाढ़ में किसानों को कुछ दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रश्न का एक घण्टा और बढ़ा दिया जावे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न का समय थोड़ा सा और बढ़ा दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं कि पहले जो बाढ़ आई है, उसका मुआवजा दिया गया है या नहीं। नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है। बाढ़ आई है तो उसका इस डिपार्टमेन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे डिपार्टमेन्ट से होता है। दूसरा यह है कि बाढ़ जो आई और उसके बाद जो फसल हुई है, उस पर जो सिंचाई की दर लगाई गई है, उसका मैंने उत्तर में कह दिया है। भरतपुर में एक नदी बाणगंगा और दूसरी नदी गम्भीरी है। इसका पानी फैल जाता है। इससे रबी की फसल पैदा होती है। इससे आबियाना वसूल होता है। यह सही है। सन् 1972 में बाढ़ आई। चूंकि वहां पर पानी जमीन पर फैल जाता है। इसलिए आबियाना वसूल किया गया है। बाढ़ की वजह से जो विशेष फसल हुई है, उस का वसूल नहीं हुआ है। बाढ़ के अलावा जो तालाबों का पानी है, वह अलग है। उनसे जो एक दो पानी दिया जाता है, उनकी दर अलग है। उनका प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है कि दर वापिस ले ली जायेगी। वसूली के बारे में 195 दरखास्तें आई हैं जिन्होंने कहा है कि फसल नहीं हुई है। ज्यादा पानी आने से फसल खराब हो गई है। उनकी जांच की जा रही है। उस जांच के अनुसार जो चीज आयेगी वह किया जायेगा। जो सही चीज है, वह तो मानने की बात है। भरतपुर में जो लगान होता है, उसका मौजूदा फसल से कोई सवाल ही नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,........

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि रेवेन्यू लॉज कमीशन ने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस सिस्टम ऑफ इरिगेशन बाई चैनल्स के ऊपर टैक्स लगाना अनजस्ट माना है और यह रिकमन्ड किया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार के इरिगेशन चार्जेज लेना बन्द करें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इसकी तत्काल जानकारी नहीं दे सकता। यदि इस प्रकार की सिफारिश है तो राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरा प्रश्न यह है...

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री जयकिशनलाल : मेरा दूसरा निवेदन है ..

श्री अध्यक्ष : No time for Supplementary.

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन के लिए काफी समय दे दिया है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह प्रश्न कई दफा आ चुका है लेकिन इसकी जानकारी नहीं देते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

ज्यादातर सवालों के उत्तर आयें इसके लिए जरूरी है कि समय का उपयोग हो, कम सप्लीमेन्ट्री करें, कम सवाल करें। प्रश्न काल है इसका चाहे जितना उपयोग कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं कई दफा निवेदन कर चुका हूं। इसमें आप सहयोग दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय तैयार होकर आयें और डाइरेक्ट उत्तर दे दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, यथाशक्ति हम उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है, संतोष न हो।

श्री खेतसिंह : मंत्री महोदय की तरफ से गलती नहीं है। आप इतने प्रश्न क्यों करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कभी कभी जवाब गलत आते हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

संजय साप्ताहिक पत्र को विज्ञापन

40. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

संजय साप्ताहिक समाचार पत्र झालरापाटन, जिला झालावाड़ को जनवरी, 64 से 31 दिसम्बर, 73 तक जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा विज्ञापन के लिये कब कब कितना कितना रुपया दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

संजय साप्ताहिक झालरापाटन को जनवरी, 64 से 31 दिसम्बर, 73 तक निम्नांकित वर्षों में उनके सामने अंकित धनराशि का विज्ञापन दिया गया है।

वर्ष	धनराशि
1964-65	547-00
1965-66	1474-40
1966-67	3027-40
1967-68	5143-60
1968-69	4263-00
1969-70	3469-40
1970-71	3057-00
1971-72	3492-80
1972-73	2437-50
अप्रेल, 73 से दिस., 73	2281-40

राज्य के विभिन्न स्कूलों में छात्रों की संख्या

41. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने छात्र विभिन्न कक्षाओं में (कक्षा प्रथम से उच्चतम कक्षा तक मय शोध के विद्यार्थियों के) शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? सूची कक्षा व जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) उप खण्ड दौसा में कितने छात्र विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं ? सूची कक्षा व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनकी छात्र संख्या उप खण्ड दौसा के समान या इससे भी कम है ? ऐसे जिलों की छात्र संख्या क्या है ?

उत्तर

(1) कक्षा प्रथम से उच्चतर माध्यमिक तक के छात्रों की सूची संलग्न है।(अ)

महाविद्यालय स्तर के छात्रों की मय शोध के विद्यार्थियों की सूची संलग्न है।(ब)

(2) सूची संलग्न है। सूची में अंकित है। (स) और (द)

(3) जी हां। जहां तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है जैसलमेर जिला ही ऐसा है जिसकी छात्र संख्या दौसा उप खण्ड से कम है। सूची में अंकित है।

जहां तक महाविद्यालय का सम्बन्ध है सूची संलग्न है। (ई)

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त स्थान

42. **श्री मीठालाल (लालसोट)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की विभिन्न उच्च प्राथमिक शालाओं में अभी भी अध्यापक व अध्यापिकाओं की अत्यधिक कमी है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया ऐसी शालाओं की सूची मय कम अध्यापकों व अध्यापिकाओं की संख्या के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अध्यापकों व अध्यापिकाओं की जिन शालाओं में कमी है, उनमें पूर्ति कब तक कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है वे इस प्रकार हैं। अध्यापकों की कमी इनके सामने अंकित है:—

नाम शाला	अध्यापकों की कमी
1. देहलाला	दो
2. चकवाड़ा	दो
3. मोहेबतपुरा	एक
4. गुलाब बाड़ी	दो

(2) अगले वर्ष जब फिर प्रशिक्षित अध्यापकों के आवेदन-पत्र प्राप्त होंगे तो यह कमी दूर कर दी जावेगी।

उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय बकानी की छात्राओं से वसूली

43. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालारापाटन)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय, बकानी, जिला झालावाड़

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
में छात्राओं से शुल्क परीक्षा व दीगर शुल्क सन 1973 में वसूल किया गया है ? यदि हां, तो निम्न छात्राओं से कितना कितना शुल्क किस किस हेतु किन किन रसीद नम्बर व तारीख से किनके हस्ताक्षरों से वसूल किया गया:—

(1) साधना कुमारी पुत्री श्री हंसराज कक्षा 6 ।

(2) उषा पुत्री श्री दुलीचन्द कक्षा 8

(3) सुशीला पुत्री श्री सुखलाल कक्षा 8 ।

(4) उषा पिता का नाम नहीं बकानी जाति विप्र ।

(5) सुशीला पिता का नाम नहीं बकानी, हिन्दू ।

(6) साधना कुमारी बकानी जैन ।

(स्थगित किया गया)

श्री बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुर में अध्यापकों के पदों में कमी

44. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान ने अपने पत्र संख्या ई. डी. बी./एड./बी./प्रा./8100/72, दिनांक 26-8-72 द्वारा राजकीय सहायता प्राप्त श्री बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर में 13 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को घटा कर केवल 8 तृतीय श्रेणी के शिक्षक ही रख दिए हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर ने अपने पत्र संख्या विनिजो / लेखा / ब /73-74/10818, दिनांक 4-5-73 के द्वारा निदेशक को उपरोक्त कम किए गए शिक्षकों की पूर्ति करने का निवेदन किया है ? यदि हां, तो पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। इस संख्या में छात्र संख्या कम हो जाने के कारण पद कम किए गए थे।

(2) जी हां। संस्था को कुछ और पद देने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है।

अंधे पोस्ट ग्रेज्युएट एवं हायर सेकेण्ड्री पास व्यक्तियों को रोजगार

45. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

राजस्थान में कितने अंधे पोस्ट ग्रेज्युएट एवं हायर सैकेण्ड्री पास है और इनमें से कितने राज्य सरकार की सेवाओं में हैं तथा कितने बेरोजगार हैं और राज्य सरकार की इन बेरोजगारों को काम पर लगाने की क्या योजना है ?

उत्तर

राजस्थान में कितने अंधे पोस्ट ग्रेज्युएट एवं हायर सैकण्डरी पास हैं तथा इनमें से कितने व्यक्तियों को राज्य सेवा में लगाया गया है और कितने बेरोजगार हैं आदि की

(समाज कल्याण मन्त्री)

सूचना उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने मूक बधिर, नेत्रहीन एवं अपंग व्यक्तियों को नियोजन एवं नियोजन की जांच की समस्या के समाधान के लिये एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को देने के बाद राज्य सरकार के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी जिससे कि यह समस्या हल हो सके।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, असनावर का भवन

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर असनावर (जिला झालावाड़) के भवन का कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो इस भवन पर कितना रुपया खर्च हुआ और कितने रुपयों की स्वीकृति दी गई थी?

(2) क्या यह सही है कि भवन का आहता व कर्मचारियों के क्वार्टर्स आदि बनाना बाकी है तथा रोशनी आदि के लिये फिटिंग भी नहीं हुआ है और लेट्रीन, बाथरूम आदि भी अधूरे हैं? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरे हो जावेंगे?

(1) जी हां। रुपये 52,058) अब तक खर्च हुआ रु. 60,000) स्वीकृत किया गया था।

(2) जी हां। लाइट फिटिंग का कार्य पूरा हो चुका हैं तथा शेष कार्य 31 मार्च, 1947 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर

47. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर को तीस शय्या ग्रामीण अस्पताल घोषित करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(2) उक्त केन्द्रो में यूनिसेफ का अब तक क्या क्या सामान कब कब प्राप्त हुआ है? तथा यूनिसेफ की जीप कब तक प्राप्त हो जावेगी?

(3) उक्त केन्द्र के उप-केन्द्रों पर क्या अब तक पूरा स्टाफ तैनात कर दिया गया है? अगर नहीं तो कितनी कमी है एवं पूरी कब तक कर दी जावेगी?

(4) उक्त केन्द्र पर अब तक एप्लाइड न्यूट्रिशन कार्यक्रम क्यों नहीं लागू किया गया है? अब उक्त कार्यक्रम कब तक लागू कर दिया जावेगा?

उतर

(1) उक्त केन्द्र को उच्चीकरण करने सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) उप केन्द्र पर यूनिसेफ सामान की उपलब्धता की सूची अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। केन्द्र पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु यूनिसेफ का इण्डेण्ट दिसम्बर, 73 में प्राप्त हो चुका है वाहन के जल्दी ही उपलब्ध होने की संभावना है। किन्तु परिवार नियोजन की एक वाहन वहां पर

(चिकित्सा मन्त्री)
कार्यरत है, जिसे यूनिसेफ की वाहन उपलब्ध होते ही वापिस कर लिया जावेगा।

(3) उक्त केन्द्र के उप केन्द्रों पर पेटर्न के अनुसार स्टाफ कार्यरत् है।

(4) अप्लाइड न्यूट्रीशन कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सम्बद्ध नहीं है।

एस. एन. मैडिकल कॉलेज जोधपुर में थियेटर का निर्माण कार्य

48. **श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में दो ग्राउन्ड फ्लोर के लेक्चर थियेटर के ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर दो अतिरिक्त लेक्चर थियेटर का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है जिससे नीचे वाले भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं ? यदि हां, तो इनका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

यह सत्य है कि एस. एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में दो ग्राउण्ट फ्लोर के लेक्चर थिएटर के ठीक उपर फर्स्ट फ्लोर पर दो अतिरिक्त लेक्चर थियेटर का निर्माण पिछले लगभग तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है। इस वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण नीचे वाले लेक्चर थियेटरों में ऊपर से पानी आ गया था परन्तु वे तुरन्त ही पी. डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा ठीक कर दिये गये। ऊपर के दो लेक्चर थियेटर के कार्य के लिये एक लाख रुपये का प्रावधान आयोजना मद 1974-75 में रखा गया है।

पी. बी. एम. जनरल अस्पताल, बीकानेर में दवाइयों पर व्यय होने वाली राशि

49. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर पी. बी. एम. जनरल अस्पताल में सन् 1947 में दवाइयों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जाती थी ?

(2) क्या यह सही कि अस्पताल में मरीजों की संख्या देखते हुए बजट में कोई पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं की गई है ? यदि हां, तो भूतपूर्व बीकानेर स्टेट के समय होने वाले व्यय व आज होने वाले व्यय की राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में किसी प्रकार के स्टाफ की बढ़ोतरी नहीं की गई है जिससे मरीजों की समय पर व सही ढंग से देखभाल नहीं होती है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल के अन्दर ही वार्डों में चाय की केन्टीन खोली गई है ? यदि हाँ, तो क्यों व किसके आदेश से ?

उत्तर

(1) पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में सन 1947 में कुल रु. 91 हजार की धनराशि दवाइयों पर व्यय की जाती थी।

(2) यह सही नहीं है कि बजट में मरीजों की संख्या को देखते हुए बढ़ोतरी

Page No 24

(२४)

(चिकित्सा मन्त्री)

नहीं की गयी है सन् 1973-74 में दवाइयों पर कुल 7 लाख 90 हजार की धनराशि का बजट प्रावधान है जो बीकानेर स्टेट के समय से आठ गुणा से भी अधिक है।

(3) यह सही नहीं है कि अस्पताल में स्टाफ की बढोतरी नहीं की गई है। सन् 1950 व 1974 की स्टाफ की स्थिति का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

	वर्ष 1950	वर्ष 1974	वृद्धि
टीचिंग स्टाफ		129	1950 में मैडीकल कॉलेज नहीं था।
नर्सिंग स्टाफ	147	193	46
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	283	342	59

(4) यह सही है कि एक केन्टीन अस्पताल स्टाफ सहकारी समिति द्वारा खोली गई है। यह केन्टीन प्याऊ के साथ बरामदे में खोली गई है। यह स्थान वार्डों से बिल्कुल अलग है। मरीजों व उनके रिश्तेदारों एवं स्टाफ की सहूलियत से व सस्ती दरों पर चाय, दूध, बिस्कुट इत्यादि सुलभ करने के लिये यह अत्यन्त उपयोगी रही है। यह केन्टीन स्टाफ सहकारी समिति के सर्वसम्मत निर्णय पर प्रधानाचार्य, एस. पी. मेडीकल कॉलेज, बीकानेर व अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर की अनुमति से खोली गई है।

कारागृह से भागे हुए पाकिस्तानी

50. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) रायसिंह नगर जिला गंगानगर के कारागार (ज्यूडिशियल लॉकअप) से 1969 के आखिर में या 1970 में कितने व कौन कौन से पाकिस्तानी भाग गये थे?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने किसे दोषी ठहराया था और उसके विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

उत्तर

(क) उप कारागृह, रायसिंहनगर से दिनांक 14-5-70 को 2 पाकिस्तानी बन्दी भागे थे जिन्हें वापिस गिरफ्तार कर लिया गया था, का विवरण निम्न भांति है:—

1. श्री आशिक हुसैन पुत्र बरकत अली।
2. श्री उमरदीन पुत्र श्री जहूरदीन।

(ख) इस फरारी के मामले में निम्नलिखित कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय जांच की गई:—

1. श्री माधोसिंह प्रहरी
2. „ बहादुरसिंह „
3. „ हरदेवाराम „

विभागीय जांच में श्री हरदेवा राम प्रहरी को दोषी पाया जाने पर उसे अधीक्षक, जिला कारागृह, बीकानेर द्वारा आदेश क्रमांक 2778-80, दिनांक 26-12-72 से राज्य सेवा से पृथक् कर दिया गया।

मावली, राजसमन्द एवं रेलमगरा तहसीलों में अतिवृष्टि से क्षति

51. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मावली, रामसमन्द और रेलमगरा तहसीलों में (जिला उदयपुर) गत अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के कितने मकान ढ़हे अथवा बहे ? कृपया उनके नाम एवं गांव की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने उपरोक्त लोगों के मकानात के जीर्णोद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की ? यदि हां, तो किस आधार पर और कितनी रकम ?

उत्तर

(1) मावली, राजसमन्द एवं रेलमगरा तहसीलों में गत वर्ष 1973 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के मकान नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुए। उनके बाबत सूचना निम्न प्रकार है:—

I. तहसील मावली में अतिवृष्टि के कारण 1034 मकान क्षतिग्रस्त हुए। बाढ़ से क्षति नहीं हुई। सारी क्षति अतिवृष्टि से ही हुई।

II. तहसील राजसमन्द में 71 मकान अतिवृष्टि से एवं 50 मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए।

III. तहसील रेलमगरा में बाढ़ से 104 मकान क्षतिग्रस्त हुए।

(2) राज्य सरकार ने मावली में कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं की है। तहसील राजसमन्द एवं रेलमगरा में आर्थिक सहायता उपलब्ध की जा चुकी है। तहसील राजसमन्द में इन जातियों के व्यक्तियों को 7350) रु. नकद सहायता का दिया गया है। तहसील रेलमगरा में इन 104 व्यक्तियों में 78 व्यक्तियों को 10950) रु. नकद सहायता का दिया जा चुका है। 24 व्यक्तियों को अभी सहायता उपलब्ध करने की कार्यवाही चालू है। यह सहायता निम्न आधार पर दी गई है:—

I. बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए यदि मकान पूर्णतया नष्ट हो गये हो तो प्रति परिवार 150) रु.।

II. बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए पीड़ित परिवारों को – यदि मकान आंशिक रूप से नष्ट हुए हो तो प्रति परिवार 10) रु. से 100) रु. तक।

राज्य पुलिस में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की संख्या

52. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पुलिस विभाग की समस्त शाखाओं में फरवरी, 1974 तक कितने कर्मचारी व अधिकारी सेवारत हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारी एवं अधिकारियों में से श्रेणीवार व जिलेवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों की सूची यह दर्शाते हुए कि यह कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, सदन की मेज पर रखें।

Page No 26

(26)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अनुपात से संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इसमें सुधार कर वांछित प्रतिशत तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को नियुक्त करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस विभाग में दिनांक 28-2-74 तक 303 राज-पत्रित अधिकारी सेवारत थे तथा 31979 अराज-पत्रित कर्मचारी दिनांक 30-9-73 तक सेवारत थे। दिनांक 28-2-74 तक की स्थिति के बारे में सम्बन्धित जिला अधीक्षकों से सूचना एकत्रित की जा रही है। आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(2) उक्त अवधि में राज-पत्रित अधिकारियों में से 13 अनुसूचित जाति व 6 अनुसूचित जन जाति के तथा अराज-पत्रित कर्मचारियों में 1763 अनुसूचित जाति व 2167 अनुसूचित जन जाति के हैं। इन जातियों का प्रत्येक जिले वार प्रतिशत सम्बन्धित जिलों से प्राप्त किया जा रहा है। जो आते ही उपलब्ध कर दिया जावेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिशत में वृद्धि की गई है तथा योग्य व्यक्तियों के उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति संभव होती है।

उद्योगों के लिए सीमेन्ट

53. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत तीन वर्षों में लघु उद्योग निगम द्वारा सवाई माधोपुर जिले को कितना सीमेन्ट उद्योगों हेतु प्रति वर्ष आवंटित किया गया ? यदि आवंटन नहीं किया गया तो क्यों ?

उत्तर

गत तीन वर्षों में लघु उद्योग निगम द्वारा सवाई माधोपुर जिले को कोई सीमेन्ट आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि लघु उद्योग निगम सीमेन्ट आवंटन का कार्य नहीं करता है।

श्री डूंगरगढ़ थाने में दर्ज मामले

54. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चूरू जिले में अधीनस्थ थाना श्री डूंगरगढ़ में आगजनी, लूटखसोट के कितने केस दायर किए गए और कितने व्यक्तियों के खिलाफ ? व्यक्तियों के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

चूरू जिले के अधीनस्थ थाना डूंगरगढ़ में सन् 1973 में आगजनी का केस एक व्यक्ति के विरुद्ध व लूटखसोट के 6 केस 40 व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किए गए हैं। व्यक्तियों के नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

कोटा बैराज का पानी

55. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत पांच वर्षों में चम्बल नदी से कोटा बैराज के आगे ज्यादा से ज्यादा पानी किस

Page No 27

(27)

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
किस वर्ष में कब और कितने दिन चला और कम से कम कितना पानी कब कब चला ? उस पानी को प्रयोग में लेने का राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

गत पांच वर्षों में सबसे अधिक पानी दिनांक 8-9-73 को लगभग 5,35,000 सी. सी. चला और सबसे कम पानी दिनांक 28-1-70 को लगभग 39 सी. सी. चला। इस पानी के उपयोग के बारे में अभी कोई योजना विचारणीय नहीं है।

कोटा-जयपुर सड़क पर चम्बल नदी का पुल

56. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा शहर से जो सड़क जयपुर की ओर आती है उस पर चम्बल नदी का पुल खराब हालत में होने के कारण उस पर से गाड़ियां आ जा नहीं सकती हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार पुल की कब तक मरम्मत करा देगी और आज तक मरम्मत न कराने का क्या कारण है ?

उत्तर

जी, हां। पुल का मरम्मत कार्य आगामी वर्षा तक पूरा होने की आशा है। उच्च स्तरीय कमेटी की तकनीकी जांच रिपोर्ट सरकार को 13-2-74 को प्राप्त हुई थी, जिसकी स्वीकृति सरकार ने 23-2-74 को दी है, अतः मरम्मत कार्य अब तक नहीं हो सका। अब कार्य आरम्भ कराया जा रहा है।

जालोर जिले में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

57. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जालोर में विद्युत् विभाग के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय कब तक खोल दिया जायेगा ? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें।

(2) जिला जालोर में ग्रामीण विद्युत् प्रसारण के बारे में सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं अमल में कहां कहां ली जावेंगी ?

(3) विद्युत् प्रसारण की दृष्टि से जिला जालोर पिछड़ा होने के कारण क्या सरकार जिला जालोर में विशेष विद्युत् प्रसारण लाइन बिछाने का निर्णय लेगी ? अगर हां, तो कब तक एवं कहां कहां विद्युत् लाइनें बिछाई जावेंगी ?

(4) सिरोही-भीनमाल 132 के. वी. लाइन कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ? एवं भीनमाल-रानीवाड़ा-सांचोर 33 के. वी. लाइन कब तक लगा दी जावेगी ?

(5) तहसील सांचोर के 6 ग्रामीण विद्युतिकरण में लिए गए ग्रामों का विद्युतिकरण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(6) जिला जालोर में अगले साल कितने कुओं पर बिजली दी जावेगी ?

उत्तर

(1) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अधिशासी अभियन्ता के नए कार्यालय मण्डल द्वारा स्वीकृत मापदण्ड

Page No 28

(28)

(श्री विद्युत् मंत्री)
(नार्म्स) के अनुसार कार्यभार (वर्क लोड) के आधार पर खोले जाते हैं।

(2) जालोर जिले की भीनमाल पंचायत समिति की एक योजना बनाई जाकर ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के पास भेजी जा चुकी है। यह निगम के विचाराधीन है। अन्य क्षेत्रों के लिए योजना बनाना जालोर में 132 के. वी. का सब-स्टेशन चालू होने पर ही संभव होगा। यह स्टेशन 75-76 में लगाने की संभावना है।

(3) जालोर जिले के लिए सिरोही से जालोर व सिरोही से भीनमाल तक 132 के. वी. की प्रसारण लाइनें बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। इनका कार्य वर्ष 75-76 तक पूरा होने की आशा की जा सकती है। इन स्थानों पर बड़े सब-स्टेशन लगने के बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 33 के. वी. लाइनें बिछाने का कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा।

(4) वर्ष 75-76 में यह लाइन पूर्ण होने की संभावना है। भीनमाल से रानीवाड़ा 33 के. वी. लाइन स्वीकृत की जा चुकी है और उस पर कार्य चालू है जिसके शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है।

(5) इन ग्रामों का विद्युतिकरण वर्ष 75-76 के बाद जालोर में हाइडल स्टेशन बनने के पश्चात् ही संभव हो सकेगा, जैसा कि भाग 2 के उत्तर में बतलाया गया है।

(6) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह धनराशि की उपलब्धि व आवश्यक बिजली की उपलब्धि (जो जालोर व भीनमाल पर 132 के. वी. सब-स्टेशन बनने पर निर्भर है) पर निर्भर करेगा।

कोटपूतली एवं विराट नगर क्षेत्र का विद्युतिकरण

58. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति, कोटपूतली एवं विराटनगर, जमवा रामगढ़ के क्षेत्रों के विद्युतिकरण हेतु आर. आई. सी. स्कीम बनाने का विचार विद्युत् बोर्ड दो वर्षों से कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक इन क्षेत्रों की स्कीम स्वीकृत कर कनेक्शन दिये जाने का विचार है ?

(2) प्रत्येक स्कीम में किन किन ग्रामों को सम्मिलित किया जा रहा है ? सूची एवं प्रस्तावित योजना की प्रतिलिपि एवं नक्शे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील के समस्त ग्रामों की एक रूरल इलेक्ट्रिक को-ऑपरेटिव बनाने की एक योजना आर. ई. सी. की सहायता से तैयार की गई है जो रा. रा. वि. मण्डल व राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस योजना में सोलह गांव विराट नगर पंचायत समिति के भी हैं।

जमवा रामगढ़ तहसील के 60 ग्रामों की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना बनाकर निगम को दिनांक 28-11-73 को भेजी जा चुकी है जो स्वीकृति हेतु निगम के

(श्री विद्युत् मंत्री)
विचाराधीन है। स्कीमों की स्वीकृति कब तक हो जायगी और इनमें सम्मिलित गांवों में कब तक कनेक्शन दिये जा सकेंगे अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) स्कीम में सम्मिलित किये गये गांवों की सूची 'ए' व 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है। योजना की प्रतिलिपि ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की स्वीकृति के बाद ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राता भाटा बांजोरा फीडर का निर्माण कार्य

59. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राता भाटा बांजोरा फीडर, उप-खण्ड ब्यावर, जिला अजमेर पर लेबर-रेट पर किसी कार्य का ठेका श्री माधोलाल टांक को दिया गया था ? यदि हां तो उसको कार्य पूरा होने पर अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया और अब कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, श्री माधोलाल टांक ठेकेदार को 2919 रु. की राशि का भुगतान दिनांक 16-6-1970 को दिया जा चुका है शेष राशि जो कि 6313 रु. है उसका भुगतान सहायता विभाग द्वारा राशि आवंटन करने पर कर दिया जाएगा इस विषय में पत्र-व्यवहार जारी है।

चूरू में अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय एवं आवास भवनों का निर्माण कार्य

60. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के लिए कार्यालय भवन तथा आवास के लिए भवन निर्माण कब तक करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के कार्यालय दूर-दूर होने से दैनिक कार्यों में जनता को बहुत तकलीफ होती है ?

उत्तर

(1) कार्यालय भवन एवं आवास भवन निर्माण की अभी स्वीकृति नहीं है।

(2) इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत इस विभाग के पास नहीं आई है।

मोतीराम कमीशन रिपोर्ट की क्रियान्विति

61. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट का क्रियान्वयन कब तक कर दिया जायेगा और रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर कुल कितना व्यय होगा।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

(2) भाखरा के नोहर-भादरा क्षेत्रों और गंग नहर के एल. एन. पी. क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, मोतीराम कमीशन के सुझावों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सुझावों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) भाखड़ा के नोहर-भादरा क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिये प्रयास जारी है। मोतीराम कमेटी के सुझावानुसार गंग नहर एल. एन. पी. क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार पोस्ट पोंग समय में करना है।

चूंकि अभी तक पोंग डेम में पानी स्टोर नहीं किया गया है। अतः इस समय एल. एन. पी. क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को सुधारना संभव नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम झाखड़ावाली के पास में एक मंदिर में हरिजनों की पिटाई के विषय में,

(2) श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से—

(I) उदयपुर नगर में एक व्यक्ति श्री महेन्द्रसिंह द्वारा अपनी पत्नी की हत्या के विषय में,

(II) पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा श्री रामलाल सरपंच की पिटाई के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में दिनांक 2 मार्च, 1974 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं अश्रु गैस के प्रयोग के सम्बन्ध में,

(4) श्री अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा टोडारायसिंह, जिला टौंक में दो प्राइमरी स्कूलों के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

इन सब स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त हो जाने पर निर्णय लिया जावेगा।

(1) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिला गंगानगर में समय पर भूमि के इन्तकाल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(2) श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा द्वारा जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों के निवासियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(3) श्री गोपालसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा सीकर जिले में कस्बा खण्डेला में पीने का पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री मूलचन्द सामरिया, मीठालाल व सुरेशचन्द्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजकीय कॉलेज, दौसा में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

ये सब स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के नहीं हैं और माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के दौरान चर्चा में इन्हें उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा जयपुर शहर में पीने के पानी की सप्लाई कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(6) सर्व श्रीमूलचन्द सामरिया, मीठालाल, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह द्वारा दौसा उप-खण्ड को जिले में परिवर्तित करने के विषय में,

ये दोनों प्रश्न भी किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं हैं और माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के दौरान चर्चा में उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा द्वारा राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का बंटवारा करते समय सिक्खों के साथ हुए अन्याय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और अस्पष्ट है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा चांदपोल बाजार, जयपुर के एक कथित व्यापारी के यहां रसद अधिकारियों द्वारा मारे गये छापे के सम्बन्ध में,

(9) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा द्वारा जयपुर शहर में वितरण किये जा रहे राशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

इन प्रश्नों पर सदन में कल ही विस्तृत बहस हो चुकी है अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(10) सर्वश्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, सुरेशचन्द्र, प्रतापसिंह व गोवर्धनसिंह, सदस्य, विधान सभा ने हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न हाल की किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है और इस पर सदन में कई बार विस्तृत चर्चा हो चुकी है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(11) सर्वश्री केसरीमल, रामकिशन, गुरदयालसिंह सन्धु, मनोहरलाल, गुमानमल लोढ़ा व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने राज्य के विभिन्न स्थानों में शीत लहर से फसलों को हुई हानि के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर राज्य सरकार एक वक्तव्य दे। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(12) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, मालाराम, गिरधारीलाल भार्गव व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाने में एक व्यक्ति की मृत्यु

Page No 32

(श्री अध्यक्ष)

हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस विषय में मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार एक वक्तव्य दे, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा द्वारा गंग नहर के आर. डी. 87 के पंजाब द्वारा एक माइनर बनाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक-महत्त्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट की बैंच स्थापित करने के सम्बन्ध में मेरा स्थगन प्रस्ताव है, मेरा निवेदन····

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) One at a time.

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है····

श्री अध्यक्ष : आप इनको (श्री मूलचंद सामरिया को) बोलने दीजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने दौसा में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासेज शुरू करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसके कारण वहां विद्यार्थियों में घोर असंतोष है और यह असंतोष वहां जन-जीवन, जनता के अन्दर फैलता जा रहा है। इसलिए वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोली जायं।

श्री अध्यक्ष : थोड़े थोड़े में कहें।

श्री मूलचन्द सामरिया : दो मिनिट।

वहां के नागरिकों ने और विद्यार्थियों ने यह प्रस्ताव पास किया है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लास नहीं खोली गई, तो आन्दोलन के जरिये इस समस्या को हल कराया जायगा, और उस पर सरकार का खर्चा होगा। आज सरकार कहती है कि वह पी. जी. क्लासेज चालू करने की स्थिति में नहीं है यह गलत है तो भी मेरा निवेदन है कि क्योंकि जयपुर में एडमिशन देने में किल्लत होती है और परेशानी होती है इसलिए इस कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से दौसा में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चालू करना जरूरी है।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि दौसा उप-खण्ड को जिला बनाया जाय वहां की आबादी के लिहाज से, राजस्व की वसूली के लिहाज से, मुकदमों की संख्या के लिहाज से। यह सब-डिवीजन अभी जयपुर में आता है, लेकिन इन सब लिहाज से यह जरूरी हो गया कि दौसा को अलग से जिला घोषित किया जाय। इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस सम्बन्ध में सरकार को जिद् नहीं करनी चाहिये और वास्तविकता को समझना चाहिए। जिन जिलों में तीन से पांच तहसील हैं, उनकी आबादी के लिहाज से दौसा सब-डिवीजन को देखें तो दौसा को जिला बनाना चाहिए, इससे जयपुर जिला के जो अधिकारी हैं उनको भी अधिक सुविधा होगी और जो समस्यायें वहां की हैं उनके हल के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों का सम्पर्क और टच हो सकेगा। इसके लिए जरूरी है कि दौसा को जिला घोषित किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय····

श्री मूलचन्द सामरिया : एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार खाद्यान्नों की किल्लत के बारे में असमर्थता प्रकट करती है और जोर जोर से खाद्यान्नों का ब्लेक मार्केट करने वाले व्यापारी, जमाखोरों, जखीरेबाजों के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन जब पकड़ में आते हैं तो सरकार के बड़े नेता अपने प्रभाव का उपयोग करके उनको छुड़ाते हैं। अभी हाल में ही चांदपोल में भूरामल हनुमान सहाय जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसके यहां से 67 हजार का माल पकड़ा, लेकिन पुलिस को अफेक्टिव कार्यवाही नहीं करने दी गई। यह पहले चांवल की तस्करी में भी पकड़ा गया था जिसकी सी.आई.डी. से जांच हो रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसको चाहे आप अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं मानते हों, तो भी खाद्यान्नों की आवश्यकता को देखते हुए खाद्यान्न जखीरेबाजों से निकलवाया जाय। बाद में आप रिश्वत लेकर भले ही छोड़ दें लेकिन पकड़ा हुआ अनाज जनता में अवश्य बांट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैंने अलवर में 2 मार्च को पुलिस द्वारा जबर्दस्त लाठी चार्ज और अश्रु गैस के अमानुषिक प्रश्न के सम्बन्ध मे स्थगन प्रस्ताव दिया है····

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने सूचना तो मांगी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जनता में इतना रोष है कि इस मामले में अगर शीघ्र सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो वहां पर जनता में और खास तौर से विद्यार्थियों की तरफ से दुबारा आन्दोलन छेड़ने की बात हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में सभी जगह कोई अप्रिय घटना 2 मार्च को नहीं घटी लेकिन अलवर में प्रशासनिक अधिकारियोंने, पॉलिटिकल पार्टीज ने बन्द के लिए कॉल दी थी, उनके कई लीडरों को गिरफ्तार करके स्थिति पैदा कर दी जिससे लोगों में प्रोवोकेशन हुआ लेकिन फिर भी लोगों ने संयम से काम किया। लेकिन जबर्दस्ती वहां पर किसी तरह से सिनेमा खुलवाया और सिनेमा चलाया गया जिससे विद्यार्थियों में रोष पैदा हुआ विद्यार्थी वहां कहने गये कि बन्द किया हुआ है फिर क्यों चला रहे हो। इस पर लाठी चार्ज जबर्दस्त किया गया और अश्रु गैस छोड़ी गई और मोहल्लों और गली गली में जा जाकर लोगों को पीटा गया है। यहां तक, अध्यक्ष महोदय, प्रकाशचन्द जैन वकील, जिसका कोतवाली और बाजार के बीच की गली में ऑफिस है वहां पुलिस पहुंच गई जब पुलिस के सिपाहियों से पूछा तो उसको भी लाठियों से मारा। मुझे आश्चर्य हुआ जानकर कि एस.पी महोदय ने भी डंडा मारा। वकीलों का मुन्शी था छगनलाल उन्होंने भी बाईकाट किया था अदालत का और वकील अदालत से मुन्शी को बुलाने गया था, इस बात से चिढ़कर उसको बुलाया और मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने वकीलों से जांच की, खुद एस.पी. ने डंडा लेकर छगनलाल मुन्शी को मारा है। इस तरीके से वहां 50-60 लोगों को चोटें आई हैं, उनको लाठियां लगी हैं, एक की नाक की हड्डी टूट गई है। दरअसल वहां पर हरनेक सिह एस. पी. जो है, उन्होंने ही इस तरीके से अमानुषिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कार्य कराया है। मेरा इसलिए निवेदन है कि सरकार को फौरन ही, क्योंकि होली की छुट्टी आ जायगी, समय लगेगा। इसलिये सरकार फौरन जांच करके हरनेकसिंह को वहां से निलंबित करे या कम से कम वहां से तुरंत हटाये वरना वहां वह प्रोवोकेशन का कारण है। अगर रहेगा तो और कन्फ्रंटेशन होने की गुंजाइश हो सकती है। इस बात की न्यायिक जांच हो जाए जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और हरनेकसिंह को फौरन वहां से रिमूव किया जाए।

दूसरी बात उदयपुर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डाक्टर पी. एस. लाम्बा, उसका उल्लेख आपने इस व्यवस्था में नहीं किया

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहता हूं। उसमें कुछ अस्पष्टता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको निर्णय देने में मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : मुझे आपसे बात करनी है। उसके एडमिट होने के सम्बन्ध में आपसे बात करूंगा और फिर निर्णय लूंगा। एडमिट हो जाएगा तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर लिया जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी आपने पंचों के बारे में अपना मत अभिव्यक्त करके उनका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाई। मैंने उस संबंध में भी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस जन प्रतिनिधि के साथ पुलिस का क्या दुर्व्यवहार होता है। रामलाल सरपंच, पंचायत एक्ट के अनुसार सहायता लेने के लिए एस. पी. के पास गए। सहायता के बजाए उसको तमाचा, मार और गालियां देकर बाहर निकलवा दिया गया। यह जन प्रतिनिधि का सवाल है। पहले भी ऐसे कई प्रश्न आ चुके हैं और वर्तमान गृह राज्य मंत्री ने उस संबंध में चिंता भी व्यक्त की थी। ऐसी हालत में आप गृह मंत्री को संकेत दें कि खानापूर्ति कर लें, एन्क्वायरी तो होगी ही, जनप्रतिनिधि को पीटने के बाद पुलिस मंजूर करे, यह तो मुमकिन नहीं।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। सबसे पहला और जरूरी प्रस्ताव यह है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में कई बहाने बना कर सिक्खो की जमीनें कैंसिल की जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूं·······

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहें।

श्री गुरदयालसिंह संधु : सन् 1970 में कुछ सिक्खों ने जमीन प्राप्त करने के लिए छतरगढ़ तहसील में दरख्वास्तें पेश की। वहां उनकी जमीन इसलिए कैंसिल की कि वे लोग सिख हैं। मेरे पास 1955 की वोटर्स लिस्ट है जिसमें उनके सारे परिवार के नाम लिखे हैं। सिर्फ गल्ती यह हुई कि बाप के नाम के आगे बावे का नाम लिख दिया और उनकी जमीनें कैंसिल कर दी। मैंने चैलेंज दिया फोटो देख कर कि वे राजस्थान में पैदा हुए हैं। 1972 से वहां कमेटी गई···

श्री अध्यक्ष : अलॉटमैंट केसेज में अपील और रिवीजन होता है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : 1972 में कमेटी गई। उस समय के जो स्टेट मिनि-

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

स्टर थे उन्होंने कमिश्नर श्री मजीठिया को कहा कि सिक्खों की जमीनें कैंसिल करनी चाहिए। श्री मजीठिया ने मुझे बताया और कहा कि मैं तो ऐसा काम नहीं करूंगा। इसलिए मुझे तसल्ली हुई। उसके बाद क्या हुआ ? जमीनें कैंसिल होनी शुरू हुई और लगातार जमीनें कैंसिल हो रही हैं। हमारे क्षेत्र का हरिसिंह दुखिया है जो पंजाब में कई बार जेलों में रह चुका है। 1947 में हमारे साथ नजरबंद रह चुका है, उसका पोता सुरेन्द्रपालसिंह, वह जमीन प्राप्त करने के लिए गए। उसकी जमीन इसलिए कैंसिल की गई कि उसके बाप के नाम कुछ जमीन है, उसके भाई के नाम जमीन है। सन् 1970 में जब जमीन अलॉट की जा रही थी तो बाप की जमीन काउन्ट नहीं की जाती थी। मैं 100-200 उदाहरण पेश कर सकता हूं कि नॉन सिख फादर्स के नाम जमीनें थीं उनको अलॉटमैंट कर दिया गया और सिखों की जमीनें इसलिए कैंसिल की जाती हैं क्योंकि बाप के नाम जमीन है····

(व्यवस्था सूचक घंटी)

1974 में दो आदमी मकरसिंह गुरुदेवसिंह जमीन अलॉट कराने के लिए बीकानेर पहुंचे, उन्होंने सबूत पेश किए जो करने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद उनसे पूछा गया कि तुम पंजाबी क्यों बोलते हो, हिंदी क्यों नहीं बोलते हो। उन्होंने कहा हिंदी नहीं आती। फिर पूछा कि आपने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। उनकी दरखास्तों पर लिख दिया कि ये लोग पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं इसलिए पंजाबी मालूम होते हैं इसलिए जमीन अलॉट न की जाए। इस तरह से वहां पर जमीनें कैंसिल की जा रही हैं और दूसरी तरफ कई लोगों को जमीन दी जा रही है। इस समय हरियाणा के एक श्रीमान् भारत सरकार में डिप्टी मिनिस्टर है, उन्होंने एक मुरब्बा जमीन अपने नाम और दो मुरब्बे बेटों के नाम ली है। गर्ग साहब का बेटा एग्रीकल्चरल ग्रेजूएट नहीं था उनको जमीन अलॉट की गई और सिखों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: आपने बहुत फरमा दिया।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मेरे और दो स्थगन प्रस्ताव हैं। इस तरह से जमीनें कैंसिल हो रही हैं और सिक्खों से उनकी जमीनों के लिए सबूत मांगा जाता है जबकि दूसरों के लिए ऐसी बात नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसके लिए 5-6 खत मुख्यमंत्री को लिख चुका हूं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी बात हमारे इलाके में इंतकाल नहीं हो रहे हैं, इंतकाल बकाया पड़े हुए हैं जिसके कारण दो तरह के नुकसान हो रहे हैं। 1958 से जमीनों के इंतकाल नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने भूमि छिपा ली है, कुछ लोगों को नाजायज फायदे मिल रहे हैं। सरकार को इस पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर मन्त्री महोदय का वक्तव्य कब होगा।

(कई माननीय सदस्य —एक साथ बोलने खड़े होने पर. अश्रव्य)

(36)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज ऑर्डर प्लीज। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आप इन सभी को रहने दीजिये और अच्छा तो यह होगा कि डिबेट शुरू कर दी जाय।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है कि टोड़ा रायसिंह की दो स्कूलें पहली तो प्राथमिक शाला तहसील एवं दूसरी प्राथमिक शाला शिटला कई दिनों से बन्द है आज वहां पर स्कूलों के बन्द होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बन्द हो गयी है। करीब 6-7 महीनों यानि सितम्बर से इन स्कूलों में जो मास्टर लगे हुए हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है कई बार विकास विभाग को लिखा गया मन्त्री महोदय से भी कहा गया और मन्त्री महोदय के आदेश देने के बावजूद वहां का विकास अधिकारी अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दे रहा है तो इसके लिये राज्य सरकार को उस विकास अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये और उन मास्टरों को जल्दी से जल्दी तनख्वाह दिलायी जानी चाहिये। आज वह टीचर्स हड़ताल पर हैं। इसके अलावा यह भी है कि जो स्कूलें नगरपालिका क्षेत्र में हैं उन्हें पंचायतों से हटाकर शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में दी जानी चाहिये पर खेद है कि शिक्षा विभाग उन्हें अपने अधीन नहीं रख रहा है और न ही वहां दूसरा स्टाफ भेज रहा है इससे वहां पर जनता में काफी रोष है इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इसके लिये जल्दी जल्दी से आवश्यक कार्यवाही की जावे यह प्रश्न अत्यन्त ही लोकमहत्व का है इसलिये मन्त्री महोदय से इसका स्टेटमेन्ट दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस स्थगन प्रस्ताव को राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजते हैं, उस पर पहले भी बहस हो जाती है और बाद में भी यह तो ड्यूअल डिबेट हो जाती है तो अच्छा हो कि एक ही बार बोला जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो फरमाया वह ठीक है। यह काफी महत्वपूर्ण विषय है सदन की कार्यवाही की दृष्टि से और दूसरी कार्यवाही की दृष्टि से यह एडजोर्नमेन्ट मोशन जब सदन में आता है तो न तो पार्लियामेन्ट में ही और न दूसरे लेजिसलेचर्स में ही इन स्थगन प्रस्तावों पर दो बार सदन में चर्चा होती है। यह तो मैंने थोड़ासा रूल को रिलेक्स कर दिया है पर इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा करने से सदन का काफी समय नष्ट होता है और चूंकि वह जानकारी के लिये भेजा गया है अतः गवर्नमैन्ट जवाब भी नहीं देती है। तो होता ऐसा है कि जब सदन में आप एडजोर्नमैन्ट मोशन देते हैं तब बोलते हैं और जब जानकारी आ जाती है तब और बोलते हैं तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि यह सदन के समय का दुरुपयोग ही होता है इसलिये इसके बारे में मुझे कोई निर्णय देना पड़ेगा। इसमें आप चाहें तो आप तय करलें कि आप एडजोर्नमैन्ट मोशन देते वक्त बोलेंगे अथवा जानकारी आने के बाद। दोनों वक्त बोलने की बात चलने वाली नहीं है। आप लोग एक बार तकरीर फरमा सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)
ऐसा मैंने एक बार कमेटी में भी कहा था और आज भी मेरा निवेदन है कि अपन लोग चेम्बर में बैठ कर डिसकस कर लेंगे कि इसके बारे में क्या करना है ? आज तो खैर अपनी पुरानी वाली प्रथा ही चलने दें आज तो छूट है, कोई पाबन्दी नहीं है। पर आप लोगों को इस विषय पर सहमत हो जाना चाहिये कि स्थगन प्रस्तावों पर एक ही बार बोला जाय ऐसा निर्णय करना होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये आप ऐसा कर दें कि जिस स्थगन प्रस्ताव को राज्य सरकार की जानकारी के लिये भेजा गया है उसका अगर गवर्नमेन्ट से इतने दिनों में रिप्लाई नहीं आयेगा तो बाद में उस पर बोला जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो देख लें कि इतने अर्से तक नहीं आया तो You can be entitled to speak on this.

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है उसके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये मैंने कहा था कि एक बार कमेटी में भी इसकी बात आयी थी पार्लियामेन्ट और दूसरी लेजिस्लेचर्स में तो काल अटेन्शन नोटिसेज वगैरह रखे जाते हैं या एडजोर्नमैन्ट मोशन दिया जाता है तो उसमें एक ही पर चर्चा होती है। लेकिन यहां तो आप एडजोर्नमैन्ट मोशन पर बोलते हैं गवर्नमैन्ट का जवाब आता है तो बोलते हैं और गवर्नमैन्ट के जवाब पर भी बोल लेते हैं लेकिन आपको कॉल अटेन्शन नोटिस के वक्त बोलने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि काफी समय इसमें चला जाता है तो अपने को इस प्रथा को खत्म करना पड़ेगा और इसके लिये अपन चेम्बर में बैठ कर तय कर लेंगे।

श्री मीठालाल : लेकिन यह अल्प काल सूचना के प्रश्न हैं उनके बारे में तो साहब कब तो राज्य सरकार से जवाब आये उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : अगर ज्यादा महत्व का है तो बोल सकते हैं।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, जैसे हाई कोर्ट का मामला है यह बहुत ही महत्व पूर्ण मामला है इसके लिये सदन में काफी चर्चा हुई लेकिन आपने कह दिया कि यह समाप्त हो गया है.... ...

श्री अध्यक्ष : मैंने तो नहीं कहा समाप्त हो गया।

श्री मीठालाल : इसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि कई मामले ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस मामले को आप गवर्नमैन्ट की डिबेट हो जब बोल लीजिये या बजट के वक्त बोल लें। उस वक्त इसे उठायें तो ठीक रहेगा।

श्री दीपंकर : वह मामला तो कभी का समाप्त हो गया। हाई कोर्ट का तो मामला ही नहीं रहा।

(श्री दीपंकर व श्री मीठालाल के एक साथ और जोर जोर से बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह दीपंकर तो हार्ट का पेसेन्ट है बेकार जोर से बोल रहा है।

(श्री दीपंकर और मीठालाल व श्री गिरधारीलाल भार्गव एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ऑर्डर प्लीज। श्री मोहम्मद गफार अली।

श्री मोहम्मदगफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था जो कि अत्यन्त ही लोक महत्व का है। जयपुर में कच्ची बस्तियों में लोगों को जमीन अलॉट करने के बारे में आज 28 तारीख से लोग स्वायत्त शासन मन्त्री जी के बंगले के बाहर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। स्वायत शासन मन्त्री भी उनकी मांगों को वाजिब मानते हैं वह उनको वह जमीन अलॉट भी करना चाहते हैं वहां के जो स्वायत शासन विभाग अधिकारी और दूसरे कन्सरनिंग विभाग के लोग भी तैयार हैं लेकिन अफसोस की बात है कि उनमें कोऑर्डीनेशन नहीं होने की वजह से उनका फैसला नहीं हो रहा है जिन लोगों को अध्यक्ष महोदय प्रेसीडेन्ट महोदय ने भूमि अलॉट की थी उन लोगों को आज जमीन नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमैन्ट से या जो भी कन्सरनिंग डिपार्टमैन्ट्स हों उन लोगों को जल्दी से जल्दी कब्जा दिलाने की व्यवस्था की जाये वैसे अभी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर्स कानफ्रेन्स हुई थी और पंचवर्षीय योजना में यह तय किया गया कि उन लोगों को मिल जानी चाहिये पर आज तक नहीं मिल पायी है।

श्री अध्यक्ष : जरा आप मुख्तसर फरमायें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुख्तसर ही अर्ज कर रहा हूं। आज मन्त्री महोदय उन लोगों को जमीन देना चाहते हैं पर अभी तक कुछ नहीं हो रहा है तो इसके लिये आखिर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मंत्री महोदय के घर के सामने लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अच्छा नहीं लगता कि लोग तो भूखे, नंगे उनके दरवाजे पर स्ट्राइक पर पड़े रहें और वह दोनों वक्त खाना खाते रहें तो इसके लिये कब तक आदेश हो जावेंगे इस बारे में मन्त्री महोदय से जवाब चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह निवेदन है कि I am not refusing.

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको समय दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कच्ची बस्तियों के सिलसिले में माननीय मन्त्री जी की ओर से एक स्टेटमेन्ट दिला दें। मन्त्री महोदय उत्तर दे दें और इस पर पुर्नविचार करलें। हम सब उस मोहल्ले में रहते हैं। उनके घर के सामने भूख हड़ताल होती है जो कि हमारे सब के घरों के सामने है। नारा लगाते हैं कि गद्दी छोड़ दें पहली बार तो गद्दी मिली है और वह भी छोड़ दें। उसको भी छुड़ाना चाहते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एम. एल. ए. क्वाटर्स में से गद्दी छुड़ाना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कच्ची बस्तियों के सिलसिले में स्टेटमेन्ट दे दें तो उस पर विचार हो जावेगा अध्यक्ष महोदय।

जयपुर शहर में पीने के पानी की जो सप्लाई है उसका निर्धारित समय कम है और उस कारण से परकोटे के अन्दर चाहे कड़ाके की सर्दी हो और कैसा ही मौसम हो पीने का पानी नहीं मिलता है, ऊपर की मंजिल तक नही पहुंचता है सवेरे सात बजे ही नल बन्द हो जाते हैं सर्दी में भी। जो ताहरत बनी हुई हैं उनके कारण रास्तों में भी गंदगी फैलती है। इसलिये जयपुर शहर में पीने के पानी की समस्या का हल होना आवश्यक है।

चांदपोल दरवाजे के बाहर अमानी-शाह के नाले से छोटी चौपड़ तक 27 इंची पाइप लाइन डालने की योजना है। पाइप पड़े हुए हैं। शौकर्स के कारण या अव्यवस्था जल विभाग की होने के कारण ये लग नहीं पाये हैं और पड़े हुए हैं। एक लाइन रामगढ़ से बड़ी चौपड़ तक डाली जानी चाहिये थी वह भी पड़ी हुई है यों करें कि गर्मी का मौसम आ रहा है और इस मौसम में भी यदि पीने का पानी नहीं मिला तो जनता में बड़ी बेचैनी फैल जावेगी। शौकर्स मंगवा कर वाटर लाइन्स डलवा दी जाय तो समस्या का हल हो सकेगा। मैं बनास योजना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। अमानी शाह से छोटी चौपड़ तक और रामगढ़ से बड़ी चौपड़ तक पाइप लाइन डाल दी जाय तो जयपुर शहर में पीने से पानी की समस्या का समाधान हो जावेगा।

दूसरा जयपुर शहर में कष्ट है खाद्य पदार्थ जो राशन में मिलते हैं। इस सम्बन्ध में खाद्य मन्त्री जी ने कहा था कि होली के पहले पहले राशन लोगों को मिल जावेगा। कल होली का दिन है, विधान सभा तो मिलेगी लेकिन जनता को आज तक न तो राशन में गेहूं मिला है और न चीनी मिली है और न ही डालडा मिला है। कल होली का त्यौहार है। खाद्य मन्त्री जी से मिला था। मैं नहीं चाहता था कि कोई स्थगन प्रस्ताव इसके लिये लाया जाय। यह भी उन्होंने कहा था कि फरवरी में जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनको भी राशन कार्ड बनाकर राशन इसी मार्च के पहले सप्ताह में दे दिया जावेगा। लेकिन अभी तक न ही फरवरी का राशन मिला और न ही मार्च का राशन मिला है जब कि कल ही होली का त्यौहार है। बाजार में गेहूं के भाव बहुत बढ़े हुए हैं लेकिन यदि सरकार ने 18 तारीख से गेहूं के वितरण की व्यवस्था की तो लोगों को मंहगा गेहूं बाजार से खरीदना पड़ेगा।

सरकार ने कहा कि दो तरह के गेहूं राशन में देते हैं। एक काठा गेहूं 100) रु. प्रति क्वि. और दूसरा बाज्या 106) रुपया सफेद गेहूं लोगों को मिलेगा अध्यक्ष जी मैं नमूना लाया हूं मेरे साथ में यह काठा गेहूं जिसमें मिट्टी मिली हुई है (सदन के समक्ष मिट्टी मिला हुआ गेहूं दिखाते हुए)

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको बिखेरें नहीं। उस दिन भी बिखेर दिये थे जिसके दाने दाने के लिये लोग मोहताज हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : गेहूं उग न जांय। पहले तो उपाध्यक्ष महोदय पर ही मिट्टी डाल दी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : काठे गेहूं में कंकड़ मिले हुए हैं और इस गेहूं को राशन में 106) रु. के हिसाब से देंगे। 100) वाला भी निकम्मा है। जिसको जानवर भी खाना पसन्द नहीं करते। यह भी कहा कि तीन किलो अनाज देंगे। लेकिन मात्रा बढ़ायी नहीं है। तीन किलो लाल ज्वार देंगे। जिसको जानवर भी नहीं खा सकते ऐसी ज्वार। उसका भी नमूना लाया हूं। मात्रा बढ़ा दी लेकिन इससे पेट भरने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, समाप्त ही कर रहा हूं। लाल ज्वार का यह नमूना भी है मेरे पास। यह भी मैं आपके राशन की दुकान से लाया हूं। जिसको जानवर भी खाना पसन्द नहीं करते। ऐसी लाल ज्वार जिसमें दाना नहीं है, मिट्टी मिली हुई है। मुर्गे मुर्गी भी खाना पसन्द नहीं करते। इस प्रकार ज्वार देकर मात्रा बढ़ा देने से तो लाभ नहीं हो सकता। इसके एवज में जौ देते, मक्का देते, बाजरा देते जो लेवी में वसूल किया हुआ है तो बात समझ में आ सकती थी। पिछली बार सरकार ने कहा था कि फरवरी और मार्च में चीनी एक-एक किलो बढ़ा देंगे। लेकिन चीनी की मात्रा 325 ग्राम ही है।

श्री अध्यक्ष : इसको क्यों रिपीट करते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बस समाप्त ही कर रहा हूं चीनी की बात कह कर। 1 किलो के बजाय 325 ग्राम ही चीनी मिल रही है और होली के त्यौहार पर भी अभी तक वह भी नहीं मिली है। यदि लोगों को चीनी और गेहूं मिल जाय तो लोग प्रेमपूर्वक होली का त्यौहार मना सकेंगे। इसलिये राशन की मात्रा दस किलो करदी जाय और चीनी एक किलो करदी जाय यह मेरा निवेदन है। ज्वार और गेहूं के नमूने मैं सदन की टेबल पर प्रस्तुत करता हूं।

(नमूने सदन की टेबल पर रखे गये)

श्री माणकचन्द सोगानी : ऐसे नमूने कहां से ले आते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गरीब जनता खाती है। आपको होश ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई चीज या कागज सदन की टेबल पर रखी जाती है तो अब तक यह परम्परा रही है कि यदि अध्यक्ष महोदय आदेश दें तो कोई बाबू जाकर उनसे वह प्राप्त करता है और उसके बाद उसको सदन की टेबल पर रखा जाता है। क्या सदस्य महोदय हाउस में सदन की टेबल पर इस प्रकार आकर रख सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक टेबल पर रखने का सवाल है टेबल तक चले जाते हैं और रख देते हैं। अध्यक्ष महोदय, के डिस्क्रिशन पर है कि यदि वे चाहें तो उसको लौटाया भी जा सकता है। इसको लौटा दिया जायगा तो काम आवेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसे तो जानवर तक नहीं खा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यहां रखने से कमी के जमाने में इसका सदुपयोग नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो जनता को मिल रहा है उसका नमूना लेकर आया हूं।

श्री दीपंकर : उनकी टेवल पर रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय मन्त्री जी ने कहा और आचार्य जी ने कहा उसको भविष्य में नियमानुकूल करने की कोशिश की जावेगी।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे इधर आज स्थिति यह है कि सब कुओं का पानी सूख चुका है और साधन पानी के हैं नहीं। पर मुझे खुशी है कि जनस्वास्थ्य विभाग ने अच्छा काम किया और वहां पानी के गहरे कुए खोदे। पाइप लाइन भी दी जा रही है। पर खेद है कि वहां कि नगरपालिका के प्रशासनिक महोदय ने एक ऑर्डर निकाल दिया है कि जब तक पिछले दस सालों का हाउस टैक्स नहीं दिया जावेगा उस को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जावेगा।

गांव के लोगों को इस कारण से आज कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। काफी असन्तोष उनमें व्याप्त है। मेरे पास तार, टेलीफोन आ रहे हैं। ऐसी दशा में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में शीघ्र निर्णय लेकर इस व्यवधान को समाप्त करें। हाउस टैक्स वसूली का अलग प्रोसीजर है। उसे इसके साथ नत्थी करने में कोई तुक नहीं है। पानी अत्यावश्यक वस्तु है। मैं इस बारे में मन्त्री महोदय से भी मिला था। पर अभी वे कोई निर्णय नहीं ले पाये हैं। मेरे पास लोगों की शिकायतें आ रही हैं। वे परेशान हैं। इस बारे में सरकार कोई निर्णय शीघ्र ले यही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री केसरीमल : मैं तो बाद में निवेदन करूंगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर स्टेटमेन्ट देने को कहा है। डेट फिक्स कर दूंगा। सदन की मेज पर रखे जाने वाले प्रश्न।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या प. 6 (40) राज (उप) 61, दिनांक 19, फरवरी, 74

(2) अधिसूचना संख्या प. 4 (6) राज/उप/73, दिनांक 26 फरवरी, 1974

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

राज्यपाल महोदय के भाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक अपना अभिभाषण यहां दिया। उनका अभिभाषण एक ऐतिहासिक है और वह ऐतिहासिक समय में दिया गया। सहमते हुये दिया गया। आतंकित वातावरण में दिया गया। अभिभाषण, अध्यक्ष महोदय, अभी तक विस्तृत, विशद, भविष्य की रूप-

Page No 42

५२

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रेखाओं के साथ, नीतियों के साथ और मान्यताओं के साथ यहां होता रहा है, किन्तु इस बार का जैसा मैंने कहा, ऐतिहासिक है और वह इसलिये लगता है कि इसके कुल पृष्ठ ही 12 है जिसमें कोई प्रयत्न और प्रयास नीतियों पर प्रकाश डालने का नहीं किया गया है। दिशाशून्य भी है। निराशाजनक है। सभी समाचारपत्रों ने इस अभिभाषण को निराशाजनक बताते हुए रूढ़ीगत परम्पराओं की एक सीढ़ी बताया है।

साथ ही अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से संविधान के आधार पर राज्यपाल बोला करते हैं। दुख की बात यह है कि राज्य सरकार ने भी अपनी अकर्मण्यता और शिथिलता इस प्रकार दिखाई कि जो बातें मार्गदर्शन के रूप में, दिशाज्ञान के रूप में अभिभाषण में आनी चाहिए थीं वे नहीं दी गई। मेरा विश्वास है कि चुनौतियां भरे प्रश्न और कई ऐसे प्रश्न जो ज्वलन्त हैं उनको देने से ऐसा भय लगता था कि कहीं माननीय सदस्य उनको चुनौती न दे बैठें इस भय से तो इन समस्याओं को स्थान नहीं दिया गया इस अभिभापण में। इन प्रश्नों का अभाव इस अभिभापण में मुझे दिखता है।

इस अभिभाषण को देखते हुये यह लगता है कि सम्भवतः इस संविधान को हमें संशोधित न करना पड़े। क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इस परम्परा को रूढ़ीगत बताते हुए यह कहा है कि यह अभिभाषण की परम्परा औपचारिकता की भेंट है और इस कारण सम्भवतः संविधान में संशोधन करके इस अभिभापण की परिपाटी को भविष्य में बन्द किया जा सके। ऐसा मुझको लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने सन्तोष प्रकट कर दिया कि बिजली की मात्रा अधिक मिल गई, या ऐसी समस्याओं का जिनका कोई सम्बन्ध वर्तमान जनअसन्तोष से नहीं है उनका उल्लेख करके उन्होंने अपनी संतुष्टि कर ली। न जाने क्यों कृषि के सम्बन्ध में, उत्पादन के सम्बन्ध में, शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में, छात्र असन्तोष के सम्बन्ध में, जन आक्रोश और महंगाई के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सम्बन्ध में, परिवार नियोजन आदि कई ज्वलन्त समस्याओं के सम्बन्ध में उन्होंने अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख तक नहीं किया। प्रकाश डालना और इन पर सरकार की नीतियों का उल्लेख करना तो दूर रहा। ऐसा लगता है कि राज्यपाल महोदय अभिभाषण देकर दायें बायें देखकर निकल जाना चाहते थे।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार के विगत वर्षों का लेखा जोखा होता है और भविष्य के कामों का खाका होता है। इसमें लेखा तो है छोटी मोटी उपलब्धियों का जो हर साल दोहराई जाती रहती हैं पर जोखा कुछ भी नहीं है। इस लिए विपत्तियों की आशंकाओं के दायें बायें निकल गये हैं। इसलिए मैं इसको नई परम्परा मानता हूं जो राज्यपाल महोदय ने इस वर्ष स्थापित की हैं और यह नई परम्परा शून्यता की तरफ जा रही है जिससे आभास होता है कि आगे चलकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण संविधान में संशोधन द्वारा समाप्त कर दिये जावेंगे।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य सरकार सतर्क हो। जन समस्याओं की इस तरह से अवहेलना करें। गुजरात का प्रश्न इसी तरह की अवहेलनाओं के कारण पैदा हुआ है। गुजरात को यहां नहीं आने दिया जावे, मैं भी कहता हूँ। वह दौर यहां नहीं चले। पर अध्यक्ष महोदय, अवहेलना की दृष्टि से उदासीनता की दृष्टि से इन सारी परिस्थितियों को नहीं देखा जाता। मौन होकर देखिये, अपरोक्ष में देखिये। लुक छिप कर देखिये। अलग बैठकर देखिये। पर देखना तो जरूरी है और उस पर निर्णय लेना भी जरूरी है। निर्णय तो लेना पड़ेगा। अनिर्णय की स्थिति तो भयावह है।

मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि कान्स्टीट्यूशन ने आपको पावर दी है। एकाधिकरण सत्ता की। वन पार्टी, एण्ड वन लीडर एण्ड वन पावर तीनों की सत्ता इसमें हैं। मुझे मालूम है भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने आरम्भ में कई कदम उठाये। उन कदमों में से एक था कमेटियां बनाने का। हर विभाग के स्तर पर एक कमेटी का निर्माण किया गया। मुझे लगता था शायद यह विकेन्द्रीकरण की तरफ कदम था। सत्ता का नेशनल स्तर पर तो नहीं, पर प्रबुद्ध जनों का, चिन्तकों का, और विचारकों का और ऐसे विधायकों के स्तर पर कि जो इस ओर कन्ट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा कदम उनका यह मुझे दिखता था। पर अध्यक्ष महोदय, वह कदम शिथिल हुआ शनैः शनैः और लुप्त हो गया। आज तो अकर्मण्य हो गये और अब हम कह सकते हैं कि सारी सत्ता विधायकों में नहीं, यह सारी सत्ता एक व्यक्ति में है, मुख्यमंत्री में है। सभी के सहयोग के इस आधार पर नीतियों का निर्माण किया जावें, भविष्य का निर्माण किया जावे। चिन्तन करें और सोचें इस पर। बिना राजस्थान के प्रबुद्ध जनों का सहयोग लिये ऐसी विषम स्थिति में अगर चला जावेगा तो आपकी यह अदूरदर्शिता होगी।

मैं राज्य सरकार से आशा करता हूं कि अधिक से अधिक सहयोग प्रबुद्धजनों का, विशिष्ट जनों का, विशेषज्ञों का, विधायकों का, कमेटियों के माध्यम से अथवा अन्य तरीकों से यदि लिया जा सके तो आपको विचार विनियम में बड़ा सहयोग मिलेगा।

कम से कम जो कमेटियां आपने बनाई हैं उनको भी अगर सतर्क किया जा सके तब भी आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार का है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने बहुत कुछ इस पर विवेचना भी की है, चिन्तन भी किया है और यहां तक हम चले हैं कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने एक समय यह कहा था, जो जोतेगा उसकी जमीन होगी, लेकिन वह परिस्थिति तो आ नहीं सकी। उसके विपरीत छोटे जागीरदारों, राजनेताओं की जागीरदारी पैदा हो गई। जागीरदारी सिस्टम खतम होने के बाद छोटे जागीरदार रिचपीजेन्ट हुये और सन् 52 के बाद हम राजनेता लोग रिचपीजेन्ट हुये। मैं आपको सर्वेक्षण के प्रश्न पर, रिसर्च के प्रश्न पर निवेदन करना चाहता हूं। रिफार्म्स लाने के पूर्व आपकी जमीन कहां गायब हुई। इस प्रश्न पर एक सर्वे यदि आप कर सकें तो भूमि सुधार के प्रश्न पर एक दिशा मिल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सकेगी। यह मैं इसलिये कह रहा हूं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रश्न पर बहुत कुछ कहा जाता है। उनको जमीनें हमने दी हैं और कई भूमिहीन आबाद हुये हैं। मैं इस प्रश्न को भी सामने जोड़ते हुये एक निवेदन करना चाहता हूं कि अलॉटमेंट जो सिविल सर्वेन्ट्स को हुआ है, अलॉटमेंट जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को हुआ है और अलॉटमेंट जो हम राजनेताओं को हुआ है उसी के साथ जो अलॉटमेंट छुटभैयाओं को हुआ है, इन सबके विश्लेषण के लिये एक कमेटी बिठा दें जो निहायत जरूरी है। मैं इसलिए जरूरी मानता हूं इस लैण्ड रिफार्म के प्रश्न पर राजस्थान में कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है और आप बहुत बड़ा न्याय करेंगे भूमिहीन के प्रति यदि आप इस समस्या का हल एक कमेटी के द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलॉटमेंट का प्रपोर्शन, सर्विसेज वालों का प्रपोर्शन और साथ ही हम लोगों की जमीन का प्रपोर्शन, इन सबका प्रपोर्शन देखते हुये निर्णय ले सकें कि जमीन कितनी अवशेष है। आपको एक सही अन्दाज मिल सकेगा जमीन किसके पास है यह एक अध्ययन का विषय है जो मैंने आपके सामने रखा है और इसलिये रखा है कि दिशा ज्ञान हो सके, परीक्षण भी हो सके और अध्ययन भी हो सके।

दूसरा मैं अध्यक्ष महोदय एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, बहुत ही संक्षेप में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अब मल्टीपरपज यूनिवर्सिटी हो गई। रिसर्च का उसमें कोई प्रश्न नहीं। आपके यहां आनन्द में एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट है एग्रो. रिसर्च इन्स्टीट्यूट एट आनन्द और उस इन्स्टीट्यूट में आपके यहां का डाईरेक्टर, आपके यहां का डिप्टी डाईरेक्टर है और बराबर वहां से पत्र-व्यवहार होता रहा है आनन्द इन्स्टीट्यूट के द्वारा कि आप हमें ऐसी समस्यायें भेजिये कि जिनका हम निराकरण कर सकें और आपको दिशा ज्ञान दे सकें लेकिन आपके विभाग ने इस इन्स्टीट्यूट को जिसमें 80 एक्सपर्ट्स काम करते हैं अब तक कोई सहयोग नहीं दिया मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर के प्रश्न पर आपका अब तक कोई रिसर्च नहीं हो पाया। थोड़े दिनों पहले एडलट्रेशन ऑफ सीड्स का प्रश्न बहुत चला और पंत यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर ने एक स्टेटमेंट देकर यह कहा कि सीड्स में एडलट्रेशन बहुत हुआ है। राज्य सरकार ने भी उस बात को माना। मैं इसकी ओर आपका ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन, वह आपको सीड्स प्रोवाइड करता रहा है लेकिन इसके साथ साथ किसानों को सीड मिला है वह अधिक प्राइवेट एजेन्सी से मिला है और प्राइवेट एजेन्सी का सीड उन प्रभावशाली व्यक्तियों का रहा जो पंचायत समिति तक पहुंच सके। फल यह रहा आपका प्रोडक्शन गिरा। अब नेशनल सीड कार्पोरेशन के यहां से कितना बीज आया और कितना खपत हुई और उसके अनुपात से प्राइवेट एजेन्सी में जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, उन लोगों ने कितना सीड किसानों को दिया, इसकी इन्क्वायरी आप कर न सकेंगे प्राइवेट एजेन्सी का सीड, वह अकाउन्ट्स में नहीं है। इसका पता किसान से चल सकता है लेकिन आगे के एडलट्रेशन को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि आप सीड एडलट्रेशन के प्रश्न पर जांच करवायें।

मैं अध्यक्ष महोदय शिक्षा पद्धति के ···

(12.50 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह पद्धति दूषित है। शिक्षा मंत्री जी ने गंगरार में तारीख 14 फरवरी को बड़ी चिन्ता व्यक्त की इस प्रश्न पर और कहा कि आमूल चूल परिवर्तन इसमें आवश्यक है। यह भी कहा कि यह व्यवसायोन्मुखी शिक्षा पद्धति होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, सन 52 से आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा पद्धति में और विकासोन्मुख शिक्षा पद्धति के बारे में हम सुनते आये हैं और फिर शिक्षा मंत्री यह कहें कि ऐसा परिवर्तन होना चाहिये। उनका हाथ कहीं से रुका हुआ हो, यह समझ के बाहर है। मैं इस संदर्भ में इसलिये कहना चाहता हूं अब वह समय नहीं है कि आप आमूल चूल परिवर्तन करने की क्षमता रखते हों। वह समय भी आपके हाथ से निकल गया। और यह मैं क्यों कह रहा हूं आज का छात्र हमारी परिधि से परे है, हमारे नियंत्रण से परे है— छात्र का विद्रोह है, वर्तमान शिक्षा पद्धति के खिलाफ। छात्र नहीं चाहता ऐसे समाज को जिसमें असमानता हो, छात्र आप्रेस होना नहीं चाहता, छात्र गरीबी में पलना नहीं चाहता है, छात्र इसलिये विद्रोह में है कि वर्तमान समाज को और वर्तमान समाज के ढांचे को तोड़ना चाहता है। गुरू पद्धति और पुरानी शिक्षा पद्धति, छात्रों के कहने के माफिक उन लोगों ने बनाया जो कोलोनियल सिस्टम में पले, जो सामन्तवाद में पले ऐसी पद्धति के विरुद्ध इस छात्र वर्ग का विरोध है। और इसका उदाहरण आप गुजरात से देख रहे हैं। गुजरात के छात्र और शिक्षक दोनों ही विद्रोह में हैं। वही विद्रोही छात्र प्रजेन्ट सिस्टम ऑफ एजूकेशन को तोड़ फैंकना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह समय चला गया जब छात्र आचार्य देवो भवः, गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु का पाठ किया करते थे और शिक्षक भी उसको इसी अनुशासन में रखना पसन्द करते थे। लेकिन अब पद्धति बदल गयी इसलिए मैं संकेत देना चाहता हूं आपको कि छात्र की वृत्ति असमानता को निकालने की और उस शिक्षा पद्धति को जिसको ऐसे लोगों ने बनाया उसको तोड़ने की है। जो शिक्षा पद्धति गरीब लोगों से नहीं बनाई जाती, जो शिक्षा पद्धति समाज को पिछड़े समझ कर नहीं बनाई जाती वह शिक्षा पद्धति गरीबी प्रदान करती है इसलिए मैं गुजरात से सबक लेने के लिए आपको कहता हूं। जहां छात्रों और शिक्षकों ने यह आन्दोलन करके शिक्षा पद्धति के विरुद्ध प्रकोप दिखाया है इसलिए गुजरात की स्थिति को सामान्यतया समझ कर चलना खतरे से खाली नहीं होगा।

दूसरा प्रश्न जो मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, वह व्यवसायिक संस्थाओं के बारे में है। जैसा मैंने अभी कहा कि शिक्षा पद्धति में अभी विद्रोह है। आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे सामने बी. एड. कॉलेज का प्रश्न आया। बी. एड. कालेज हों या दूसरी संस्थायें हो ऐसी व्यवसायिक संस्थायें राजस्थान के बड़े नगरों के गली-गली और बाजार बाजार में बनती जा रही हैं और वह संस्थायें छात्रों का निर्माण करती हैं और वह छात्र कैसे हो सकते हैं जिनका व्यवसायी शिक्षा केन्द्रों से निर्माण होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा पद्धति का यह पुराना नारा आमूलचूल परिवर्तन को छोड़िये गुजरात से शिक्षा लीजिए, पद्धति अनुकूल बनाइये जिसमें ऑप्रेसड और ऑप्रेसर के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

भेद को मिटाया जाये। छात्र चाहता है मैं स्वतंत्र होऊं, छात्र चाहता है कि मैं फैलोशिप लूं छात्र चाहता है कि मैं उस एजूकेटर जो पुराना पड़ गया है उससे शिक्षा नहीं लूं ऐसे छात्र को वर्तमान समाज के ढांचे में ढालने के लिए दूसरी पद्धति होनी चाहिए अन्यथा जो स्थिति हमारे सामने है उस संदर्भ में छात्र और शिक्षक कहीं समस्या को अपने हाथ में लेकर आपको डिक्टेट नहीं कराये।

तीसरा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था करप्शन के सम्बन्ध में। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि राज्य सरकार का जन अभियोग निराकरण के लिए और भ्रष्टाचार को मिटाने का पक्का इरादा है। सरकार का इरादा है, संकल्प है, प्रयत्न है लेकिन राज्य सरकार के पास आधार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा है उन्होंने चेतावनी दी है और बड़ी बुलन्दगी से चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि प्रॉफिटियर्स और होर्डर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस करप्शन जैसी नेशनल इविल के संबन्ध में, राष्ट्रीय रोग के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय मौन रहे। जो करप्शन ऊपर से नीचे तक हमारे ब्लड में हो गया है उस सम्बन्ध में हम बिलकुल ही मौन हैं। मैं आपको अधिक नहीं कहना चाहता इस प्रश्न पर लेकिन यह संकल्प हमारा सन 1946 से चल रहा है। 1945 में उपाध्यक्ष महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था: Such people will be hanged by the nearest lamp post when the country becomes free. श्री टी टी. कृष्णमाचारी ने भी कहा था कि ब्लैक मनी की समस्या को हल करूंगा, शीतलवाड़ ने भी कहा और हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने भी कहा और अब हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा है कि जो पकड़ा जायेगा मैं उसको बाजार में फिराऊंगा। करप्शन को तो हमने वे ऑफ लाइफ मान लिया है। इसको हटाने के प्रश्न पर हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। क्योंकि यह बहुत ही व्यापक विषय है अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन मैं लोक आयुक्त के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। लोक आयुक्त का जब कानून पास किया गया तब हम बड़े प्रसन्न हुए थे कि एक प्रगतिशील कदम हमने लिया और अब इस कदम के आधार पर एक स्वतंत्र इन्सटीट्यूशन बना है। सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें हैं और समस्यायें भ्रष्टाचार की जो आयेंगी वह निष्पक्षता से निपटाई जा सकेंगी। उस कानून में हमने प्रावधान भी रखा। विजिलेन्स कमीशन जो पहले एक एजेन्सी थी उसने कुछ काम भी किया लेकिन हम उसमें प्रावधान रखना भूल गए। विजिलेन्स कमीशन के जितने केसेज हैं वह पेन्डिंग पड़े हुए अलमारियों में बन्द हैं और अब उनमें कोई आगे कदम मेरा ख्याल है कि नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन मैं इसके परे भी कहना चाहता हूं कि आपने लोक आयुक्त के मसले पर इस कानून में जो पांच साल की मियाद रखी और जो सजा का प्रावधान रखा उसने इस कानून को इनइफेक्टिव बना दिया। अच्छा हो कि आप इस कानून को वापिस ले लें, अच्छा हो कि लोक आयुक्त महोदय स्वयं समझ लें कि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई मसले नहीं हैं। बड़ी तनख्वाह,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
बड़ा बंगला और अन्य सुविधायें यह सब जनता के एक्सचेकर पर हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वह सुनें और स्वयं ही यहां से त्यागपत्र देकर चले जायें तो यह आपके एक्सचेकर पर भार पड़ना बन्द हो जायेगा। मैं यह इसलिए कहता हूं कि अब इनके पास कोई काम नहीं है और लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त, दोनों मेरा विश्वास है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे और कानून प्रोग्रेसिव नहीं रहा। आप इसको वापिस ले लें। यह बहुत बड़ा भार जो एक्सचेकर पर पड़ता है बन्द हो जायेगा और अगर इसको वापिस नहीं लें तो आप इसको प्रोग्रेसिव कानून बनाने की दिशा में कदम उठायें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें अधिक नहीं कहना चाहता। राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिया जाये या नहीं दिया जाये-नहीं देने के प्रश्न पर अशिष्टता होगी···· शिष्टाचार कहता है कि धन्यवाद एक सम्माननीय शिष्टाचार का प्रसंग है और फिर उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय तो उस आतंकित वातावरण में आए और पहले आ करके बैठे, भयभीत हुए, बहुत कम बोले और अपने आप में उन्होंने एक संकट का सामना किया·······

श्री भीमसेन चौधरी : धन्यवाद प्रस्ताव में तो आप शामिल हो रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस छोटी सी बात पर ही आपको रश्क हो गया। खैर, इसलिए मैं धन्यवाद की परिपाटी को शिष्टाचार के अधीनस्थ समझता हूं और इस ऐतिहासिक तारीख को उन्होंने साहस करके अभिभाषण दिया, छोटा भाषण दिया, समय ज्यादा हमारा खराब नहीं किया, इसलिए आप कहें तो मैं धन्यवाद में आपके साथ शरीक हो जाऊं और अगर आपको कोई आपत्ति हो तो न होऊं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सम्भवत: दो तीन साल में यह परिपाटी भी समाप्त हो जाए अभिभाषण करने की इसलिए मैं धन्यवाद देने से क्यों चूकूं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह। Ladies first.

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। मैं मावली से आने वाले वरिष्ठ सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां बीते हुए वर्ष की सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है वहां आगामी वर्ष के लिए जनता की सुखद आकांक्षाओं और आशाओं का प्रतिबिम्ब भी होता है और राज्य सरकार के लिए वह दिशा भी होता है।

मैं भीनमाल से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और भूतपूर्व मन्त्री की इस बात से भी सहमत हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति का हमें अमेरिका से, कनाडा से, बर्मा से, ब्रिटेन से और जापान से तुलना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नहीं करनी चाहिए। यह बात सही है, आज जहां अमेरिका कनाडा, जापान, पश्चिमी जर्मनी जैसे देश जिनकी औसत आय यानी पर कैपिटा आय हजारों रुपयों में है वहां हिन्दुस्तान की औसत आय 72-73 के मुताबिक केवल 589) रुपये और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अनुमानतः 644) रुपये होती है। साथ में इस बात को भी स्वीकार करती हूं कि सामन्तवादी विरासत प्रतिकूल जलवायु से जल स्रोतों का नितान्त अभाव विशाल मरुस्थल और इस सबके बाद आए दिन पड़ने वाले अकाल ने राजस्थान के अर्थतन्त्र को इतना कमजोर और इतना जटिल कर दिया है कि इसकी वित्तीय कठिनाइयों का आसानी से हल निकालपाना बड़ा मुश्किल है। इस परिपेक्ष में हम अपनी समस्याओं को देखेंगे लेकिन हमारे पडोसी राज्यों ने इन दो दशाब्दियों में या यों कहिए कि 25 वर्ष की आजादी में जहां प्रगति के राज मार्ग पर अपनी तेज छलांगें लगाई हैं वहां हम तनिक भी आगे नहीं बढ़े हैं। हरियाणा, गुजरात और पंजाब के मुकाबलें में हमें देखना है, और इस परिपेक्ष में जब हम राजस्थान को देखते हैं तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां गौरव के साथ कह सकें कि राजस्थान इस दिशा में तो आगे है। मैं सबसे पहले राजस्थान की वित्तीय हालत की चर्चा करूंगी।

सदन के करीब करीब सभी सम्माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज राजस्थान पर भारत सरकार के कर्ज का 719 करोड़ रुपया बाकी है। हर साल इन 719 करोड रुपयों में से करीब 70 प्रतिशत राशि तो वह है जो राजस्थान को अपनी पहली तीन पंचवर्षीय योजना को पूरा करने में और सम्पूर्ण करने में ली गई थी। आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि आगामी एक वर्ष के अन्दर हमको 105 करोड रुपये का ब्याज और असली कर्जे के रूप में चुकाना पड़ेगा जिसमें चालीस करोड़ रुपया तो अकेले ब्याज का होता है। ऐसी सब हालात के अन्दर वित्तीय स्थिति को किस तरीके से हम आगे चला सकेंगे, कैसे अपना काम चला सकेंगे, यह बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि राज्य की एक साल की विभिन्न स्रोतों से आय होती है 230 करोड़ रुपये की लेकिन राज्य सरकार को कर्जे का इन्टरेस्ट- और इसका मूल्य चुकाने में करीब बीस करोड़ रुपया और खर्च करना पड़ता है। उसको शामिल करके हर साल का हमारा खर्चा हो जाता है 250 करोड़ रुपये का। तो हर साल की हमारी आय और हमारे खर्चे का जो यह डिफरेंस है वह बढ़ता ही चला जाएगा। यदि भारत सरकार ने हमारे ऊपर अनुकम्पा नहीं की और कर्जे को राइट ऑफ करने का प्रयत्न नहीं किया तो मैं नहीं समझती कि राज्य सरकार इन हालात में कुछ कर सकेगी।

मैं तुलना के लिए विभिन्न राज्यों के आज के हमारे पर कैपिटा के जो आंकड़े हैं उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। वैसे सन् 72-73 के आधार पर राष्ट्रीय पर कैपिटा इन्कम हमारी जो है वह 589 नेशनल एवरेज है। इसके कम्पेरिजन में राजस्थान की 480 है। यद्यपि अनुमानतः जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
अन्त तक यह पर कैपिटा नेशनल इन्कम तो 640 होने का अनुमान है लेकिन राजस्थान की हमारी जो स्टेट इन्कम है यहां पर कैपिटा स्टेट की है, वह करीब अभी 480 है लेकिन चौथी योजना की समाप्ति तक 515 होने का अनुमान है।

सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकर बड़ा दुःख होगा कि मणिपुर जैसे छोटे से प्रान्त से भी हम पीछे हैं। वहां की पर कैपिटा इन्कम 498 है जब कि राजस्थान की केवल 480। दिल्ली की पर कैपिटा इन्कम 1348, पंजाब की 945, हरियाणा की 778, महाराष्ट्र की 752, गुजरात की 671, तमिलनाडु की 601, हिमाचल प्रदेश की 563, आसाम की 544, मध्यप्रदेश की 534, उत्तर प्रदेश की 515, कर्णाटक की 515, आन्ध्र प्रदेश की 513, पश्चिमी बंगाल की 511, और मणिपुर की 496। इन सबके मुकाबले में राजस्थान सबसे पीछे 480 पर कैपिटा इन्कम है।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना को पूरा कर लेने के बाद भी जो चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ करते समय नेशनल एवरेज इन्कम थी, पांच वर्ष के बाद भी राजस्थान उस सीमा तक नहीं पहुंच पायेगा। फिर भी हम 555 के मुकाबले 515 ही रह जायेंगे। तो इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सच पूछिए तो राजस्थान की तरक्की और प्रगति के लिए जो आधारभूत सुविधाएं इन्फास्ट्रक्चर को, इसके इण्डेक्स नम्बर, सूचांक को लिया जाय और इन्कम का आधार सौ माना जांय तो पंजाब 201, तामिलनाडु 171, पश्चिम बंगाल 152। अब देखिये, आधारभूत सुविधाओं में और प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान कितना नीचे आता है। राजस्थान वैसे तो जनसंख्या के आधार से 10 वां है। क्षेत्रफल के आधार से यह दूसरा प्रान्त है। लेकिन यह होने के बाद भी भारत सरकार से जो सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक संस्थायें लगी हुई हैं। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में आज तक 98 औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। नियोजित पूंजी के लिए राजस्थान के लिए राजस्थान का केवल 45 करोड़ रुपया 5 प्रतिष्ठानों में लगा हुआ है। सारे देश में आज 98 औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। उनके अन्दर आज तक 4690 करोड़ रुपया लगा है। राजस्थान के केवल 5 प्रतिष्ठानों में केवल 45 करोड़ रुपया लगा है। इसमें 45 करोड़ का पर्सेन्टेज निकालें तो 1% आता है। अन्य प्रान्तों के आधार पर। पूरी कैपिसिटी के आधार पर पांचों प्रतिष्ठान चलें तो लगभग 13 हजार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा मिल सकती है। तो अन्दाजा लगाया जा सकता है कहां 45 करोड़ और कहां 4690 करोड़ रुपये से नियोजन हो। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सबसे पीछे 17 वें स्थान पर आता है औद्योगिक दृष्टि से भी राजस्थान का देश में 15 वां स्थान आता है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात पूछना चाहती हूं वैसे तो गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में चालू साल में 1,000 नये प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, यह बताया है 1,500 प्राइमरी स्कूलों को हायर प्राइमरी स्कूलों में बदला गया है। मैं वास्तव में राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार इससे ही सन्तुष्ट नहीं हो जाये। शिक्षा के मामले में राजस्थान

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

का नम्बर जम्मू कश्मीर को छोड़ कर सबसे निम्नतम है। 1971 की आबादी के आंकड़ों के मुकाबले जम्मू कश्मीर के बाद सबसे नीचे आता है। 1 से लेकर 5 वीं क्लास तक हमारा शिक्षा का जो अभियान है। भारत सरकार तो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि 4 पंचवर्षीय योजना खतम होते होते अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा को लागू किया जायगा। इस सम्बन्ध में केरल ने अपने शत प्रतिशत आंकड़े अर्जित किये हैं। राजस्थान ने अर्जित नहीं किया है। शिक्षित शिक्षार्थियों में आन्ध्र 28.81, गुजरात 35, हरियाना 26, हिमाचल प्रदेश 31, सबसे ऊपर केरल 57.16, है। लेकिन हमारा केवल 18.79 है। और केरल ने अब 99.8 अचीव कर लिया है। राजस्थान को 58% आया है। इसमें भी राजस्थान के अलावा केरल 99.8, तमिलनाडु 98.00, कर्नाटक 9.4, उत्तर प्रदेश 85.7, आसाम 73.9, उड़ीसा 58 है। इसके अलावा बिजली के बारे में जहां तक सवाल है, बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान के फार्मेशन के बाद हमने अपनी तरफ से सभी प्रकार की कोशिश की है। राजस्थान के निर्माण के समय जहां 8 मेगावाट बिजली थी। आज 450 मेगावाट हो गई है। इस सब के बावजूद बिजली के आंकड़े कितने अधूरे हैं, जहां तक एन्टायर कैपिसिटी की बात है। उस दृष्टि से तो राजस्थान का नम्बर और भी पीछे हो जाता है। पंजाब में एक व्यक्ति के पीछे 181 यूनिट, महाराष्ट्र में 143, हरियाणा 121, गुजरात 114, पश्चिम बंगाल 160 हैं। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति का Consumption 30 यूनिट है। हमारा नेशनल एवरेज उपभोग 76 यूनिट प्रति व्यक्ति है औरों के मुकाबले राजस्थान का कम है। इस के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगी, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात बड़े गर्व से कही है। राजस्थान के कुछ इलाके मीडियम इरींगेशन के कहीं मेजर है। बैंक से लोन लेकर करीब साढ़े 16 हजार कूपों का निर्माण कराया गया है। कूप खुदवाये हैं झुंझुनूं में ढाई हजार। सीकर में 4 हजार के आसपास लोन लेकर खोदे हैं। सुखद भविष्य की कल्पना है। अगर बिजली नहीं जाती है तो फिर इन कुओं को आत्महत्या के ही काम में लाना पड़ेगा। किसानों को बड़ी परेशानी है। 4% का इन्ट्रेस्ट है उसे काश्तकार कैसे चुकायेंगे। वास्तव में राजस्थान सरकार को इन कुओं से अगर अन्न का उत्पादन बढ़ाना है तो इन पर बिजली लगाई जावे। वर्ना तो फिर इन कुओं को खुदवाना ही बेकार होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि बिजली का जहां तक सवाल है उसमें तो राजस्थान पीछे है ही, लेकिन करीब करीब यही हालत सड़कों की भी है। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था, बुनियादी सुविधायें, आधारभूत फैसेलिटी हैं जिनके आधार पर कोई प्रोविन्स प्रगति करता है, औद्योगिकरण में प्रगति करता है और औद्योगिकरण के लिए लोगों को इन्सेन्टिव मिलता है, वह आधारभूत सुविधायें जिस राज्य में नहीं मिलें, वह राज्य बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकता है। यही हालत करीब करीब सड़कों की है। राजस्थान में सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पीछे केवल पांच किलोमीटर पक्की सड़क आती है। जब कि

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दूसरे प्रॉविन्स के अन्दर देखें, केरल में पचास किलोमीटर सड़क सौ वर्ग किलो मीटर के पीछे है। और तमिलनाडु में उससे भी ज्यादा 53 किलोमीटर है और कर्नाटक में 20 किलोमीटर है। जब कि राजस्थान में केवल पांच किलोमीटर है। यही हालत हमारे यहां सिंचाई की भी है। यद्यपि जल स्रोतों का अभाव है, पानी बहुत नीचे है, बारहमासी नदी नहीं है। आज क्षेत्रफल के हिसाब से हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान दूसरे नम्बर का प्रदेश है, इस हालत के बावजूद भी अखिल भारतीय औसत सिंचाई जो है उससे हम बहुत पीछे हैं। अखिल भारतीय औसत सिंचाई की बीस पर्सेन्ट है, जबकि राजस्थान में केवल 12.4 पर्सेन्ट है। सिंचाई आयोग के सन् 1972-73 के प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में 1,50, 97,000 हैक्टर भूमि में फसल बोयी जाती है। लेकिन इसमें से केवल 18,65,000 हैक्टर भूमि में सिंचाई के साधन हैं, यानि फसल को पानी दिये जाने की व्यवस्था है। इससे आप कल्पना कीजिये, इस विशाल मरुस्थल में आये दिन पड़ने वाले अकाल से इस राज्य की कृषि पैदावार और इस राज्य की आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार आगे बढ़ा सकेंगे—मुझे इसमें बड़ा सन्देह लगता है।

उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि हिन्दुस्तान के अन्दर वाणिज्यिक बैंकों ने जो उद्योग और कृषि कूप थे, इन सबको आगे प्रगति दिलाने के अन्दर जो कुछ काम देश में किया है, उनके मुकाबले इन वाणिज्यिक बैंकों ने राजस्थान में उस अनुपात में कर्ज और ऋण नहीं दिये हैं, इसमें विनियोजन राजस्थान में केवल 18.2 रुपये हैं जब कि सारे देश में यह विनियोजन का औसत 69.4 रुपये है। महाराष्ट्र में तो वाणिज्यिक बैंकों से मिलने वाला कर्ज 231.6 है, पश्चिम बंगाल में 136 है, तमिलनाडु में 107 है और गुजरात में 79.7 है। इन सबके मुकाबले में राजस्थान में बहुत कम है, राजस्थान में केवल 18.2 है। मैं इस बात को भी मानती हूं कि साधन स्रोतों के अन्दर और प्राकृतिक सम्पदाओं के अन्दर यदि हम अन्य राज्यों से राजस्थान की तुलना करें तो वह हमसे कतई पीछे नहीं हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी हम अभी तक क्यों आगे नहीं बढ़ पाये हैं? क्या आधारभूत कमजोरियां हैं हमारी, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में रही हैं? इसको बुनियादी तौर से हमें सोचना पड़ेगा।

अब मैं, उपाध्यक्षजी, अपनी अन्तिम बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं और वह है, वह बात बिल्कुल सही है जो कि इस प्रस्ताव को रखने वाले माननीय सदस्य, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है, यह देश नारेबाजी से नहीं बनता है, यह देश भाषणों से नहीं बनता है, यह देश बनेगा मेहनत करने से। इस देश को बनाने के लिए खून देना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सही है। मैं उनकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं। लेकिन आज कौन मेहनत कर रहा है, आज कौन खून दे रहा है इस देश की आजादी के लिए? इस देश के अन्दर रहने वालों को, इस देश के बनाने वालों को हमें मद्दे नजर रखना पड़ेगा। देश के अन्दर मेहनत करने वाले हैं जो कारखानों में सुलगती भट्टी के सामने खड़े होकर काम कर अपने शरीर से पसीना बहा रहे हैं, खेत और खलिहानों में जो न गर्मी देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, जिस दिन सारी फसल को शीत

(52)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लहर ने खत्म कर दिया था, उस दिन भी काश्तकार खेतों में उसी तरह पानी दे रहा था खड़ा खड़ा। हमें सोचना पड़ेगा उनके लिए, शीत लहर से, इस बात को हम जानते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है लेकिन उसको दृष्टिगत रख कर, मुझे ऐसा लगता है, राज्य सरकार ने कार्यवाही करने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकार संवेदनशील बने। जो खून देता है, जो मेहनत करता है, मैं अर्ज कर रही हूं कि वह लेवी राष्ट्र हित में अवश्य देगा। यह उसका धर्म है। और जब जब राष्ट्र पर संकट आया है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उसने साथ दिया है। वह अन्नदाता है, उसके उत्पादन में सबकी साझेदारी है। हमें सोचना पड़ेगा, हम उससे लेने वाले तो हैं, उससे लेते हैं लेकिन उसको देते क्या हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनिट का समय और दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इलाके में गई, मैंने कहा, सरकार ने राष्ट्र हित में लेवी लगाई है, आप सब लोग लेवी दीजिये। लोगों ने कहा कि हम लेवी देंगे, लेवी देना हम अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन हमें एक बात बतला दीजिये, हमें इस बात का जवाब दीजिये कि हमारे बच्चों के इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, बच्चे जो मैट्रिक में पढते हैं उनके चार अप्रेल से इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। सारी सर्दी भर हमें मिट्टी का तेल नहीं मिला। हमारे प्रॉविन्स में, जैसा मैंने निवेदन किया था, बिजली इलैक्ट्रिफिकेशन 15 पर्सेन्ट भी नहीं कर पाये हैं। इस हालत में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के इम्तिहान हैं, हमको मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, शाम छः बजे से सुबह छः बजे तक हमारे बच्चे अंधेरे की वजह से पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वे फेल हो जायेंगे और उनका भविष्य अन्धकारमय होगा। उन्होंने यह कहा कि हमारे बच्चे उनसे कैसे कम्पटीशन करेंगे जो अठारह घंटे पढ़ते हैं, उनके मुकाबले में हमारे बच्चे दो घन्टे भी नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप हमको घासलेट की व्यवस्था नहीं करा सकतीं शहर के मुकाबले में हमें अन्न नहीं दिलवा सकतीं, और हमें चीनी नहीं दिलवा सकतीं, चीनी और अनाज को तो छोड़ दीजिये, हमें कुओं को पक्का करना है, यदि आप हमें सीमेंन्ट नहीं दिलवा सकती हैं, फसल को बचाने के लिए आप हमें क्रूड ऑयल नहीं दिलवा सकतीं, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये यूरिया नहीं दिलवा सकतीं, बच्चों को पढ़ाने के लिये घासलेट नहीं दिलवा सकतीं तो फिर आपको लेवी देने के लिए कहने का क्या अधिकार है ? मैं सच कहती हूं, मेरा मुंह बन्द हो गया। मैं कुछ नहीं कह सकी उसके बाद। वास्तव में उनकी बात सही है। यदि हम मिट्टी के तेल का इन्तजाम नहीं कर सकते, अनाज की और चीनी की व्यवस्था नहीं कर सकते यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश तथा क्रूड ऑयल की, डीजल की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमें उनसे कुछ मांगने का और कहने का क्या अधिकार है लेवी दें। मैं कहूंगी कि लोग लेवी देंगे, बहुत खुशी के साथ देंगे। लेकिन शासन को संवेदनशील बनना पड़ेगा, उन लोगों की तरफ, जो वास्तव में मेहनत करते हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। आप चाहें रेस्तरां, छोटे छोटे

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दुकानदारों को मिट्टी का तेल दें, या न दें लेकिन गांवों के अन्दर आवश्यक तौर पर मिट्टी के तेल का इन्तजाम बच्चों के पढ़ने के लिए करें। यही हालत क्रूड ऑइल की है। मैं बताती हूं, जहां बिजली नहीं है, वहां पर जिन लोगों ने डीजल इंजन लगा रखे हैं, उनको क्रूड ऑइल नहीं मिलता है। एक तरफ तो उनको क्रूड ऑइल नहीं मिलता है, दूसरी तरफ भगवान के कोप से शीत लहर ने फसल नष्ट कर दी। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उनको क्रूड ऑइल नहीं मिलता है, दूसरे शीत लहर ने उनकी फसल को चौपट कर दिया, उसमें से जो बची है, उसको बचाने का प्रयत्न करें तो उनके पास क्रूड ऑइल नहीं है, डीजल नहीं, ऐसी हालत में मैंने रिमूवल ऑफ पब्लिक ग्रीवेन्सेज कमेटी में यह बात जाननी चाही कि यह बतायें कि यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास डीजल सेट्स हैं और जिनको क्रूड ऑइल और डीजल की आवश्यकता है, लेकिन वहां उसका कोई रेकार्ड नहीं है। आप और बातों का रेकार्ड रख सकते हैं तो यह रेकार्ड क्यों नहीं रख सकते कि किसको क्रूड ऑइल की आवश्यकता है ताकि वह हर महीने नियमित रूप से उनको मिलता रहे ? ये सब गंभीर सवाल हैं।

इस समय राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत भयंकर है, वह जिस जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है, उस पर हमारा निरन्तर पड़ने वाला अकाल, भौगोलिक विषमतायें, जल स्रोतों का अभाव और सामंतवादी विरासत इन सबसे छुटकारा पाना है तो जब तक भारत सरकार हमको अनुदान नहीं देगी और कर्जा राइट ऑफ नहीं करेगी तब तक हमारे लिए कठिन होगा। जहां हमारे पड़ौसी राज्य प्रगति के राज पथ पर छलांग लगाते जा रहे हैं वहां हम उठ भी नहीं पाए हैं। इसलिए यदि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में हमें आगे बढ़ना है तो पांचवी योजना में प्रगति के कार्यों को कम से कम 7 प्रतिशत की दर से करना है। हमारे विकास की गति 7 प्रतिशत तब हो सकती है और तब ही गैरयोजना खर्चे को सुनियोजित कर सकते हैं जब भारत सरकार से हम कहें कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति के लिए आप विशेष प्रावधान करके हमें आर्थिक संकट से निकालें और यदि हमने यह नहीं किया तो वर्तमान परिस्थितियों में मैं नहीं समझती कि राजस्थान प्रगति कर सकेगा। वैसे तो राज्य सरकार की, जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है। सरकार की राज्यपाल महोदय ने घोषणाएं की है उनको दृढ़ संकल्प और कुशलता के साथ सरकार को उनका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए लेकिन पिछली बार ट्रान्सपोर्ट के राष्ट्रीयकरण के जो टार्गेट्स थे वह अचीव नहीं किए गए और इस बार कह दिया कि उनको अचीव करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली !

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह नयी व्यवस्था डाल रहे हैं। पहले मेरे दल....

श्री उपाध्यक्ष : उनको बाहर जाना है इसलिए उनको बोलने के लिए कहा है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : ठीक है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें हमने यह देखा कि उन्होंने किसी मसले पर, जिसका उन्होंने जिक्र किया, यह दिशा नहीं बताई कि उन मसलों का हल कैसे किया जाएगा और कठिनाइयों को किस तरह से दूर किया जाएगा। कुछ संदेह जनक उपलब्धियों का जिक्र किया गया, कुछ आगे आने वाले सब्ज बाग दिखाए गए लेकिन दरअसल उसमें कोई ऐसी चीज नहीं दर्शाई गई जिससे हम इत्मीनान हांसिल कर सकें। मुझे एक शायर का कौल याद आता है:

तमन्नाओं में उलझ गया हूं।
खिलौना दिखाकर बहलाया गया हूं॥

आज हमारे सामने जो नक्शा पेश किया गया वह तमन्नाओं का जाल है, वह ज्यादा से ज्यादा ऐसा खिलौना है जिसके टूटने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तो वह इस किस्म का अभिभाषण है जो कभी भी किसी दिशा की तरफ हमको नहीं ले जा सकता। जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने कहा वह 12 पेज का छोटा सा भाषण था, बड़े डरे हुए माहोल में दिया। मैं उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालना चाहूँगा। मैं मानता हूं कि अपोजीशन में इतनी ताकत नहीं है कि एक अपोजीशन की तरह उभर सकें मगर फिर भी हमारी मान्यता यह है और परम्परायें रही हैं कि हम जो चीज अपोजीशन की तरफ से आए, वह अगर आपकी नजर में सही हो तो फिर उसमें आपको कदम उठाने चाहिए। हमने यह समझा था कि कांग्रेस विघटन के बाद जब पूंजीपतियों का और वेस्टेड इन्टरेस्ट्स के लोगों का कांग्रेस से निष्कासन हुआ या वे हटे और कांग्रेस का विघटन हुआ और नई शकलें पैदा हुई तो हमने कुछ नक्शा अपने सामने खींचा और हम समझते थे कि यह चीज अब हमें नई दिशा में ले जाएगी, मगर हमें अफसोस है कि जो मिनिस्ट्री उसके बाद बनी उसकी उपलब्धियां बहुत नहीं रही और जो कानून बनाए गए उनको जिस तरह से बनाया गया, उनको एक हाथ से बनाकर दूसरे हाथ से ले लिया।

आपको मालूम होगा कि जब लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का कानून बना था तो हमने कहा था कि इसमें जो आपने प्रावधान रखा है कि जो आदमी दरख्वास्त देगा वह अगर झूठी साबित होगी तो दरख्वास्त देने वाले को 6 महीने की सजा होगी, यह ठीक नहीं है। हमने कहा था कि अगर यह प्रावधान रखेंगे तो उसका मतलब यह होगा आप इस कानून के सारे असरात को खतम करना चाहते हैं और आप भ्रष्ट अधिकारियों को और जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं, वे भ्रष्टाचार करें तो उस हालत में आपका नियंत्रण नहीं होगा तब दरख्वास्त लोकायुक्त या उपलोकायुक्त के समक्ष दें लेकिन उस समय भी हमारी गुजारिश को नजरअंदाज किया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं आप बताइए कि लोकायुक्त और उपलोकायुक्त नियुक्त किए जाने के बाद कितनी दरख्वास्तें पेश हुई और कितनों पर कार्यवाही हुई और क्या नतीजा निकला ? मेरी मन्शा यह है कि फाइनेन्स पर इतना बड़ा बोझ डालना, इसका क्या नतीजा निकलता है ? जब कानून में प्रावधान रखते हैं जिसके अन्तर्गत आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती। मैंने यह गुजारिश इसलिए की कि आपकी जो पहलेवाली हकूमत थी वह सीलिंग कानून लाई, कुछ

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

और कानून लाई लेकिन दुःख की बात है कि और कानूनों पर कोई अमल नहीं किया गया और यह मसला आज भी उतना ही गंभीर है जितना पहले था।

जो बहस खाद्य के बारे में हो चुकी है उसमें विभिन्न नेताओं ने काफी रोशनी डाली है लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला गया। दो लाइनों में कहा गया कि अनाज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट यह समझती है कि सबको समर्थन देना चाहिए कि गेहूं उपलब्ध हो। हमने यह मांग की थी और कांग्रेस की मान्यता थी कि आज जो अनाज का व्यापार लोगों के हाथ में है उसको पूरी तौर से अपने हाथ में लिया जाए। समाजवाद की दिशा में कोई कदम हाफ-हार्टेडली नहीं लिया जा सकता और न समाजवाद की तरफ हम बढ़ सकते हैं। समाजवाद को छोड़िये आप। पूंजीवादी देशों में भी जो व्यवस्था है वहां पर गल्ले का व्यापार या और कोई व्यापार निजी हाथों में नहीं है, वहां पर भी गल्ले की और खाने की चीजें मुहैइया करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब हम कहते हैं कि यहां पर समाजवाद होना चाहिए, हमने खुली छूट दे रखी है ब्लैक मार्केटियर को, होर्डर को और मुनाफाखोर को जो हमारा खून चूस लेना चाहता है। यह नक्शा है हमारे समाजवाद का, जो सरकार हमारे सामने पेश कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं आज फिर से गुजारिश करना चाहता हूं लेकिन क्या करूं आज अभी सदन में मुझे मुख्य मन्त्री जी तो दिखाई दे नहीं रहे हैं और न खाद्य मन्त्री जी भी हैं लेकिन जो भी मन्त्री विराजमान हैं मैं उन्हें ही गुजारिश कर दूंगा। खाद्य मन्त्री जी ने कल जो फर्माया उससे तो अनाज की समस्या का हल नहीं होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में दो साल पूर्व मुख्य मन्त्री जी ने यह फर्माया था कि जो ब्लेक मार्केटियर्स हैं जो होर्डिंग करने वाले हैं, उनको बाजार में हथकड़ी लगा कर घुमाया जायेगा। लेकिन मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं कि किन ब्लेक मार्केटियर्स या होर्डिंग करने वालों को राज्य सरकार ने सड़कों से गुजारा है! अलबत्ता पहले ही वह लोग पकड़ में नहीं आते हैं और जो गलती से एक दो पकड़ में भी आजांय तो उन पर सौ रुपया या चार सौ रुपया या हद से हद पांच सौ रुपया फाइन करके छोड़ दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि कुछ नहीं कोई खास बात नहीं थी। छोटी मोटी इररेग्यूलरीटीज थी। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह छोटी मोटी इररेग्यूलरीटीज हैं जिनकी आप सजा नहीं देना चाहते तो फिर आप किसे पकड़ेंगे? किसके हथकड़ी डालेंगे और किसको आप बाजार में घुमायेंगे? क्या आप गवर्नर ऑफ मैसूर को पकड़कर बाजार में घुमायेंगे हथकड़ी लगा कर जिसने 130 रुपये क्विन्टल के भाव से गेहूं बाजार में बेचा? या आप मेरे आपके गले में फांसी का फन्दा लगायेंगे या हथकड़ी लगाकर हम लोगों को बाजार में घुमायेंगे? मुझे उन लोगों से शिकायत या शिकवा नहीं है जो कि सोशिलिज्म की मुखालफत करते हैं या एन्टी होर्डर्स का विरोध करते हैं या जो लोग प्रतिगामी विचारधारा के हैं उनसे मैं कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि उनका तो यह काम है। लेकिन जो लोग प्रगतिशील

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
विचारों के हैं जो लोग सोशिलिज्म में विश्वास करते हैं उनसे मुझे शिकवा शिकायत है क्योंकि आपकी जो नयी कांग्रेस बनी उसने एक नया नारा जनता को दिया। लेकिन आपकी कांग्रेस में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आपकी इन नीतियों को सफल नहीं होने देना चाहते क्योंकि उन लोगों के पास खुद के बड़े बड़े फार्म्स हैं और यह लोग गरीब किसानों से वोट लेकर आते हैं और असलियत में यह धनी किसान हैं कांग्रेस के जो समाजवादी कार्यक्रम हैं उनके काम में रोड़े अटकाते हैं। आज अभी मैं श्रीमती सुमित्रा जी से कहूंगा कि क्या आपने अपना सारा गल्ला सरकार को दे दिया? मैं समझता हूं कि उन्होंने नहीं दिया। आज यही नहीं, जो कांग्रेस में बड़े पद पर नेता लोग हैं वही रोड़ा अटकाने वाले हैं। अगर यह लोग इसको कामयाब करना सोच लें तो कर सकते हैं जो इनके पास सरप्लस अनाज है वह सरकार को मार्केटेबल प्राइस पर बेच दें तो काफी अनाज की दिक्कत समाप्त हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : किस टोटल मार्केट प्राइस पर।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह नहीं कहता कि किसान को आप वाजिब दाम मत दो। मैं कहता हूं कि किसान से आप अनाज की लेवी वसूल करो 100 रुपये क्विन्टल हो, यह अनाज चाहे किसी भी फार्मर के गोदाम में हो हमें लेना चाहिए उसके बदले आपको चाहिए कि आप काश्तकार को बोनस दें, खाद दें। और सहूलियतें दें जिससे कि वह काश्तकार आपको लेवी दे। आप उसको सबसिडी दें। मैं आपको पंजाब और महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा जहाँ पर काफी सहूलियतें किसानों को दी गई हैं इसमें आपको उन्हें सहूलियतें देने में संकोच नहीं होना चाहिए। फिर आप जनता को रिजनेबल रेट पर अनाज दें। लेकिन आज यह स्थिति नहीं, स्थिति यह है कि आप यह कह देते हैं कि केन्द्र से हमें इतना ही मिला जैसा कि खाद्य मन्त्री जी ने कहा कि हमें तो केन्द्र से 15 लाख टन अनाज मिला है।

श्री परसराम मदेरणा : 15 हजार टन।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग तो केन्द्रीय नीति पर आधारित हैं और उन पर ही आधारित रहना चाहते हैं वरना रबी और खरीफ दोनो की फसल मिला कर राजस्थान में करीब 67 लाख टन अनाज पैदा हुआ था। यह आंकड़े टाइम्स ऑफ इण्डिया में आए थे अगर आप उस अनाज को ले लेते तो यह दिक्कत नहीं आती लेकिन मैं जानता हूं कि वह बड़े बड़े काश्तकारों के पास है आप उनसे यह अनाज नहीं ले सकते। आप लेना नहीं चाहते। वरना राजस्थान के लिए तो सिर्फ 39 लाख टन अनाज की जरूरत है बाकी जो बच जाता है 28-30 लाख टन अनाज। उसका यदि फोडर को काम में लेते, बफर स्टॉक बनाते तो मेरी मान्यता है कि अनाज की समस्या यहां पर पैदा नहीं होती लेकिन इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप दिल्ली की तरफ देखते हैं। आपको चाहिए कि हर काश्तकार से डिक्लेरेशन दिलायें, मैं खाद्य मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि क्या आप हिम्मत रखते हैं कि रामचन्द्र जी चौधरी जो कि भूतपूर्व मन्त्री थे उनके नाम, उनके लड़कों

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

के नाम, उनकी लड़कियों के नाम कुल कितनी जमीन गंगानगर एरिया में है उनमें कितना अनाज पैदा हुआ। उपाध्यक्ष महोदय मैं अर्ज करता हूं कि 12 मुरब्बा जमीन इनके पास है लेकिन उन्होंने कितना अनाज दिया कोई पूछने वाला नहीं है और न ही उनको होर्डिंग के लिए गिरफ्तार करने को तैयार है। आपको अगर अपनी राष्ट्रीय-करण की नीति को सक्सेस करनी है आपको समाजवाद लाना है तो आपको इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और ऐसे लोगों से सरप्लस अनाज को मार्केट में लाना होगा और फिर कन्ट्रोल कीजिए। कैसे नहीं होती है अनाज की दिक्कत दूर। लेकिन यह उनका जवाब देने को तैयार नहीं। इसी तरह चने के मामले को लेकर काफी गड़बड़ियां पैदा हुई हैं। राज्य सरकार ने चना बाहर भेजने पर पाबन्दी लगादी लेकिन बाद में क्या सांठ गांठ हुई यह तो पता नहीं पर यह पता लगा कि चना बाहर जाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है सिर्फ यह कह कर 20 पर्सेन्ट की लेवी देने पर। जोधपुर के लोगों ने लेवी देने का विरोध किया लेकिन आखिर 20 पर्सेन्ट की बात पर चने की लेवी देने को व्यापारी राजी हो गये। राज्य सरकार को बहाना मिल गया कि व्यापारी 20 पर्सेन्ट लेवी देने को राजी हो गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, करीब 6 लाख टन चना था सिर्फ 20 पर्सेन्ट की लेवी देकर बाकी सब बाहर चला गया जो चना यहां 125 रुपये क्विन्टल था वह महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में 375 रुपये क्विन्टल के भाव बिका। उपाध्यक्ष महोदय 250 रुपये का मुनाफा इन मिडिल मैनों ने कमाया और उसकी कीमत कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपये होती है। जब तक इन मिडिल मैनों को समाप्त नहीं किया जायेगा तब तक गवर्नमेन्ट किसी भी समस्या को हल नहीं कर सकती। होना तो यह चाहिये था कि आप उनसे 70 पर्सेन्ट चने की लेवी लेते लेकिन हमारी सरकार ने इस हिन्दुस्तान की जनता के साथ दगा किया। आपको चाहिये था कि आप उसका बफर स्टॉक बनाते और बाद में उसे गवर्नमेन्ट दूसरे लोगों को देती। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे स्टेट्स को मत दो लेकिन वह सब हमारी सरकार के गोदामों में होना चाहिये था। लेकिन जो फायदा राज्य सरकार को होना चाहिये था वह व्यापारियों के पल्ले पड़ा। इसका जवाब आपके मिनिस्टर साहब के पास नहीं। आप छोटे व्यापारियों को परेशान करते हैं और बड़े बड़े होर्डर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कहने को तो आपने कह दिया कि केन्द्र दबाव डाल रहा था पर यह गलत है। आपकी अपनी खुद की भी तो नीति होनी चाहिये। तो मेरी गुजारिश यह है कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। अगर इस तरह से ही ब्लेक मार्केटियर्स को बढ़ावा मिलता रहा, मुनाफाखोरी में वृद्धि होती गयी तो अनाज की समस्या का हल होना मुश्किल है। इसके लिये मैं खाद्य मंत्री को सुझाव देना चाहूंगा। केवल यही कहना कि करैन्सी का इन्फ्लेशन होने से ही महंगाई बढ़ गयी गलत है, आपको ब्लेक मार्केट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी होगी, प्रशासन में सुधार लाना होगा। सिर्फ करैन्सी का ही तर्क देकर आप बात खतम नहीं कर सकते। यह ठीक है कि आप धड़ाधड़ नोट छापते चले गये लेकिन यह तो एक कारण हो सकता है। महंगाई तो यह होर्डर्स और मिडिल मैन बढ़ा रहे हैं। उससे काफी

(58)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
दिक्कतें पैदा हो रही हैं और इनकी वजह से ही मुश्किलातों का इजाफा हो रहा है। किस तरह से हमारे लोगों के हकूक को एक्सपोर्ट किया और यह कह कर किया यह खेद का विषय है। कोई वजह नहीं थी कि आप लेते।

आपने होर्डर्स और गोदामों के लिये मुख्तलिफ आदेश दिये। कभी कहा 150 क्वि. तक रख सकते हैं, कभी कहा 200 क्वि. तक रख सकते हैं। ऐसी आपकी पॉलिसी रही कि जो रोजाना तारीखें बढ़ती रहीं। उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज गेहूं बाजार में 200) क्वि. तक बिक रहा है। यह गेहूं किसान नहीं बेच रहा है। मेरा दावा है कि यह वे लोग बेच रहे हैं जिन्होंने होर्डिंग कर रखा है और जो गांव के आदमी का साफा बंधवा कर बिकवाते हैं। आपके अधिकारी और आपकी पुलिस का कोई नियन्त्रण नहीं। यह खाद्यान्न की दृष्टि से मैंने गुजारिश की है।

मैं सीलिंग के बारे में अर्ज किया चाहूंगा। गवर्नर साहब के भाषण को हमने देखा। सीलिंग का कानून बनाया। शहरी सम्पत्ति के बारे में सीलिंग बनाया। वह सीलिंग कानून बस्ते खामोशी में पड़ा हुआ है। धूल जमी हुई है उस पर। न रूल्स बनाये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रूलर्स की प्रिविलिजेज छीनी थी, उनके पास लाखों रुपयों की पोपर्टी है और वे उसको मन चाहे तरीके से बेच रहे हैं और सरकार निष्क्रिय है। कदम उठाने की बात आती है तो कहती है यह सामाजिक है, सोशल और ट्रस्ट के रूप में है। सबसे बड़ा रीजन यह दिया जाता है। सैंकड़ों दुकानें हैं, प्रोपर्टीज हैं। हिन्दुस्तान के खिलाफ जासूसी करने वाले लोग आते हैं पनाह लेते हैं क्योंकि वे आपके संरक्षण में रहते हैं। आपका उन पर कोई चैक नहीं। जब प्रिविलेजेज खत्म करते हैं तो सीलिंग के कानून को लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं इस कानून को लागू करते हैं और कानून में जरूरी तरमीम करते हैं?

अलवर महाराजा ने क्लेक्टोरेट की बिल्डिंग को अपनी निजी प्रोपर्टी समझ कर हथियार बन्द लोगों के साथ घुस कर दरवाजे तुड़वा दिये और बहुमूल्य चीजें ले गये। क्लेक्टर ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई कि हमारे साथ यह ज्यादती हुई है परन्तु पुलिस के अधिकारी खामोश हैं। गवर्नमेन्ट पूछने वाली नहीं। अलवर महाराज महाराज थे इसलिये उनके हथियारों से राज्य सरकार डरती है या वे कांग्रेस के समर्थक हैं इसलिये सरकार चुप है? कौन वजह से एक्शन नहीं लेना चाहती है? एफ. आई. आर. दर्ज कराये काफी दिन हो गये और वह भी एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा। एक तरफ जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी और दूसरी तरफ आपकी सरकार चुप है। आपके हाथ महफूज हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जिम्मेदार अफसर की तारीफ की और गवर्नमेन्ट को निष्क्रिय बताया तो मैं पूछना चाहता हूं कि अफसर क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? ट्रान्सफर ऑफ प्रापर्टी के सम्बन्ध में सीलिंग बिल पास किया हुआ है। ट्रान्सफर पर रोक लगी हुई है। तीन लाख से अधिक की प्रोपर्टी ट्रान्सफर नहीं होगी। पूरे पावर्स एस्टेब्लिश कर दिये। अधिकारी फिर कर्त्तव्यपरायणता का उदाहरण क्यों नहीं पेश

(श्री परसराम मदेरणा)
कर रहे हैं ? अफसर की तो तारीफ कर रहे हैं और गवर्नमेन्ट पर दोष मंढ़ रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह मेरा मातहत नहीं है। आपका मातहत है। अगर वह कोई गलती करता है तो आप उसको सजा दीजिये। उसने एफ. आई. आर. दर्ज करायी। क्यों नहीं क्रिमिनल केस चलाया गया अलवर महाराज पर ? जंगल में महल था उसको तुड़वा दिया। और आप खामोश बैठे रहे। जंगल कटवा दिया लेकिन आप खामोश बैठे रहे। अफसर जिम्मेदार है तो सख्त से सख्त आप कदम उठाइये और कलेक्टर गलती करता है तो मैं उसको शील्ड नहीं करना चाहता। यह तो आपके देखने का काम है।

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर सक्षम है कानून के अन्दर।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पावर एक्सरसाइज नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : कोई एक्शन लेगा तो सरकार उनको बचायेगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो सदन के उपनेता की हैसियत से बोल रहे हैं या क्लेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी के नाते बोल रहे हैं जरा स्पष्ट हो जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा मतलब यह नहीं है कि कलेक्टर सही है या गलत। पहली बार नजर डाली और ध्यान दिलाया कि सामन्ती तत्वों को हटाया फिर उनको क्यों संरक्षण दे रहे हैं ? क्यों कदम उठाने से हिचकिचाते हो ? समाजवाद का नाम लेते हो। मैं भी समाजवाद का नाम लेने वालों में हूं। आप में, मेरे में केवल फर्क यही है कि आप कुछ कर सकते हो तो करते नहीं। मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं सकता।

आपने प्राइमरी स्कूल्स कायम किये। शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको उसके लिये धन्यवाद देता हूं। कुछ स्कूल्स अपग्रेड किये वह भी काबिले तारीफ है। लेकिन हमारी जरूरत के अनुसार नहीं है।

एक आस्पेक्ट जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने हमारे कान्स्टीट्यूशन में धर्म निरपेक्षता की बात तय की थी और यह तय किया था कि हमारी एजूकेशन होगी इसी बेसिस पर होगी, इसी बेसिस पर एजूकेशन चलायी जायेगी। किन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न तो कोई सेकुलेराइजेशन का नक्शा पेश किया गया है। ऐसी किताबें हैं जिनमें प्रतिगामी और साम्प्रदायिक जमातों की तारीफ की गयी है। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने वापिस लिया है। जब ऐसी बात आती है तो धर्मनिरपेक्षता तो दूर फिरकापरस्ती को बढ़ाने की बात आती है। हमने यह सुझाव रखा था कि प्राइमरी एजूकेशन में वे किताबें होनी चाहियें जिसमें हिन्दुस्तान का इन्टीग्रेशन हो, एजूकेशनल सेकुलेराइजेशन हो। इस ओर कदम नहीं उठाया गया। आप यह देख कर खुश हो सकते हैं कि हमने फलां हायर सैकेण्डरी की एड बन्द कर दी। आदर्श विद्या मंदिर की बन्द कर दी।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मुझे यह जान कर दुख हुआ कि जो लोग वहां पर जांच करने गये थे उनको वहां के स्टाफ के द्वारा चाय-काफी पिलाई गई, मिष्टान खिलाया गया और विश्वास दिलाया गया कि आप चिन्ता न करें। हम सब ठीक कर लेंगे। अगर यह सही है तो उन अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। अगर हमारे अफसर इस तरह का गन्दा और गलत रास्ता अख्तियार करेंगे और चाय की प्याली में बिक जावेंगे तो वे मुलाजिम नहीं कहे जा सकेंगे। हमने डाकूमेन्ट्स पेश किये थे। वे बोलने वाले हैं। मिनिस्टर साहब उनको देखें तो मालूम होगा कि बहुत बड़ी रकम का डिफाल्केशन किया गया है। आज वह इन्क्वायरी किस स्टेज पर है यह भी हमें नहीं मालूम। अफसोस यह है कि आपकी सर्विसेज में एक कम्यूनलिस्ट पार्टी का आदमी था जिसको गवर्नर साहब ने विशेष अधिकारों से डिसमिस कर दिया। आज भी इसमें साम्प्रदायिक और प्रतिगामी लोग भरे पड़े है चाहे वे मुस्लिम लीग के हों, मजलिस के हों, जमाते इस्लामी के हों या जनसंघ के हों। पर आप कोई कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। मेरा दावा है कि हर विभाग में इस प्रकार के व्यक्ति मौजूद हैं। इस बुराई को खतम करने को कहा जाता है तो कई तबकों के बारे में कान्फीडेन्शल रिपोर्ट है। इस तरह की जगहों पर जिनको आप अपोइन्ट करें उनसे ओथ ली जानी चाहिए कि मैं इसमें धर्म निरपेक्ष रहूंगा। किसी के साथ पक्षपात नही करूंगा।

आपने खुली छूट दे रखी है। आज स्कूलों में गांवों में शाखाएं लगती हैं। साम्प्रदायिक प्रोपेगण्डा होता है। आप यह सब सुनने-समझने और कदम उठाने को तैयारी नहीं। इस देश में हमें धर्म निरपेक्षता का स्वरूप बनाना चाहिये।

हमारा इतिहास प्राचीन है। प्राचीन लोगों में से भी उनको लेने की क्या आवश्यकता है कि जिनसे साम्प्रदायिक तत्व मजबूत हों। हमारे स्वतन्त्रता के इतिहास के सेनानियों को लिया जा सकता है। अजमलखां और गांधीजी का इतिहास हमारे पास है। जवाहर लाल जी का है। भगतसिंह का है। यह पढ़ाइये आप। पर आपने प्राइमरी शिक्षा में भी ऐसी पुस्तकें रखी हैं जिससे भेदभाव की बातें बच्चों के दिमाग में भरी जाती हैं। ये तो छोटे-छोटे बच्चे हैं। आगे तरक्की करके शाखाएं लगा रहे हैं, बसें जला रहे हैं। वे बचपन में ही गुमराह हो जाते हैं। कहते हैं कहने को कि हम तो वर्जिश कर रहे हैं। पर इस वर्जिश के माध्यम से किस तरह का जहर उनके दिमागों में भरा जाता है इसे हम नहीं देखना चाहते हैं। इस तरफ ध्यान दें वरना वह दिन दूर नहीं जब हिन्दुस्तान का पारा-पारा होते देखें। एक समय था कि ये ही प्रतिगामी शक्तियां यह कहा करती थीं कि ये अलग-अलग प्रदेश मिट जाने चाहियें। सारे देश से जोन हट जाने चाहिये। आज वे ही कह रहे हैं कि सारे देश को पचास साठ भागों में बांट देना चाहिये। आन्ध्र में बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। ईंट से ईंट बजा दी लोगों ने। उस वक्त कम्यूनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने हिम्मत से काम लिया और मिल-जुल कर काम किया। वहां गालियां खाईं। उनको भी बर्दाश्त किया इसलिये कि वे अधिक टुकड़े होने नहीं देना चाहते थे, प्रतिगामी शक्तियों के हाथ में नहीं जाना चाहते थे।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा में सुधार लावें। मैंने उस वक्त भी कहा था। यूनिवर्सिटी के डीन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ आपका ध्यान दिलाया था। ऐसे आदमी हैं जिनकी जवान से दुश्मनी है। यह कहां की समझ है? आज भी वे अपनी जगह पर टिके हैं। मैं सरकार का आभारी हूं कि हमारा पीछा महेन्द्रसिंह जी से छुड़ा दिया। इसके अलावा भी वहां छोटी-मोटी मशीनरी बहुत है। एक मगरमच्छ को हटाने से कुछ नहीं होता। छोटी मछलियों की भी देख-भाल करनी होगी। छोटी मछलियां भी तालाब को गन्दा कर देती हैं।

इसके बाद थोड़ी सी रोशनी में मैडिकल और हैल्थ विभाग पर भी डालना चाहूंगा। मौजूदा मिनिस्टर से मुझे आशाएं हैं। उन्होंने अपनी कोशिशें आगे बढ़ाई हैं। वे खुद दिलचस्पी लेते हैं। पर बदकिस्मती यह है कि निहित स्वार्थ के जो डाक्टर यहां हैं वे उनके काबू में नहीं आते। उनका ट्रांसफर करने के लिये अल्ला मियां आवे तो आवें। किसी न किसी मिनिस्टर का दिल किसी न किसी डाक्टर के हाथ में है। जब भी बड़े डाक्टर का सवाल आता है तो किसी न किसी मिनिस्टर का दिल बेकाबू हो जाता है। उनके परिवार के लोगों का हो जाता है कभी उनके किसी रिश्तेदार का हो जाता है और ट्रान्सफर की हिम्मत करने वाला दिल मसोस कर रह जाता है जो जहां होता है वहीं ठप्प होकर रह जाता है। मैं कहता हूं इस तरह के दिल के बीमारों को मिनिस्ट्री में रखा ही क्यों जाता है? जहां आपके दिल में बीमारी है आपको पहले से ही अलग हो जाना चाहिये।

मुझे अफसोस है कि यहां आश्वासन दिया गया था कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जावेगी पर अभी तक उस पर अमल कुछ नहीं हुआ मैंने पिछले साल भी पूछा था और अब भी पूछना चाहता हूं कि आपने इस बारे में क्या कदम उठाया है? क्या आपने सोचा कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट एक एक के बजाय दो दो और तीन तीन कर रहे हैं। उनकी तो प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करिये। दस पन्द्रह हजार रुपया महिना कमा रहे हैं। छोटे डॉक्टरों को खाने के लाले पड़े हैं। गली गली मारे मारे फिर रहे हैं। अस्पताल को टटोलिये तो वहां बीमारों से अधिक डॉक्टरों की भरमार है। अधिक स्टाफ। पर दवाइयां नदारद। पट्टियां और टिन्चर तक नहीं मिलता। इसलिये कि बड़े बड़े ओहदेदारों ने रोक रक्खा है और उनके द्वारा औरों का शोषण होता है।

एक बात में फर्क पड़ा है। चिट्ठी डाक्टर भेज देता था और बीमार भरती कर लिया जाता था। अब जिसका आउट डोर होगा उसी में दाखिल किया जावेगा। एक कमेटी बनाई गई थी। हालात को सही करने के लिये। हमने देखा कि उसकी तीन मीटिंगें बुलाई गई। हमसे कहा गया कि चन्दा तो इसमें दो। हमारी कैपेसिटी चन्दा जमा कराने की है नहीं। चन्दा ही चाहिये तो यह जगह जनसंघ के लोगों को या स्वतन्त्र पार्टी के लोगों को दो। वे सामन्त हैं। वे दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : अब तो बड़े सामन्त ये सफेदपोश हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारी तो कैपेसिटी नहीं है कि हम चन्दा जमा करा सकें।

Page No 62

(62)

श्री मूलचन्द सामरिया : बहुत हैं आपके साथी, बड़े बड़े चन्दा देने वाले हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं तो अपनी कमजोरी मान रहा हूं। मेरा तो अर्ज करना यह है कि सांवरिया जी भी मेरे जैसे ही हैं। बदकिस्मती से वे स्वतन्त्र पार्टी में लग गये हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप ट्रान्सफरों के बारे में नियम बनाना नहीं चाहते। न ही आप कोई इस तरह का तरीका अपनाना चाहते हैं कि जिससे छोटे छोटे डॉक्टरों को भी रिलीफ मिले। या इन बड़े बड़े डॉक्टरों का लाभ गांव वालों को मिले। मेरी समझ में एक आध इन्सान ही ऐसा होगा कि जिसके दिल नहीं हो या दिल बायें के बजाय दायां हो। गांव गांव और छोटे छोटे इलाके उनकी मदद से महरूम रहे ऐसी कोई चीज है क्या। प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में........

एक माननीय सदस्य : आपका दिल तो है न ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा दिल तो है ही नहीं। मैं तो अपना दिल पार्टी को दे चुका हूं। मैं कभी भी मरने को तैयार हूं। मैंने कभी अपने दिल को देखा ही नहीं है और न मैंने कभी अपने दिलका एग्जामिनेशन कराया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मैं हॉस्पिटल में अनियमितताओं के बारे में निवेदन करूं हमारे यहां बड़ी बड़ी मशीनें रखी है। एक मशीन ऐसी आई थी जो बहुत कीमती थी जिसमें ट्यूमर ब्रेन का टैस्ट किया जाता था लेकिन उसका कागज नहीं होने से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। एक लेटर मैंने इसके लिये लिखा भी था लेकिन अफसोस है उसका जवाब नहीं मिला। बहुत सी मशीनें गुर्दे की, किड्नी की आई उसको छुड़वाया नहीं और वे वापिस चली गई। इससे राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ। इस पर हमको नजर डालनी चाहिये। जो बहुत सारे स्टाफ की बात है उसकी भी प्रॉब्लम है उस पर भी गौर करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस रफ्तार से हाउसिंग बोर्ड वाले मकान बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं। हमारे भारत के प्रेसीडेन्ट साहब श्री गिरि साहब ने यह फरमाया था कि आपने 6 वर्ष में 1400 मकान बनाये तो इस हिसाब से जयपुर की जनता के लिये मकान बनाने के लिये 150 वर्ष की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया था कि छोटे छोटे मकान जो रहने लायक हों उतने ही बनाये जायें। छोटे छोटे मकानों के निर्माण पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। आपने कभी यह देखा कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितने मकानात बनाये और किन लोगों को उपलब्ध कराया गया। मैं समझता हूं जिनके पास पहले से मकान थे उनको ही और मकान मिले हैं। दरख्वास्त दे दी और लाटरी सिस्टम से उनको मकान मिल जाता है। उसके कोई रूल्स नहीं हैं। कहने का मेरा मतलब है हाउसिंग की प्रॉब्लम यों की यों रह जाती है।

कच्ची बस्ती की भी आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिये। जो छोटी छोटी कच्ची बस्तियां हैं गिरी साहब ने उनके अपने हाथों से पट्टे दिये थे लेकिन आपके अफसर शाही उनको फाइनल नहीं करना चाहती है। कभी कहते

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हैं यहां मण्डी बनेगी, कभी कुछ कहते हैं। जब अलॉट हुआ था उस समय आपका दिमाग बन्द था क्या, उस समय आपकी जबान बन्द थी क्या ? क्या उस समय आपको इस बात का मालूम नहीं था और आज आप मण्डी बनाना चाहते हो। आपकी नीयत है कि आप बड़ी बड़ी कीमतें लेकर भूमि नीलाम करना चाहते हो। यह हार्उसिंग की प्रॉब्लम का हवाला आपके गवर्नर की स्पीच में नहीं दिया गयाहै। इस मामले की एक हाई पावर कमेटी बना कर उसके सुपुर्द कीजिये। जो गरीब लोग हैं वे स्वायत्त शासन मंत्री जी के यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इसके बावजूद आप उनको देखना नहीं चाहते हैं इसलिये मेरी गुजारिश है इस प्रॉब्लम को आपको बहुत तवज्जोह के साथ देखना चाहिये।

इसके साथ एक पहलू को और कहना चाहता हूं। यहां पर कुछ रीजनल भावनायें हैं। हाई कोर्ट की बैन्च के मामले में युनानिमस हम अर्ज कर चुके हैं और यह मेरा अवसर है मैं इस इश्यू पर अर्ज करना चाहता हूं चाहे आप इस मुद्दे पर रेफ्रेन्डम करायें और चाहे प्लिबिसाइट करायें और अगर उस रेफरेन्डम और प्लिबिसाइट में यह तय हो जाता है कि हाई कोर्ट की बैंच यहां कायम कर देनी चाहिये तो आप कायम करिये। आज अगर एक गरीब पर अपील फाइल हो जाती है तो वहां नहीं पहुंच पाता है और अपने वकील पर ही निर्भर करता है और अगर वकील आवाज पर गैर हाजिर होता है तो अपील खारीज कर दी जाती है। इसके बारे में आज भी वकील चिन्तित हैं लेकिन आप रीजनल भावनाओं से चिन्तित हैं। आज आपके पास 144 मेम्बर हैं और कहते हैं यह सवाल तो आपकी तरफ से आना चाहिये। एक बहुत बड़े अपोनेन्ट तो मिनिस्टरी में जाकर बैठ गये और दूसरे जो अपोनेन्ट थे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कहां चले गये। मेरी गुजारिश है उपाध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट की बात क्षेत्रीय भावनाओं से उठ कर निष्पक्षता से देखी जानी चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि यह क्लोज नहीं है, इसको कभी भी लिया जा सकता है। मैं यह भी जानता हूं जोधपुर से आने वाले मंत्री हैं, वे भी सहमत हैं और कहा था कि इसको तय किया जा सकता है। आप रीजनल भावनाओं से प्रभावित न होकर....

एक माननीय सदस्य : ऊपर के मन से तो वे ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं ईमानदार समझता हूं और जो कुछ कहा है उसका पूरा यकीन करता हूं। इस सवाल को क्षेत्रीय भावना से उठ कर आप यह सोचें कि कितने लोग इन्साफ से महरूम हैं। इसलिये यह कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। हिन्दुस्तान में दो एक सूबे ऐसे हैं जो कैपिटल में हाई कोर्ट बैंच नहीं रखते हैं। एक तो अपना खुद का है और दूसरा एम. पी. का है। केन्द्र के लोग वहां नहीं पहुंच पाते है क्योंकि वह जगह दूर रह जाती है और केन्द्र में ही सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं, केन्द्र में ही सबसे ज्यादा ज्यादती होती है और सबसे ज्यादा महरूम न्याय से वे ही लोग रह जाते हैं इसलिये मैं गुजारिश करूंगा कि कोई लाइट नहीं डाली गई हमारे गवर्नर साहब की स्पीच में इसके बारे में इसलिये इस चीज पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है।

इसके अलावा जो सीलिंग का कानून लाया गया है इसमें बहुत जल्दी कदम उठाया

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
है। मुझे आज ही पता चला रावल सामोद की 800 बीघा जमीन सीलिंग में आई है। सोढ़ाला के पास इसका खरीद फरोख्त शुरू हो गया है। ये सब चीजें होनी हैं चाहे रजिस्ट्री कराने वाले हों, चाहे बेचने वाले हों। आपने पांच हजार पर अफेडेविट कायम किया है। आप 10 हजार, 15 हजार या 7 हजार पर बेचते हैं उन पर एफेडेविट की शर्त लागू है लेकिन जो छोटे छोटे हैं उनको भी देना पड़ता है जो जायज मांग है इसलिये आप इस कानून का भी मुलाहिजा फरमायें····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा एक घण्टा है इसलिये मेरा निवेदन है संक्षेप में ही यह कहूं गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसमें जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ कदम सराहनीय है और मैं सराहना करना चाहता हूं। मसलन के तौर पर आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट का नेशनलाइजेशन किया, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हम यह देख रहे है कि जो कोयला और लकड़ी तैयार करता है, उसमें भी मिडिल मैन रखते हैं। उस कोयले और लकड़ी की बिक्री आज उसके द्वारा ही हो रही है। आज बाजार में 9) रु. मन लकड़ी उपलब्ध है कोयले का मुझे पता नहीं, क्योंकि कोयला मैं इस्तेमाल नहीं करता लेकिन उसके भी भाव आसमान तक पहुंच चुके हैं। आपने राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया, यह कदम सराहनीय है लेकिन आप अपनी ऐजेन्सी द्वारा निर्धारित रेट पर लकड़ी और कोयला बिकवावें तभी जनता तक राहत पहुंच सकती है अन्यथा जनता आज इसकी बुरी तरह शिकार हो रही है।

इसलिए मेरा अर्ज करना यह है कि आप अपना ही कोई इस तरह का साधन पैदा करें, इस तरह की एजेन्सी पैदा करें तो यह आपका सराहनीय कदम है जिसको खुद ही खराब कर रखा है, जिसको आपने 50 पर्सेन्ट कर रखा है और 50 पर्सेन्ट नहीं कर रखा है।

उसके बाद जो नेशनेलाइजेशन हुआ ट्रान्सपोर्ट का उसके लिए भी मैं राज्य सरकार की सराहना करता हूं और मैं यह समझता हूं कि यह कदम बहुत तेजी से उठाया जायेगा। 25 पर्सेन्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ है लेकिन राज्य सरकार का यह वायदा है कि इस पंचवर्षीय योजना में हम पूरे रूट्स को नेशनेलाइज कर देंगे। यह बहुत ही सराहनीय कदम होगा और मैं मुबारकबाद दूंगा जिस दिन आपका यह प्रोग्राम कम्प्लीट हो जायेगा।

संक्षेप में मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नर साहब के इस एड्रेस को ऐसा मानता हूं जिसमें कुछ नहीं कहा गया है। कुछ आशायें व्यक्त की गई हैं और कुछ निराशाओं का भी जिक्र किया गया है। इसलिए मैं मजबूर हूं कि मैं इसका समर्थन करूं। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह भाषण बिलकुल ही दिशाहीन है और इससे कोई हमको फायदा नहीं मिल सकता कि जो हमको फायदा मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा !

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय चारों तरफ चमचमाते संतरियों, सिपाहियों, सारजेन्ट और पुलिस अधिकारियों के बीच····

एक माननीय सदस्य : कोई खतरा नहीं है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लाल गलीचे के ऊपर शान और शौकत से आए । सामने के रास्ते से न आकर पीछे के रास्ते से आए और पीछे के रास्ते से ही गए और हमारी सरकार सामने का रास्ता अख्तियार करना नहीं चाहती, राज्यपाल महोदय उसका प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यदि उन्होंने बैकडोर से उनको वापिस निकाला तो उसमें कोई अपवाद की बात नहीं हैं । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उनका साराअभिभाषण जिसको उन्होंने बीच में ही एक संकेत मिलने के ऊपर बिना पढ़े समाप्त कर दिया और जिस समय हमारे दल के लोग, जो कि संसदीय प्रणाली के अन्दर राज्यपाल के महत्वपूर्ण स्थान को आदर की दृष्टि से देखते हैं, इस कारण से उस अभावग्रस्त प्रदेश के अन्दर यह थोथा व ढ़कोसला पूर्ण भाषण को नहीं सुनने के लिए बहिष्कार कर केवल सन्तोष कर लिया । वहां दूसरे दल, समाजवादी दल व कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके भाषण के समय ही अभाव, मंहगाई और $2\frac{1}{2}$ करोड़ जनता की परेशानियों की आवाज के अनुरूप उस भाषण को नहीं सुनने से सदन का बहिष्कार किया और $2\frac{1}{2}$ करोड़ वह जनता जो सदन के अन्दर विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा यहां पर वैसे तो उपस्थित है लेकिन वास्तव में जिसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, जिसको सुबह से शाम तक दो जून रोटी देने के प्रश्न पर सही स्थिति के बारे में विश्लेषण करने वाले बहुत बिरले ही व्यक्ति यहां पर हैं । जिस $2\frac{1}{2}$ करोड जनता ने अत्यन्त आह भरते हुए दुख और दर्द के साथ अभिभाषण के अंशों को पढ़ा तो उसको लगा कि वास्तविकता से परे राजस्थान की $2\frac{1}{2}$ करोड़ जनता की परेशानियों का एक शब्द भी उसमें नहीं है । अभाव के बारे में, मंहगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जनता की परेशानियों के बारे में सारा का सारा ब्लेक आउट और वास्तविकता से दूर आज के समय, उस समय जब गुजरात धधक धधक कर जल रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, दावानल सुलग रहा है, जब सारे देश में युवक उठ कर खड़ा हुआ है उस समय में अभिभाषण केवल एक एम्पटीफार्मेलिटी ही नहीं बल्कि $2\frac{1}{2}$ करोड़ जनता के ऊपर पेट पर पट्टी डालकर ढोंग और ढ़कोसले के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय जनता राशन चाहती है और जगह जगह पर युवा वर्ग खडे होकर नारा लगा रहा है कि हमें राशन चाहिए भाषण नहीं चाहिए । जनता ने जनतंत्रीय परम्पराओं और संवैधानिक तरीके के जनता के अभावों को मिटाने की जो हमारे में शक्ति है, उसके बारे में उनके दिलों में शंका पैदा हुई है । जब हिन्दुस्तान की जनता स्थान स्थान पर इस बारे में सन्देह पैदा कर रही है यह विधान सभायें, यह संसद, क्या जनता की सही भावनाओं को प्रतिविम्बित करती है ? नहीं । वहां पर जाकर इस प्रकार के औपचारिक भाषणों को सुनकर या वाद-विवाद के अन्दर बोल कर और वातानुकूलित कमरों में बैठकर क्या हम अपने आपको जस्टिफाइड कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पास के प्रदेश में गुजरात, जो कि राजस्थान की सीमाओं से लगा हुआ है गुजरात के अन्दर आज पिछले लगभग दो माह से अधिक रोज वहां

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की जनता के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं और वहां पर लगभग 70 से अधिक युवक, वहां के नौजवान, वहां के मजदूर, वहां के काम करने वाले कारीगर और व्यक्ति अभाव के साथ जुझते हुए शहीद हो गए हैं जिनको मैं श्रद्धांजली अर्पित करता हूं और जिनके बारे में एक शब्द राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं था। वहां के लोग भी आज अभाव के साथ संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि संसदीय परम्परा वहां भी थी, वहां भी चुनकर आए हुए लोग थे, वह भी जनता से चुनकर आए थे लेकिन वहां की जनता ने कहा यदि महंगाई, राशन के अभाव की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकते तो यह सारा का सारा संसद का भवन और विधान सभा का भवन, जिसमें बैठकर मन्त्रिमन्डल कार्य करता हैं, और विधान सभा में जाने वाले सदस्य, जो वहां जाकर भाषण के बल पर हमारी समस्या का हल करना चाहते हैं उससे हमें राहत नहीं मिल सकती। राशन चाहिए भाषण नहीं इसका नारा बुलन्द करते हुए, इसका अलख जगाते हुए, इसकी घोषणा करते हुए अहमदाबाद, भावनगर, बड़ोदा, सूरत और गुजरात के दूसरे शहरों के लोग सैकड़ों की तादात में सामने आये और हमारी केन्द्रीय सरकार और वहां की प्रान्तीय सरकार ने संगीनों के बल पर, गोलियों के बल पर उनके अभाव की पेट की क्षुद्धा को शान्त करने के लिए उनका खून बहा दिया और सैकड़ों व्यक्ति शहीद हो गए लेकिन उन्होंने अन्ततोगत्वा इस बात को सिद्ध कर दिया कि हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा कि क्या हम यहां पर बैठ करके हमारी महंगाई और अभाव की स्थिति के अन्दर, उनकी समस्याओं को हल नहीं करके केवल बहुमत के बल के ऊपर, केवल सत्ता के बल के ऊपर, केवल पुलिस के बल के ऊपर, सैनिकों के बल के ऊपर, राज्य सरकार की नौकरशाही के बल-बूते पर जनता की ढ़ाई करोड़ जनता की छाती पर इस प्रकार से हम शोषण करते रहें तो यह हम कब तक करते रहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, यदि मैं कहूँ कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता पर फ्रॉड है, यह बहुत बड़ा ढ़कोसला है, जनता की जनता के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी है तो अनुचित नहीं होगा। यह उनके साथ में विश्वासघात है। उनकी आकांक्षाओं के साथ धोखा है। वे चिल्ला 2 कर सड़कों पर कह रहे हैं और उसके सम्बन्ध में एक शब्द नहीं कहा जाय, यह कहां तक उचित है? केवल यह कह देना कि हमने एक हजार स्कूल खोल दिए और ढ़ाई हजार मास्टर लगा दिए इससे काम नहीं चलेगा। आज समस्या इस प्रकार की है, कल आपके सामने बहस हुई और बहस के दौरान लगभग सभी पक्ष के लोगों ने लम्बे चौड़े भाषण दिये लेकिन जैसी कि अपेक्षा थी, नतीजा क्या निकला ? केवल खाद्य मंत्री यह कह कर निकल गए कि मैं तो पोस्ट ऑफिस हूं, मैं तो एजेंट हूं, जितनी डाक आती है केन्द्र सरकार की ओर से उस डाक को राजस्थान की ढ़ाई करोड़ जनता में बांट देता हूं। यदि यही करना है तो हमें शिवचरण माथुर, खाद्य मंत्री की आवश्यकता नहीं है। हमें खाद्य मंत्री की आवश्यकता नहीं है। यह काम तो एक कम्प्यूटर भी कर सकता है। हमारा खाद्य मंत्री एक पोस्ट ऑफिस का काम करे, एक कम्प्यूटर

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का काम करे तो इससे काम नहीं चलने वाला है। हमारा खाद्य मंत्री एक एजेंट का काम करे, एक ट्रांसमिशन का काम करे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे ढ़ाई करोड़ जनता की आकांक्षाओं और अरमानों को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। हम दस किलो धान, बारह किलो धान की मांग जब कभी करते हैं तो एक मंत्री महोदय ने खड़े होकर कह दिया कि ये जनसंघ के लोग तो दस बारह किलो राशन की ही मांग करते रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मांग हम नहीं करते यह राशन की मांग जब हम हमारी कांस्टीट्यूएन्सी में जाते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमें घेर कर खड़ी हो जाती है। वह हमसे पूछती है कि आपने हमारे लिए क्या किया ? विधान सभा में जाने से, एयर कण्डीशण्ड कमरों में बैठने से, भत्ता लेने से, तनख्वाहें लेने से, बस और रेल की सुविधाएं लेने से जनता की आंकाक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, वह तो जानना चाहती है कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आज गुजरात के अन्दर मृत्यु दण्ड बज रहा है। कल भी निवेदन किया कि आज वहां पर मृत्यु दण्ड बज रहा है। उन्होंने इसको मृत्यु दण्ड की संज्ञा दी है। मकानों पर रात्रि को थालियां लेकर, घंटियां ले करके सारे गुजरात में बजायी जाती हैं और वहां की सारी जनता इसलिए बजाती है कि वह कहती है कि इस प्रकार से कम से कम बताये सरकार को कि उनकी समस्या का समाधान करो। चाहे कोई भी सरकार हो, उनकी धान की समस्या, उनकी तेल की समस्या, उनकी सीमेंट की समस्या, उनकी कोयले की समस्या, बनस्पति घी की समस्या और सबसे बड़ी दो जून रोटी की समस्या का हल हो। दो जून रोटी की समस्या में न कांग्रेस सामने आती है, न समाजवादी दल और साम्यवादी दल सामने आते हैं, न इसमें जनसंघ सामने आता है और न स्वतंत्र पार्टी सामने आती है। यह पेट की आग है, यह पेट की चिन्गारी है, यह पेट की पुकार है जो विविध रूप से सामने आ रही है। एक मोटी बात यह है कि दो जून रोटी जनता को मिलनी चाहिए। आप कोई तरीका अपनाएं, राष्ट्रीयकरण करिए, राष्ट्रीयकरण मत करिए, पूरे रूप में करिए, अधूरे रूप में करिए लेकिन आपको गुड्स डिलिवर करने पड़ेंगे। आप कैसे भी करिए कहीं से भी लाइये लेकिन आपको जनता को धान मुहय्या करना पड़ेगा। जनता को कोयला मुहय्या करना पड़ेगा, जनता को तेल मुहय्या करना पड़ेगा। आप कहें कि जनता को इतना धान नहीं दे सकते और फिर जनता उठ करके खड़ी हो जाय और यह कहे कि यह तो भारतीय जनसंघ ने करवा दिया, अमुक पार्टी ने करवा दिया तो उपाध्यक्ष महोदय, इसने समस्या हल नहीं हो सकेगी। इस कारण से मैं कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री महोदय ने परसों यहां कहा था कि गुजरात का यदि आपने उदाहरण दिया है तो हम देख लेंगे। गुजरात का जवाब दिया जाएगा। हम यही नहीं कहते कि हम यहां पर गुजरात की स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं। स्थिति का आप निर्माण करते हैं, शासन आप करते हैं, राशन व्यवस्था आप करते हैं, वितरण प्रणाली आप बनाते हैं तो होर्डिंग कण्ट्रोल आॅर्डर के तहत जिनके पास धान हैं उनसे धान ले लेते। यह स्थिति क्यों है ? विरोधी पक्ष सरकार

Page No 68

(68)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

में नहीं बैठा हैं। आपकी सत्ता है, सत्ता में आप बैठे हैं, 144 लोग आपके साथ हैं और चार लोग आपको साथ और देंगे, येन केन प्रकारेण आपको साथ देंगे, बाहर साथ देंगे, अन्दर साथ देंगे। जब कभी साथ नहीं होते तो भी आपको सपोर्ट करेंगे, फिर भी आपका स्पष्ट बहुमत है और बहुत बड़ा बहुमत है। इसके बाद भी यदि आप धान मुहय्या नहीं करवा सकते, दो जून रोटी मुहय्या नहीं करा सकते तो यह कसूर किसका है? उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हमारा कसूर है? यदि आप यह नहीं करवा सकें और जनता उठ कर खड़ी हो जाय, उदयपुर में क्या हुआ, जनता ने वहां पर आन्दोलन किया। भीलवाड़ा में क्या हुआ, अन्य स्थानों पर क्या हुआ। सब जगह लोग यही बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि हमें धान मुहय्या कराओ। मंत्री महोदय से मिलते हैं तो वे कहते हैं कि हमारी लाचारी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते आप दूसरा रास्ता अपनाइये। आप यह कह कर कि हमारे पास नहीं है यह कह कर नहीं बच सकते। केन्द्रीय सरकार आपकी आवश्यकता की चीजों को चुनाव जीतने के लिए दूसरे स्थानों पर भेज दे। राजस्थान की बिजली यू. पी. में चुनाव जीतने के लिए भेज दें, राजस्थान की अन्य चीजें चुनाव जीतने के लीये दूसरी जगहों पर भेज दे और वहां भेज कर चुनाव जीत जाय। बड़े 2 मुनाफाखोर, बड़े 2 कालाबाजारी करने वाले, बड़े 2 धन्ना सेठ, बड़े 2 पूंजीपति और उद्योगपति, वे फिर कौन व्यक्ति हैं इससे हमें किसी प्रकार का विशेष ताल्लुक नहीं हैं। वह साहू जैन भी हो सकता है और अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। उनको कीमतें बढ़ाने की छूट दी जाय, क्यों दी जाय छूट इसलिए कि आप चाहते हैं कि चांदी के खनखनाते हुए सिक्कों की थैलियां उनसे आपको मिले जिससे आप उत्तर प्रदेश में जाकर जनता के ईमान को खरीद सकें। भरतपुर के मोहल्लों और आसींद के गांवों में जाकर आप इन चांदी की खनखनाती थैलियों से जनता के ईमान को खरीदने का प्रयास करें....

श्री खेतसिंह : ये सब तो आपको देते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही न हो तो इसका दोष किसका है ? किसने आपको रोक रखा है। हम तो चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो। चने के मामले में हमारे भानुकुमारजी शास्त्री ने आपको लिस्ट दी ये भ्रष्ट व्यापारी हैं जिन्होंने चना बाहर भेज दिया, ब्लेक किया है लेकिन आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? उत्तर दिया जाता है कि पर्टीक्यूलर्स पूरे नहीं हैं, आंकड़े पूरे नहीं हैं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य माफ करेंगे ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपको भी समय मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जम्बूकुमार जो ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन का प्रेसीडेंट है और आपके दल से सम्बन्धित है, उन्होंने यह मांग की थी कि अनाज राजस्थान के बाहर भेजने की इजाजत होनी चाहिए। तो अगर राजस्थान से बाहर भेजने की इजाजत हो गई तो यह तो आपके दल की राय हो गई। गवर्नमेन्ट लेवल से अनाज बाहर भेजने की इजाजत दीगई है तो फिर मंहगाई होगी। यही मंहगाई का कारण है। सरकार ने इसी तरह का डायरेक्टिव प्राईवेट डीलर्स को दिया है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो मांग जम्बूकुमार ने की है उसका आपका दल समर्थन करता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जम्बूकुमार का कांग्रेस के धन्ना सेठों के साथ सम्बन्ध हो सकता है, भारतीय जनसंघ के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक बाहर भेजने का प्रश्न है, राज्य सरकार को चाहिए कि वह केन्द्र से इस बात की अनुमति ले और कानून बना कर रोके। यदि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का तालमेल नहीं होता और यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से इसकी अनुमति नहीं ले सकती और राज्य सरकार उनके ऊपर रोक नहीं लगा सकती तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चाहे राजस्थान की हो चाहे केन्द्रीय सरकार हो, सब कांग्रेस की सरकारें है और कम्यूनिस्टों की मदद से जीत कर आई हुई सरकारें हैं। उनको जिताकर लाने की, कम्युनिस्टों को जिताने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। यह सरकार कांग्रेस-कम्युनिस्ट सरकार है। कम्यूनिस्ट लोग एक ओर तो उनकी मदद करें, उत्तर प्रदेश में जाकर कहें कि इनको वोट दीजिए और हमको भी वोट दीजिए ताकि उनके सहारे हम भी जीत कर चले जावें। उडीसा में कहें कि हम कांग्रेस के साथ हैं लेकिन भरतपुर में जाकर कहें कि रामकिशनजी को वोट मत दो और महाराजा भरतपुर, जो कि कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनके समर्थित उम्मीदवार को वोट दो। उस समय ये सरमायेदार, सरमायेदार नहीं होते। महाराजा नहीं होते, राजा नहीं होते क्योंकि सारी की सारी नीति इस पर आधारित है Heads I win and tails you loose. चित्त भी मेरी और पट भी मेरी एण्टी मेरे बाप की। हर प्रकार से ये तो सत्ता के साथ में रहना चाहते हैं। 67 के अन्दर क्या हुआ। जब संविद सरकार बनने की तैयारी हुई तो रामानन्द जी उसके साथ हो गए, रामानन्द जी शेरवानी बना कर तैयार हो गए, उस समय महारावल, महारावल साहब हो गए। गायत्री देवी के साथ सरकार बन जाय, जिस प्रकार से सुखाड़िया जी प्रयास कर रहे हैं, एक दो विधायक उनके साथ जाकर शामिल न हो जाय और संविद सरकार बन जाय तो मैं सत्ता में बैठ जाऊं। उस समय ये प्रतिक्रियावादी नहीं रहे लेकिन आज ये महारावल हो गए, गायत्री राजा महाराजा हो गई, ये सरमायेदार हो गए और री-एक्शनरी हो गए और आज भरतपुर का महाराजा क्या हो गया ? राम किशन जी को पड़ौस में लेकर बैठ जायेंगे और बन्द के अन्दर भी साथ ले लेंगे, बन्द के अन्दर उनको शामिल कर लेंगे लेकिन भरतपूर के बाजार में जाकर यही कहेंगे कि महाराजा भरतपुर जिसका समर्थन करता है, जिसको महाराजा भरतपुर चाहता है, ऐसे कांग्रेसी उम्मीददार को वोट दो। आज जो इस प्रकार के तर्क हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक स्थान पर नहीं हैं। आज सारे भारत में हैं। बन्द के बारे में हमने कहा था, जैसा कि कहा गया है कि बन्द का हमने विरोध किया है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बन्द का हमने विरोध नहीं किया है। भावों के बारे में जो स्थिति चल रही है और जनता को जो अभाव है, उनके बारे में हमने विरोध नहीं किया है। राष्ट्रीयकरण की नीति सफल नहीं हुई है। जो बड़े बड़े कुलक हैं, उन्होंने अनाज नहीं दिया है। इन कुलको ने इस नीति के साथ में कोई सहयोग नहीं किया है। रामनिवास मिर्धा जैसे लोग कुलक है। जो इधर तो सरकार के साथ हैं।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
परसराम मदेरणा, रामचन्द्र चौधरी ये लोग कुलक हैं।

श्री परसराम मदेरणा : क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि यह कुलक शब्द की परिभाषा क्या है। यह कोई विशेष जाति है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे खयाल में माननीय मन्त्री जी आप अवश्य बता सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समझता था कि मदेरणा जी जानते हैं। जो धनी फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो खेती करने के साथ साथ पैसा भी बचा कर रखते हैं। यह कुलक हो जाते हैं। जैसे शिवचरण जी मन्त्री बने। इसके साथ ही वह कुलक लॉबी के हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे चौधरी चरणसिंह कुलक लाबी के प्रमुख व्यक्ति हैं। यह प्रति-क्रिया-वादी शब्द सुनते सुनते कान पक गये हैं। चीन इनको प्रतिक्रियावादी कहता है। रूस में स्टेलिन को कब्र में से खोद कर निकाल कर रखा गया है। उनको कब्र में खोद कर निकाल लिया गया है। ताज्जुब तो इस बात का होता है, यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोल गये हैं कि यह पार्टीशन चाहते हैं। हम पार्टीशन नहीं चाहते हैं। जिन्होंने 1947 में मुस्लिम लीग का समर्थन करके पाकिस्तान बनवाया जिन्होंने यह कहा था—Mr. Jinnah has got a right of self determination.

जब रूस, जर्मनी और इंगलैन्ड में युद्ध हुआ तो गान्धी को ये लोग इंगलैण्ड के बाद-शाह और ताज का दलाल कहते थे। लेकिन जैसे ही रूस और जर्मनी का युद्ध हुआ और रूस भी उसमें शामिल हो गया तो वह जन-वादी युद्ध हो गया उस समय जनवादी युद्ध के बारे में "जनयुग" पत्र निकला करता था। फासिस्ट वार पीपुल्स वार हो गई। केरल में चावल का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया। वहां तो सी. पी. एम. के साथ में मिल गये। जो दुनिया की सारी चीजों का हल एक मात्र राष्ट्रीकरण को ही मानने वाले हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि केरल में क्यों नहीं चावल का राष्ट्रीयकरण किया है ? यहां पर दूसरों को प्रतिक्रियावादी कह कर चिल्लाते हैं। हम स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हैं। जो बैसिक इण्डस्ट्रीज हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हमने इसकी वकालत की है। चावल के राष्ट्रीय-करण करने का हमने विरोध किया है। राजनीति के इतिहास का विद्यार्थी जब इति-हास लिखेगा तो वह यह लिखेगा कि जनसंघ ने उस समय जो कहा था, वह ठीक कहा था। महाराष्ट्र सरकार ने इसको वापिस ले लिया है। केरल की सरकार मुस्लिम लीग के गठबन्धन से बनी है। हम वह नहीं करते हैं। आज बंगाल में चावल का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है ? क्योंकि बंगाल में इतना चावल पैदा होता नहीं है। फख-रुद्दीन साहब इस बात की गारन्टी नहीं देते हैं कि इतना चावल मिलना चाहिये। जैसे हम धान की मांग करते हैं वैसे ही वह मांग करते हैं। यहां के लोग शान्त है। वहां के लोग बसों में आग लगाने में जरा भी देर नहीं करते हैं। गुजरात में कितने लोग शहीद हो गये हैं। कितनी महिलाओं के माथे के सिन्दूर साफ हो गये। अगर बंगाल होता तो स्थिति दूसरी होती। वहां के लोग उन्हें भी मारते हैं जो इस स्थिति के लिए जिम्मे-दार हैं। वह भी मरते। इसीलिए नहीं किया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

है। फसल की बात तो यह है उपाध्यक्ष महोदय, बम्पर क्रॉप हुई है। 29 अक्टूबर, 73 को प्रधान मन्त्री ने साउथ कनाड़ा में अपने भाषण में कहा है। मैं उनकी स्पीच को बताता हूं जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। प्रधान मन्त्री का भाषण है—

The worst was over in the country's economy. Things will now improve for the better and after which shortage will be a thing of the past.

यह 29 अक्टूबर, 73 का भाषण है। साउथ कनाड़ा का भाषण है। इसका अब मार्च, 74 में आप वॉयोलेशन कर रहे हैं। कल आपके सामने लम्बी चौड़ी बहस हुई। मन्त्री महोदय ने स्वयं सरेण्डर किया है। मैं तो मन्त्री महोदय को यह कहूंगा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि दो किलो धान भी और देने की हमारी क्षमता नहीं है। ढाई करोड़ जनता राजस्थान की सुन ले। गुजरात में वापिस ले लिया है। उत्तर प्रदेश में आज गेहूं के अम्बार लगे हुये हैं। हमने कहा कि राजस्थान के व्यक्तियों को गेहूं के दर्शन नहीं होते हैं चुनाव हो रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश में गेहूं के अम्बार लगे हुये हैं। आज राजस्थान की क्या स्थिति है, दो रुपये का एक किलो गेहूं नहीं मिल रहा है। रुपके से भले ही जाकर ले आइये। जिसको यह कहते हैं कि बिचौलियों को समाप्त करना चाहते हैं। हम भी बिचौलिये नहीं चाहते हैं। लेकिन उपभोक्ता को तो मिलना चाहिये। आज सरकारी ऑफिसर डी. एस. ओ. और इन्सपेक्टर और मैं मन्त्री महोदय का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मन्त्री महोदय की नाक के नीचे जो ऐयुलेशन बने हुये हैं, उनके विपरीत आज भी धान बेचे जाते हैं और बेचारे उपभोक्ता, गरीब मजदूर, गरीब किसान, छोटे व्यापारी, विद्यार्थी रात-दिन परेशान होने के बजाय यह प्रिफर करते हैं कि उसको कहें, हमें गेहूं ला कर दे दो, एक बोरी घर पर पहुचा देना. चाहे भाव दो सौ रुपये हो, ढाई सौ रुपये हो, पौने दो सौ रुपये हो। वह यह नही देखेगा कि धान अच्छा है या नहीं। तोल कर नहीं देखेगा कि पूरा आया है या नहीं। किसी से नहीं कहेगा कि वह धान लाया है। वह चुपचाप जहर का घूंट पीकर सो जायगा। यह स्थिति है, यह किसने की है? मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यह कह दिया गया कि जनसंघ के लोगों ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है। हमने विरोध खुले आम किया है क्योंकि यह हमारी नीति है, हमने यह कहा था जब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है तब तक आपको राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। हम नारे के द्वारा जनता को गुमराह करने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम यह पसन्द नहीं करते हैं कि वोट लेने के समय कान्सप्रेसी कर लें, ब्लेकमेलिंग कर लें, प्रेमालाप कर लें, निकाह कर लें और वोट लेने के बाद, काम बनने के बाद, जीत कर आने के बाद अंगूठा बतला दें। यह हमारी प्रथा नहीं है। हम तो जिसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं उसके साथ दोस्ती निभाते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक लाइफ, कौमी जिन्दगी और राजनैतिक क्षेत्र के अन्दर वेल्यूज बननी चाहिये और उनके अनुसार हमको काम

(72)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
करना चाहिए। आप हमें दोष देते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण करने के बाद....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह मानता हूं कि आप वफादार हैं जमाखोरों के प्रति और उनके प्रति वफादार हमेशा रहेंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जमाखोरों के प्रति वफादार आप हैं। जमाखोरों से आप चन्दा लेते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनको ब्लेक मेल करते हैं। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि आप उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, आप पुलिस के लोगों को साथ लेकर क्यों नहीं जाते। आप इसलिये नहीं जाते कि कांग्रेस और आपका गठबन्धन है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जमाखोरों के चन्दे से जीत कर आये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के लिए चांदी के खनखनाते हुए सिक्के कौन देगा ? आप सोचिये, किसने चुनाव के अन्दर साधनों का दुरुपयोग करके गरीब के ईमान को खरीदने का प्रयास किया है ? आज सात करोड़ रुपया यू. पी. के चुनावों के अन्दर खर्च किया। यू. पी. के अन्दर चीनी की कीमत बढ़ाई गई, जबकि वहां पर गन्ने के खेतों में काफी उत्पादन होता है, गन्ना खेतों में सड़ रहा है, गन्ने का अम्बार लगा हुआ है लेकिन फिर भी देश में चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है। चीनी की कीमत इसलिए बढ़ती जा रही है कि यू. पी. में धन्ना सेठ, उद्योगपति बहुगुणा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को थैली भर भर कर इसलिए दें कि वह गरीब इन्सान का ईमान खरीद करके वोट लें। एक आदमी ने कहा, जब उससे बात हुई, उसने कहा कि इतना जन आक्रोश है फिर कांग्रेस की सीट क्यों नहीं घटी और दलों के व्यक्ति आने चाहिए। मुझे लगा कि कांग्रेस के पास सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी है। और वह सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी है गरीब। वह गरीब ऐसा है जो सोने का अण्डा देता है। सोने का अण्डा देने वाला गरीब इन्सान है इसलिए कांग्रेस गरीबी को मिटाती नहीं है और वह गरीबी को बढ़ाती जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि गरीबी बढ़ती रहे और सोने का अण्डा देने वाला जो गरीब इन्सान है उसका शोषण करके, उसको लुभावने नारे देकर, चांदी के खनखनाते सिक्कों के द्वारा उसका ईमान खरीद करके उससे वोट लेते रहें। इसलिए गरीबी को मिटाने का प्रयास नहीं करती है। कांग्रेस उस प्रकार से नहीं सोचती जैसे एक आदमी ने कहा था, उसके पास में एक सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी थी, वह समझदार आदमी था, उसने सोचा इसको मार कर सारे सोने के अण्डे निकाल लो। लेकिन कांग्रेस तो चाहती है कि गरीबी बढ़ती जाय ताकि कांग्रेस के मतदाता बढ़ते जायं, उनका शोषण कर सकें और उनका ईमान खरीद सकें। आज इस देश के अन्दर 61 per cent. are below poverty line यह मेरा कहना नहीं है, यह रिजर्व बैंक का कहना है। राजस्थान के प्लान का जो प्रारूप दिया गया है, उसमें यह कहा गया है, केन्द्र के प्लान के अन्दर यह आंकड़े हैं, उसमें यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर और खास तौर पर राजस्थान के अन्दर 61 पर्सेन्ट लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जो गरीबी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
की लाइन के नीचे हैं। यह 61 पर्सेन्ट लोगों को गरीबी की लाइन के नीचे रखने में रहस्य क्या है ? क्यों रखा गया है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है, किसको कटघरे में खड़ा किया जाय, किससे जवाब पूछा जाय ? खुद कांग्रेस सरकार इसके लिए दोषी है। फिर कहा जाता है वहां जाकर आसीन्द में, मुझे अचम्भा हुआ था, जब मैं आसीन्द गया था तो वहां मालूम हुआ, वहां वित्त मंत्री जी गये थे, खेमा लगाया डाक बंगले में, कई जीपों के साथ वहां गये, पुलिस के ऑफिसरों के साथ, तहसीलदार साथ गये और वहां मजमा हुआ। वहां कहते हैं, देखिये, खजाने की चाबी मेरे पास में है। अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो आपके यहां से जो आदमी जीत कर आयेगा, क्योंकि मेरे हाथ में खजाने की चाबी है····

श्री मानकचन्द सोगानी : आसीन्द मैं भी गया था। आप गलत बोल रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांग्रेस के वित्त मन्त्री ने कहा कि खजाने की चाबी मेरे पास है, और वे ही नहीं, अनेक मन्त्री वहां गये, यह कहा कि शासन कांग्रेस का है, वोट कांग्रेस को देना, तभी यहां का विकास होगा। यह ब्लेक मेल नहीं तो क्या है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : वहां आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जमानत जब्त नहीं हुई। कई कांग्रेसियों की जमानत जब्त हुई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आसीन्द की बात कह रहा हूं। यह गलत बात इस सदन में कही जा रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वहां जमानत जब्त नहीं हुई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कसर रह गई, मन में तसल्ली नहीं आई तो और कोशिश कर लो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सवाल चलाया जायेगा।

श्री दीपंकर : आपने कोशिश कम नहीं की।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारे एक साधारण आदमी ने दस हजार वोट लिये, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं, आसीन्द की जनता को बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस की गुण्डागर्दी के बावजूद, कांग्रेस के द्वारा डराये, धमकाये जाने के बावजूद, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद, मंत्रीगणों के खेमे लगा कर डाक बंगलों में बैठने के बावजूद, सरकारी जीपों की नेम प्लेट चेंज करके दुरुपयोग करने के बावजूद दस हजार वोट एक साधारण आदमी ने लिये, यह क्रेडिटेबल है, अभिनन्दन का पात्र है·······

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसे ही हारते जाइये और अभिनन्दन करते जाइये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप अपना मुंह आइने में, दर्पण में देखिये। आपने आसीन्द में क्या किया ? एक आदमी जीता हुआ था, उसका नाम वापिस कराया। जनतन्त्र की कसौटी चुनाव है, लेकिन आसीन्द के जीते हुए किशनसिंह का नाम वापिस कराया

Page No 74

(74)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
गया, उसके हृदय को कुंठित किया गया। और एक जीते हुए आदमी ने अपना नाम वापिस लिया। यह जनतंत्र के लिए वाजिब नहीं है। क्या गिरधारीलाल व्यास कांग्रेस के अध्यक्ष पद से संतुष्ट नहीं थे......

श्री श्रीराम गोटेवाला : भरतपुर के महाराजा एक जनसंघ के केन्डीडेट थे, उन्होंने जनसंघ का सही पर्दाफाश कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, आप शांति से सुनिये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जो लोग जागीरदारों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं, वह लोग जागीरदारों को साथ में लेकर, भरतपुर के महाराजा को साथ में लेकर, वहां के सरमायेदारों को साथ में लेकर गये। सरदारशहर के सरमायेदारों को लेकर गए और यह कहा गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक संत के जीवन की रक्षा की है, मुनि की रक्षा की है इसलिए इनको वोट दीजिये। और क्या क्या कहा गया, उस सबका विवरण मैं नहीं देना चाहता। लेकिन यह स्पष्ट है कि जनतंत्र में आस्था नहीं है क्योंकि जो आदमी चुन कर आए थे, भरतपुर के महाराजा और आसीन्द के किशनसिंह उनको नाम वापिस लेने के लिए बाध्य किया गया। किसने बाध्य किया, क्यों बाध्य किया गया ? इस पर कोई राजनीति का विद्यार्थी विचार करेगा तो निश्चित रूप से यह नतीजा निकलेगा कि उनकी आत्मा को कुंठित किया गया। वहां की जनता को यह कहा गया कि यहां का विकास तभी होगा जब कांग्रेस को वोट दोगे......

श्री दीपंकर : समझदारों की वहां कमी नहीं है। सब आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं।

(शोरगुल)

श्री मनोहरलाल : साहू जैन और बिड़ला की, आपकी तरह हम पैरवी नहीं करते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इससे तो अच्छा है कि चुनाव प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए, यह कह देना चाहिए कि हम राज्य में आ गए, तो भूतो न भविष्यति, सूरज उगेगा, हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी प्रकार इन्सान रहेगा तब तक हमारा राज्य रहेगा। ठीक है आपका तर्क। अब जनता सोचेगी कि उसे क्या करना है ?

श्री दीपंकर : जनता ने तो तय कर लिया है। आप जनता की चिन्ता मत करिये। जनता जनसंघ जैसे प्रतिक्रियावादी दल के लोगों को चुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता आपके अनुकुल नहीं है। फासिस्ट वह आपको मानती है। जनता को अनुकुल करने के आपके कार्यक्रम नहीं हैं, इसलिए आपको वोट नहीं देगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सीमेंट फैक्ट्री से पचास हजार और लाख रुपया लेकर चुनाव लड़ा।

श्री दीपंकर : आपके दलाल हैं, आपको पैसा उनसे मिलता है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : चीनी के मिल मालिकों से पैसा लेकर शोषण कर रहे हो।

(शोरगुल : व्यवधान)

Page No 75

(75)

श्री दीपंकर : हवा किस तरफ लग रही है, आप क्या चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! क्या इस तरह से सदन की गरिमा बढ़ती है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : डॉक्टर सीताराम उपाध्याय, यहां एस. एम. एस. अस्पताल में है 1964 से, वह दौलतगढ़ गया, उसने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। इस तरह एक सरकारी अधिकारी को यहां से जनता को गुमराह करने के लिए भेजा गया। दूसरा नाम मैं बताता हूं कंवरलाल, टीचर था और तहसील आसींद के अन्दर सरकारी कर्मचारी होते हुए भी उसको नाछोरा में भेजा और जनता को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री व्यास के लिए प्रचार करवाया, कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमने वचन दिया है कि हम इनको जितायेंगे, इसलिए मिर्धा के खिलाफ हमारा समर्थन करें, यदि हम हार गए तो भंडाफोड़ हो जायगा। बस नं. आर. जे. ई. 1518, दिनांक 17-1-74 को नाछोरा गई……

श्री खेतसिंह : नाछोरा तो मैं भी गया था……

श्री दीपंकर : इनको तो कुछ कहना है, इसलिए कह रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सीताराम उपाध्याय डॉक्टर जिसको दौलतगढ़ से लेना देना नहीं, उसका वहां मकान नहीं, सरकारी कर्मचारी होते हुए भी उसको वहां भेज रहे हैं, यह एब्यूज ऑफ पावर है ……

(शोरगुल : अश्रव्य)

सुखाड़ियाजी. चले गए लेकिन आपकी आदत सुधरी नहीं।

श्री दीपंकर : आप पूंजीपतियों के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : लाडनूं के सेठों से पैसा लेकर गरीबों का ईमान खरीदा गया। हम जानते हैं कि किन सेठों से पैसा लेते हैं ……

(व्यवधान - अश्रव्य)

……हमको सब मालूम है।

श्री दीपंकर : हमको भी सब मालूम है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज सरमाएदार, धन्ना सेठों से, पूंजीपतियों से पैसा लेकर जो हिन्दुस्तान में मंहगाई फैला रहे हैं तो हमें दुःख होता है। बस नं. आर. जे. ई. ····

(व्यवधान)

श्री मनोहरलाल : इस प्रकार यदि आप (श्री दीपंकर) व्यवधान डालेंगे तो आप भी नहीं बोल सकेंगे।

श्री दीपंकर : आप गलत बात बोलेंगे तो हम चैलेंज करेंगे ··· ··

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : हमें कुर्सियां तोड़नी पड़ेंगी। जब तक मैं सदन में हूं, आपको नहीं बोलने दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यदि आपने हमारे नेता को इस तरह से बोलने नहीं

Page No 76

(76)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
दिया तो देखेंगे आपके नेता कैसे सदन में बोलते हैं.......

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मनोहरलाल : आप साहू जैन के दलाल हो, आपने यह चोगा पहन रखा है, गलत कानून बनाते हैं ......

श्री दीपंकर : जो जनता के हित में हैं.... ...

श्री मनोहरलाल : आपका भंडाफोड़ हो चुका है।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मनोहरलाल : आप मजदूरों के दुश्मन हो, कितना बोलेंगे आप ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : यदि इस प्रकार डिस्टरबेन्स किया.......

श्री मनोहरलाल : आप दलाल हैं।

श्री दीपंकर : आप अपनी तस्वीर देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य! ऑर्डर प्लीज ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : (श्री दीपंकर से) आपको नहीं बोलने दिया जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री गुमानमल लोढ़ा : 17-1-74 को आसींद के अन्दर मुख्य मंत्री पधारे और मुख्य मंत्री जब वहां पर आए तो आर.जे.ई. बस नं. 1518 भीलवाड़ा से ब्यावर सरकारी बस आई और चारों तरफ जितनी सरकारी बसें थीं-जो पैसेंजर्स के लिए थीं, उन सब को छोड़ कर गांव गांव से आसींद की सभा में लोगों को लाने के लिए सरकारी तंत्र का भयंकर दुरुपयोग किया गया । 200 जीपें 3 दिनों के अन्दर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव जिताने में लगी हुई थीं, उनकी इज्जत का सवाल था । ऐसा न हो कि यह सीट चली जाए । गरीबों के साथ में बेईमानी करके, उनके ईमान खरीदने का प्रयास किया गया । सारे सरकारी अधिकारी वहां पर पहुंचे । सरकारी सत्ता का दुरुपयोग किया गया ।

इसके बाद भरतपुर में क्या नहीं हुआ ? मुख्य मंत्री खेमा डालकर एक महीने तक वहां रहे । सारे अधिकारियों को खुले आम छोड़ दिया आसींद और भरतपुर की सीटों पर विजय पाने के लिए । जिस प्रकार सब्जी वाले कहते हैं, आलू ले लो, मटर ले लो, टमाटर ले लो, वैसे जनता से कह दिया बिजली ले लो, सड़क ले लो, तेल ले लो, लकड़ी ले लो, कोयला ले लो, गेहूं ले लो, । इस प्रकार गरीब जनता का शोषण करके भुलावे में डालकर आपने वोट खरीदने का प्रयास करके, जनतंत्र की हत्या की ।

श्री विजयसिंह : यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह इन्टरप्रेट करने का काम आपका नहीं है, आसन का है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि इस तरह की परम्परा यदि कायम की तो सदन की कार्यवाही चलाना मुश्किल होगा यह सदन की गरिमा का सवाल है, जो परम्परा है उसको कायम रखना चाहिए और जो भी कार्यवाही नियमपूर्वक चल रही है उसमें कोई माननीय सदस्य व्यवधान न डालें।

श्री खेतसिंह : कार्य सलाहकार समिति में फैसला हुआ था कि हर दल को कितना कितना समय दिया जाएगा। ऐसा न हो कि ये दो घंटे बोल जायं और हमारे दल को बोलने का पर्याप्त अवसर न मिले।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप जितना इन्ट्रप्ट करेंगे मैं उतना अधिक समय लूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप चीफ ह्विप हैं और लोढ़ा जी बोल रहे हैं तो आप उनका समय खराब कर रहे हैं। आप हमें उपदेश देते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह धौंस सदन में मत दें, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सही है क्योंकि ट्रेजरी बैन्चेज की तरफ से उसका कोई प्रतिवाद नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह तथ्यों के साथ कह रहा हूं। तारीख बता रहा हूं, स्थान बता रहा हूं, व्यक्ति बता रहा हूं, गवर्नमेन्ट के आफिसर का नाम बता रहा हूं, डॉक्टर का नाम बता रहा हूं। चूंकि यह कन्ट्राडिक्शन तो कर नहीं सकते अतः यह उस सच को नहीं सुन सकते हैं और तिल-मिला कर बहुमत के आधार पर यह सभी कर रहे हैं। यह जो मुझे बीच बीच में इन्ट्रप्ट कर रहे हैं उसका कारण यह है कि इन्हें सच्चाई मत कहो।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं तो साफ बताना चाहता हूं कि किस तरह से यह सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को चुनावों के दिनों में जो चीज चाहे वह देकर जीत कर आते हैं। भरतपुर के चुनावों में इन्होंने चुनावों के दिनों में पांच किलो अनाज दिया लेकिन चुनाव खतम होने के बाद आज उन्हें एक किलो अनाज दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार से चुनाव आसीन्द का जीता है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : एक बात मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस तरह से बीच में इन्ट्रप्शन करेंगे तो मैं समझता हूं कि न तो आप लोग ही कुछ सुन सकेंगे और न ही मुझे कुछ सुनाई पड़ेगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी आरोप मैंने लगाये हैं उनका इनके पास कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं है। आज यह कौनसे तन्त्र में विश्वास करते हैं जो कि गरीब जनता को भ्रष्टाचार के कारण धोखा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
देकर, सत्ता का दुरुपयोग करके, चान्दी के सिक्के देकर वोट लेकर आ जाते हैं और उससे बहुमत बनाये हुए हैं.......

श्री दीपंकर : माननीय सदस्य को पता नहीं है कि अब चान्दी के सिक्के ही नहीं हैं। यह तो बोलने के पहले सोच लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का रिकार्ड अभी तक पड़ा हुआ है उसमें सुखाड़िया साहब ने खुद ने बताया था कि इतने रुपये साहू जैन से, इतने लाख रुपये जे. के. सिन्थेटिक्स से और इतने डी. सी. एम. वालों से लिये हैं। आज जितने भी हिन्दुस्तान के बडे बड़े हाउसेज है उनसे यह कांग्रेस सरकार चन्दा लेती है और बाद में उन्हें लाइसेंस देती है जिससे वह लोग मोनोपोलिस्ट होकर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद कितने लाइसेन्स आपने डी. सी. एम. वालों को, कितने बिड़लाजी को दिये यह सभी आप लोगों का संरक्षण है जिससे कि वह आज करोड़पति से अरब पति बन रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर के चुनावों में राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री व उनके सभी मिनिस्टर्स वहां पर खेमा गाड़े पड़े थे। वहां पर उन्होंने सत्ता का भयंकर दुरुपयोग किया है मुख्य मन्त्री जी और उनके साथी कांग्रेसी प्रत्याशी को जिताने गये थे लेकिन वहां जनता ने कांग्रेस को ठुकराया और इनको वहां पर मुंह की खानी पड़ी। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जब यू. पी. का इलेक्शन हुआ था तो मैंने देखा कि सरकारी गाड़ियों कि कतारें राजस्थान हाउस के सामने खड़ी थीं। कई जीपें खड़ी थीं और राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी मय अपने काफिले के वहां पर डटे हुए थे। वहां पर यू. पी. के इलेक्शन में खुल कर सत्ता का, पैसे का दुरुपयोग किया गया। आज कांग्रेस सरकार कह रही है कि हमारा बहुमत है। अगर आप हिसाब लगा कर देखें तो पता लगेगा कि इनको 30-32 पर्सेन्ट वोट मिले हैं। 30-32 पर्सेन्ट वोट लेकर जीतने वाले यह कह रहे हैं कि हमारा बहुमत है। इनको धिक्कार है। सभी सरकारों के भ्रष्ट हथकन्डे अपनाने के बाद इन्होंने यू. पी. में यह सीटें प्राप्त की हैं।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि कल बिश्नोई जी ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद हमारी पॉपूलेशन 22 करोड़ बढ़ गई है इसलिए हमारे यहां पर गरीबी बढ़ गई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर अगर 22 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ी है वहां पर उन 22 करोड़ लोगों के 44 करोड़ हाथ भी तो बढ़ गये, आपके 22 करोड़ लोगों के पैर भी तो बढ़े। क्या उनके हाथ पैर नहीं हैं? लेकिन मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, इजराइल जैसा देश, जो कि बहुत ही छोटा मुल्क है, जो कि हमारे से बाद में आजाद हुआ जिसके चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हैं जो कि जंग खोर हैं उसने आज बावजूद युद्ध होने के उस रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल दिया। जहां पर पीने को पानी नहीं था वहां उन्होंने समुद्र के पानी को पीने के काबिल बना कर पानी की समस्या का हल कर दिया। लेकिन आज हमारे यहां राजस्थान सरकार इन 25 वर्षों में आजाद होने के बाद भी राजस्थान के गांवों की जनता को पानी पीने को नहीं दे सकी। आज भी राजस्थान में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर लोगों को 10-10 किलोमीटर दूर से पीने को पानी लाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, करीब 32 हजार गांवों में से अभी दो हजार गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को पीने के पानी के लिये दस किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। आखिर यह जिम्मेदारी किसकी है, क्या कर रही है राज्य सरकार ? अभी राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उन्होंने कहा कि हमने इतने स्कूल पिछले साल खोल दिये मैं पूछना चाहूंगा कि इस साल कितने स्कूल खोले, कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया । इधर आपके केन्द्रीय सरकार ने क्रेश प्रोग्राम को खतम कर दिया है तो फिर आपके पढ़े-लिखे नौजवान कहां जायेंगे ? वह अब सड़कों पर गांवों में, शहरों में घूमते बेरोजगार दिखायी देंगे, आपने उनके लिए क्या ? आपने अपने बजट में क्या प्रावधान रखा है ? इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की सरकार पर करीब 8 अरब रुपये का कर्जा है। आज हमारे राजस्थान में जो बच्चा पैदा होता है वह जन्म के साथ ही पांच सौ रुपये के कर्ज को लेकर पैदा होता है, उस कर्ज के अलावा हमारी सरकार पर 152 करोड़ रुपये का कर्जा वर्ल्ड बैंक का है, वह अलग है। इसको मैंने छोड़ दिया है । वैसे मैं आंकड़े लेकर आया था पर अब वह यहां पर नहीं दोहराऊंगा क्योंकि कांग्रेस दल की सदस्या श्रीमती सुमित्रा जी ने यहां पर बड़े अच्छे ढंग से पेश कर दिया और उन्होंने मंजूर किया है कि कांग्रेस सरकार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। उन्होंने पूरी तरह से तो नहीं क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय का चाबुक उन पर नहीं पड़ जाए या मुख्य सचेतक महोदय का व्हिप मेरे ऊपर नहीं आ जाय इसलिए उन्होंने गवर्नर महोदय के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते वक्त कांग्रेस पार्टी का, कहीं उन पर प्रकोप अनुशासन के नाम का न हो जाए बेचारी दबी शब्दों में इनडाइरेक्ट वे में धन्यवाद प्रस्ताव की खिलाफत करती रही और आखिर में इतनी घबरा गई कि वह धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन और खिलाफत में कुछ भी नहीं कह कर बैठ गई । आप उनके भाषण से अच्छी तरह से मतलब निकाल सकते हैं कि वह धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफत में था। इधर राज्यपाल महोदय ने भी अपना भाषण लीपा पोती करके सदन में रखा । उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की चर्चा, उनके आपस में झगड़ों की अखबारों में आयी, एक दूसरे पर दोषारोपण करें यह तो सभी माननीय सदस्यों को पता है कि लोकायुक्त जैसे आदर्श कुर्सी वाले व्यक्ति के खिलाफ अखबारों में आये। उपलोकायुक्त कहता है कि मैं यह कूलर लूंगा, यह केस मेरे अधिकार क्षेत्र में है, यह तुम्हारे जुरिसडिक्शन में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हुआ व्यक्ति हो और विजिलेन्स कमिश्नर रहा हुआ व्यक्ति दोनों ही आपस में बच्चों जैसी लड़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं इनमें से एक ने तो यह कह दिया, वह अपना इस्तीफा ही दे देंगे, यह समाचार पत्रों में है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला वहां भी शुरू हो गया है। कोई कौना बाकी नहीं रहा पर कि इस कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हो। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा यहां से ही नहीं

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

बल्कि राजस्थान के विशिष्ठ, सबसे बड़े व्यक्ति राज्यपाल महोदय के खिलाफ में भी अखबारों में आया कि इनके खिलाफ जब ये एम. पी. थे तो इन्होंने दिल्ली में मकान पर अतिक्रमण कर रखा है और आज तक इन्होंने उसे खाली नहीं किया। राज्यपाल महोदय का पद एक बहुत ही गौरव का पद है। उसके बारे में इस प्रकार से अखबारों में चर्चा हो, पालियामेंट में प्रश्न पूछा जाय इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आज अखबारों में उसकी चर्चा आयी। लोगों ने आरोप उन पर लगाये पर उनकी तरफ से कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं आया। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है? उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार डेमन्स आॅफ करप्शन है। अगर इस प्रकार से राज्यपाल भ्रष्ट हो, इस प्रकार से जहां के लोकायुक्त और उपलोकायुक्त पद की लिप्सा रखते हों और जहां पर लोकायुक्त जैसे आॅफिसेज में यह हाल है तो फिर इन आॅफिसेज को दफना दो और इनमें आग लगा दो क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है और यह सफेद हाथी राजस्थान की जनता पर बेकार पल रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो फेक्ट्स रख रहे हैं यह गलत हैं। उन पर लाखों रुपया बाकी नहीं हैं, सिर्फ तीस हजार रुपये बाकी हैं।

श्री मूलचन्द : तीस हजार नहीं साठ हजार रुपया बाकी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो लाखों की बात कह रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि जब आप किसी हेड आॅफ स्टेट के बारे में बोले तो एक्यूरेट बात बतानी चाहिए। सही शब्दों को बोलना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं, चलो आपके फेक्ट्स को सही मान लेता हूं। मैं यह नहीं कहता कि वह सही है या यह सही है लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इतने बड़े व्यक्ति के बारे में इस प्रकार से अगर समाचार पत्रों में चर्चा हो तो हमारे लिए यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी : पालियामेन्ट में क्वेश्चन का रिप्लाई था।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्यों यह बना? पालियामेन्ट में वे नहीं रहे, फिर बंगला रखने का क्या औचित्य था? कोई औचित्य नहीं था और किराया नहीं देने का भी कोई औचित्य नहीं है। यह स्थिति बनी हुई है।

राजनेता और सरकारी अधिकारी आज बहुत बड़े होल्डिंग्स पर कायम बैठे हुए हैं। अजमेर रोड पर आप चले जाइये। आपको मीलों तक लम्बे फार्म्स दिखाई देंगे। वे किसके हैं? क्या भूमिहीन काश्तकार जो सुबह से शाम तक सर्दी, बरसात और कड़ाके की गर्मी के अन्दर, कड़कड़ाती सर्दी और धूप के अन्दर खेत जोत कर धान पैदा करते हैं उनके हैं? नहीं। हमने यह नारा दिया था कि जो जोतेगा उसकी जमीन होगी। क्या ये फार्म्स उनके फार्म्स हैं? नहीं। राजस्थान में सत्ता का दुरुपयोग करके राजनेताओं और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अधिकारियों ने इन जमीनों पर अतिक्रमण किया है। आई. ए. एस. ऑफिसर्स ने देखा कि राजनेता जब अतिक्रमण कर रहे हैं तो अपन भी बहती गंगा में हाथ धो लो। मन्त्री महोदय इतना बड़ा फार्म्स ले लेते हैं तो हम भी ले लें। इन सबकी जांच होनी चाहिए। कल यहां सदन में सिंध से आये शरणार्थियों द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में सवाल उठा था। ये वे लोग हैं जब पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया था उस समय उन्होंने हिन्दुस्तान की मदद की थी और उस कारण पाकिस्तान ने उन लोगों पर भयंकर अत्याचार किए थे और उनसे पीड़ित होकर ये लोग विस्थापित बन कर, रिफ्यूजी बन कर यहां आकर इन्होंने उन जमीनों पर शरण ली थी, पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर यहां पर दो जून की रोटी के लिए जो आकर यहां खा सके उन लोगों को आप जमीन अलॉट नहीं कर सके। किन्तु चाहे कोई मन्त्री महोदय हो, कोई राजनेता हो, कोई अधिकारी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इन लोगों ने एग्रीकल्चरल लेण्ड पर अतिक्रमण किया, जितना अतिक्रमण किया उतना किसी ने नहीं किया। यह निश्चित बात है, निर्विवादित बात है। मन्त्री महोदय, राजनेता भूमिहीन नहीं हो सकते, अफसर भूमिहीन नहीं हो सकते। जो विधायक बन जाय उसको भूमिहीन बना दीजिए, जो आई. ए. एस. बन जाय वह भी भूमिहीन और मन्त्री बन जाय वह भी भूमिहीन और उसको जमीन अलॉट कर दीजिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। खुद भी खाइये और दूसरों को भी बांटिए। यदि इसमें आप विश्वास करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं। यदि नहीं, तो पंजाब में मनचन्दा कमेटी का निर्माण हुआ वैसा राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? यह तो जांच की जा सकती है कि जिन जिन पर इस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है उन फार्मों पर कौन काश्त करता है। जिनके फार्म हैं वे काश्त नहीं करते। वे काश्त करवाते हैं और काश्त करने वाले का शोषण करते हैं। इन राजनेताओं से आई. ए. एस. अफसरों से और मन्त्रियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जो इस प्रकार से अतिक्रमण होते हैं इन जमीनों को अतिक्रमण से बचा कर भूमिहीनों में वितरित की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, नाम लिया जाता है आज अनुसूचित जाति का, नाम लिया जाता है आज जन जाति का। लेकिन जब इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई तो आपने देखा होगा कि डिबेट के समय कोरम का ही अभाव था। सब चले गए और वह रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकी। यह जनतन्त्र के नाम पर, उनकी चिताओं पर, उनके शवों पर, उनकी लाशों पर राजनैतिक रोटी सेकने का गत 25 वर्षों से राजनैतिक षडयन्त्र चल रहा है और यही वजह है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग भूमि के अलॉटमेन्ट के बाद भी न तो उनको कब्जा मिलता है, न ही वे काश्त कर सकते हैं और न ही सिर ऊंचा करके दाना पानी ले सकते हैं। यह तरक्की की है, उपाध्यक्ष महोदय। यही कह कर टाल दिया जाता है, पिछले सत्र में भी निवेदन किया था कि इसका डेमोक्रेटिक सेट-अप बनाइए पार्लियामेन्ट्री

Page No 82

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कमेटीज बनाइए । कहा कि बनायेंगे । लेकिन नहीं बनाई गई । यही नहीं फुड एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी उसमें भी यह था कि किस प्रकार से धान का वितरण हो, खाद्य पदार्थों का वितरण हो, और किस प्रकार से व्यवस्था बैठाई जाय । शिवचरण जी माथुर नए मन्त्री बने अभी तो उन्होंने घोषणा की है कि मैं इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करूंगा और पब्लिक इन्वोल्वमैन्ट लाऊंगा । वह कहां गए ? फूड एडवाइजरी कमेटी थी उसका भी राम नाम सत करके उसका भी दाह संस्कार कर दिया । कितना धान आया और किस प्रकार से डिस्ट्रिब्यूशन होगा यह सब गायब हो गया ।

उदयपुर में स्कूटर काण्ड हुआ । छंगाणी कमीशन बना । उस वक्त माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि मैं हाउस को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दूंगा । आज तक वह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आई । एक व्यक्ति के पास लाइसेन्स होने से जो अव्यवस्था हुई वहां पर 7 व्यक्ति मारे गये और कई घायल हो गये । यह बहुत बड़ा काण्ड हुआ । इन्क्वायरी के लिये आपने जज बैठाया आज तक उस सम्बन्ध में रिपोर्ट सामने नहीं है । यही है आपका प्रजातन्त्र । इट इज ए हिपोक्रेसी नॉट डेमोक्रेसी । हमारे मुख्य मंत्री जी जमीन से कार्यकर्त्ता के रूप में खड़े हुए हैं । जैसे दूसरे तो आकाश से आये हों । हमने कहा कि हमें यह रिपोर्ट दीजिये कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं । पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराये ? मुख्य मंत्री जी का कमिटमैन्ट है । उन्होंने घोषणा की है । यदि चुनाव नहीं कराते हैं तो उनके विरुद्ध ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन दिया जायगा । पंचायतों के चुनाव को, उपाध्यक्ष महोदय, अक्टूबर तक टाल दिया गया । बहाने कई बनाये जाते हैं । पहले कहा गया कि गिरधारीलाल कमेटी की रिपोर्ट आ रही है । अच्छा काम किया उसने, इन्टरिम रिपोर्ट उसने दी । फिर फाइनल रिपोर्ट दी उसमें भी यह दर्ज है कि पंचायतों का चुनाव कराइये । यदि आप पंचायतों का चुनाव नहीं करायेंगे तो लोकतन्त्र में लोगों को विश्वास ही समाप्त हो जावेगा । आठ नौ साल हो गये । दो करोड़ जनता इस ओर टकटकी लगाये देख रही है । प्रधान और जिला प्रमुख आठ-आठ साल से बैठे हुए हैं और इस कारण जनतन्त्र में वेस्टेड इन्ट्रस्ट पैदा हो गया है और उस कारण ये संस्थायें भ्रष्टाचार का अड्डा बन गयी हैं । उनकी धांधलीबाजी है और गरीब जनता का शोषण करती हैं तकावी और बीज खाद के नाम पर । जनता इनको बदलना चाहती है । मुख्य मंत्री जी पंचायतों का चुनाव नहीं करायेंगे, क्यों नहीं करायेंगे, उनका कमिटमैन्ट है ।

नगरपालिकायें भंग हो गयीं । समझ में आ सकता है । नगरपालिकाओं को भंग करने से पहले चाहते तो चुनाव करा सकते थे लेकिन क्यों नहीं कराते ? क्या कारण है ? नगरपालिकाओं में नौकरशाही के प्रतिनिधियों को बैठा दिया गया है फिर यह स्वायत्त संस्थाओं का ढोंग क्यों ? दुनिया में यह ढोल पीटा जाता है कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र है । दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है । यह है आपका लोकतन्त्र । जब नागौर में सबसे पहले हिन्दुस्तान में लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का उद्घाटन किया था तो कहा था कि हिन्दुस्तान में यह सबसे पहला प्रयोग है । लेकिन उन सबको भुला दिया गया । इसको आपने इतने गहरे कुए में डाल दिया कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वापिस यह निकल ही नहीं सकता। उसके कफन पर कोई न कोई बहाना बना कर कील ठोकते जा रहे हैं। सब जगह एड-मिनिस्ट्रेटर्स बैठे हुए हैं और उस हालत में स्वायत्त शासन संस्थायें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा के लिये ही दफना दीजिये। वह भी नहीं करना चाहते तो ब्लैकमेल क्यों करते हो? एक व्यक्ति का गलती से गजट में नाम छप गया। उसमें यह था "ही इज अपोइन्टेड मिनिस्टर" वह मिनिस्टर कभी बनेगा नहीं। उसका एक महीने तक नाम चलता रहा और उसके बाद वह विथड्रा हो गया। कभी यहां पर बैठा नहीं। राज्यपाल की स्वीकृति ली नहीं अपोइन्ट कर लिया। एक महीने के बाद सत्ता की लूट खसोट प्रारम्भ हुई। तो उस लूट खसोट में उसने विथड्रा कर लिया। इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो जन-तन्त्र में किस तरह से विश्वास टिकेगा लोगों का? एक डोरी लटका दी जलेबी का टुकड़ा उसमें लटका दिया। जलेबी नीचे करते हैं लोग उस पर कूदते हैं, झपटते हैं, फिर ऊपर खींच लेते हैं। मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, कार्पोरेशन के चेयरमैन के पदों की लाटरी निकलती है, जिसके हाथ में वह जलेबी पकड़ में आ गई उसको मिल गया वह पद, बाकी के मुंह ताकते रह जाते हैं। उनको सांत्वना दे दी जाती है कि अगली बार जब जलेबी नीचे लटकेगी तो सम्भव है तुम्हारे हाथ आ जाय, इन्तजार करो। तो कभी उसे नीचे करते हैं, कभी ऊपर। इस तरह से बन्दरों की तरह उनको नचाते रहते हैं। वे भोले उस आशा में लटकते रहते हैं। लिस्ट आपने एक बना रखी है ए, बी, सी, करके। उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारी योग्यता देखी जावेगी योग्य पाये जाओगे तो ले लिये जाओगे, नहीं तो योग्य बनने की कोशिश करो, तो यह हालत है, मोहब्बत इधर, इशारा उधर आपके चलते रहते हैं। हम सब विधायक हैं। ऊपर के कुछ ठेकेदारों की इस नीति का यह परिणाम निकला है कि डेमोक्रेसी और विधान सभा से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

हम कहते हैं विरोधी पक्ष की बात आप नहीं मानते, मत मानिये। पर ढाई करोड़ जनता के दुःख दर्द को तो आपको मजबूरन सुनना ही पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो गुजरात की तरह जनता सुना देगी। सुनने को आपको मजबूर कर देगी। कब तक आप यह आपा-धापी, भ्रष्टाचार और बर्बादी का खेल खेलते रहेंगे?

अभी सुमित्राजी ने आंकड़े बताये। इससे सिद्ध हो गया कि शिक्षा के मामले में, डवलपमैन्ट के काम, जैसे सड़कें, बिजली, पानी आदि के मामलों में राजस्थान देश के अन्य सभी प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। मैं पूछता हूं कि क्या हमारे इस पिछड़ेपन के लिये बंगला देश जिम्मेदार है? क्या इसके लिये दुनिया की हालतें जिम्मेदार हैं जिसकी दुहाई देते आप थकते नहीं, लोगों को ये सब बहाने और कारण बताकर गुमराह करना चाहते हैं। पर आपके ही विधायक आपकी इन बातों से गुमराह होना स्वीकार नहीं करते। हम छोड़ें जापान और इजराइल की बातों को, रामाकिशनजी ने भी दुनिया भर के आंकड़े दिये थे। राजस्थान में लगातार कांग्रेस का शासन रहा है। पर फिर भी इस प्रदेश की दुर्गति ही हुई है। इसका विकास नहीं हुआ। अब बिजली पानी नहीं बढ़ा, कुए नहीं खुदे, सिंचाई के साधन नहीं।

(84)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
बढ़े गरीब कर्मचारियों का स्तर नहीं बढ़ा, मंहगाई, वेतन भत्ता आवश्यक स्तर पर नहीं दिया गया, विद्यार्थियों को आगे जाने का रास्ता सही रूप में नहीं मिल सका। उद्योग धन्धे नहीं पनपे तो इस सबका जिम्मेदार कौन है ? क्या इसके लिये भारत-पाक युद्ध, बंगला देश, अथवा देश विदेशों की स्थिति है ? आप शुतुरमुर्ग की तरह गरदन जमीन में डालकर वस्तु स्थिति को अनदेखा करने का प्रयत्न न करें। राजस्थान की स्थिति को देखिये और ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिये। भ्रष्टाचार को समाप्त करिये। नई सामन्ती और भ्रष्ट प्रवृत्तियां आपके आचरण में आज जिस तेजी से घर कर रही हैं उनसे बाज आइये।

राजस्थान में आज शिक्षा का पर्सेन्टेज 18.79 आता है जबकि देश के अन्य राज्यों में एवरेज 29.34 आता है। केरल में 60.16 सबसे अधिक और राजस्थान का 18.79 सबसे कम, सबसे नीचे नम्बर राजस्थान का। एम्पलॉयमेन्ट और फैक्टरी वर्कर्स का रेश्यो महाराष्ट्र में 178 प्रति हजार, पश्चिमी बंगाल में 823, गुजरात में 415, बिहार में जो हमसे भी गरीब गिना जाता है उसमें भी 262, मध्यप्रदेश में 206 और सबसे कम राजस्थान में केवल 83 प्रति हजार। यदि पिछड़ेपन के लिये किसी को नॉबल पुरस्कार दिया जावे तो निश्चय ही यह राजस्थान को मिलेगा। यह दुर्गति राजस्थान की आपने आज करके रखदी है। आंकड़े आपके ही हैं, आप स्वयं देख लीजिये। ये आंकड़े क्या शो करते हैं। बड़ी बड़ी कम्पनियां खोलीं भारत सरकार ने। बड़े जोरों से आपने कहा कि तेल का कारखाना यहां लगने वाला है, वह चला गया मथुरा में। खैर छोड़िये इसको। बाद में कहा गया, आज भी कहा जा रहा है कि खाद का कारखाना आ रहा है यहां, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हम सुनते सुनते थक गये, पर अभी तो उसकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही है। सरकारी उद्योगों के राजस्थान में लगने का रेश्यो भी कहां आता है, यह भी देखिये आप। राजस्थान में अभी तक केवल 12 उद्योग भारत सरकार ने लगाये हैं; जबकि उड़ीसा में 44, दिल्ली में 36, केरल में 29, मैसूर में 27, महाराष्ट्र में 26, हैदराबाद में 17, आन्ध्रप्रदेश में 16 और सबसे कम 12 राजस्थान में।

इन सब प्रगति की प्रतीक चीजों में हम पिछड़े हुए हैं। पर एक चीज में हमने सबको पछाड़ दिया है, हम उसमें सबसे आगे हैं और वह है भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, कार्य कुशलता की कमी और अप्रशासनिक तरीकों से काम करना। इनमें राजस्थान सबसे आगे चला गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

लेवी के बारे में कहा गया कि जनसंघ लेवी का विरोध करता है। जनसंघ लेवी का विरोध ठोस आधार पर ठोस कारणों से करता है। साथ ही यह भी कहता है कि प्रति व्यक्ति आप 10-12 किलो राशन दें। हमने लेवी का विरोध किया और सुमित्राजी ने भी किया। और इसलिये किया कि यह किसान को लूटना है। अगर सरकार लेवी लेना चाहती है तो किसान को उसके साधन खाद, कीटनाशक दवाइयों, क्रूड ऑइल, डीजल बीज आदि सभी चीजें जो उत्पादन में सहायक हैं उचित मूल्य पर देने का सबसे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पहले प्रबन्ध करना चाहिये। नहीं तो लेवी लें और बाजार भाव पर लें। बाजार की कीमत आप उसे दें। आप किसान का शोषण नहीं कर सकते। इसकी छूट आपको नहीं दी जा सकती। व्यापारी कपड़ा महंगा बेचेगा, सारी चीजें किसान को ब्लैक के भाव देगा, सीमेन्ट किरासिन तेल आदि सभी उसकी रोजमर्रा की चीजें महंगी ब्लैक के भाव से मिलेंगी, उसकी चिन्ता आप नहीं करते कि उसे ये सभी चीजें उचित मूल्य पर मिलें फिर लेवी आप अपने भाव पर क्यों लेना चाहते हैं। ब्लैक मार्केट करने वालों को आपने कभी रोका कि वे अपनी चीजें नियन्त्रित मूल्य पर क्यों नहीं देते। फिर किसान ही से क्यों आप लेवी अपनी नियन्त्रित रेट पर लेना चाहते हैं? आप किसानों के वोट के सहारे चल रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान में आज भी 85 प्रतिशत लोग किसान हैं गांव में रहने वाले हैं। किसान का शोषण करके अपने मनमाने भाव पर लेवी लेना चाहेंगे तो यह शोषण किसान का आपको नहीं करने दिया जावेगा। हम इसका डट कर विरोध करेंगे। किसान के उपयोग की चीजें, खाद, सीमेन्ट, बीज, कपड़ा, तेल आदि नियन्त्रित मूल्य पर मिले या नहीं मिले इसकी चिन्ता आप को नहीं, आपको चिन्ता केवल इस बात की है कि आपको लेवी आपके नियन्त्रित भाव पर किसान दे दे। यह क्यों? भारतीय जनसंघ तो कहता है कि लेवी लो, खुशी से लो, बल्कि सारा ही उत्पादन ले लो पर लो बाजार मूल्य पर उचित मूल्य पर। उसकी पूरी कीमत किसान को दो। जब आप और चीजों के भाव नहीं बान्ध सकते तो फिर किसान के उत्पादन के ही भाव बान्धने की छूट आपको नहीं दी जा सकती। यह किसान का शोषण है। हम किसानों के साथ वही व्यवहार करना उचित समझते हैं जो दूसरों के साथ। किसान सर्दी गर्मी बरसात में अपना तन और खून सुखा कर कड़ी मेहनत करके फसल पैदा करता। कवि कहता है:

जमुना के तट पर
तेरी महनत,
तेरी कीमत पर किसान ...

किसान अपना तन और लहू सुखा कर धन पैदा करता है, उसे लूटने की छूट आपको नहीं दी जा सकती, किसान का लहू उसके उत्पादन में खाद की तरह लगा है। उसका वह लहू आपको नहीं चूसने दिया जावेगा। आज किसान के बच्चे आधे पेट रहते हैं, नंगे बदन फिरते हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। अपनी फसल को देख देखकर वह मन्सूबे बान्धता है कि वह अपनी फसल को ठीक दामों पर बेचकर बाजार से पैसा लावेगा और उससे अपने और अपने परिवार के लिये कपड़ा लावेगा, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये कागज लावेगा। बिजली की बात छोड़िये उसे मिट्टी का तेल उचित दाम पर नहीं मिलता, कागज महंगा सब चीजें महंगी, सभी ब्लैक से उसे खरीदनी पड़ती हैं। फिर उसका अनाज ही आप सस्ती रेट पर मनमानी रेट पर क्यों लेने को आमादा हैं। आपके इस कुकृत्य का जनसंघ डटकर विरोध करेगा। आप उसे भी उसकी मनचाही कीमत दीजिये और फिर ले लीजिये हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। मनचाहे भाव पर लेवी लेकर आप किसानों पर क्यों अत्याचार करना चाहते हैं। ठीक कीमत पर लेवी लीजिए।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

किसान को कम्पीटिटिव मार्केट प्राइस मिलनी चाहिये। आज वह किसान टेरीलिन नहीं पहनता, एयरकण्डीशन्ड बंगले में नहीं रहता एयरकण्डीशन्ड सिनेमा उसे नहीं चाहिये उसका उद्घाटन वह नहीं करता। किसान खाने के लिये, पीने के लिये मोटा-झोटा लूखा-सूखा खाकर ही सन्तोष कर लेगा, उसे आइस-क्रीम और रेफ्रीजरेटर नहीं चाहिये। गेहूं की जगह बाजरे में ही वह सन्तोष कर लेगा फिर आपको क्यों आपत्ति है अगर वह अपना उत्पादन का उचित मूल्य चाहता है तो ? कांग्रेस के लोग भी इस प्रश्न पर मेरे साथ हैं। उनके दिलों की हालत देखी जावे। ये सारे के सारे किसान वर्ग के लोग हैं। आपके खेतसिंह जी का अगर उन पर चाबुक न हो तो वे भी वही बात कहेंगे जो जनसंघ कह रहा है। कोडे की उपेक्षा करके अपने मन की बात कहने की उनमें हिम्मत नहीं हो सकती। यह हिम्मत उत्तर प्रदेश में चरण-सिंह ही कर सके हैं। इस बार 186 लेकर आये हैं। यह क्यों हुआ ? कांग्रेस आज पूंजीपतियों की संरक्षक हो गई है, समाज-वाद की तो नकाब ओढ ली है। अन्दर की खाल पूंजीपतियों की है और वे आज किसान का शोषण करने के लिये आमादा हो गये हैं।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इन कारणों से लेवी का विरोध कर रहे हैं और इसका डटकर विरोध आगे भी करते रहेंगे।

श्री दीपंकर : इस भाषण का कब तक अन्त होने वाला है। दूसरे दल के सदस्य हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांग्रेस के विधायक श्री मोहन राज जैन ने स्टेटमेंट दिया है, अखबारों में छपा है। किसान इस कीमत पर दे सकता नहीं इसलिए किसान जनसंघ की बात मानता है। सीमेन्ट की एक बोरी पर 10) रु. अधिक लेते हैं। खुल्लम-खुल्ला कहते हैं एक बोरी सीमेन्ट की लेवो और 10 रु. अधिक देवो ...

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude it.

श्री गुमानमल लोढ़ा : इस प्रकार से आज किसान का शोषण हो रहा है। अब मैं यदि एक बात निवेदन करूं महंगाई के बारे में, हम जनता से अपील करें तो उसमें कौन सी रुकावट है। आज आपके सामने प्रधान मंत्री के स्टेटमेंट के बाद में बहुत बड़ी क्राप हुई बम्फर क्राप हुई पिछले साल, शीतलहर तो इस साल थी लेकिन बाजार में गेहूं के भाव आसमान को इस साल छुये हैं। प्रोक्योरमेंट देकर पूरी कीमत देकर थान बाहर से लाते और उसको ठीक तरह से वितरण कराते तो जनता को राहत मिलती लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो फिर जनता के पास और कौनसा दूसरा रास्ता है ...

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय यह रास्ता वह रास्ता है जैसा गुजरात में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ। यदि भूखी जनता को राशन नहीं दिया तो यह स्थिति यहां भी दूर नहीं है

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में जोधपुर में गुमानमल लोढ़ा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
भी रहने वाला नहीं तो लाडनूं में दीपंकर साहब भी रहने वाले नहीं और न अलवर में रामानन्द जी ही रह सकेंगे। जनता उनसे पूछेगी जवाब दो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं गुजरात की जनता ने जो कुछ किया वह ठीक किया। उसने रास्ता दिखाया। यदि सरकार अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ेगी तो यही रास्ता यहां आने वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

कह दिया हमारे पास कोई उपाय नहीं है और इन रास्तों पर वैज्ञानिक तरीके से यहां भी कुछ हो जाय, कहा नहीं जा सकता है। आज उपाध्यक्ष महोदय जनता को राशन मुहय्या नहीं, केरोसिन आइल उपलब्ध नहीं, सीमेन्ट उपलब्ध नहीं, चीनी सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं, कर्मचारियों को पूरा महंगाई भत्ता देती नहीं तो फिर जनता के पास कौनसा उपाय है। भूपेन्द्र साहब ने कहा यह भूखे पेट की ज्वाला है। भूखे की सूखी हड्डियां ताण्डव नृत्य कर रही हैं या तो आप जनता को धान मुहय्या करवायें अन्यथा भूखी मरती जनता त्राहि त्राहि नहीं करेगी तो और क्या कर सकती है ?

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह गंगा का प्रवाह है जो गुजरात से राजस्थान में आयेगा लेकिन हम नहीं चाहते कि वह तरीका यहां आये। हम चाहते हैं वैधानिक तरीके से इसको हल किया जाय.......

एक माननीय सदस्य : हरे राम.... हरे राम....

श्री गुमानमल लोढ़ा : हमारा नाम उसमें नहीं आयेगा। उसमें नाम आयेगा कांग्रेस के विधायकों का। जनता कहेगी कांग्रेस के विधायकों को पकड़ कर लाओ। ये हमारे शोषणकर्ता हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जनता भूखों मर रही है। इस सरकार में रोजी-रोटी मिलती नहीं, गेहूं मिलता नहीं, केरोसिन तेल मिलता नहीं, सीमेन्ट मिलता नहीं, चीनी उपलब्ध नहीं अब ऐसी स्थिति में जनता अगर आपका घेराव नहीं करेगी तो क्या करेगी। उपाध्यक्ष महोदय मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं यह सब केवल राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक इस सदन में आकर भाषण दे दिया और हमने सुन लिया अब वह जमाना नहीं रहा है, इस व्यवस्था को भी आपको बदलना होगा। राज्यपाल महोदय के भाषण पर श्री गोटेवाला ने कहा अब नारों की आवश्यकता नहीं, खून दो, खून की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूं किसने नारेबाजी लगाई, कांग्रेस वालों ने नारे लगाये....

श्री दीपंकर : (व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

(पुनः श्री दीपंकर के बोलने पर अश्रव्य)

किसने नारे दिए, बम्बई की चौपाटी पर किसने नारे दिए, लाल किले पर किसने नारे दिए-गरीबी हटाओ-कांग्रेस ने ही नारे दिए, वे ही नारे ज्यादा लगाते हैं और

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
आज कहते हैं नारेबाजी नहीं गोटेवाला जी कहते हैं खून दो अभी यहां हैं ही नहीं, पता नहीं कहां चले गए।

श्री दीपंकर (अश्रव्य)।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम जानते हैं।

श्री दीपंकर : क्या जानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो हमारा कहना है गरीबी हटावो, नारे देकर गरीबी हटती नहीं। इस पर अमल करना पड़ेगा और अमल करने के लिए यह कह कर टाल देना नौकरशाही बीच में आ जाती है, व्यापारी बीच में आ जाता है आपको कोई रोकने वाला नहीं है। न कम्यूनिस्ट पार्टी रोकने वाली है, न जनसंघ रोकने वाला है और न सोशलिस्ट पार्टी रोकने वाली है। किसी के पास कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान पत्रिका में एक आर्टिकल आया है....

श्री उपाध्यक्ष : सारांश कह दीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : सारांश ही कहता हूं। उन्होंने कहा यह एक फैशन बन गया है। व्यापारी को गाली दो, नौकरशाही को गाली दो बड़े बड़े नारे दो, खून चाहिए, बलिदान चाहिये। 47 में आजादी हुई थी उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार विधान सभाओं के चुनाव हो गए उसके बाद भी क्या आपको यह कहना पड़ेगा कि जनता को भूखों मरना पड़ेगा, जनता को त्राहि त्राहि करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा यह फैशन बन गया है इस प्रकार के नारे देना पर अब थोथी नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, खून देना पड़ेगा। 62 में जब चीन और भारत की लड़ाई हुई तो हमारे तेल क्षेत्र में आग लग रही थी उसको बुझाने कौन गया, हमारे जनसंघ के कार्यकर्त्ता गए और उन्होंने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयत्न किया, अपनी जान को हथेली पर रख कर काम किया....

श्री दीपंकर : (व्यवधान, : अश्रव्य)।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 62 में श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 26 तारीख को राष्ट्रीय संघ के कार्यकर्त्ताओं को आगे रखा था....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

जो देश के लिए खून देता है, बलिदान देते हैं, त्याग करते हैं....

श्री दीपंकर : और देश पिता की हत्या करते हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह जयप्रकाश नारायण जी का कहना है, यह मेरा कहना नहीं है। उन्होंने कहा मुझे सन 42 की क्रान्ति नजर आती है कांग्रेस वाले भाई इसको सुन लें और इन्दिरा जी कहती हैं खूनी क्रान्ति आयेगी अगर ऐसा नहीं करोगे। यह सरमायेदारों का दलाल और उनके स्वार्थ को पूरा करके जो आज चान्दी के सिक्के से जीत कर आ जाते हैं....

श्री दीपंकर : चांदी के सिक्के ही नहीं है....

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह भारत की कांग्रेसी सरकार पूंजीपतियों से सांठ-गांठ करके

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
गरीबों का शोषण कर रही है। उसका पर्दाफाश संवैधानिक तरीके से हम करेंगे, हमारी जबान को दबाकर उसको रोका नहीं जा सकता, प्रशासन की घंटी दबाकर उसको रोका नहीं जा सकता है। घण्टी दबा कर आप मेरी जबान बन्द कर सकते हैं लेकिन जनता की आवाज को आप बन्द नहीं कर सकते हैं....

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा निवेदन है फूड के मामले में....

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दीपंकर : आपने गांधी की हत्या की है.... (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज-माननीय सदस्य !

श्री दीपंकर : राजस्थान में जमानत जप्त हो गई और क्या चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप (श्री गुमानमल लोढ़ा) समाप्त कीजिए। मैं आपसे कितनी ही बार निवेदन कर चुका हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं निवेदन करूंगा कि जो अनुशासन का तरीका हमें बताना चाहते हैं क्या वह अनुशासन का तरीका कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं है। उनके ऊपर भी लगना चाहिए। हम तो आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करके शांत हो जाते हैं और हमने किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया। और कांग्रेस के लोग यह चाहें कि मैं सच्ची सच्ची बातें, कड़ी कड़ी बातें और खरी खरी बातें नहीं कहूं ..

श्री दीपंकर : झूठी बातें कही हैं।....

(अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सच्ची बातें नहीं हैं कि 1974 के यू. पी. के चुनावों के अन्दर जनसंघ को 61 सीटें मिलीं और जबकि 1961 में केवल 40 मिली थीं—यह प्रगति हुई या दुर्गति हुई। कांग्रेस के जितने सदस्य पहले आये थे उससे उनको 80 सीटें कम मिली हैं। क्या यह दुर्गति नहीं है ? कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबन्धन किया और कोई चीज आपको नहीं मिली। आपने कहा कि अनाज नहीं मिले कोई बात नहीं, सीमेन्ट नहीं मिले कोई बात नहीं लेकिन वोट कांग्रेस को ही दें। और वह कहते हैं कि हमारी प्रगति हुई है....

श्री दीपंकर : जीत किस की हुई ? हमारी नीतियों की जीत है या नहीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : जीत है चांदी के खनखनाते हुए सिक्कों की। जीत है चीनी इन्डस्ट्री से जो लाखों रुपये लिए उसकी। उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में एक व्यक्ति हैं मिस्टर सिंह उनके पास से एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने 70 लाख रुपये पकड़े ...

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : प्राइम मिनिस्टर ने उससे कहा कि लेकर आ जाओ और वह कांग्रेस फण्ड में चला गया। यह भ्रष्टाचार का पैसा, यह रिश्वतखोरी का पैसा यह जनता के शोषण का पैसा है। उत्तर प्रदेश के अन्दर 55 करोड़ के उद्घाटन किये गये। यह क्यों किये गये ? क्या इसके लिए पिछला 15-20 साल का समय नहीं मिला था। मैं आपको एडीटोरियल पढ़कर सुनाऊं। उन्होंने कहा कि : This is murder of democracy. यह जिस प्रकार से उद्घाटन किये गये वह जनतन्त्र की हत्या है।..........

श्री दीपंकर : (अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : It is an evil practice; and the margin between evil practice and correct practice is thin. आज वह काले कारनामे करके चांदी के खनखनाते हुए सिक्कों से, धन्ना सेठों से सांठ गांठ करके आपने 30 पर्सेन्ट वोटों को समाप्त किया है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप समाप्त करने की बात करते हैं यह समाप्त हो गए। हम जीत गए! जहां 30 प्रतिशत वाले जीतजायें, और 70 प्रतिशत वाले हार जायें कैसी अजीब सी बात है। By and large people have rejected the Congress party.

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी थोड़ी हमदर्दी तो होनी चाहिए। इनको अपना विलाप करने का मौका दीजिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह तो पहले महारावल साहब के चक्कर लगा रहे थे कि हम भी कुछ बन जायें और फिर उसके बाद कांग्रेस के पास चले गये। मेरी भी शादी हो जाए दुवा करो सब मिलकर' मुझे रन्डापा बहुत दुखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अब कांग्रेस के साथ चले गए और रंडापा दूर हो गया। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि..........

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन भी तो सुन लें। अब आप समाप्त करें।

श्री खेतसिंह : अब तो इन्हें समाप्त करने के लिए कहें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : देखिये (सदन में बिजली बन्द होने पर) खेतसिंह जी के आदेश पर अंधेरा हो गया। बिजली पुनः आने पर) और देखो मेरे बोलने पर उजाला हो गया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है।......

श्री दीपंकर : आपका बुझ गया दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मरघट पर दिया जल रहा है।

(व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह ब्ल्यू प्रिन्ट पेश

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
किया जाए जिससे सरकार बताये कि कितना मिला और कितना अनाज, कितना मोटा अनाज मिला, कितना गेहूं मिला और किस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं। कल की डिबेट हुई वह अर्थहीन थी और हरचन्दा कमेटी बनाई जाए जिससे जांच की जाए और मेरा निवेदन है कि यह अभिभाषण की जो फार्मेलिटी जिस प्रकार से की जा रही है यह यहां पर परम्परा एक फ्राड है, हिप्पोक्रेसी है इसलिए मुझे दुख है कि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। धन्यवाद के प्रस्ताव को मैं ठुकराता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानकचन्द सोगानी !

श्री मानकचन्द सोगानी : (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे दोस्त जो कुछ कह चुके हैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर मेन्टल एक्सरसाइज का ड्रामा हो रहा है। सही माने में हमें अभिभाषण तक ही सीमित रहना चाहिए था लेकिन उस विषय से विषयान्तर होते जा रहे हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से जो परम्परा अपोजीशन की होनी चाहिए और उन्हें कुछ सुझाव देने चाहिए····

(4.08 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

वह देते तो ठीक था। यह तो अपोजीशन का कार्य समझ में आता है लेकिन आज की तमाम कार्यवाही को देखकर मुझे अफसोस हुआ··········

श्री गुमानमल लोढ़ा : आगे आगे न जाने कितने अफसोस होंगे।

श्री मानकचन्द सोगानी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य विषय मंहगाई का है

(व्यवधान)

मैं मेरे मित्र से फिर कहूंगा कि मुझे बोलने दें। मैंने कभी आपके बीच में बोलने की कोशिश नहीं की इसलिए कृपा करके मुझे भी बोलने दें।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज !

श्री मानकचन्द सोगानी : सभापति महोदय, अभी सवाल मंहगाई का जब आता है तो हमें देखना है कि यह मंहगाई क्या सिर्फ राजस्थान में ही है या भारत में ही है या पूरे दुनिया भर में है। इस वक्त हम सब जानते हैं कि पिछले साल हमारे यहां पर बड़े जोरों का अकाल हुआ। उसके बाद उससे हम उभर भी नहीं पाए थे कि अतिवृष्टि हुई। इस साल भी शीत लहर आई। तो इन तमाम चीजों के अन्दर हम यह भुला देते हैं कि हमारे पास चीजें पर्याप्त नहीं हैं। जब पैदावार पूरी हो तो आदमी यह कह सकता कि आप चीजों का संचय रोकिए। जब पैदावार नहीं है कहां से वितरण करेंगे। इतना और बता दूं कि जो बाहर से मंगाने का सवाल है, बाहर से चीजें मंगाकर यहां पर लोगों को दी जा सकती थी वह इतनी मंहगी पड़ती है कि यहां पर किसी प्रकार से भावों का मेल खाती नहीं है। इसलिए बाहर से नहीं मंगाई जा सकी। वास्तव में जिस प्रकार की हमारी भारत सरकार की नीति रही है, पिछले सालों तक हम अमेरिका से पी. एल. 480 के अन्दर अनाज लेते थे, अमेरिका ने अनाज दिया था लेकिन अब की बार हमारी सरकार ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। अपनी नीति में

(श्री मानकचन्द सोगानी)

परिवर्तन नहीं आने दिया। इसलिए नहीं आने दिया कि हम स्वतंत्र रूप से इस बोझ को झेल सकते हैं। हम किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। इसका कारण यह हैं कि हमारे यहाँ बाहर का अनाज पहले आता रहा है और हम अपना काम चलाते रहे हैं लेकिन अब सरकार ने उस नीति को नहीं बदला है यह बड़ी प्रशंसा की बात होनी चाहिये और बहादुरी के साथ मुकाबला करना हमारा फर्ज है।

जहां तक सवाल है वितरण की व्यवस्था का, इसमें कोई दो राय नहीं कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है। वितरण व्यवस्था ठीक हो, चीजें जहां उपभोक्ता को पहुंचनी चाहिए वह पहुँचाई जानी चाहिए। इसलिए हमें पूरी तरह से अपनी शक्ति लगा कर वितरण व्यवस्था को ठीक करना चाहिए।

अब एक सवाल यह आता है कि हमारे पास आज कितना अधिक रुपया फैला हुआ है और हमारी उत्पत्ति कितनी है। जब कभी हम देखते हैं लोगबाग इस बात के लिए शिकायत करते हैं, कर्मचारी लोग शिकायत करते हैं कि हमारा खर्चा नहीं चलता है हमें आप मंहगाई भत्ता दीजिए। सवाल यह है कि यह मंहगाई भत्ता मिलता रहेगा और मिलना चाहिए लेकिन जब चीजें लिमिट में हैं, आप भी और हर इकोनोमिस्ट भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब चीजें लिमिट में हों और अगर हमारे पास खरीदने को नोट ज्यादा संख्या में है तो भाव बढ़ेंगे। हमारे यहां पर मंहगाई का, भाव बढ़ने का कारण यही है। हमारे यहाँ पर जब पैदावार नहीं हो और हम उसका मुकाबला करने के लिए पैदावार की चीजों का संतुलन लाने के लिए, महंगाई का मुकाबला करने के लिए नोट बढ़ा दें तो यह तरीका उसका मुकाबला करने का नहीं है। कहां तक यह नोटों का हमारे यहां इन्फ्लेनेशन हो रहा है और इस मात्रा में है कि गवर्नमैंट की रिजर्व बैंक के आंकड़े यह बताते हैं कि जितना ह्वाइट के अन्दर धन है उससे कहीं ज्यादा ब्लैक में धन एकत्रित है और इसके लिए गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने भी एक कमीशन बैठाया था। सभापति महोदय, आपको पता है कि इसके लिए वांचू कमीशन बैठा था वांचू कमीशन ने अपनी बहुत सारी रिकमण्डेशन दीं उसमें इस साल हमारे वित्त मंत्री भारत सरकार ने कुछ लागू की हैं वहां पर सवाल यह आता है कि हमारे पास इन्फ्लेनेशन का जहां तक सवाल है, ह्वाइट मनी का सवाल है तो वांचू कमीशन ने यह आदेश दिया था कि हमें हर पांच साल के अन्दर नोटों का डीमोनेटाइजेशन कर देना चाहिए ताकि वह धन जो ब्लैक का है वह बाहर निकल जाय। हमारे पास हर पांच साल में वह चीज होती रहेगी तो यह इतना जो हमारे पास में धन है, सही मायने में ह्वाइट में है वह प्राइज का कण्ट्रोल कर सकता है। आज आप देखते हैं कि इधर तो महंगाई है, उधर अगर छविगृह में, सिनेमा पर जाकर देखें तो वही मजदूर वर्ग जिसके लिए इतनी देर से चर्चा हो रही है, सबसे अधिक लोग वहां पर सिनेमा पर बैठे हुए मिलेंगे। टिकिट नहीं मिलेगा तो ब्लैक से खरीद कर बैठेंगे। यह अजीब तरह का मामला हमारे सामने है। एक ओर जहां धन की विपुलता भी है वहां महंगाई भी है। हर आदमी गरीबों की दुहाई देता है और गरीब आदमी सब तरह से अपने साधन जुटा भी लेते हैं सिनेमा के अन्दर वही सबसे अधिक संख्या में वहां बैठे मिलेंगे। यह दोनों

(श्री मानकचन्द सोगानी)
चीजों का जो समावेश होता है तो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती है।

यहां पर इस वक्त जो हमारे राज्यपाल महोदय ने कुछ चीजें कही हैं जो कि राजस्थान सरकार ने की हैं उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। तस्वीर के दो साइड होते हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि कितना रुपया सरकार ने गत पिछले सालों में खर्च किया। राज्यपाल महोदय ने बताया कि 60 करोड़ रुपया खर्च किया और लोगों को रोजगार पर लगाया। मुझे दुःख है कि विरोधी दल की कुछ इस प्रकार की आदत सी पड़ गई है कि काम के अन्दर भी पॉलिटिक्स की निगाह से देखते हैं मुझे ताज्जुब होता है कि इतने बड़े भवन में विराजे हुए हैं, हम जहां पर बैठ कर सभा कर रहे हैं, उसकी कोई तारीफ न करते बाथरूम की तरफ जाकर तमाम अपना टाइम निकाल देते हैं आलोचना करने में, इस तरीके का रूप मैं यहां पर देख रहा हूं। जो अच्छी चीजें हैं उनको भुला देते हैं और जो छोटी 2 चीजें हैं जिनको दरगुजर कर देना चाहिए उनकी ओर ही अपना ध्यान लगाए रहते हैं। जो अच्छी चीजें हैं जिनको करने में हम हाथ से हाथ मिला कर योगदान कर सकते हैं, उसमें सबको मिल कर योगदान करना चाहिए लेकिन उस तरफ लक्ष्य नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है। अभी चुनावों की चर्चा हुई और उसमें आसींद के चुनाव की चर्चा भी हुई। जरूरी बात है कि एक संस्था के नाते, काम करने के नाते जिस तरह भाई गुमानमलजी वहां पर गए थे उसी तरह से मैं भी वहां गया था इस तरह की गलत अफवाहें फैलाना कि शासन ने अपने साधन वहां पर जुटा दिए, बिल्कुल गलत है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि सरकार ने क्या साधन वहां जुटा दिए। यह कहना बिल्कुल गलत और निराधार है।

यू. पी. के चुनावों की भी चर्चा की गई और यह कहा गया कि 32 प्रतिशत वोट दिए। इस बात की गहराई में मैं नहीं जाना चाहता और इतना ही कहता हूं कि आज वहां पर जनता के सामने यही सवाल था कि आप कौन सी गवर्नमैंट चाहते हैं। जनता ने एक अवाज से यह तय कर दिया बहुमत से कि हम कांग्रेस की गवर्नमैंट चाहते हैं। इसमें बौखलाने की क्या बात है। यह धैर्य से स्वीकार करना चाहिए कि जिसको जनता ने भेजा है हम उनके साथ में अपना कन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम रखें तो यह बात समझ में आ सकती है। हर चीज में खूबसूरती नहीं देख कर बदसूरती ढूंढ ढूंढ कर खरोंच 2 करके निकलना और उसको सामने रखना यह कोई एक बड़े दल के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि सदन के अन्दर जिस तरह की अपनी गरिमा रही है उसके अन्दर इस तरह से हस्तक्षेप करना यह अच्छी बात नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए।

यहां राज्य सरकार ने कुए खोदे, बैंक से लोन लिया, बीमा कम्पनी से भी लोन लिया। मैं भी देखता हूं और आप भी देखते हैं, जब आप, हम गावों में जाते हैं तो आपको वहां पर बिजली के जरिये से, कुओं के जरिए से, खेती लहलहाती हुई मालूम देगी। यह तो कुदरत का प्रकोप है कि कभी शीत लहर से तो कभी अकाल से वह फसल बर्बाद हो जाती है और इससे जो हमें नुकसान होता है उस पर हमें विचार करना चाहिए।

Page No 94

(९४)

(श्री मानकचन्द सोगानी)

क्या सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी रखी है और अगर उसमें कोई आप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दें तो कोई बात समझ में आ सकती है । सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, किसी आदमी को भूख से मरने नहीं दिया इन बातों के लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा जाता । अभी कल ही मेरे साथी श्री श्रीरामजी ने बताया था कि जब हमारे यहां पर ब्रिटिश सरकार हुकूमत करती थी, एक अकेले बंगाल के अन्दर ही लाखों लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन यहां पर सारे देश में इतना भीषण अकाल पड़ने पर भी एक व्यक्ति को भी भूख से मरने नहीं दिया । इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और आपकी सरकार उसी तरह से काम कर रही है, इसके अन्दर आप क्या कमी निकालना चाहते हैं ।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि यहां पर जगह 2 हड़तालें करवाई जाती हैं । हड़तालें स्वाभाविक रूप से हों, वह कर्मचारियों का अधिकार है । मगर उस हड़ताल के अन्दर अगर काम बन्द होता है तो उसका नुकसान किसको होता है । यह बड़ा गलत तरीका है । जब हम विदेशों की बातें नकल में कहते हैं तो मैं यह बतना हूं कि वहां पर हड़ताल करते वक्त कर्मचारी अपना काम बन्द नहीं करता । वह अपने हाथ पर, बाजू पर काली पट्टी बांध लेता है जो विरोधस्वरूप होती है और इस प्रकार वह अपना विरोध प्रदर्शन करता है । वह कर्मचारी इस प्रकार से बता देता कि है वह मालिक से संतुष्ट नहीं है, लेकिन वह काम को नहीं रोकता । हमारे यहा उसके विपरीत हो रहा है । अभी यहां पर गुजरात की मिसाल दी गई और उसकी याद दिलाई गई कि वहां पर हिंसक कार्यवाहियां हो रही हैं और ये हिंसक कार्यवाहियां राजस्थान में भी आयेंगी । मैं यह समझता हूं कि यह बढ़ावा देना ठीक नहीं है । अगर अनाज नहीं मिलता है और उसके लिए आप दलील करें तो ठीक है लेकिन उसके लिए यह कहना कि हिंसा यहां आ करके रहेगी, यह अगर आप प्लेट फार्म पर कह सकते हैं तो राजस्थान के शांतिप्रिय लोग, जो अपनी समस्याओं का ठीक तरीके से बहादुरी से मुकाबला करते रहे हैं, उनके लिए यह कहना कि वे गुजरात की तरह की कार्यवाही करेंगे, क्या यह कहना इस सदन में शोभा लगती है, यह ठीक नहीं है । ऐसे लफ्ज यहां पर कहना कि शीघ्र से शीघ्र यहां पर देखेंगे, ठीक नहीं लगता है । जो बड़े दलों के लीडर हैं । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए । अभी वह चले गये हैं । सभापति महोदय, इस देश के आसपास के देशों में शस्त्र इकट्ठे किये जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में आज करोड़ों रुपया भारत सरकार को मिलट्री पर खर्च करना पड़ रहा है । अगर इस पैसे को कृषि पर खर्च किया जाता तो कितना उत्पादन होता । आपको मालूम है कि चीजों के भाव लड़ाई के बाद क्या होते हैं । पिछली लड़ाइयों में हिन्दुस्तान ने जो अस्त्र शस्त्र काम में लिये हैं, वह अपने ही कारखानों के बने हुये काम में लिये हैं । जब हम गुलामी में थे तो एक सूई तक नहीं बना सकते थे । आज हमारी सरकार ने इण्डस्ट्री के डेवलपमेन्ट में कितना काम किया है । आज लड़ाई के शस्त्रों के लिए हम दूसरे देशों पर आश्रित नहीं हैं । हमारे यहां के बने हुये हवाई जहाजों ने अमेरिका के बने हुये बड़े बड़े जहाजों को गिराया है । आखिर यह कहां बने थे । यह हमारे यहां

(श्री मानकचन्द सोगानी)
ही बने थे। आज सारी दुनियां में उनकी प्रशंसा है। आप यह भुला देना चाहते हैं। आपको अपनी पार्टी से अपील करना चाहिए थी। वह नहीं करते हैं। अच्छे काम का कतई ध्यान नहीं रखते हैं। आज आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को चायना और अमेरिका से शस्त्र मिलते जा रहे हैं। हमारे यहां अनाज कम हुआ है तो लोगों को हिम्मत बढ़ानी चाहिए। लेकिन उनको वरगलाया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है। आप को मालूम है कि तेल की नीति के बारे में अरब मुल्कों ने अपना करिश्मा दिखाया है। आज अगर किसानों क्रूड ऑयल नहीं मिलता हैं। तेल नहीं मिलता है। तो हमें यह सोचना हैं कि इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार हैं। हम कितने दूसरे देशों से आयात पर आश्रित हैं। भारत सरकार ने इसीलिए यह लगान लगाया हुआ है कि पूरे देश में कल और कारखाने बढ़ें। जहां नेशनालाइजेशन करने की जरूरत है, वहां वह नेशनलाइजेशन सरकार करती है। हम देखते हैं कि पेट्रोल की कमी है लेकिन फिर भी सरकारी बसों में 6.25 रु. में ही अजमेर से बैठ कर आते हैं। जो टैक्सी पहले 8 रु. लेती थी, वह अब 12 रु. लेती हैं। उन लोगों ने 12 रु. कर दिये हैं। हमारे यातायात मन्त्री ने विश्वास भी दिलाया है कि 25% मजदूर प्रतिनिधियों को भी नेशनाइलेजशन में वह प्रतिनिधि के रूप में लेना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अगर कोई प्रोग्रेसिव कदम है तो वह सराहनहीय है। सभापति महोदय, मैं थोड़ा और कहूंगा।

श्री सभापति : आपका समय पूरा हो गया है।

श्री मानकचन्द सोगानी : मेरा तो नहीं लेकिन मेरे बोलने का समय पूरा हो गया है, यह कह सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी सहायता तो बहुत आवश्यक है।

श्री सभापति : आपके बोलने के समय से ही मेरा आशय था।

श्री मानकचन्द सोगानी : दवाई की मिलावट का सवाल जहां है, सभापति महोदय, यह कितनी खतरनाक बात है। जिन नकली दवाइयों से लोगों की जानें जा रही हैं। उस पर सरकार अगर कदम उठा रही है तो इसके लिए तो सरकार का साथ देना चाहिए। इस व्यापार को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। गलत इन्जेक्शन अगर किसी की जान ले लेता हैं तो सरकार के इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए। सरकार की प्रशंसा करने की जरूरत है।

श्री मूलचन्द सामरिया : कौन मना करता है ऐसे कदम के लिए ?

श्री मानकचन्द सोगानी : सभापति महोदय, दो चीजों के बारे में कह कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पढ़ा 25 लाख रु. शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिए बिजली और पानी के लिए निकाले गये हैं। मगर यह बड़े शर्म की बात है अगर रुपया लैप्स होता है। रुपया लैप्स होना बड़े शर्म की बात है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं। मैंने वहां

(श्री मानकचन्द सोगानी)

पर इन्जीनीयर्स को साथ में जाकर बताया है कि खम्भा कहां पर लगाना चाहिए। लेकिन मार्च, 73 निकल गया। मार्च, 74 निकल गया। अगर वह रकम लैप्स होती है तो यह शर्म की बात है। जिन लोगों को मकान बनाने के बारे में कहा गया है आज वह मकान भी नहीं बने हैं। अब वह 200 रु. अपने वापिस मांगने के लिए कह रहे हैं। आज अधिकारी रुपया होते हुये भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को पूरा दण्ड दिया जाये। जो रकम निकाली गई है उसका उपयोग होना बहुत जरूरी है। जब जब हम उन क्षेत्रों में जाते हैं तो उनके प्रतिनिधि होने के नाते उस रकम को लैप्स होते हुये, उसको बर्बाद होते हुये नहीं देख सकते हैं। उसके बारे में हमें देखने की जरूरत है। सभापति महोदय, कहना तो बहुत कुछ चाहता था। सभापति महोदय, इसमें कुछ चीजें बहुत पसन्द आई हैं। फेयर प्राइस शॉप का कदम बहुत सराहनीय है। जहां तक खेती, पशु-पालन और डेयरी के बारे में अभिभाषण में बताया है। यह सराहनीय है। इस वक्त हमें श्री लालबहादुर शास्त्री के वह शब्द याद आते हैं, जब उन्होंने यह नारा दिया था—"जय जवान, जय किसान"। तो हमारे सामने यह प्रोग्राम है जिसके अन्दर है कि हम जवानों की भी मदद करें और किसानों की भी मदद करें। इसके लिए सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि उनके जितने भी बताये हुए कार्यक्रम हैं वह इस साल में लागू होंगे। इतना ही कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी !

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार प्रकट करने से पहले मैं एक दो बातें जो खास कर जनसंघ के नेता महोदय ने यहां कही हैं, उनका खण्डन करना चाहता हूं। दो बातें उन्होंने खास करके कही हैं—एक तो यह कही है कि कांग्रेस की फूड ग्रेन्स के राष्ट्रीयकरण की नीति है, वह गलत है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस जो चुनावों के अन्दर जीती है, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह पर जीती है, वह पैसे के बल पर जीती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैसे से आजकल जनता वोट नहीं देती है और पैसे से वोट देती है तो यू. पी. में चुनाव हुए तो उसमें लाल, पीले, हरे झण्डे वाले पैसे के बल पर भी जीत कर नहीं आये जबकि उन्होंने करोड़ों रुपया वहां बहाया। इसलिए यह कहना कि पैसे के बल पर वोट मिल गये, सही नहीं है। मैं जानता हूं कि आज लोग पैसा भी ले लें फिर भी वोट नहीं देते हैं क्योंकि वह ईमान नहीं बेचते हैं। हिन्दुस्तान की जनता का यह लेवल है, स्टेण्डर्ड है कि उससे पैसे के बल पर वोट खरीदे नहीं जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो यह धारणा पैदा करने की कोशिश की है कि जनता ने पैसे की वजह से वोट दिये हैं, यह बिल्कुल गलत है। जनता ने वोट इसलिए नहीं दिये हैं। वह

(श्री पी. के. चौधरी)

समझती है कि बाकी जितनी पार्टी हैं, उनसे कांग्रेस बड़ी है। यह बात सही है कि जनता कांग्रेस से नाराज है, क्योंकि जितनी सहूलियत हम पहुंचाना चाहते थे उतनी नहीं पहुंचा पाये, इसलिए कांग्रेस मैन से जनता की नाराजगी हो सकती है। उसके बावजूद हिन्दुस्तान की जनता इस बात को मानती है कि हिन्दुस्तान को आगे ले जाने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसलिए नाराज होने के बाद, गाली देने के बाद भी वोट कांग्रेस को देना पसन्द करती है। जब सवाल आता है कांग्रेस और दूसरी पार्टी में से चुनने का तो जनता आज भी कांग्रेस को वोट देती है। इसलिए जो यह ख्याल उन्होंने प्रकट किया है कि कांग्रेस जीती है वह पैसे के बल पर जीती है, वह गलत है।

दूसरी बात उन्होंने यह प्रतिपादित करने की कोशिश की है कि महंगाई जो है, फूड ग्रेन का राष्ट्रीयकरण है, वह गलत है। वह नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि जनसंघ बेसिक इण्डस्ट्री के राष्ट्रीयकरण में विश्वास करती है, लेकिन फूड ग्रेन के राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं करती है। इसलिए इसका विरोध करती है। मेरा निवेदन इतना ही है कि बेसिक इण्डस्ट्री से भी असेंशियल कॉमोडिटी फूड कॉमोडिटी ज्यादा बेसिक है, आम जनता की जरूरत के लिए इस बात को करने की जरूरत है। आखिर आप चाहते क्या हैं ? असेंशियल कॉमोडिटी जो है, फूड ग्रेन, उसमें मिडिल मैन मुनाफा कमाये ? ज्यादा से ज्यादा कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर—इनका जितना नजदीकी सम्बन्ध हो सके—वह बेटर है या मिडिल मैन ? इसलिए यह कहना कि राष्ट्रीयकरण की नीति गलत साबित हुई है, यह गलत है। इसकी डिटेल में जब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलूंगा, उस समय बोलूंगा। अभी इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण की नीति गलत है यह कहना गलत है। अगर आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि मिडिल मैन होना चाहिए प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर के बीच में तब तो यह नीति गलत है। लेकिन अगर इस बात में विश्वास रखते हैं कि कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कम से कम असेंशियल कॉमोडिटीज, फूड ग्रेन के लिए मिडिल मैन नहीं होना चाहिए तब तो सिवाय राष्ट्रीयकरण के दूसरा रास्ता नहीं है।

अब, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के इस साल के अभिभाषण के अन्दर जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि पिछली साल का लेखा जोखा रखेंगे, अगली साल का दिग्दर्शन रहेगा, इंडिकेशन रहेगा, गवर्नमैन्ट की आने वाले वर्ष के लिए क्या पॉलिसी होगी, प्रोग्राम होगा—वह इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। बल्कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से यह इम्प्रेशन जमता है कि आज कांग्रेस की गवर्नमैन्ट पॉलिसी ऑफ स्टेटस-को के ऊपर चल रही है और आज जो समस्या हैं उनसे लड़ने, विल टू फाइट इस गवर्नमैन्ट में लेक करती है, यह अभिभाषण अहसास कराता है क्योंकि राज्यपाल महोदय ने ज्वलन्त समस्यायें जो हमारे सामने हैं, खास कर महंगाई और असेंशियल कॉमोडिटीज की सप्लाई की, इसके सम्बन्ध में जिक्र तो किया है लेकिन महंगाई क्यों बढ़ी है, असेंशियल कॉमोडिटी मिलने में क्यों दिक्कत हो रही है, इसके कॉजेज, कारणों को पिन पॉइन्ट करने की कोई कोशिश नहीं की है। मैं निवेदन यह

Page No 98

(98)

(श्री पी. के. चौधरी)

करना चाहता हूं, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, भाव सारे हिन्दुस्तान में बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट की कम से कम जो प्राइस स्टेबिलाइजेशन करने की अर्सेशियल कॉमोडिटीज की प्राइस लाइन को स्टेबिलाइज करने की जिम्मेदारी है, वह भी आती है। दूसरी बात यह है कि आज देश में यह वातावरण बनाया जा रहा है कि देश में अभाव की स्थिति है, महंगाई के साथ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में अभाव की स्थिति नहीं है, फूड ग्रेन की हमारे यहां पर कमी नहीं है। सभापति महोदय, अभी सरकार ने एग्रीकलचर डिपार्टमैंट की रिपोर्ट, प्रगति विवरण पेश किया है उसको देखें, तो 1972-73 में सबसे भयंकर अकाल हम मानते हैं, उस समय फूड ग्रेन के प्रॉडक्शन का आंकड़ा है, 51.53 लाख टन। साढ़े इक्यावन लाख टन प्रॉडक्शन और ढाई करोड़ पॉपुलेशन। अगर बारह किलो पर मन्थ पर हैड दें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन के लिए 36 लाख टन की जरूरत होती है। दस पर्सेन्ट वेस्टेज मिलायें। दस पर्सेन्ट और चीजों के लिए मिलायें दस पर्सेन्ट और लगायें तो भी 40 लाख टन होता है। सबसे अधिक जो अकाल बताते हैं, वह 1972-73 में था, उस साल प्रॉडक्शन फूड ग्रेन का राजस्थान में 51.53 लाख टन हुआ, वह हमारी जरूरत से भी पन्द्रह-बीस लाख टन अधिक अन्न उत्पादन हुआ अब सवाल आता है, जब देश में अन्न की कमी नहीं है, फिर वलनरेबल सेक्शन के लोगों को अन्न क्यों नहीं मिलता है। यह बात सही है, जैसा रामानन्द जी ने कहा, अनाज की कमी नहीं है, चीजों की कमी नहीं है, महंगे भाव से जितनी चीज चाहिए वह मिल सकती है। आज समस्या क्या है, समस्या यह है कि अनाज की हमारे पास कमी नहीं है, इस साल का प्रॉडक्शन गुमानमल जी बता रहे थे, कोई बता रहे थे। अखबारों में आया था, 1973-74 में एस्टीमेटेड 67 लाख टन आयेगा। यह बात मानी हुइ है, 1973-74 में 67 लाख टन मानते हैं तो इस साल प्रॉडक्शन दस-पन्द्रह लाख ज्यादा ही हुआ है और रिक्वायरमैंट फूड ग्रेन की मीट करने के लिए, बच्चे-बूढ़े सबको देते हैं, तो ढाई करोड़ के लिए 36 लाख टन चाहिए। इस साल लाख टन और ले लें, दस पर्सेन्ट, बीस पर्सेन्ट एक्स्ट्रा ले लें तो 1972-73 के लेवल पर जो था उससे भी दस-पन्द्रह लाख टन अनाज अधिक बचता है। सवाल यह है कि अनाज की कमी नहीं है। अनाज है। लेकिन वलनरेबल सेक्शन को उपलब्ध नहीं है। पैसा जो दे सकता है, उसके लिए चाहे जितना उपलब्ध है। तो यह साबित होता है कि अनाज उपलब्ध है। सवाल सिर्फ इतना है, हाई प्राइसेज और इनएडीकेट डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रिब्यूशन के सिस्टम में इनएडीकेसी है और हाई प्राइसेज इसके अलावा है। अब सरकार को इसको फेस करना चाहिए इसलिए सब बात पर मन्त्री महोदय जवाब में कह दें। सेंटर से 15 लाख टन मिला है और 3 लाख टन और देंगे लेकिन मेरा सुझाव यह है कि राजस्थान में रहने वाले जितने लोग हैं उनको भरपेट खाने के लिए, 1972-73 में जब घोर अकाल था उसमें भी हमने रिक्वायरमेंट्स से अधिक अनाज पैदा किया। राजस्थान सरप्लस स्टेट है, आज से 15-20 साल पहले राजस्थान डेफीसिट स्टेट था, बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था लेकिन आज रिक्वायरमेंट से अधिक

(श्री पी. के. चौधरी)
अनाज पैदा करते हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है देखने की कि कम से कम वलनरेबुल सैक्शन को अनाज मिल सके। इस बार जो नहीं मिला, भाव बढ़े, उसका क्या कारण है ? जो मूल्य वृद्धि हुई उसके जो कारण थे, उसका मैं विश्लेषण करना चाहता हूं।

एक डेफीसिट फाइनेन्सिग। दिसम्बर, 1973 तक इस साल में केन्द्रीय सरकार का डेफीसिट फाइनेन्सिग हुआ है वह है एक हजार करोड़ रुपये का। 1 अप्रेल, 1973 से 31 दिसम्बर, 1973 तक 9 महीने में जो एक्सट्रा बैंक क्रेडिट टू गवर्नमैंट है वह 800 करोड़ रुपये का दिया है। प्राइवेट सेक्टर ऐजेन्सीज को बैंक ने एक्सट्रा कर्जा दिया है वह 745 करोड़ रुपये का दिया है। इसका मतलब 1500 करोड़ और एक हजार का डेफीसिट फाइनेंसिग। इस तरह 2500 करोड़ का एक्सट्रा सरक्यूलेशन हुआ।

दूसरा कारण यह है कि सरकार का जो खर्चा हुआ ज्यादातर वह नॉन-प्रॉडक्टिव वर्क्स पर हुआ है जिससे डेफीसिट फाइनेंसिग बढ़ा है। लोगों ने प्रशंसा की है कि 60 करोड़ यहां पर फैमिन में खर्चा हुआ। उसमें से 80 प्रतिशत खर्चा हुआ नॉन-प्रॉडक्टिव वर्क्स पर। उससे नोटों का सरक्यूलेशन बढ़ा है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का नॉन-प्रॉडक्टिव वर्क्स पर खर्चा कम नहीं हुआ है, खर्चा ज्यादा किया है, उससे बढ़ा है। केंद्रीय सरकार ने क्या किया ? 400 करोड़ रुपये वार्षिक प्लान में काटा है लेकिन नॉन-प्रॉडक्टिव पर जो खर्चा होता है उसमें कोई कमी नहीं हुई।

तीसरा कारण यह है कि ह्वीट प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स ने होर्डिंग किया है, अनाज राजस्थान में भी है, देश में भी है लेकिन किसान के पास है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, गरीब किसान के पास नहीं है। 80 प्रतिशत किसानों के पास अनाज नहीं मिलेगा लेकिन बिग प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के पास मिलेगा। दूसरा सवाल आता है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने क्यों नहीं फंक्शन किया ? उसके तीन कारण हैं।

एक तो सरकार ने सारी जिम्मेदारी ऑफीशियल मशीनरी पर रख दी। किसी भी समाजवादी कदम को यदि सफल बनाना है तो जब तक आप पार्टी कैडर को मोबीलाइज नहीं करेंगे तब तक किसी भी कार्यक्रम को प्योरली ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के जरिये इम्प्लीमेंट न करें तो जो प्रोक्योरमैंट फेल हुआ वह एन्टायर डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी के कारण। पार्टी कैडर को मोबीलाइज नहीं कर सके। आगे भी जब तक आप पार्टी कैडर को मोबीलाइज नहीं कर सकेंगे तब तक आपकी प्रोक्योरमैंट पॉलिसी सफल नहीं होगी। आपने जो प्रोक्योरमैंट या लेवी का प्राइस फिक्स किया है वह अनरीएलिस्टिक है। आपने किसान के कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब आपने गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया था उस समय आप उनको 100) देते तो आपके प्रोक्योरमैंट का 3 लाख टन का टार्गेट पूरा होता लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने प्राइस फिक्स किया।

दूसरी बात एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज का आप जब प्राइस फिक्स करते हैं उसमें

(श्री पी. के. चौधरी)

अलग वसूल करते हैं और जब औद्योगिक गुड्स का प्राइस फिक्स करते हैं तो अलग सिद्धांत काम में लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस का करते है पंजाब का कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन लेकर। पंजाब में जो एक बीघा जमीन पर गेहूं पैदा करने का खर्चा होता है और कुएं से जो सिंचाई होती है उसमें 10 गुना ज्यादा खर्चा होता है। गंगानगर में 12 रुपये देते हैं पूरे फसल की पिलाई जबकि यहां का किसान जो पिलाई करता है उसको 150) खर्चा होता है। लेकिन आपने क्या किया ? कपड़े का भाव फिक्स करते हैं तो आप कैलिको और अर्विन का नहीं करते है, किशनगढ़ की आदित्य मिल का फिक्स करते हैं। इन्डस्ट्रियल गुड्स का प्राइस फिक्स करते हैं मार्जिनल यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन पर लेकिन एग्रीकलचरल गुड्स का आपने प्राइस फिक्स किया मोस्ट फर्टाइल यूनिट उसका कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन लेकिन प्राइस फिक्स किया इस लिए प्राइस कम पड़ा। आज किसान को क्रूड ऑइल और डीजल नहीं मिलता, वह यहां आते थे, ब्यावर ट्रैक्टर ले जाकर क्रूड आइल ले आते हैं।

दूसरी बात, किसान को एहसास है कि जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनका प्राइस फिक्स करते हैं, वह चाहता है कि प्राइस फिक्स हो लेकिन साथ साथ आवश्यक वस्तुएं जो हैं उनका भी एक प्राइस लेना है। गेहूं 100) में देंगे, हम भी चाहते हैं। कम से कम हमको सीमेंट, शक्कर, दूसरी जो चीजें हैं अमुक भाव पर मिलें। एसेंशियेल कॉमोडिटीज और एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइस में पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी नहीं करेंगे तो कितनी भी आप कोशिश करेंगे और पार्टी कैडर कोशिश करें, हिन्दुस्तान में एक किसान से डील नहीं करना है, करोड़ों किसान हैं। शुगर के लिए, सीमेंट के लिए आपकी ड्यूअल प्राइस पॉलिसी है, उसमें व्यापारी तिगुना पैसा कमाते हैं। आधा सीमेंट सरकारी कोटा में आधा सीमेंट बाजार में। इस पॉलिसी से उत्पादन घटता है बढ़ता नहीं है। मान लीजिये 8 करोड़ टन सीमेंट पैदा होता है, आपने भाव फिक्स किया, 100) प्रति टन का फायदा होता है, तो 8 लाख रुपये मुनाफा होता है उसको बेचने से लेकिन आपने कहा कि तुमको, जितना प्रॉड्यूस करेंगे 50 प्रतिशत कन्ट्रोल्ड रेट पर देना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा है, हम आपको देंगे। तो हम 4 हजार टन पैदा करेंगे 2 हजार टन आपको देंगे, बाकी जो दो हजार टन बचेगा उस पर 10 लाख रुपये कमाएंगे। आज जो आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़े हैं, ड्यूअल प्राइस पॉलिसी के कारण बढ़े हैं इसलिए आवश्यक वस्तुएं जो हैं उनमें ड्यूअल प्राइस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिये, एक कन्ट्रोल्ड रेट रखें। आप कहते हैं कि फ्री सेल इसलिए रखा है कि उत्पादन बढ़े लेकिन इतना बेवकूफ कौन है ? सभापति महोदय आपने फ्री सेल करके एक तरफ तो प्राइस फिक्स कर दिया तो एक किसान जो कि मान लो चार हजार क्विन्टल पैदा करता है अनाज तो फिर आप उससे अगर दो हजार टन ले लेते है तो उस दो हजार पर उसे कोई प्रॉफिट मार्केट में नहीं मिलने वाला है और बाकी जो दो हजार क्विन्टल उसके पास जमा है उसको वह अगर बाजार में बेचता है तो उसे दो लाख रुपये मिलता है तो वह आपको चार हजार क्विन्टल को क्यों देगा वह अपने पास ही

(श्री पी. के. चौधरी)

क्यों नहीं रख लेगा और उस पर सेल करके बाजार से 8 लाख रुपये या दस लाख रुपये जो भी है वह क्यों नहीं कमायेगा वह इतना बेवकूफ थोड़े ही है कि आपको दे देगा। तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि ड्यूअल पॉलिसी जो है उसको समाप्त करें। आप ड्यूअल प्राइसेज को समाप्त कर दें। एग्रीकल्चरल प्राइस में पैरिटी होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय जस्ट ए मिनट में जल्दी ही समाप्त करता हूं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एसेंशियल कॉमोडिटीज हैं उनके लिये आप ड्यूअल पॉलिसी को खतम करें। तीसरी बात गवर्नर साहब ने अपने भाषण में इण्डस्ट्रीज के बारे में कोई खास बात नहीं कही। उन्होंने इतना ही कहा कि इतने लोगों को लाइसेन्स देने की सिफारिश की है, इतने लेटर्स ऑफ इन्डेन्ट भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। इतने लाख रुपया जैसे 84 लाख रुपया फलां को दिया और एक करोड़ रुपया फला को दिया यह कर्जा आपने किसलिये दिया है यह आपने कोई जिक्र नहीं किया है। इसमें तो अगर आप 20 करोड़ रुपये भी लोगों को दें तो कोई खास लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है क्योंकि कोई लोग कर्ज ले लेते है पर इण्डस्ट्रीज नहीं लगाते हैं तो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या के हल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

इसके अलावा गवर्नर साहब ने फर्टीलाइजर कॉम्पलेक्स के बारे में पूरा नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि फिफ्थ फाइव इयर प्लान में फर्टीलाईजर कॉम्पलेक्स के लिये एडवान्स एलोकेशन्स होंगे तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि वह फिर पूरा कब होगा। क्या वह 20वीं सदी के अन्त तक पूरा होगा यह गवर्नर साहब ने अपने भाषण में कहा है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं भारत सरकार ने फर्टीलाइजर कॉम्पलेक्स बनाने के लिये, एडवान्स एक्शन के लिये फिफ्थ फाइव इयर प्लान में प्रावधान किया है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं सभापति महोदय....

(4.55 म. प.)

(श्री मोहम्मद गफ्फारअली, सभापति, पदासीन)

कि आखिर यह कब तक बनेंगे। राज्यपाल महोदय ने तो सिर्फ एडवान्स एलोकेशन की बात की है पर यह नहीं बताया कि सिक्स्थ फाइव इयर प्लान में पूरा होगा या सेवेन्थ फाइव इयर प्लान में पूरा होगा। इसका जिक्र करना चाहिये था वह नहीं किया तो इसके लिये पूछना चाहता हूं कि सिक्स्थ में या सेन्वेथ में या इस बीसवीं सदी के अन्त में कब तक यह काम पूरा होगा। सभापति महोदय लास्ट में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि गवर्नर साहब ने जो अपने अभिभाषण में स्टेटमैन्ट दिया है उसमें कन्ट्राडिक्शन है। गवर्नर साहब ने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये जो कहा है वह कॉन्ट्रेडिक्टरी है। क्योंकि वित्त मंत्री ने जो पिछले साल भाषण दिया था उसमें कहा था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम पीने के पानी की समस्या हल कर देंगे। हम 73 के एण्ड तक 88 हजार वेल्स बना देंगे इधर गवर्नर साहब ने कहा कि चतुर्थ पच वर्षीय योजना की समाप्ति हो रही है तब तक हम कुओं के निर्माण

(श्री पी. के. चौधरी)

कार्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। पिछले साल 60,800 कुए बने थे अब 73-74 में 7800 कुए बनेंगे। तो यह जो फीगर्स आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट्री हो रहे हैं इससे कॉन्ट्रेडिक्ट्री स्टेटमैन्ट हो रहे है यह गलत है।

इसके अलावा सभापति महोदय गवर्नर सहाब ने अपने अभिभाषण में जो डेयरी विकास के बारे में कहा है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा उन्होंने कहा है कि बीकानेर और जोधपुर में एक लाख लीटर दूध प्रति दिन की कैपेसिटी के प्लान्ट लगाये जा रहे हैं जो पूरी तौर पर साल 1974-75 तक चालू हो जायेंगे। और उन्होंने जयपुर के बारे में भी कहा है कि डेयरी का काम 1976-77 तक एक लाख लीटर दूध रोजाना कैपेसिटी की डेयरी लग जायेगी। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि आप जोधपुर और बीकानेर में ही 74-75 में क्यों डेयरी विकास कार्यक्रम रख रहे हैं जबकि जयपुर की आबादी अधिक है और जयपुर राजधानी भी है। यहां पर भी डेयरी के एक्सपान्सन जल्दी होना चाहिये।

श्री भीमसेन : जयपुर में तो मिल्क का प्लान्ट लगा हुआ है और बाद में भी लगेगा।

श्री पी. के. चौधरी : वही तो मैं कह रहा हूं यह आप जोधपुर और बीकानेर में क्यों कर रहे है यहां पर भी तो 74-75 में तैयार हो जायेगा।

श्री केदारनाथ : यहां की गायें दूध कम देती हैं।

श्री पी. के. चौधरी : यह गायों के दूध की बात नहीं है दूध तो भैंसों से मिलता है। इसके अलावा लास्ट में, मैं वही बात दोहराऊंगा कि जयपुर में हाई कोर्ट की बैन्च जल्दी से जल्दी स्थापित की जाये। यह प्रश्न अभी तक खतम नहीं हुआ है और जब जब भी मौका आयेगा हम इस सवाल को उठायेंगे और राज्य सरकार से सिफारिश करायेंगे भारत सरकार को कि वह जयपुर में हाई कोर्ट की बैंन्च रखे। बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल !

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर किशन पोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा उसका मैं समर्थन करता हूं। आज पिछले तीन दिनों से धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है और सभी सदस्यों ने जो भी इस पर बोले हैं उन्होंने अपने अपने अपने विचार प्रगट किये। और इसके साथ ही कई माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये।

सभापति महोदय राज्यपाल महोदय, अपने भाषण में उन सभी बातों का जिकर करते हैं कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष में क्या उपलब्धियां कीं और आगे साल में क्या करने जा रही है। इन सभी बातों का संकेत मिलता है। इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अकाल और बाढ़ की समस्याओं को किस तरह से हल किया। उन्होंने राज्य में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में भी चर्चा की। इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य राजस्थान में अकाल की समस्या की तो हर साल चर्चा रहती है और जब तक आप अकाल का स्थायी हल नहीं निकालेंगे

(श्री बनवारीलाल)

तब तक यह अकाल के लिये हमें हमेशा बजट में प्रॉवीजन धन राशि खर्च रखने का प्रावधान करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले साल भी राज्य सरकार ने 60 करोड़ रुपये अकाल में खर्च किये लेकिन इसका स्थायी हल होना जरूरी है जब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तब तक इसका स्थायी हल नहीं होने वाला है। इसके लिये हमें जमीन की आवश्यकता होगी। मैं राज्य सरकार को यह सुझाव दूंगा कि वह इसके लिये चम्बल के बीहड़ जो हैं उनको समतल करके जमीन काश्तकारों को अलॉट करावें। वैसे भी इस बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के पास इसकी योजना विचाराधीन है वह कार्यान्वित नहीं होगी तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

श्री मुख्य सचेतक : सभापति महोदय, सदन का समय एक घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घन्टे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घन्टे के लिए बढ़ाया गया।

श्री बनवारीलाल : सभापति महोदय तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार को उत्पादन बढ़ाना चाहिये और इसके लिये चम्बल के जो बीहड़ हैं उनको समतल जल्दी से जल्दी कराये जायें और लोगों को जमीन अलॉट की जाय। आज जो धौलपुर और कोटा के चम्बल के बीहड़ हैं उनको अगर हम समतल करके किसानों को जमीन अलॉट कर दें तो काफी उत्पादन बढ़ सकता है जिससे कि अकाल की समस्या हल हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा राज्यपाल महोदय के भाषण में बाढ़ के बारे में भी जिकर आया है इसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार बाढ़ पर पैसा खर्च करके उस वक्त की समस्या का हल निकाल लेती है पर मैं यह कहूं तो ज्यादा सही रहेगा कि यह इसका स्थायी हल नहीं है। आज धौलपुर और भरतपुर में अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों से ही जनता परेशान है। इसके लिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को यह पता लगाना चाहिये कि आखिर बाढ़ आने का क्या कारण है वह क्यों होती है सिर्फ पैसा खर्च करने से ही फर्क नहीं पड़ता उसके लिये हमें सोचना चाहिये कि बाढ़ के आने का कारण क्या है, सिर्फ रुपये खर्च कर दें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा निवेदन है कि भरतपुर, धौलपुर में जहां बाढ़ आती है यह देखा जाय कि यह पानी कहां से आता है उस पानी को निकालने के लिये बड़े बड़े नाले नहीं बनाये जावेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी और पैसा भी खर्च होता रहेगा। इसलिये योजना बना कर इस पानी को निकाला जाय।

औद्योगीकरण के सम्बन्ध में भी राज्यपाल महोदय ने बताया। अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहां औद्योगीकरण बहुत कम है। सीमेन्ट के और कारखाने खुल जावेंगे तो अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अधिक होंगे और हम सीमेन्ट में आत्मनिर्भर हो जावेंगे।

(श्री बनवारीलाल)
राज्य सरकार घोषणा करती है लेकिन कम से कम उसकी कार्यान्विति तो किया करें। धौलपुर में ट्यूब टायर का कारखाना लगाने का था। वहां पर खोलने के लिये घोषणा भी हो गयी थी। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसको किसी दूसरी जगह लगाया जा रहा है। जिससे हमारे यहां बड़ा ही जनता में असंतोष है। मरहूम बरकतुल्ला साहब ने वहां की परेशानी को देखते हुए उद्योगपतियों से कह दिया था कि धौलपुर में ही कारखाना लगाया जायगा। उनके मरने के बाद जबकि जमीन ले ली गयी सब कुछ हो गया, उस कारखाने को अब अन्यत्र ले जाया जा रहा है। इससे वहां के लोगों में बड़ा असंतोष है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कारखाने को अन्यत्र उद्योगपतियों को न ले जाने दें और जिस प्रकार भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की इच्छा थी कि यह कारखाना धौलपुर में ही लगे उसी प्रकार इसको वहां ही लगाएं जिससे वहां की बेरोजगारी दूर हो।

अन्य बातों पर भी राज्यपाल महोदय ने विचार प्रकट किये हैं। सीमेन्ट, तेल, गल्ला, खाद्य पदार्थ न मिलने से बड़ा असंतोष है इसलिये इस ओर भी सरकार को जागरूक रहना चाहिये और ये चीजें सुलभ तरीके से लोगों को मुहैया हों इसकी व्यवस्था माकूल करनी चाहिये। यदि हम इन समस्याओं को हल नहीं कर सकें तो हमारा यहां चुन कर आना ही बेकार है।

मिलावट के विरुद्ध कदम उठाने का कैबिनेट ने निश्चय किया है उसका मैं जोरों से स्वागत् करता हूं। स्वास्थ्य मंत्रीजी ने दवाइयों की मिलावट के बारे में कदम उठाये उनका भी मैं स्वागत् करता हूं। शिक्षा मंत्रीजी शिक्षा कानून में परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं उसका भी मैं स्वागत् करता हूं। धौलपुर के बारे में जैसा कि हम महसूस करते हैं कि क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर धौलपुर को नेग्लैक्ट किया जाता है जैसे कारखाने लगाने के बारे में और अन्य मामलों में तो मैं निवेदन करूंगा कि धौलपुर भी राजस्थान का एक पार्ट है तो वहां की समस्याओं के लिये सजग होना चाहिये। यही मेरा निवेदन है और मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी !

(अनुपस्थित)

श्री गिर्राजप्रसाद !

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह !

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वैसे यह जो अभिभाषण है इसमें बहुत सारी चीजें दर्शायी हैं। सरकार के गत काल के कार्यकलापों की सूची दी है और आगे जो सरकार करना चाहती है उसके सम्बन्ध में भी संकेत दिया गया है।

जहां तक गत साल की अकाल की कठिनाइयों का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की, गेहूं के राष्ट्रीयकरण का

(श्री भोपालसिंह)

कदम उठाया और सस्ती दुकानों से धान उपलब्ध कराया, सिंचाई, विद्युत और सीमेन्ट के सम्बन्ध में प्रगति की या जो प्रगति की जा रही है जैसे कोटा में डेयरी विकास और फर्टीलाइजर के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं ये सब ही सराहनीय हैं।

इस भाषण में जो अहम मुद्दे हैं उनके बारे में हम खामोश हैं यह बहुत ही खेद की बात है। जैसा समाजवादी सरकार की जो एक निष्ठा होनी चाहिये ज्वलन्त समस्याओं के बारे में जैसे शिक्षा, क्षेत्रों का विकास और पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य, जहां हम 25 वर्षों के बाद भी जो हमारा ट्विन ऑब्जेक्टिव है गरीबी को दूर करना, आर्थिक विकास और सेल्फ रिलायेन्स के बारे में इनके लिये जो कदम उठाने जा रहे हैं इनके सम्बन्ध में पहले जो त्रुटियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, उन समस्याओं को हल करते हुए कदम उठाने की ओर कोई संकेत नहीं मिलता है कि आगे हम क्या विकास करने जा रहे हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जो गरीब तबका है जो पावर्टी लाइन से नीचे रहता है उसका उनसे कितना ताल्लुक है? 25 वर्ष से जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, अरबों, करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, यदि सही माने में इसका मूल्यांकन किया जाय तो हम पाते हैं कि गरीब तक यह नहीं पहुंचा है और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है तो क्यों नहीं अभिभाषण में इन त्रुटियों को देखते हुए आगे जो विकास के कदम उठाने जा रहे हैं और जितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं उसका सीधा सम्बन्ध उनकी तरक्की से जुड़ता है या नहीं इस बारे में कोई सन्तोषप्रद संकेत मालूम नहीं होता है। वैसे हमारा प्लानिंग सोशलिस्टिक प्लानिंग रहा है। हमने जो भी कदम उठाये हैं वे सफलीभूत रहे हैं या नहीं इस ओर देखें तो बड़ी कमियां रही हैं।

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री खेतसिंह : है।

श्री भोपालसिंह : (अपना भाषण जारी रखते हुए) हम यह मानते हैं कि राजस्थान में सीमित साधन हैं और हमारा सन्दर्भ सामन्ती है वह सब होते हुए भी चाहे पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हो, चाहे और क्षेत्र हों उनको सरकार की ओर से मदद मिलती है, लेकिन जो कुछ भी उनका उपयोग गरीबों के लिए करने जा रहे हैं यह कहा जाता है जिससे उस तबके को फायदा मिले क्या हमारा वही पूर्व परम्परागत रवैया रहेगा कि गरीबों की बात करेंगे और नीति का निष्पादन होगा, पॉलिसीज का इम्पली-मेन्टेशन होगा·······

(गणपूर्ति-सूचक-घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

उसका लाभ अपर मिडिल क्लॉस को और समाज के ऊंचे तबके को ही होने वाला है। सही सोशलिस्ट प्लानिंग के अपने सूचकांक होते हैं। यदि हम इन सूचकांकों की तरफ ध्यान दें तो ये सूचकांक हमको बतलाते हैं कि गरीबी में कोई कमी नहीं हुई है। आज भी हमारे पूरे देश और राजस्थान में काश्तकार 40 प्रतिशत रूरल एरिया में और 50 प्रतिशत अर्बन एरिया में गरीब हैं। यह इस बात के सूचक है कि हमारा सोशलिस्टिक प्लानिंग नहीं है।

(श्री भोपालसिंह)

इसके अलावा हम यह भी देखें कि आज जो उत्पादन हो रहा है वह हमारी नीड को पूरा करता है ? सीमेन्ट का है और और चीजों का है इसमें वृद्धि हुई है या नहीं ? अगर नहीं हुई है तो स्पष्ट है कि हमारी सोशलिस्टिक प्लानिंग नहीं है। टेलीविजन, मोटर कार, चाकलैट, स्कूटर आदि के उत्पादन में फिर हम चाहे कितनी वृद्धि कर दें। सोशलिस्टिक प्लानिंग वही हो सकती है जो हमारी बेसिक नीड पूरी करती हो, ऐश आराम के साधनों की बहुलता हमारी सोशलिस्टिक प्लानिंग नहीं हो सकती। इन ऐशो आराम के साधनों के उत्पादन का लाभ कुछ ऊचे तबके को ही मिलता है। जिसे हम अपर सोसाइटी कहते हैं, जिसे समाजवादी समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। सफल समाजवादी योजना का संकेत यही होगा कि इनकम की डेस्पेरिटी कम होती जावेगी। पर आज तथ्य इसके विपरीत है। आप स्थिति का अवलोकन करेंगे तो पावेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में इसका रेशो 25 : 1 है। पब्लिक सेक्टर में 15 : 1 और गवर्नमेंट के अन्दर 13 : 1 है। इससे साफ जाहिर है कि हमारी योजना सोशलिस्टिक वे में इम्पलीमेन्ट नहीं हो रही है।

इसी तरह से सोशियल सर्विसेज का हमारा हाल है। इसमें मेडिकल फेसिलिटीज का जहां तक हाल है जिस निम्न तबके को लाभ मिलना चाहिये उसे नहीं मिलता उतना जितना ऊपर का तबका ले जाता है। ~ का भी यही हाल है जो आज संकेत ~ये स्पष्ट है कि क्वान्टिटी ~ बहुत पिछड़े हुए हैं। आज वही मैकॉले के समय की शिक्षा प्रणाली चली आ रही है। बाबुओं की फौज तैयार हो रही है। पढ़ने के बाद हमारे जीवन का मूल्य केवल बाबूगिरी करना रह गया है। हाथ से काम करने में आज भी हमारा युवक झिझकता है, शर्माता है, अपनी तौहीन समझता है। शान के खिलाफ मानता है। हम इस तरह से उत्पादन में भी सक्रिय नहीं होना चाहते। सभी तो बाबुओं का काम नहीं है कि सभी किसी दफ्तर में जाकर टेबल पर बैठकर कलम घिसाई करता रहे और अगर कहीं भ्रष्टाचार का मौका मिले तो वहां से भी कमाई कर लेना चाहता है। यह हमारी आज की दूषित शिक्षा-प्रणाली का असर है। बातें हम करते हैं समाजवाद की पर काम हम करते हैं पूंजीपतियों के। हमारे कारनामे अभी वही रूढ़ीगत सामन्तों जैसे हैं। जवाहरलालजी ने सन् 47 में जो कहा था आज वह सही उतर रहा है। इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहकर मैं उनके ही कथन का हवाला आपको दे देना चाहूंगा जो इकोनॉमिक टाइम्स में निकला है एक लेख में जो गुनार मिरडॉल का है :

"In regard to education Nehru's demand was for a total revolution of the educational system as inherited from the colonial era and adjusted to the interests of the metropolitan power and the Indian upper class. But that is exactly what has not been carried out. The school system has without much of reform been allowed to expand where

(श्री भोपालसिंह)

the pressure was left to be strongest, mostly from the upper and middle class Adult education has been dealt with in a way one of India's great educational authorities., J. P. Naik has characterized as "criminally neglectfull."

"The education Commission published in 1966 a truly excellent report and ended it by stating that the future of the country depends largely upon what is done about education during the next 10 years or so. More than half of that period has now gone without much action on that front, so crucially important not only for social justice, but for growth and development."

तो स्थिति यह है जो इशारा कर रही है कि हमारी सोशलिस्टिक प्लानिंग की दिशा गलत है। इससे देश का निर्माण जो हम करना चाहते हैं नहीं होगा इससे तो पूंजीवाद पनपेगा। समाजवाद तो कतई नहीं है। इस क्षेत्र में जहां हमें बहुत काम करना था, कुछ नहीं किया गया है।

आज हम पांचवी योजना लेकर खड़े हैं और चाहते हैं कि इसके माध्यम से गरीबी का उन्मूलन हो जावेगा और राष्ट्र हर क्षेत्र में हर प्रकार के उत्पादन में आत्म निर्भर हो जावेगा तो यह सब इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे तरक्की के लाभों को किस तरह से डिफ्यूजन करने जा रहे हैं कि जिससे इसका पूरा लाभ नीचे के तबके को मिले। इसका कोई स्पष्ट संकेत तो इससे नहीं मिल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मेगजीन क्या है ?

श्री भोपालसिंह : इकोनॉमिक टाइम्स।

अब मैं सदन का ध्यान डेयरी के डवलपमेन्ट के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : विषय तो यह है आपका।

श्री भोपालसिंह : इस बारे में संकेत दिया गया है कि जोधपुर, बीकानेर में डेयरी प्लान्ट्स लगाये जाने वाले हैं, और बाद में जयपुर में भी लगाया जावेगा। इसके लिए बताया गया कि अग्रिम कदम उठाए जा रहे हैं, फॉडर के लिए बीड़ लगाने की बात सोची जा रही है, चारागाह को डेवलप किया जा रहा है, पर यह नहीं बताया कि यह किस तरह से और कितने अरसे में कर दिया जावेगा। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पांचवी योजना के अन्त तक 30 मिलियन टन दूध प्रति वर्ष पैदा होना चाहिये। इसके लिए 30 लाख पचास सौ लिटर प्रतिदिन दूध देने वाली गायों को तैयार करना होगा। कुछ ऐसी 10 लाख गायें भी हमें तैयार करनी होंगी जो दो हजार लिटर दूध अपने नियत समय में दे सकें। 1800 और दो हजार लिटर के आस पास प्रति

(श्री भोपालसिंह)
लेक्टेशन इस तरह के भैंसें 20 लाख तैयार करने होंगे। इस तैयारी में आप कितना योगदान देने जा रहे हैं यह स्पष्ट करें।

हमारे यहां की जमीन और एनीमल इसके माफिक हैं। पर इसको किस तरह से तैयार किया जावेगा इसका कहीं कोई संकेत नहीं मिलता। आज इस सम्बन्ध में प्लान्ट डालने की बातें तो की जाती हैं पर इसके लिए उपयुक्त गायें कहां से आवेंगी और कितनी हमें तैयार करनी होंगी इसका संकेत कहीं नहीं है। एक थारपारकर ब्रीड की गायों का फार्म है पश्चिमी राजस्थान में। चांदण में चालीस गायों से शुरू करके 300 तक संख्या इनकी पहुंचाई गई है। पर आज उनको सूरतगढ़ के केन्द्रीय फार्म में भेज दिया गया है। इसके बाद जो बची हैं वे शून्य के बराबर हैं और यह सोचा जा रहा है कि इनका फार्म वहां से उठा दिया जावे और उसकी जगह अगर कुछ रखा भी जावे तो कांकरीज की नस्ल के सांड रक्खा जावे। थारपारकर का जहां एरिया है और जहां उस पर उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है उसे तो वहां से हटा कर सूरतगढ़ में फेंक दिया गया है और जिसका वह एरिया नहीं है उन कांकरीज को वहां लाने की बात की जा रही है। यह बड़ी अजीब सी बात है। इससे तो सारी प्लान ही उनकी फेल होने की आशंका पैदा हो गई है। जो जहां पनप नहीं सकती ब्रीड उसे वहां पनपाने की बात की जा रही है। प्रकृति से विरुद्ध वे जा रहे हैं। वहां भूमिगत पानी है यह फेक्टर उस स्थान के चयन के पक्ष में है।

हां इस बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पोकरण में एक चिलिंग प्लान्ट का निर्माण हो गया है। पर इसके साथ बाकी की तैयारी भी कर लेनी है क्योंकि मौसम आने वाला है। दो महीनें रह गए हैं दूध जब दो महीने बाद मिलने लग जावेगा तब उसे कैसे चिलिंग प्लान्ट तक ले जाया जा सकेगा इस बारे में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। को-ऑपरेटिव सोसायटी कब होगी। इस बारे में भी अग्रिम कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

इसके बिना वे मीन्स कहां से आवेंगे, ट्रान्सपोर्ट के साधन कहां से आवेंगे। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक बात और कहना चाहता हूं। और वह है लेवी के सम्बन्ध में। जैसलमेर में बरसात अच्छी हुई। पर इतनी ज्यादा हो गई कि पांच इन्च की जगह पंचास इन्च और कहीं दस की जगह बीस इन्च हो गई। नतीजा यह हुआ कि पहले जो बुवाई हुई थी वह तो हवा से रेतीली जमीन में दब गई और खराब हो गई जहां कठोर भूमि थी पानी से गल गई। अब फसल तो इस तरह से समाप्त हो गई। पर पानी अधिक होने से घास चारा बहुत हुआ और पशु धन पनप गया। इसी को लेकर सरकार ने सोचा कि इस इलाके में फसल से क्या लेना देना। पशु धन बहुत है। इससे ये पेट पाल लेंगे। अब फेमिन के काम न खोलने पड़ जावें। इसलिए फसल के लिए इन्द्राज में यह बताया जावे कि कोई खराबी हीं

(श्री भोपालसिंह)

है। जबकि खराबी बहुत हो गई है। रेकार्ड के अन्दर यह लिख दिया गया कि खरीफ की फसल बहुत अच्छी हुई। ऐसा भी उदाहरण है कि उनके खातों में लिख दिया गया कि फसल बहुत अच्छी है और जब लेवी की डिमाण्ड आ गई तो मांगने लगे इतने एकड़ में आपने खेती बोई है, इतने बीघा में खेती बोई है इसलिए इतना जमा करावो और यह भी कहा गया कि जैसलमेर और पोकरण में जमा करावो जो 100-100, 80-80 मील की दूरी पर पड़ता है। उनके पास लाने को पूरे 12 महीने का अनाज नहीं हुआ। मैंने सभी सम्बन्धित मंत्रियों से, मुख्य मंत्री महोदय से, प्रभारी मंत्री जी से कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है.......

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप इस सम्बन्ध में ध्यान दीजिये किन्तु किसी ने कोई कदम नहीं उठाया आज काम करने के लिए कोई गुंजायश नहीं है। मुझे अफसोस हुआ और निराश होकर बैठ गया। मैंने सोचा और उन लोगों को समझाया कि शायद सरकार यह दूसरे जिलों से कहना चाहती है जैसलमेर दे रहा है इसलिले तुम भी दो, यह स्थिति रही लेकिन कहीं कहीं पर चन्दा लिया गया। 10-10, 20-20 रुपये लिये गये, गरीबों से चन्दा लिया गया, कितना हुआ उसका हिसाब भी नहीं है। मुझे अफसोस है इस बात का कि गवर्नमेंट अपने विवेक से काम क्यों नहीं लेती है उनका कोई भी फैसल-rule आॅफ थम्ब पाया स्थिति की हकीकत के प्रति वे बिल्कुल सजग नहीं है... ..

श्री परसराम मदेरणा : आपकी जो खड़ीने है पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में उससे रबी की फसल ठीक हो रही है या नहीं ?

श्री भोपालसिंह : रबी की फसल तो उतनी ठीक नहीं हुई है जितनी होनी चाहिले थी, किन्तु फिर भी ठीक है लेकिन ऑइल सीड्स की जो फसल है वह खराब हो गई। जैसे तारामीरा है.......

श्री परसराम मदेरणा : गेहूं की।

श्री भोपालसिंह : गेहूं जो पहले बोया था वह तो खराब हो गया लेकिन जो बाद में बोया वह ठीक हुआ है। 10 साल के अन्दर हमारे यहां इतनी तकाबी दी गई है ....

श्री सभापति : आपका दो मिनट का समय समाप्त हो गया।

श्री भोपालसिंह : गायों के लिए तकाबी दी गई, सारी गायें अकाल में मर गई बाद में बैलों के लिए तकाबी दी गई और 60 रु. प्रति आदमी प विशेष सहायता के दिये जो पांच आदमियों पर 300) रु. होते हैं। उधर खरीफ की फसल नहीं हुई पिछले सालों में जितना पशु धन था उसका आधा भी नहीं रहा है। सरकार ने भी माना था कि यह क्षेत्र पशु प्रधान है इसलिए अकाल घोषित मत करो इसलिए न केवल तकाबी मांगी जा रही है लेकिन जो 10 वर्ष का ब्याज है, वह दुगना हो रहा है। जब अकाल है तो ब्याज ससपेन्ड होना चाहिये। सब मिलाकर एक कुटुम्ब पर हजार-हजार का खर्चा हो गया है। पशु अब हमारे वन फोर्थ भी नहीं रहे हैं। वे लोग कहते है, अब हम कहां से लायें और यह वाजिब बात भी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो ब्याज है इन सालों

(श्री भोपालसिंह)
में जहां फैमिन था और जहां हमारी मजबूरी है, हमारी कोई गलती नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है जहां जहां लगान ससपेन्ड किया गया है उन सालों में व्याज नहीं होना चाहिए। यह न्याय की बात है गरीबों ने कर्जे लिये थे और जहां आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं यह वाजिब बात है इसलिए इस कर्जे से उनको छुटकारा मिलना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : लैण्ड रेवेन्यू की बात कह रहे है ?

श्री भोपालसिंह : नहीं। तकावी की।

श्री परसराम मदेरणा : लैण्ड रेवेन्यू तो इयर ऑफ्टर इयर अकाल हो जाता है तो ....

श्री भोपालसिंह : नहीं, एस. जी. आर. की है।

मैं यह कहना चाहता हूं जहां डेयरी का प्लान्ट लगाने जा रहे हैं, जो कुछ हमारे पशु हैं, उनको भी देना पड़ेगा। कर्जा चुकाने के लिये हमारे गरीब के पास कुछ भी नहीं रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इस डेयरी का लाभ गरीब तबके को मिलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : श्री ज्ञानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह : नहीं है।

श्री सभापति : श्री जयकिशनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री खेत सिंह : नहीं है।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह : नहीं है।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह : नहीं है।

श्री सभापति : श्री केसरीमल !

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह : नहीं है। हमारे नाम और भी दिये हुए हैं उनमें से पढ़िये।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : आपकी पार्टी ने तो टाइम ले लिया है।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

टाइम हमारा बचा हुआ है। आपका बचा हुआ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री सुरेश चन्द्र) बोलना चाहते हैं।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण परम्परानुसार इस सदन में प्रारम्भ हुआ। बड़ी उत्सुकता थी और बहुत बड़ी आशायें थीं इस बार जब हमारा प्रदेश अकाल और अभाव की स्थिति से गुजर रहा है और यह उम्मीद थी कि राज्यपाल महोदय

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
के भाषण में ऐसी कोई सरकार की घोषणा की जायगी जिससे जनता को राहत मिले लेकिन मुझे अफसोस है बड़े कान लगाकर भाषण सुना लेकिन कहीं कोई बात नजर नहीं आई। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण की शुरूआत हमारे प्रदेश की महंगाई, बाढ़ और अकाल के साथ में शुरू किया और बताया जिस स्थिति से देश गुजर रहा है उसका सामना करना जरूरी है। अकाल और बाढ़ की चर्चा इस सदन में पिछली बार काफी हो चुकी है। अबकी बार शीतलहर का काफी बुरा असर पड़ा है। इस सदन में बहुत बड़ी चर्चा रही है कि राजस्व अधिकारियों ने जांच नहीं की और जिन गांवों में अकाल होना चाहिये था वहां अकाल घोषित नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी सरकार से किसी प्रकार की ऐसी बात न हो जाय जो अप्रिय हो इसलिए अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वे पूरा लेखा-जोखा लें कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है।

मंहगाई की चर्चा भी इस सदन में तीन चार रोज से हो रही है। मंहगाई को और चीजों के अभाव को आप रोक नहीं सकते। हमारे खाद्य मंत्री ने यह कह दिया जो कुछ हम वितरण कर रहे हैं, शहरों की आबादी को देखकर कर रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात कह सकता हूं पिछले पांच महीने से राशन का अभाव है और जब आपसे कहा जाता है तो जवाब मिलता है नगरपालिका क्षेत्र में देना चाहते हैं। गांवों में आप नहीं दे सकते हैं। गांवों की याद तो आपको जब आती है जब चुनाव होते हैं और जब आपको वोट लेने की आवश्यकता होती है। आज आपके पास किसानों को क्रूड ऑयल देने को नहीं है, किसानों को सीमेन्ट देने को नहीं है, किसानों को तेल-पेट्रोल देने को नहीं है फिर है क्या आपके पास उनको देने को? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस यह कहती है जो घोषणा करती है, उसको पूरा करती है। मैं कहना चाहता हूं सदन में घोषणा की थी जो लोग लेवी देंगे उसको सीमेन्ट दी जायगी, उनको क्रूड ऑइल दिया जायगा, उनको खाद दिया जायगा, उनको बीज दिया जायगा, उनको कार्ड दिये जायेंगे लेकिन आज इनमें से कोई चीज नजर नहीं आती है। न वह सीमेन्ट नजर आती है, न क्रूड ऑइल नजर आता है। जनता देख रही है कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं। आपके कहने और करने में बहुत अन्तर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि इस अभिभाषण में समाजवाद की बात कहेंगे लेकिन उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सन्तोष है कि कम से कम हमारा मंत्रीमण्डल तो समाजवाद लाना चाहता है और इस अभिभाषण के अन्दर समाजवाद की बात शायद वह किसी भूल से नहीं लाये। और मुझे समाजवाद पहली बार कहां नजर आया कि पिछली बार दो मार्च को क्या किसी ने किसी मंत्री को कार ले जाते देखा? इसके अलावा उन्होंने अपनी कारों पर झण्डी लगाना बन्द कर दिया और यह उन्होंने खतम कर दिया और जनता में अपने आपको उन्होंने शामिल कर लिया। मैंने कहा कि यह समाजवाद का उदाहरण है तो सही और मैंने देखा कि दो मार्च को हमारे मंत्री बस में बैठकर आये। हमारा मंत्री मण्डल इस मामले में भी कम से कम समाजवाद लाया। वह कारों को छोड़कर बसों में आ गये हैं। लोगों ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। यह गलत कहते होंगे। मैंने कहा कि नहीं

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

ऐसा नहीं है। हमारे मंत्री लोग झूठ तो बोलते हैं लेकिन हमेशा नहीं बोलते। आज उन्होंने कार्य रूप में यह दिखा दिया है वह सचमुच समाजवाद लाना चाहते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह तर्क तब झूठा पड़ गया जब मैंने वापिस 4 तारीख को फिर इनको कारों में देखा। मैंने सोचा कि यह समाजवाद कैसे बदल गया तो लोगों ने कहा कि मंत्री समाजवाद नहीं ला रहे हैं, इनकी मन्शा नहीं है समाजवाद लाने की, इनकी नीयत नहीं है समाजवाद लाने की। यह डर से, भय से, आतंक से और हड़ताल से डर गए। बसों में छुपकर आये, पुलिस के साथ आए। मैंने कहा कि फिर भी तारीफ तो कीजिए कि चाहे डर से सही, चाहे भय से सही, चाहे आतंक से सही लेकिन समाजवाद तो ला रहे है। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। दुबारा कारों में आ गये कोई बात नहीं है। फिर भी कभी जनता का डर रहेगा तो फिर समाजवाद की बात करेंगे।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं हड़ताल, बंद आदि का समर्थन नहीं करता, हमारा दल भी नहीं करता। हमने बराबर इसके लिए सरकार का सहयोग किया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम और हमारी जनता जिन कारणों को लेकर यह हड़ताल और बंद आयोजित किया गया उसकी भावना को प्रकट नहीं करता। आज जनता में भारी असन्तोष है। विद्यार्थियों की हड़ताल, कर्मचारियों की हड़ताल, लोको की हड़ताल, यह सब क्या जाहिर करते हैं ? आखिर जनता में असन्तोष तो है लेकिन इसका इलाज क्या है ? इसका इलाज यह है कि आप इतनी लम्बी चौड़ी फौज इकट्ठी कर लें, फायरिंग कर लें, लाठी चार्ज कर लें, अश्रु गैस छोड़ दें—यह इसका इलाज नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इसका इलाज आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए गम्भीर रूप से विचार करना पड़ेगा। यदि आप जनता से नहीं डरे तो गुजरात की सी स्थिति यहां आयेगी। इसको न आप रोक पायेंगे और न हम ही रोक पायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि जनता ने अपना रुख बदल लिया और जनता जब से देश आजाद हुआ पिछले 25 वर्षों से इस तरह की स्थिति बरदाश्त कर रही है और अब हालत बरदाश्त करने वाली नहीं है, अब वह स्टेज नहीं है कि जनता नारों और भाषणों से सन्तोष कर ले। जब वह अपना रुख बदलेगी तो आपको और हमको दोनों को पकड़ेगी, जूतियां लगायेगी, पीटेगी और पूछेगी कि बताओ तुमने पिछले 25 सालों में क्या किया। इस स्थिति से न तो आप बचेंगे और न हम ही बचेंगे। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के भाषणों से और नारों से जनता का पेट भरने वाला नहीं है, जनता को इससे सन्तोष होने वाला नहीं है और यह मैं स्पष्ट कहता हूं कि गुजरात की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि कुछ जगहों पर हम चुनाव जीत लें और वह भी किन तरीकों से जीते हैं यह सब जानते हैं। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप समय रहते जागो।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर लेवी की बातें बहुत की जाती हैं और जब भी कभी लेवी की बात करते हैं तो कहते हैं कि विरोधी पक्ष उसका विरोध करता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, लेवी के मामले में तो

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

जनता विरोधियों के साथ और वोटों में आपके साथ। यह कैसी बात है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सही बात हम करेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी और यदि सही बात आप करेंगे तो जनता आपके साथ रहेगी। जनता ने किसी के साथ रहने का ठेका नहीं ले रखा है। जनता ने आपको वोट दिया, ठीक है, मैं मानता हूं लेकिन जब लेवी की बात करते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस के सदस्य कितने हैं जो कि कांग्रेस के साधारण सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य हैं, जो प्रधान हैं, जो एम. एल. ए. हैं और उन्होंने कितनी लेवी दी ? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं—आप बतायें कि उन्होंने कितना गेहूं दिया ? उन्होंने कितनी लेवी दी और कितना इस मामले में आपका सहयोग दिया ? अगर गेहूं सब ने दिया और सब ने लेवी दी तो मैं मानता हूं कि आपके साथ हैं। लेकिन आप अपनी लिस्ट उठाकर देखें तो आपको उनका नाम कटा हुआ मिलेगा। बहुत ही कम ऐसे होंगे जिन्होंने कि लेवी दी। फिर आप बतायें कि यह हालत है तो आपके साथ कितने हैं ? आपके लोग ही आपका साथ नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आप अपनी नीतियों को सही रूप देना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीयकरण को लागू कीजिए। मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण अवश्य होना चाहिए। अच्छी नीति है। लेकिन जो उसका मूल उद्देश्य था आपने कहा था कि जनता को उचित दाम पर हम अनाज देंगे, आपने कहा था कि हम व्यापारियों को मुनाफा नहीं कमाने देंगे, उनको ब्लैक नहीं करने देंगे और बिचौलियों को समाप्त करेंगे तो क्या आपने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर दी ? मैं तो यही कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में व्यापारी कहते हैं कि यह राष्ट्रीयकरण जो किया है इससे आपने जितना कमाया है जिन्दगी में कभी नहीं कमाया। यह हालत है आपके राष्ट्रीयकरण की।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा मेरे पड़ौस में है। मन्त्री महोदय जानते हैं क्योंकि जब वह दिल्ली जाते हैं तो वहीं से गुजरते हैं। वहां पर यह सवाल आया था कि हरियाणा बोर्डर पर बहुत तस्करी हो रही है। क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां पर पहले ही चुंगी की चौकी और पुलिस की चौकी बोर्डर पर लगी हुई है। सप्लाई वाले कहने लगे कि हमारी भी यहां बोर्डर पर चौकी होनी चाहिए। उनकी भी चौकी कायम हो गयी और फिर भी तस्करी बराबर हो रही है। सप्लाई वाले भी वहां पहुंच गये उसके बाद भी बराबर तस्करी चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां बोर्डर पर यहां तक हुआ है कि थानेदार से कहा कि तुम ट्रकों को जाने देते हो और पैसे लेते हो। गांवों वाले ट्रक रोकते हैं, थानेदार मौके पर गया है और गांव वालों की पिटाई की है। जब यह हालत है तो आप बतायें, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप किसका भ्रष्टाचार रोकेंगे ?

आपने 11 अधिकारियों का जो कि सप्लाई विभाग में थे उनका ट्रान्सफर कर दिया। हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार को मिटाने की शुरुआत हो। लेकिन मैं इसको पर्याप्त नहीं मानता। आप

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

कह सकते हैं कि उनके खिलाफ शिकायतें थीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, जब उनके खिलाफ शिकायतें थीं तो फिर आप उनका ट्रान्सफर कैसे करते हैं ? आप उनको सस्पेण्ड कीजिए, आप उनको चार्ज शीट दीजिए और यदि सचमुच भ्रष्टाचारी हैं तो उनको डिसमिस कीजिए। आप कह रहे हैं कि जो एन्फोर्समेंन्ट ऑफिसर और एन्सफोर्समेन्ट इन्सपैक्टर्स करप्ट हैं हम उनसे उनका काम छीनेंगे। लेकिन आप स्वयं सोचें कि क्या यह पर्याप्त होगा। मेरे विचार में तो यह कतई पर्याप्त नहीं होगा। आपने अभी अपने सप्लाई विभाग में 300 एन्फोर्समेंन्ट ऑफिसर्स और इन्सपैक्टर्स की नियुक्तियां की हैं और उनकी नियुक्तियां जिस तरीके से की हैं आप समझते हैं कि आप उससे भ्रष्टाचार को रोकेंगे जबकि उनकी पैदाइश ही भ्रष्टाचार में हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। आप कहते है कि व्यापारी चोर हैं जो चोर हैं उनको आप सजा दीजिए। मैं कब कहता हूं कि उनको सजा न दीजिए जो चोर हैं, तस्करी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको आप सख्त से सख्त सजा दीजिए। सरकार भी कहती है कि जो ब्लैक मार्केट करता है, जो तस्करी करता है, जो चोरी करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये तो आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमजोरी तो अवश्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खबर पढ़ी है कि हमारे मुख्य सचिव हैं, जब बरकतुल्ला साहब मुख्य मंत्री थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सारे कलेक्टर्स को बुलाया और कहा कि गेहूं के प्रोक्योरमेन्ट के लिए हमने गाड़ियों की व्यवस्था की है, उड़न दस्तों की व्यवस्था की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उसमें निर्णय लिया कि जो लेवी नहीं देंगे, जो चोर बाजारी करेंगे, उनके खिलाफ आपने कितने छापे मारे। और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला साहब ने कहा कि हम प्रधानों के यहां; एम. एल. ए. के यहां जो लेवी नहीं देंगे और जिनके यहां गेहूं होगा उनके यहां छापे मारेंगे लेकिन आपने एक भी यहां पर छापा नहीं मारा। वर्ना आप बतायें कि कितने लोगों के यहां आपने छापे मारे। आपके उड़न दस्ते राजधानी से रवाना ही नहीं हुए। आपने कितनी घोषणायें की और कितनी पूरी की जरा बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शशिभूषण जी की बात को बहुत पसन्द करता हूं। उन्होंने कहा है कि लोगों को गोली से उड़ाना पड़ेगा फिर देश सुधरेगा। तो लोगों को गोली से उड़ाने वाली बात तो दूर की बात है मैं तो कहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो चोर हैं उनको आप सख्त से सख्त सजा तो दीजिए और जब तक आप ऐसा उदाहरण पेश नहीं करेंगे तब तक यह मशीनरी सुधरने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मंहगाई और अभाव के बारे में बातें कहीं और दूसरी तरफ खाद्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हम जन प्रतिनिधियों को वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए शामिल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पहले कमेटी बनाई थी उसकी मीटिंग ही नहीं की, जिला स्तर पर मीटिंग नहीं होती, आप क्या बात करते हैं। आप अधिकारियों के साथ जन प्रतिनिधियों को बिठाना पसन्द नहीं

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

करते । लेकिन बात तो यह है कि आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं । कुछ तो आप में कमजोरी है, कुछ आप में बेईमानी है तो फिर आप कैसे सुन सकते हैं । इसमें कई तरह की बातें हैं, कई कमजोरियां हैं जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं सकते हैं । इसके बावजूद आप जनता को गुमराह करने के लिए घोषणाएं करते हैं कि हम कुछ करना चहाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि पहले 150 क्वि. की सीमा आपने रख रखी थी कि किसी भी व्यापारी के पास 150 क्विन्टल से अधिक नहीं रह सकता, किसी मिल वाले के पास 150 क्विन्टल से अधिक नहीं रह सकता लेकिन उसको बाद में बढ़ा कर व्यापारी के लिए पांच सौ क्विन्टल और मिल मालिक के लिए 1500 क्विन्टल कर दिया । तो इसकी भी कोई सीमा है····

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री) : कच्चे माल का सवाल है ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : मैं आपसे कहना चाहता हूं ।····

श्री शिवचरण माथुर : डेढ़ सौ क्विन्टल तो पक्के माल की सीमा थी और चावल मिल वालों के प्रोडक्शन की कच्चे माल को सीमा थी वह अब 1500 क्विन्टल है ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : आदेश तो आपने ही दिया था । या तो पहले वाला आदेश गलत था या अब वाला गलत है, जरूर कहीं न कहीं तो गल्ती हुई है । होता क्या है कि अधिकारियों को पहले व्यापारी खुश करते हैं और फिर वे आपके सामने इधर उधर के कागज बना कर फाइल पुट-अप करते हैं और आपके उस पर दस्तख्त हो जाते हैं । इसी में वे गड़बड़ी करते हैं, करप्शन करते हैं । उसमें आपको अपने विवेक पर चलना पड़ेगा अगर वास्तव में आप स्थिति सुधारना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह की हालत रहती है और आप इस हालत को सुधारना चाहते हैं तो आपको गांवों को भी शामिल करना पड़ेगा । आप कहते हैं कि आपकी मजबूरियां हैं, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि गांवों की भी अपनी समस्याएं हैं, उनको अनाज नहीं मिलता है, उनको सीमेंट नहीं मिलता है, उनको क्रूड आयल नहीं मिलता है । उनको डीजल नहीं मिलता है, अनाज आप उनको दे नहीं सकते । आप भी जब गांवों में जायेंगे तो आपका भी उनसे वास्ता पड़ेगा । आप भले ही शहर वालों को मना लें लेकिन जब आप अपने क्षेत्र में जायेंगे तो आपका गांव वालों से वास्ता पड़ेगा । हमारा भी वास्ता पड़ता है । माननीय मंत्रीजी आपका भी क्षेत्र गांवों में है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो हमेशा जाता हूं ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : हम भी गांवों में जाते हैं तो हम यह कह कर नहीं बच सकते कि हम विरोधी दल के हैं····

श्री शिवचरण माथुर : मेरे क्षेत्र में एक भी शहर नहीं है । सबसे बड़ा कस्बा जो है उसकी आबादी पांच हजार की है ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि हम उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और और भी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं जबकि आपके बिजली बोर्ड के पास एक नया पैसा नहीं हैं कनेक्शन देने के लिए, वे कनेक्शन नए दे नहीं सकेंगे। गांवों को आप बिजली नहीं दे सकते, क्रूड आयल नहीं दे सकते, खाद आप नहीं दे सकते, सीमेंट नहीं दे सकते, बीज नहीं दे सकते तो फिर आप किससे उत्पादन बढ़ायेंगे। केवल आप कागजों पर उत्पादन बढ़ाना चाहें तो कागजों में भले ही उत्पादन बढ़ जाय लेकिन वास्तव में उत्पादन नहीं बढ़ने वाला है। वास्तव में अगर आप राज्य में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और आपके सामने जब क्रूड आयल की समस्या है तो आपको बिजली का विस्तार करना पड़ेगा। मेरी बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक नया पैसा भी नहीं है। यदि आप बिजली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप आर. ई. सी. के तहत अपनी स्कीमें बनावें जिससे गांवों में बिजली का प्रसार हो सके। नई स्कीमें बनाने से आपको आर. ई. सी. के तहत पैसा मिल सकता है। इसके लिए आपको अधिकारियों पर पाबन्दी लगानी पड़ेगी जो स्कीमें बना कर सेंटर को अप्रोच करें और नई नई स्कीमों को मंजूर करावें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली के मामले में मेरे क्षेत्र की भी आर. ई. सी. स्कीम थी लेकिन वह वर्षों से ऊपर ही ऊपर चल रही है अभी तक नीचे नहीं आई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ में बहुत सजगता से काम करना होगा। अब मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह जो शिक्षा का मामला है इसमें यह घोषणा की गई है कि हमने एक हजार स्कूल पिछली बार खोल दिये हैं। यह बात ठीक है और संतोष की स्थिति है, लेकिन केवल इस पर हम सन्तोष करके चलें तो काम चलने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि हमको अध्यापक मिलते नहीं हैं लेकिन हजारों ट्रेंड अध्यापक बैठे हुए हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर ही अनेकों ट्रेंड अध्यापक हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है...

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : आपके पास सूची हो तो आप दे दीजिए, उन सबका अपॉइन्टमेंट हो जाएगा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : मेरे पास सूची है, आप कहते हैं तो यह अच्छी बात है।

श्री केशरीमल : भाषण से यह फायदा तो हो गया कि इतने मास्टरों को काम पर लगा दिया।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोल देने से ही काम नहीं चलने वाला है। शिक्षा वास्तव में आप देना चाहते हैं तो आपको कॉलेज के स्तर पर भी शिक्षा का विस्तार करना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हैं लेकिन आपको कॉलेज स्तर पर शिक्षा का विस्तार करना पड़ेगा। अगर आप शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं तो आपको गांवों में भी कॉलेज शिक्षा को बढ़ाना होगा।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, जल प्रदाय के बारे में भी अर्ज करूं। जल प्रदाय की बहुत बड़ी समस्या राजस्थान में है और

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

राज्यपाल महोदय ने भी कहा है कि सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। लेकिन मैं आज की जो हालत है उसको सामने रखूं तो आपको उससे कोई खुशी नहीं होगी। एक तरफ यह घोषणा की गई कि दो हजार की आबादी वाले गांव अगर ढाई प्रतिशत रुपया जमा करा देंगे तो उनके यहां पर नल योजना लागू कर दी जाएगी, लेकिन क्या हुआ उसका? आपके पास पैसा नहीं है। क्या आप योजना पूरी कर सकेंगे? 25-26 वर्ष की आजादी में आप लोगों को अनाज नहीं दे सकते, मकान नहीं दे सकते, पूरा कपड़ा नहीं दे सकते तो कम से कम पीने को पानी तो दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि इतने गांवों में बिजली लगा दी लेकिन पहले कितने गांवों में बिजली थी, यह बात देखने की है। जैसा कि अभी सुमित्रा जी ने कहा था कि हम दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं पर भी स्टेंड नहीं करते हैं। हमें अपनी स्थिति देखकर शर्म आती है। राजस्थान को सबसे नीचे बताया गया है। हम भारत के नक्शे पर कहां पर स्टेंड करते हैं—यह बात बताई गई थी। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सिंचाई या स्वास्थ्य की बात हो, कहीं पर भी हम नजर नहीं आते हैं। कहीं पर भी ऊपर नहीं हैं, दूसरी मंजिल पर भी नहीं है और तीसरी सीढ़ी तक भी नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई हमारे लिए गौरव बढ़ाने वाली बात नहीं है। केवल घोषणायें कर देने से समाजवाद नहीं आ सकता है, गरीबी हटाओ नारे से गरीबी नहीं हट सकती है। इससे गरीबी हटने वाली नहीं है। आपकी गरीबी हट सकती है लेकिन जनता की गरीबी नहीं हट सकती। आपके जो दस, बीस, पचास सौ लोग हैं उनकी गरीबी हट सकती है लेकिन आम जनता की गरीबी नहीं हट सकती है।

आज उद्योगों की हालत को ले लें। आप कहते हैं कि हम उद्योग लगाने जा रहे हैं, कहां उद्योग लगाने जा रहे हैं? मैं तो यह कहता हूं, कि एक बोर्ड, इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट बोर्ड बनाना चाहिए जो इण्डस्ट्रीज की तरफ विशेषरूप से ध्यान दे। मेरे इलाके के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में लाइम स्टोन है और सात-आठ साल पहले यह घोषणा की गई थी कि कोटपूतली में सीमेंट फैक्ट्री लगाई जाएगी, लेकिन क्या हुआ उसका? आप नई नई जगहों की घोषणायें तो कर देते हैं लेकिन होता क्या है उसका? हालत यह हो रही है कि आज खानों के ठेके ऐसे लोगों को दे रखे हैं जो उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वास्तव में आप उद्योग लगाना चाहते हैं तो जहां पर लाइम स्टोन पर्याप्त मात्रा में है वहां पर सीमेंट फैक्ट्री लगावें और इस तरह से कोटपूतली में सीमेंट फैक्ट्री लगानी चाहिए।

अभी राज्यपाल महोदय ने यह भी अपने भाषण में कहा कि हमने रोडवेज का नेशनलाईजेशन किया और 25 प्रतिशत रूट का नेशनलाईजेशन कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। 25 प्रतिशत अभी नहीं कर पाए तो अब कर देंगे लेकिन किस तरह से करेंगे। जयपुर से बाड़मेर तक बस चलादी और वह 16 घण्टे में जाकर वहां पहुंचेगी और किलोमीटर के हिसाब से आपने मान लिया कि 25 प्रतिशत नेशनलाईजेशन हो गया, इस तरह से आप भले ही नेशनलाईजेशन का अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे लेकिन इससे

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

होता क्या है। अगर हम इस बारे में कुछ कहेंगे तो फिर हमको प्रतिक्रियावादी कहा जाएगा, अभी कहेंगे कि ये नेशनलाईजेशन को पसन्द नहीं करते। लेकिन आप यह तो देखिए कि आपकी बसों की हालत क्या है। कभी बसें टाइम पर पहुंचती नहीं, कण्डक्टरों का व्यवहार यात्रियों के साथ ठीक नहीं रहता, वे चोरियां करते हैं आपकी बसों की सीटें फटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हुए हैं, यह सब हालत हो रही है....

श्री खेतसिंह : शीशे तो आप तोड़ देते हैं लगाने से क्या फायदा।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : मुझे खेद है कि आप इसका दोष भी हमी पर लगा रहे हैं जब हम बन्द में शामिल हुए नहीं, यहां चुपचाप बैठ कर भाषण सुनते रहे और फिर भी आरोप हमारे पर ही लगा रहे हैं। हमारा दल तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करता और न आन्दोलनों में विश्वास करता है।

श्री खेतसिंह : आपसे मतलब, इनसे (साम्यवादी दल) था।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : दुर्भाग्य यह है कि ये कभी तो आप में मिल जाते हैं और कभी विरोध करने लग जाते हैं। यह विवाह और तलाक होता ही रहता है, लेकिन हम चक्कर में नहीं पड़ते। हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते और न कभी तोड़ फोड़ की है। लेकिन आपके भी समझने की भाषा दूसरी है। आप भी इन्हीं की भाषा से समझते रहे हैं। कोई हल्ला मचाए, तोड़ फोड करे तो आप उनको बात तुरन्त सुन लेते हैं लेकिन शांतिपूर्वक, कंस्ट्रक्टिव अगर कोई बात आपसे कही जाय तो आप सुनते नहीं है।

मैं अभी आपसे राष्ट्रीयकरण की बात कह रहा था। आप चाहें राष्ट्रीयकरण करें लेकिन आपको अपनी व्यवस्था में सुधार करना होगा। आज यातायात मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं, जो बहुत ज्यादा राष्ट्रीयकरण की बात कहते थे लेकिन उधर बैठते ही रूप बदल जाता है। पता नहीं कुर्सी में क्या असर है कि उस पर बैठते ही चेहरा बदल जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो आपको अपनी इमेज भी बनानी पड़ेगी। आपको जनता के सामने अपनी तस्वीर भी सुधारनी पड़ेगी कि आप किस तरह की सुविधाएं जनता को चाहते हैं। अगर प्राईवेट बसें चलती हैं और उनके साथ आपकी राष्ट्रीयकृत बसें भी चलती हैं तो उनके कम्पेरिजन में आपको भी जनता को सुविधाएं देनी पड़ेगी। अगर आप सुविधाएं नहीं देते हैं तो आपकी इमेज तो खराब होगी ही साथ ही साथ जनता में असंतोष भी पैदा होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें भी आपको सुधार लाना पड़ेगा।

इसके अलावा लेवी के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे लिए कहते हैं कि हम लेवी का विरोध करते हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में लेवी की वसूली हुई है, किसान अपना अनाज लेकर आए लेकिन उनको पेमेंट करने वाला अधिकारी नहीं है। अनाज लेने वाला और क्वालिटी देखने वाला अधिकारी नहीं है आप आरोप हम पर लगाते हैं। आप अपनी मशीनरी देखिये। कलेक्टर, जयपुर को हमने एप्रोच किया है। हमने उनको

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

बताया है। बहुमत आपका प्रदेश में है। वोट लेने में तो आपका काम चल जाता है। वोट मिलता है तो आप कहते हैं, हमारे प्रभाव से मिलता है। कल रामानन्दजी बता रहे थे। डूंगरपुर में आप लेवी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि कल चुनाव होगा तो आप वोट लेंगे। आपके मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की हालत क्या है? सीकर, झुंझुनूं और चूरू में क्या हालत है? आपका जनता पर प्रभाव नहीं है। अगर नीतियों का प्रभाव मानते हैं तो जनता का विकास करें। क्योंकि आप यह नहीं कर सकते हैं। लेवी में और प्रोक्योरमेन्ट में जनता आपके साथ नहीं है। जनता नेशनाईलेजशन के साथ नहीं है। कितने आपके प्रधान हैं। कितना उनके फार्म से गेहूं आया है। कांग्रेस का सर्क्यूलर आया है कि जो कांग्रेस के प्रधान हैं, वह अगर गेहूं नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तो किसी ने 10 किलो दिया है। किसी ने 2 किलो दिया है। ये खेतसिंहजी हैं। आपके लाखों में मेम्बर हैं जिन्होंने एक किलो भी नहीं दिया है। उनके खिलाफ क्या किया है। क्या उन पर भी हमारा असर पड़ा है? गेहूं देने में मामले में हमारा असर पड़ेगा। हम विरोधियों का उन पर असर पड़ेगा? आपकी यह घोषणा फाइलों में होती है। आपके अधिकारी काम नहीं करते हैं। आप विरोधियों को दोष देते हैं। फिर कहते हैं कि मशीनरी सामन्तवादी है। अगर मशीनरी सामन्तवादी है तो मशीनरी बदलने का अधिकार भी आपको है। आपके हाथ में मशीनरी बदलने की शक्ति है। आज आपकी मशीनरी कण्ट्रोल में नहीं है। आपके कर्मचारी आपके साथ चलते नहीं हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था, इस आधार पर काम करने वाले हैं तो यह ठीक नहीं है। आपको अनाज और सीमेन्ट की व्यवस्था करनी होगी। किसान के दुःख-दर्द के बारे में बात करनी है। किसान की हालत बिखरती है तो उसका मतलब है किसान के उत्पादन की हालत गिरती है। आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि और विभागों को बन्द कर दें। शिक्षा विभाग को बढ़ाना है। बिजली विभाग को बढ़ाना है। इन्दिराजी के व्यक्ति काम करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि आज अनाज की दिक्कत कैसे आ गई है। तो कहेंगे कि इन्द्रदेवजी नाराज है। अगर वर्षा अच्छी हो जाये तो कहेंगे कि हरि क्रान्ति हुई। आपका अपना मतलब यह है कि आपका अपना योगदान नहीं है। आप अपनी योजनाओं में पले हैं। इन्द्रदेव पर आप निर्भर हैं। इन्दिराजी पर विश्वास नहीं है और जगहों पर हम देख रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं किसी दल की बात नहीं कहता हूं। हिंसा के आधार पर या घिराव से अच्छा होने वाला नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप आज यदि शान्ति से हैं तो इसका मतलब यह नहीं हैं कि जनता चैन में और आराम में है? वह कब तक बराबर बरदाश्त करती रहेगी? इसको भी सोचना चाहिए। यह भी सोचना चाहिये कि जितना होगा उसके अन्दर काम चलायेंगे। यह हमारी कमजोरी है। जहां ब्लैक मार्केट होगा। जहां लोगों के गोदाम हैं, उनको हम निकलवा नहीं सकते हैं। जो छुपा हुआ अनाज है, वह जनता के अन्दर बंटवा दिया जाये। केन्द्र के पास जो है। वह मिलने वाला नहीं है। लेकिन आपके पास जो है,

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

आपकी मशीनरी है, वह किस प्रकार करती है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि कितना रुपया भरतपुर में खर्च हुआ और कितना रुपया आसींद मे खर्चा हुआ। हम यह नहीं कहना चाहते है। अपनी इमेज बनाने के लिए, आप ईमानदारी दिखाने के लिए यह कहते हैं कि जखीरेबाजों को पकड़ेंगे। आप यह तो कहते हैं कि हम प्रयास करेंगे। एक्शन आपके कितने हैं? गोदामों पर कितने छापे मारे हैं कृपया सदन में बतायें। कितने व्यापारियों के हथकड़ियां लगवाई हैं? कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। किस आधार पर आपकी मजबूरी है। जनता की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और, जब हम यह कहें कि लोग भूखे मर गये तो आप कहेंगे कि भूख से नहीं मरे, बीमारी से मर गये हैं। आप जानना चाहते हैं? जानते है और आप भी महसूस करते हैं। दल के लोग कहेंगे तो आप कहेंगे कि दल के लोगों को अनुशासन में रहना चाहिये। लेकिन आप जानते हैं कि हालत क्या है? सदन में आप नहीं कह सकते हैं। आखिर इसका इलाज कैसे हो सकता है? अब स्थिति जनता की बरदाश्त करने वाली नहीं है। बेरोजगारी और भुखमरी है। रोजगार आप दे नहीं सकते हैं। आखिर किस प्रकार से काम चलेगा। इसके लिए युवकों को आन्दोलन करना पड़ेगा। युवक बदलाव लाकर रहेंगे, यह आप जानते हैं। आपको ध्यान है, मेरी उम्र तो फिर भी कम है, लेकिन यहां जो बुजुर्ग माननीय सदस्य बैठे हैं उनको ध्यान हैं कि आजादी की लड़ाई में युवकों ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। जब आजादी की लड़ाई में युवकों ने रोल अदा किया तो क्या आप समझते हैं कि उनको आप भाषणों से सन्तुष्ट कर देंगे, उनको आप घोषणाओं से राजी कर देंगे, यह कह कर संतुष्ट कर देंगे कि तुम्हारा भत्ता बढ़ा देंगे, डॉक्टरों का····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

सदन की कार्यवाही कल 7 मार्च, 1974 को दिन के 9 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6 बज कर 30 सैकिंड पर बृहस्पतिवार, दिनांक 7 मार्च, 1974 के प्रातः 9 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा भंगी कष्ट मुक्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 से 72-73 तक विभिन्न नगरपालिकाओं को आवंटित धनराशि की जिलेवार सूची

क्रम संख्या	नाम जिला	यांत्रिक उपकरणों के क्रय हेतु	निजी सूखे शौचालयों को फ्लश में परिवर्तन हेतु	सार्वजनिक सूखे शौचालयों को फ्लश में परिवर्तन हेतु	योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	502000	378000	238000	1118000
2.	अजमेर	349000	267500	179500	796000
3.	जोधपुर	275000	200000	115000	590000
4.	बीकानेर	186000	143000	85000	414000
5.	कोटा	159000	146000	91000	396000
6.	उदयपुर	139000	110000	122000	371000
7.	अलवर	101000	80000	53000	234000
8.	गंगानगर	153000	120000	69000	342000
9.	सीकर	150000	95000	40000	285000
10.	भरतपुर	119000	110000	62000	291000
11.	भीलवाड़ा	101000	55000	33000	189000
12.	टोंक	77000	61000	55000	193000
13.	चूरू	233000	190000	119000	542000
14.	पाली	68000	50000	24000	142000
15.	बाड़मेर	40000	30000	15000	85000
16.	बूंदी	46000	45000	28000	119000
17.	झुंझुनूं	101000	93000	55000	249000
18.	नागौर	116000	85000	33000	234000
19.	सवाई माधोपुर	98000	165000	39000	302000

1	2	3	4	5
20. बांसवाड़ा	28000	25000	14000	67000
21. चित्तौड़गढ़	69000	62000	33000	164000
22. झालावाड़	34000	76500	35500	146000
23. सिरोही	54000	45000	27000	126000
24. डूंगरपुर	28000	30000	19000	77000
25. जैसलमेर	23000	20000	14000	57000
26. जालोर	40000	30000	10000	80000
योग ...	3324000	2607000	1608000	7539000

पॉयलट प्रोजेक्ट स्कीम :

1. अजमेर	137000
2. सिरोही	18750
योग....	155750
कुल योग ...	7694750

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 55 की सूची)

बिन्दु (1)	महाविद्यालय का नाम	संस्था का नाम	प्रबन्धक एवं संचालक का नाम
1	2	3	4
1.	श्री महेश शि. प्र. महा., जोधपुर	श्री महेश शिक्षा संस्थान, जोधपुर	श्री बी. जी. सोमानी
2.	शि. प्र. महा. गांधी विद्या-मन्दिर, सरदारशहर	गांधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर	श्री गणेश राम दूगड़
3.	नेहरू शि. प्र. महा. ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, श्री गंगानगर	ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया	श्री साहिब राम भादू
4.	शि. प्र. महा. वि., विद्या-भवन, उदयपुर	उ. विद्या भवन सोसायटी	श्री मोहनसिंह मेहता
5.	शि. प्र. महा. विद्या. डबोक (उदयपुर)	राजस्थान विद्यापीठ	श्री जनार्दन राय नागर
6.	श्री जवाहरलाल नेहरू शि. प्र. महा. विद्या, कोटा	जवाहरलाल नेहरू शिक्षण संस्थान, कोटा	श्री श्रीधर लाल
7.	नेहरू शि. प्र. महा. वि., हिन्डौन सिटी (सवाईमाधोपुर)	नेहरू शिक्षा समिति	श्री ओमप्रकाश शर्मा
8.	गांधी शि. प्र. महा. वि., गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	गांधी विद्यालय शिक्षक प्र. समिति	श्री छोटूलाल भीमसिंह सचेती
9.	एस. एस. जी पारीक शि. प्र. महा. वि., जयपुर	स्व. श्री गोविन्दराम पारीक	श्री गोपाल लाल पुरोहित

Page No 124

1244

1	2	3	4
10.	हितकारणी को-ग्रॉपरेटिव शि. प्र. महा. वि., (महिला), कोटा	हितकारणी को-ग्रॉपरेटिव शिक्षा समिति, कोटा	श्री शम्भूदयाल सक्सेना
11.	जैन शि. प्र. महा. वि., ग्रलवर	जैन शिक्षा समिति	श्री बाबूलाल जैन
12.	जियालाल शि. प्र. महा. वि. ग्रजमेर	ग्रार्य समाज शिक्षा समिति	श्री दत्तात्रेय बागले
13.	श्री बजरंग शि. प्र. महा. वि., डीग (भरतपुर)	बजरंग विद्यालय शिक्षा समिति	श्री प्रसादीलाल
14.	वनस्थली शि. प्र. महा. वि., वनस्थली (टोंक)	वनस्थली विद्यापीठ	श्री हीरालाल शास्त्री
15.	श्री जी. एल. बिहाणी शि. प्र. महा. वि., श्रीगंगानगर	सेठ जी. एल. बिहाणी सनातन धर्म कॉलेज	श्री सुशीलकुमार बिहाणी
16.	श्री महाराव शेखाजी शि. प्र. महा. वि., जयपुर	शेखाजी शिक्षा समिति	—
17.	श्री गोपीकृष्ण पीरामल शि. प्र. महा. वि., बगड़ (झुंझुनूं)	पीरामल ट्रस्ट, बगड़	श्री के. जी. गर्ग

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 56 की सूची)

सूची पत्र 1973 में क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान को आवंटित सीमेंट

	मैट्रिक टन
(1) प्रथम त्रैमास (जनवरी से मार्च, 1973)	1,32,000
(2) अप्रैल से मई, 1973	57,300

जून, 1973 के उपरान्त क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी, नई दिल्ली द्वारा निश्चित कोटा

1. जून, 1973	41,000
2. तृतीय त्रैमास जुलाई से सितम्बर, 1973	1,11,000
3. चतुर्थ त्रैमास अक्टूबर से दिसम्बर, 1973	1,11,500
स्पेशल कोटा	6,000
4. पंचम त्रैमास जनवरी से मार्च, 1974	1,11,000
स्पेशल कोटा	4,000

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में न लिए गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताजसर

60. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले की फतेहपुर पंचायत समिति के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताजसर पर नियुक्त अधिकांश कर्मचारी वहां नहीं रहते हैं तथा महीने में एकाध रोज वहां जाकर सम्पूर्ण महीने की हाजरी कर आते हैं ?

(2) क्या वहां की स्थानीय जनता के किसी प्रतिनिधि ने कभी राज्य सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया ? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, एक डॉ. आर. एन. जोशी के बाबत शिकायत आई थी जिसकी जांच कराई गई। उनको चेतावनी दे दी गई है।

आबू रोड व रेवदर तहसील क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था

61. श्री जेठमल आर्य (रेवदर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबूरोड व रेवदर तहसील अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के पिछड़े क्षेत्र हैं तथा अर्थाभाव के कारण ही यहां के विद्यार्थी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं ? यदि हां, तो आबूरोड में महा विद्यालय प्रारम्भ करने की क्या योजना है ? क्या वर्ष 1974-75 में यह महा विद्यालय प्रारम्भ हो जायेगा ?

(2) सिरोही जिले के आबूरोड, पिण्डवाड़ा और रेवदर तहसील में कुल कितने माध्यमिक विद्यालय व कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं तथा प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 10 व 11 में कितने कितने छात्र एवं छात्रायें पढ़ते हैं और उनमें कितने छात्र व छात्रायें पिछड़े वर्ग के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जनता द्वारा चन्दा एकत्रित करके बनाये जा रहे कॉलेज भवन के लिए सरकार अनुदान देगी ? यदि हां, तो कब तक और कितने प्रतिशत ?

उत्तर

(1) जी, हां। आबूरोड व रेवदर तहसील अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के घोषित पिछड़े क्षेत्र हैं। वर्ष 74-75 में राजस्थान में फिलहाल महा विद्यालय प्रारम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

(2) स्कूलों एवं छात्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वित्तीय संकट के कारण इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं है।

(शिक्षा मन्त्री) सिरोही जिले के आबूरोड, पिण्डवाड़ा और रेवदर तहसील के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची:—

	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
आबूरोड	1	2
पिण्डवाड़ा	2	1
रेवदर	3	—

कक्षा 10 व 11 में पढ़ रहे छात्र/छात्राओं की संख्या

विद्यालय का नाम	कक्षा 10	कक्षा 11
वैदिक कन्या माध्यमिक विद्यालय, आबूरोड	59	—
रेल्वे हायर सैकेन्डरी स्कूल, आबूरोड	102	94
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आबूरोड	132	82
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रोहेडा (पिण्डवारा)	25	—
स्वरूपगंज, (पिण्डवाड़ा)	26	—
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिण्डवाड़ा	79	47
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रेवदर	15	—
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिरोड़ी	20	—
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मन्दार	16	—

अपंगों, विकलांगों तथा असहाय वृद्धों को आर्थिक सहायता

62. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति मावली, क्षेत्र (जिला उदयपुर) में कब से और कितने अपंगों, विकलांगों और असहाय वृद्धों को सरकार की ओर से प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कई असहाय व्यक्तियों के आर्थिक सहायता प्राप्त करने के फार्म अब भी जिलाधीश, उदयपुर एवं तहसीलदार, मावली के सम्मुख विचाराधीन हैं यदि हां, तो क्यों और कब से?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मावली क्षेत्र के अपंगों, विकलांगों एवं असहाय वृद्धों को वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन दी जा रही है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसीलदार, मावली से जिलाधीश, उदयपुर के कार्यालय में 6 असहाय व्यक्तियों के अपाहिज एवं वृद्धावस्था पेन्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-2-74 को प्राप्त हुये थे जिनको उसी दिन तहसीलदार, मावली को आयु-प्रमाण-पत्र नियमानुसार लगाने एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र में संलग्न करने हेतु वापिस भिजवा दिये गये थे।

(128)

पंचायत समिति, मावली क्षेत्र के जिन अपंगों, विकलांगों एवं असहाय वृद्धों एवं अपाहिजों को पेन्शन दी जा रही है उनकी सूची

वृद्धावस्था पेन्शनरों की सूची

1.	श्री मोडीलाल पि. पन्नालाल चेचानी, निवासी मावली	30/-	प्र. मा.	1-9-69 से
2.	श्री रुकमणी बाई बेवा अमरचन्द, निवासी मावली	30/-	"	25-9-70 से
3.	श्री नन्दराम पि. कुशालजी, निवासी आमली	30/-	"	1-8-70 से
4.	श्री भगवती बाई बेवा सुशीलाल, निवासी सनवाड़	30/-	"	3-10-67 से

अपंग एवं अपाहिजों की सूची (मावली क्षेत्र)

1.	श्री मोवन पि. जेराम भील; निवासी फतेहनगर	30/-	प्र. मा.	1-10-67 से
2.	श्री सोहनलाल पि. पन्नालाल, निवासी मावली	30/-	"	1-12-68
3.	श्री नाथूजी पि. किशोरजी, निवासी सनवाड़	30/-	"	26-8-68
4.	श्री मोड़की पि. जेराम भील, निवासी फतेहनगर	30/-	"	1-10-67
5.	श्री भींसूलाल पि. तुलसीराम, निवासी समपुरा	30/-	"	30-9-67
6.	श्री जालू पि. भीमा रावत, निवासी भानसोल	30/-	"	30-9-67
7.	श्री नन्दराम पिता शिवनारायण, निवासी जेवाणा	30 -	"	4-2-69
8.	श्री नाथू पिता मोड़ा कुम्हार, निवासी गडवाड़ा, भीमल	30/-	"	24-1-69
9.	श्री गाया पिता वागा मेघवाल, निवासी होली	30/-	"	24-1-69
10.	श्री सोहनलाल पि. दीपचन्द सुथार, निवासी मावली	30/-	"	4-2-69
11.	श्री लक्षमण पिता मोती जाट, निवासी भीमलगढ़	30/-	"	24-1-69
12.	श्री शंकर पिता नारायण दरोगा, निवासी जेवाणा	30/-	"	4-2-69
13.	श्री परखी बेवा मोडीराम यादव, निवासी सनवाड़	30/-	"	1-3-70

गोवेडा सैकेण्ड्री स्कूल का भवन

63. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील की गोवेडा सैकेण्ड्री स्कूल के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा बीस हजार रुपये स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां तो यह राशि किसको दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है और न ही हिसाब पेश किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि का उपयोग सही न होने के कारण जनता की शिकायत पर जिलाधीश, जयपुर ने विकास अधिकारी, कोटपूतली को जांच हेतु नियुक्त किया था ?

(4) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी को जांच के दौरान भी हिसाब नहीं बताया गया तथा विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट जून, 73 से पूर्व भेज दी थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रगट हुये तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें ?

उत्तर

(1) तहसील कोटपूतली के ग्राम गोवेडा के सैकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा बीस हजार रुपये की कोई राशि नहीं दी गई।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के बारे में कोई जांच नहीं कराई गयी।

(4) दानदाताओं द्वारा शाला निर्माण हेतु दी गई धनराशि के दुरुपयोग की जांच जिलाधीश, जयपुर ने विकास अधिकारी, कोटपूतली द्वारा करायी थी। जांच प्रतिवेदन सरकार को 29-9-73 को प्राप्त हुआ जिस पर सरकार ने तथ्यों की जांच की कार्यवाही करने हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिख दिया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी नियम

64. श्री जयकिशनलाल तोसावाड़ा (फागी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (ए-ग्रुप II) के आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 1973 के दूसरे पैरा में जो शर्तें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए लगाई गयी हैं वे ही शर्तें अन्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी हैं? यदि हां, तो उन आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए यह नियम बनाये गये हैं कि यदि पदोन्नति के लिए योग्यता में स्थान न मिल पावे तो कमेटी द्वारा एक ऊंची ग्रेडिंग दी जाय और यदि पदोन्नति के लिए निश्चित पॉइन्ट्स पर योग्य नहीं पाये गये तो सुरक्षित पॉइंट को 3 वर्ष तक कैरिड फॉरवर्ड किया

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

जावेगा ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की भांति क्या राज्य सरकार भी नियम बनाने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक आदेश जारी कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 3-10-1973 में अनुसूचित जाति तथा जन जातियों के कर्मचारियों की आरक्षित कोटा के तहत पदोन्नतियों के लिए जो शर्तें लगाई हैं, वह समान्यतया उन शर्तों से कुछ कम है जो अन्य वर्गों के कर्मचारियों की योग्यता (मेरिट) के आधार पर पदोन्नति के लिए बहुधा चयन समिति द्वारा जांची जाती हैं।

(2) जी हां। चूंकि वर्तमान निर्णय केन्द्रीय सरकार के प्रावधानों पर आधारित नहीं है, अतः उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नही है।

बूंदी जिले में सिंचाई के कार्य

65. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (डिण्डोली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले में 1973-74 में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की ओर से कौन कौन से स्थान पर कौन कौन से कार्य किये थे ? इन कार्यों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ? तथा प्रत्येक कार्य पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई ? और कौन कौन से कार्य पूरे हुए तथा कौन कौन से कार्य अधूरे रहे ?

(2) उक्त कार्यों पर अतिवृष्टि का क्या प्रभाव पड़ा तथा वर्षा के कारण कौन कौन से कार्य नष्ट हो गये ? अधूरे कार्यों की क्या दशा है ?

(3) क्या उक्त कार्यों में सीमेन्ट भी काम में लिया गया या मिट्टी का ही कार्य हुआ ? यदि सीमेंट भी काम में लिया गया तो कौन कौन से काम पर कितना कितना सीमेन्ट काम में आया ?

(4) बासनी ग्राम (तहसील हिण्डोली) के बन्धे के टूटने का क्या कारण है ? तथा यह बंधा पुनः कब तक तैयार हो सकेगा ? इस कार्य की देख रेख करने के लिये किसको नियुक्त किया गया था ? क्या इस कार्य पर लगाये गये मजदूरों की मजदूरी पूरी चुका दी गई है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) अतिवृष्टि के कारण बासनी तालाब टूट गया। अन्य कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधूरे कार्य उसी दशा में रहे।

(3) बासनी तालाब पर 70 बोरी, उमर एनीकट पर 133 बोरी तथा नैनवा तालाब पर 45 बोरी सीमेन्ट लगा शेष कार्यों पर केवल मिट्टी का कार्य करवाया गया था।

(4) बासनी तालाब अतिवृष्टि से टूटा था। यह बन्धा पुनः करीब चार मास में ठीक किया जावेगा। इसकी देख रेख सहायक अभियन्ता, सिंचाई उप-खण्ड, बून्दी द्वारा की जा रही थी। इस कार्य पर लगाए गए केवल छः मजदूरों की 106.49 रु. की मजदूरी के अलावा शेष सारी मजदूरी चुका दी गई है।

Page No 131

प्रपत्र—अ

क्र. सं.	नाम कार्य	तहसील	राशि जो राहत कार्यों पर खर्च हुई		कार्य की स्थिति	अतिवृष्टि से कार्य पर प्रभाव	विवरण
			पिछले वर्ष	इस वर्ष			
1.	दुगारी तालाब की मरम्मत	नैनवा	2938.00	11792.08	कार्य अधूरा है।	अतिवृष्टि से बासनी तालाब टूट गया और अन्य कार्यों पर कोई खास क्षति नहीं हुई।	
2.	तलवास तालाब की मरम्मत	नैनवा	—	6199.87	कार्य पूर्ण हो गया है।		
3.	नैनवा तालाब की मरम्मत	नैनवा	11923.75	40776.32	"		
4.	रेटोड़ा तालाब की मरम्मत	नैनवा	301.50	16048.49	"		
5.	बाछोला तालाब की मरम्मत	नैनवा	2632.00	11398.68	"		
6.	डोढोव तालाब की मरम्मत	नैनवा	—	19768.40	"		
7.	बटावदी कैनाल की मरम्मत	नैनवा	—	24663.67	"		
8.	बंसोली कैनाल की मरम्मत	नैनवा	—	14467.55	"		
9.	रूपारेल तालाब की मरम्मत	नैनवा	—	12985.55	"		
10.	मोतीपुरा कैनाल की मरम्मत	नैनवा	—	2338.37	"		
11.	देवा का खेड़ा तालाब की मरम्मत	हिण्डोली	—	9020.58	कार्य अपूर्ण है।		
12.	बासनी तालाब की मरम्मत	हिण्डोली	5973.50	11897.35	"		
13.	उमर एनीकट की मरम्मत	हिण्डोली	871.50	1292.57	"		
14.	फालेंडा तालाब की मरम्मत	हिण्डोली	—	14055.93	"		
15.	चोर आमली तालाब की मरम्मत	हिण्डोली	833.50	13281.89	"		
16.	बन्दा का खेड़ा तालाब की मरम्मत	हिण्डोली	393.00	6626.19	कार्य पूर्ण हो गया।		
17.	गेन्डोली प्रथम तालाब की मरम्मत	के. पाटन	6209.50	5209.73	"		
18	गेन्डोली द्वितीय तालाब की मरम्मत	के. पाटन	—	11883.69	"		
19.	गुन्ता तालाब की मरम्मत	के. पाटन	171.25	5107.66	"		
20.	बसावड़ा माइनर की मरम्मत	के. पाटन	—	3460.00	"		
		योग....	32,247.50	2,42,274.57			

132

मैडिकल कॉलेज में चिकित्सा विशेषताओं का विकास

66. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न मैडिकल कॉलिजों में राज्य सरकार किन किन चिकित्सा विशेषताओं का विकास करने का इरादा रखती है।

(2) उक्त चिकित्सा विशेषताओं में से कितनी विशेषताओं को राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है व कितनी अन्य को सरकार मान्यता दिलाने की कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) विभिन्न मैडिकल कॉलिजों में निम्नांकित विशेषताओं का विकास करने का निर्णय लिया गया है:—

1. मैडिकल कॉलेज, अजमेर :

1. मैडिसिन
2. रेडिओलॉजी
3. सर्जरी
4. एनेस्थेसिया
5. ऑर्थोपैडिक्स

2. मैडिकल कॉलेज, जोधपुर :

1. मैडिसिन
2. एनेस्थेसिया
3. सर्जरी
4. रेडिओलॉजी
5. ऑर्थोपैडिक्स

3. मैडिकल कॉलिज, जयपुर :

1. स्किन एण्ड वी. डी.
2. साइकेटरी
3. टी. बी. एण्ड चेस्ट डिजीजेज
4. पैडिआट्रिक सर्जरी

4. मैडिकल कॉलेज, उदयपुर।

1. एनेस्थेसिया
2. रेडिओलॉजी
3. पैडिआट्रिक्स
4. ऑर्थोपेडिक्स
5. ई. एन. टी.
6. टी. बी. एण्ड चेस्ट डिजीजेज

5. मैडिकल कॉलेज, बीकानेर :

1. एनेस्थेसिया
2. रेडिओलॉजी
3. पैडिआट्रिक्स
4. ऑर्थोपैडिक्स
5. ई. एन. टी.

(2) उपरोक्त विशेषताओं में से राजस्थान विश्वविद्यालय ने विभिन्न मैडिकल कॉलिजों में निम्न विशेषताओं को मान्यता प्रदान कर दी।

1. मैडिकल कॉलिज, जोधपुर :

1. एक भी नहीं

2 मैडिकल कॉलिज, जयपुर :

1. डी. टी. सी. डी. में कोर्स चालू है

(चिकित्सा मंत्री)

3. मैडिकल कॉलेज, बीकानेर :

1. एम. डी. (पैडिम्राट्रिक्स)
2. एम. एस. (ई. एन. टी.)
3. एम. एस. (ग्रॉर्थोपैडिक्स)
4. डी.सी.एच. (डिप्लोमा इन चाइल्ड हैल्थ)
5. डी.एम.ग्रार.डी. डी.एम.ग्रार.टी.
6. डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया

4. मैडिकल कॉलेज, अजमेर :

1. एक भी नहीं

5. मैडिकल कॉलेज, उदयपुर :

एक भी नहीं।

राज्य सरकार विभिन्न मैडिकल कॉलिजों में निम्न विशेषताग्रों को मान्यता दिलाने की कार्यवाही कर रही है:—

1. मैडिकल कॉलेज, अजमेर :

सभी विषयों में जो भाग संख्या 1 के उत्तर में ग्रंकित हैं।

2. मैडिकल कॉलेज, जोधपुर :

सभी विषयों में जो भाग संख्या 1 के उत्तर में ग्रंकित है।

3. मैडिकल कॉलेज, जयपुर :

1. स्किन एण्ड वी. डी.
2. साइकेटरी
3. टी.बी. एण्ड चैस्ट डिजीजेज (इसमें डिप्लोमा कोर्स चालू है ग्रौर डिग्री के लिए कार्यवाही जारी है।)
4. पैडिम्राट्रिक सर्जरी

4. मैडिकल कॉलेज, बीकानेर :

1. एम. एस. (एनेस्थेसिया) डिप्लोमा कोर्स चालू है।
2. एम. डी. (रेडिम्रोलॉजी) डिप्लोमा कोर्स चालू है।

5. मैडिकल कॉलेज, उदयपुर :

सभी विषय जो भाग संख्या 1 के उत्तर में ग्रंकित है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कालू में अध्यापकों का अभाव

67. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कालू (बीकानेर) में इस सत्र में कतिपय विषयों के ग्रध्यापकों के ग्रभाव की शिकायत बराबर बनी रही जिसको दूर करने हेतु विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? तथा ग्रध्यापकों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या उक्त शाला का इस सत्र के दौरान शिक्षा निरीक्षक, सहायक, उप संयुक्त या निदेशक ने 31 जनवरी, 1974 तक निरीक्षण किया ? ग्रगर हां, तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालू में इस सत्र के

Page No 134

(134)

(शिक्षा मंत्री)
प्रारम्भ में कतिपय अध्यापकों की व्यवस्था इस शाला के कुछ अध्यापकों का अन्य जिलों में स्थानान्तरण होने के कारण नहीं हो सकी। वर्तमान में कालू में सभी विषयों के अध्यापकों की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं।

राई थालिया बांध के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

68. श्री जवाहरमल (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राई थालिया बान्ध के निर्माण में कुछ किसानों की भूमि डूब में आई थी ? यदि हां, तो कितने किसानों की कितनी भूमि डूब में आई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन लोगों की भूमि डूब में आई है उनमें से बहुत से व्यक्तियों को अब तक न तो भूमि का मुआवजा ही दिया गया और न दूसरी भूमि दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और अब राज्य सरकार उन्हें कब तक मुआवजा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां सूची संलग्न है।

(1) कुल 760 एकड़ भूमि का मुआवजा देय था जिसमें से 160 एकड़ भूमि के बदले भूमि दी जा चुकी है। शेष मुआवजा देने की कार्यवाही चल रही है जिसके पूरा होने पर मुआवजा दे दिया जाएगा।

राय थलियास बांध के निर्माण में ग्रामवार निम्न भूमि डूब में आई
एकड़ में

क्र. सं.	नाम ग्राम	संख्या खातेदारान	खातेदारों का रकबा एकड़ों में	बिलानाम रकबा एकड़ों में	कुल भूमि जो डूब में आई है	भूमि के एवज में जो भूमि दी गई
1	2	3	4	5	6	7
1.	राय थलियास	75	262	193	455	1:3
2.	मेहन्दी	9	34	64	98	8
3.	सुलतानपुरा	16	77	27	104	3
4.	पोटला	1	2	8	10	—
5.	आगड़ास	48	80	85	165	19
6.	सुरवास	—	—	16	16	—

1	2	3	4	5	6	7
7.	रंगीली	39	238	119	357	7
8.	जुण्दा	6	24	3	27	—
9.	जुण्दा की खेड़ी	4	2	1	3	—
10.	चक जुण्दा	4	31	10	41	—
	योग....	202	750	526	1276	160

नोट:—सिर्फ दो खातेदारान, जो नगदी मुआवजा चाहते हैं, जिनके अवार्ड की कार्यवाही सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी के यहां हो रही है।

क्र. सं.	गांव व जिला	खातेदार	भूमि	अनुमानित रकम
1	2	3	4	5
1.	रायथलियास (भीलवाड़ा)	1	3 एकड़	3240-00
2.	रंगीली (भीलवाड़ा)	1	3 एकड़	2000-00
	योग...	2	6 एकड़	5240-00

राज्य परिवहन सलाहदात्री समिति का गठन

69. श्री शंकरलाल (पाली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान राज्य परिवहन सलाहदात्री समिति का गठन कब हुआ था और गत एक वर्ष में उसकी कितनी बैठकें कब कब हुई ?

(2) बैठकों में क्या क्या निर्णय लिये गये और निर्णयों की क्रियान्विति कहां तक हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्तमान राज्य सलाहकार समिति का गठन दिनांक 2-11-70 को किया गया था। गत वर्ष इसकी बैठक नहीं हो सकी।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुल की मरम्मत

70. श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा चम्बल पर बना हुआ पुराना पुल जो कोटा बैराज के दरवाजे

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
खोल देने से ब्रेक हो गया है वह कब तक तैयार होगा ?

(2) क्या यह सही है कि दिल्ली से बम्बई तक चलने वाले ट्रक इसी रास्ते होकर निकलते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि धौलपुर क्षेत्र में चम्बल का पुल टूट जाने से यह ग्रामदरफ्त ग्रौर भी ग्रधिक हो गया है ? यदि हां, तो ग्रब तक इस पर क्या उचित कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ग्रागामी वर्षा ऋतु से पूर्व मरम्मत होने की ग्राशा है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। बैराज के पुल के उपर से ट्रैफिक निकालने की व्यवस्था कर दी गई है।

जालोर जिले में क्रूड ऑयल की व्यवस्था

71. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में कृषि सिंचाई कुग्रों पर राजस्थान में सबसे ज्यादा क्रूड तेल की खपत की स्थिति होने पर भी रबी की फसल के समय उपलब्ध नहीं होता है ? रबी की मौसम में काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में क्रूड ग्रॉयल उपलब्ध करवाने के बारे में सरकार द्वारा ग्रब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जालोर में क्रूड ग्रॉयल के जालोर, भीनमाल एवं रानीवाड़ा, सांचोर पर ग्रब तक स्टोरेज टैंक नहीं बनवाये गये हैं ? ग्रगर हां, तो क्यों ? ग्रब क्रूड तेल के कहां कहां कब तक स्टोरेज टैंक बनवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रबी के मौसम में काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में क्रूड ग्रॉयल उपलब्ध कराने हेतु विशेष क्रूड ग्रॉयल स्पेशल चलाई गई थी भविष्य में स्थिति ग्रनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जी नहीं। स्टोरेज टैंक प्राइवेट डीलर्स के हैं। जो उनकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं।

जयपुर जिले के अध्यापकों का स्थानान्तरण

72. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के ग्रनेक ग्रध्यापकों को द्वितीय श्रेणी की ग्रेड में पदोन्नत कर उनके जयपुर जिले से बाहर विगत दो वर्षों में स्थानान्तरण किए गए हैं ? यदि हां, तो किस किस ग्रध्यापक का ग्रौर कहां कहां ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के विद्यालयों में पद रिक्त होते हुए भी ग्रनेक ग्रध्यापक दूरस्थ स्थानों पर पदोन्नत करके स्थानान्तरित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस कारण से ग्रौर पदोन्नति के

(श्री हनुमानसहाय व्यास) समय से अब तक जयपुर जिले के किस किस स्कूल में स्थान रिक्त हैं ? और क्यों हैं ?

(3) जयपुर जिले के निवासी अनेक अध्यापक, चपरासी जो अन्य जिलों में हैं और उनका गृह जिले में रिक्त स्थान होते हुए भी स्थानान्तरण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(4) क्या भविष्य में सरकार इस प्रकार के स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) ऐसे स्थानान्तरण (आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने पर) नियमानुसार किये जाते हैं।

(4) जी हां। रिक्त पदों के उपलब्ध होने पर स्थानान्तरण संभव है।

सत्र 71-72 में जयपुर जिले के अध्यापक जिन्हें द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत कर जिले से बाहर पदस्थापित किया गया

क्रमांक	नाम अध्यापक मय कार्य स्थान	जिला जिसमें पदस्थापित किया गया
1	2	3
1.	श्री मनोहर लाल, सहायक अध्यापक, उ. मा. वि., सांगानेर	सीकर
2.	श्री छीतर मल, स. अ., माध्य. विद्यालय, वाटिका	सीकर
3.	श्री कल्याण सहाय, मा. विद्यालय, आंधी	सीकर
4.	श्री जगन्नाथ प्रसाद, महाराजा बेसिक उ. प्राथ. विद्यालय, जयपुर।	सीकर
5.	श्री कैलाशचन्द, माध्य. विद्यालय, वाटिका	सीकर
6.	श्री रामस्वरूप, डंगायच, पं. स., शाहपुरा	सीकर
7.	श्री कुशलचन्द जैन, दरबार उ. प्राथ. विद्यालय, जयपुर	झुंझुनूं
8.	श्री हनुमान सहाय पारीक, बेसिक मॉडल उच्च प्रा. विद्यालय, जयपुर	झुंझुनूं
9.	श्री सतीशचन्द्र, उच्च माध्य. विद्यालय, गोविन्दगढ़ (जयपुर)	झुंझुनूं
10.	श्री निर्मलचन्द चतुर्वेदी, दरबार उच्च प्राथ. विद्यालय, जयपुर	झुंझुनूं
11.	श्री शिवराज शर्मा, उच्च प्राथ. विद्यालय, अमरसर	झुंझुनूं

Page No 138

(138)

1	2	3
12.	श्री प्रभूदयाल शर्मा, उच्च प्राथ. विद्यालय, नायला	झुंझुनूं
13.	श्री किशोरी लाल यादव, राधास्वामी बाल उ. माध्य. विद्यालय, चौमू	झुंझुनूं
14.	श्री उमेशचन्द्र, माध्य. विद्यालय, नाहरगढ़ रोड, जयपुर	झुंझुनूं
15.	श्री बनवारी लाल, माध्य. विद्यालय, कोटपूतली	झुंझुनूं
16.	श्री मोहनलाल गुप्ता, उच्च प्राथ. विद्यालय, बसाई	झुंझुनूं
17.	श्री मोहनलाल शर्मा, माध्य. विद्यालय, दौसा	झुंझुनूं
18.	श्री तीर्थ नारायण, माध्य. विद्यालय, दौसा	झुंझुनूं
19.	श्री बाबूलाल शर्मा, उच्च. माध्य. विद्यालय, अमरसर	झुंझुनूं
20.	श्री मदनलाल गुप्ता, उच्च प्रा. विद्यालय, रेजीडेन्सी, जयपुर	सीकर
21.	श्री चान्दमल शर्मा, उच्च माध्य. विद्यालय, कोटखावदा	सीकर
22.	श्री नन्दलाल सिंह, दरबार उच्च माध्य. विद्यालय, जयपुर	सीकर
23.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा, माध्य. विद्यालय, दौसा (जयपुर)	सीकर
24.	श्री हरप्रसाद जैन, माध्य. विद्यालय, बांदीकुई	सीकर

सत्र 72-73 में जयपुर जिले के अध्यापक जिन्हें द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नत कर जिले से बाहर पदस्थापित किया गया

क्रमांक	नाम अध्यापक मय कार्य स्थान	जिला जिसमें पदस्थापित किया गया
1	2	3
1	श्री लल्लूराम शर्मा, उ. मा. विद्यालय, बनेठो	सीकर
2.	श्री रामेश्वर प्रसाद तिवाड़ी, उ. मा. विद्यालय, जमवारामगढ़	सीकर
3.	श्री भीखाराम, दरबार उ. माध्य. विद्यालय, जयपुर	सीकर
4.	श्री प्रभूनारायण शर्मा, उ. माध्य. विद्यालय, बांदीकुई	सीकर
5.	श्री दुर्गालाल शर्मा, माध्य. विद्यालय, माधोराजपुरा	सीकर
6.	श्री चौथमल माली, माध्य. विद्यालय, जाहोता	सीकर
7.	श्री शिवप्रताप शर्मा, माध्य. विद्यालय, फुलेरा	सीकर
8.	श्री दुर्गालाल सिरोलिया, उच्च माध्य. विद्यालय, फुलेरा	सीकर
9.	श्रीमति शकुन्तला, प्रा. विद्यालय, बिहारीजी, रामगंज	सीकर

Page No 139

(139)

1	2	3
10.	श्री मुज्जफर अली, उच्च प्राथ. विद्यालय, भांकरोटा	सीकर
11.	श्री शम्भूदीन, उच्च माध्य. विद्यालय, सांगानेर	सीकर
12.	श्री जगदीश प्रसाद जैन, उ. प्राथ. विद्यालय, ढमड़ी	सीकर
13.	श्री नन्दकिशोर गुप्ता, उ. प्राथ. विद्यालय, रामगंज, जयपुर	सीकर
14.	श्री वेदप्रकाश अग्रवाल, उ. प्राथ. विद्यालय, रथखाना, जयपुर	सीकर
15.	श्री रघुवीर सिंह रानावत, मा. विद्यालय, गणपतिनगर, जयपुर	सीकर
16.	श्री हरिनारायण शर्मा, पं. स., जमुवारामगढ़	सीकर
17.	श्री विष्णुदयाल पालीवाल, उ. प्राथ. विद्यालय, बिसाई	सीकर
18.	श्री रामसिंह, उच्च प्राथ. विद्यालय, खौरा श्यामदास	सीकर
19.	श्री जे. बालाबक्श शर्मा, माध्य. विद्यालय, मौजमाबाद	सीकर
20.	श्री मुरारीलाल गुप्ता, माध्य विद्यालय, लालसोट	सीकर
21.	श्री नाथुलाल पारीक, उच्च प्राथ. विद्यालय, रामपुरा डाबडी	सीकर
22.	श्री रघुवर दयाल माथुर, बेसिक मॉडल उ. प्रा. विद्यालय, जयपुर	सीकर
23.	श्री प्रहलाद नारायण शर्मा, उच्च प्राथ. विद्यालय, रेजीडेन्सी, जयपुर	झुंझुनू
24.	श्री प्रेम नारायण माथुर, उ. प्राथ. विद्यालय, घाटगेट, जयपुर	झुंझुनू
25.	श्री श्रवण कुमार, उ. माध्य. विद्यालय, राधास्वामी बाग, चौमू	झुंझुनू
26.	श्री श्रीनाथ शर्मा, माध्य. विद्यालय, रथखाना, जयपुर	झुंझुनू
27.	श्री रामस्वरूप, प्र. अ., प्राथ. विद्यालय, पीली की तलाई, आमेर	झुंझुनू
28.	श्री हनुमान प्रकाश, महाराजा बेसिक उ. प्राथ. विद्यालय, जयपुर	टोंक
29.	श्री मंगलराम, उ. माध्म. विद्यालय, बांदीकुई	अजमेर
30.	श्री यशवीर सिंह त्यागी, दरबार उ. माध्य. विद्यालय, जयपुर	अजमेर
31.	श्री प्रतापसिंह नक्का, उ. प्राथ. विद्यालय, नीमेड़ा	अजमेर
32.	श्री हजारीलाल बन्सल, माध्य. विद्यालय, कोटपूतली	अजमेर

जयपुर-टौंक-कोटा मार्ग पर निगम की बसें

72. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

जयपुर-टौंक-कोटा रूट पर राजस्थान परिवहन निगम की कितनी गाड़ियां चल रही हैं तथा सन् 19/3 में औसतन महीने में कितनी सेवायें क्यों रद्द कर दी गई ?

उत्तर

कुल 76 यात्री वाहन जयपुर-टौंक-कोटा मार्ग पर प्रतिदिन आती व जाती हैं।

वर्ष 1973 में टायरों की कमी से टायर उपलब्ध नहीं होने से, व अधिक वर्षा के होने से एवं सड़कों के खराब होने के कारण प्रति माह औसतन 135 परि-चक्र रद्द किए गए।

कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद

74. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में खण्ड वाइज कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो खण्ड वाइज प्रत्येक जिले में कितने कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अक्टूबर, 1973 में कनिष्ठ लिपिकों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक खण्ड वाइज कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है उन व्यक्तियों की नियुक्तियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो कब तक कितने व्यक्तियों की नियुक्तियां की जायेंगी ?

(4) क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिकों के उक्त चयनित उम्मीदवारों को एब्जोर्व किए जाय बिना नई पोस्टों का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, हाल ही में प्राप्त सूचना के अनुसार कई स्थानों पर कनिष्ठ लिपिकों के स्थान रिक्त हैं। मण्डल सचिवालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वृत्त वाइज रिक्त स्थानों की स्थिति निम्न प्रकार हैः—

1. सीकर वृत्त	9
2. कोटा वृत्त	18
3. बीकानेर वृत्त	5
4. उदयपुर वृत्त	19
5. थर्मल, कोटा वृत्त	9
6. राणा प्रताप सागर, कोटा वृत्त	1
7. टी. सी. सी.—II वृत्त	14
8. टी. सी. सी. I वृत्त	16
9. स्टोर वृत्त	13
10. ग्रामीण विद्युतिकरण वृत्त	2
11. कॉमर्शियल वृत्त	1
योगः....	107

(विद्युत् मन्त्री)

(2) जी हां, यह सही है कि अक्टूबर, 1973 में कनिष्ठ लिपिकों का चयन कर पैनल तैयार किए गए थे। कुल 1256 उम्मीदवारों के निम्न आठ पैनल तैयार किए गए थे। यह पैनल खण्ड (डिवीजन) के आधार पर न हो कर विद्युत् मण्डल के वृत्त आधार पर तैयार किए गए थे:—

1.	जोधपुर वृत्त	129
2.	उदयपुर वृत्त	34
3.	सीकर वृत्त	17
4.	कोटा वृत्त	82
5.	जयपुर स्थित समस्त वृत्त व अन्य कार्यालय	30
6.	अलवर-भरतपुर वृत्त	84
7.	बीकानेर वृत्त	59
8.	अजमेर वृत्त	121

(3) जी हां, यह सही है कि जिन व्यक्तियों का चयन किया जाकर पैनल तैयार किए गए थे उनमें से रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। अब तक 783 व्यक्तियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष व्यक्तियों को ज्यों ज्यों स्थान रिक्त होंगे, मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जावेगी।

(4) उपरोक्त पैनल को दिसम्बर, 1974 तक बढ़ा दिया गया है। उस समय तक के रिक्त स्थान इसमें से भरे जावेंगे।

ब्यावर तहसील क्षेत्र में अकाल सहायता कार्य

75. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर तहसील को राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार ने ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में शामिल कर लिया था ?

(2) क्या इस प्रोग्राम के तहत उक्त इलाके के बहुत से कार्यों का सर्वे कर कार्य की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा था ? यदि हां, तो किस किस कार्य का सर्वे हुआ और केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए कब भेजा गया ?

(3) किन किन कारणों से उक्त इलाके में उपरोक्त प्रोग्राम के तहत कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया ? अब राज्य सरकार उक्त प्रोग्राम के तहत इन कामों को कब से शुरू कर रही है ? यदि नहीं, तो किन कारणों की वजह से ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। 55 कार्यों के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए सहायता विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र एफ.2 (1) आर. डब्ल्यू. पी./71, दिनांक 16 मार्च, 1973 के द्वारा भेजे गये थे। इनमें से 45 कार्यों की स्वीकृति भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 3-1/73/ डी. पी. ए. पी., दिनांक 23 मार्च, 1973

Page No 142

(अकाल सहायता मन्त्री)

के द्वारा प्राप्त हुई। कार्यों की सूची सदन की मेज पर पेश है।

(3) यद्यपि ब्यावर तहसील को ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया था। परन्तु ऐसा करते समय भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस तहसील में जो कार्य लिए जायेंगे उनकी लागत को भी ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम के मूल प्रावधान में से ही खर्च करना होगा। इनके लिए अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार ने असहमति जाहिर कर दी थी। इसके बावजूद राजस्थान सरकार ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 45 कार्यों को डी. पी. ए. पी. के लिए स्वीकृत बजट में से ही कराना तय किया। परन्तु इन कार्यों की औपचारिक स्वीकृति राजस्थान सरकार से जारी करने का मामला चल ही रहा था उसी दौरान केन्द्रीय सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम को वित्तीय कठिनाई के कारण कम किया जावेगा। मार्च, 1973 तक इस कार्यक्रम पर 1134.80 लाख रु. खर्च हो चुका था। इस खर्चे की तुलना में केन्द्रीय सरकार ने केवल 926.93 लाख रुपया ही रिलीज किया। चालू वित्तीय वर्ष में बहुत अधिक कोशिश के बावजूद उन्होंने केवल 450 लाख रु. उपलब्ध करना स्वीकार किया है। इस राशि में से पिछली साल के अधिक खर्चे को पूरा करना है एवं इस साल के कार्यों के खर्चे को भी इसी में से चुकाया जाना है। कुल राशि केन्द्रीय सरकार ने 1376.93 लाख रुपये उपलब्ध की है जिसकी तुलना में नवम्बर, 1973 तक 1347.79 लाख रुपये का खर्चा हो चुका था। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 17-7-73 को एक तार द्वारा भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सूचित कर दिया था कि केवल चालू सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त सब कार्यों को तुरन्त बन्द कर दिया जावे। धनराशि के अभाव में एवं भारत सरकार के इन आदेशों को देखते हुए नये कार्यों को, चलाना स्पष्ट ही उचित नहीं था। इस कारण इन कार्यों को शुरू नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

मोबाइल पुस्तकालय

76. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कितने जिलों में मोबाइल पुस्तकालय हैं तथा उनमें क्या क्या वाहन हैं? ऐसे पुस्तकालयों से लोगों को क्या सुविधा मिलती है? प्रति पुस्तकालय सालाना खर्चा क्या है?

(2) राजस्थान के अन्य जिलों में इस योजना को कब तक लागू किया जावेगा?

(3) इस योजना के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि रखी गयी है? क्या सरकार इसे पर्याप्त समझती है? यदि नहीं, तो अधिक धनराशि क्यों नहीं रखी गई?

(4) क्या सरकार इस योजना को विकास खंड स्तर पर लागू करने के लिये तैयार है?

(5) क्या सरकार इस योजना को प्रौढ़ शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए तैयार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(शिक्षा मन्त्री)

(6) जिला पुस्तकालयों में क्या क्या स्टाफ है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के पांच जिलों में चल-पुस्तकालय की सुविधा है। चल पुस्तकालयों में जीप-गाड़ी का प्रावधान है। ग्रामीण एवं शहरी पाठकों को घर बैठे पुस्तकें पढ़ने की सुविधा मिलती है। प्रति चल-पुस्तकालय पर सालाना व्यय 15,000/- रुपयों के लगभग है।

(2) बजट प्रावधान होने पर अन्य जिलों में चल-पुस्तकालय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

(3) पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्य में समस्त पुस्तकालय सेवा संवर्धन एवं विकास हेतु कुल प्रस्तावित राशि केवल 20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। जो पर्याप्त नहीं समझी जा सकती।

(4) राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे विकास खण्ड के स्तर पर लागू करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

(5) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा निरक्षर लोगों के लिये आयोजित होती है जबकि चल-पुस्तकालय का सम्बन्ध साक्षर लोगों से है। अतः इसे जोड़ना संभव नहीं है।

(6) जिला चल-पुस्तकालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के अतिरिक्त ड्राइवर, एक कनिष्ठ लिपिक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद की व्यवस्था है।

जोधपुर नगर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के मोहल्लों में पीने के पानी की व्यवस्था

77. **श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7-9-72 को 62800/- रुपये की लागत के जोधपुर नगर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पेय जल के नल लगाने के प्रस्ताव आपके निदेशालय द्वारा स्वीकृत करके मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, जयपुर को भिजवाये गए थे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रस्तावों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया ?

(3) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 7-9-72 को इस विभाग द्वारा जल प्रदाय विभाग को प्रस्ताव भेजे गए। लेकिन जल प्रदाय विभाग द्वारा सूचित करने पर कि ये प्रस्ताव उन्हें प्राप्त नहीं हुये हैं पुनः उक्त विभाग को प्रस्ताव भिजवा दिए गए हैं।

(2) यह सत्य नहीं है कि जोधपुर नगरपालिका में अनुसूचित जाति व जन-जाति के मोहल्लों में नल लगाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। जल प्रदाय विभाग द्वारा इस योजना को क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जा

(समाज कल्याण मन्त्री)

रही है वे इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 30,000 रुपये की धन राशि जल प्रदाय विभाग द्वारा आवंटित की जा चुकी है।

(3) कार्यवाही जारी है। इस वर्ष के अन्त तक या अगले वर्ष के प्रारम्भ में यह कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत

78. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने व कौन कौन से जिले बाढ़ ग्रस्त घोषित हुए व उन्हें कितनी कितनी धनराशि सड़कों व पुलियों के पुनः निर्माण हेतु मिली ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले को बाढ़ग्रस्त जिला नहीं माना गया जबकि वर्षा के कारण सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों आदि को यहां हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि गरनिया से पिचियाक-बिलाड़ा तक एक माह तक पानी ज्यादा वर्षा से चलता रहा जिससे आवागमन तो रुका ही सड़कें काफी दूर तक साफ हो गई ?

(4) क्या यह सही है कि वर्षा के दिनों में गरनिया से बिलाड़ा-पिचियाक तक सड़क नीची होने से व पानी का रास्ता इसी तरफ होने से हमेशा पानी बहता एवं भरा रहता है ? क्या विभाग नये सिरे से इसके ऊपर निर्माण कराना चाहता है ?

(5) क्या यह सही है कि बर से जोधपुर तक सड़क ट्रेफिक को देखते हुए एवं मैन बोर्डर रोड की वजह से बहुत संकड़ी है ? अगर हां, तो विभाग कब तक इसे दुगना करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) बाढ़ ग्रस्त जिले सहायता विभाग द्वारा घोषित किये जाते हैं। सड़कों व पुलियों के पुनः निर्माण हेतु इस विभाग को मिली धनराशि की जिलेवार सूची (अ) प्रस्तुत है ?

(2) बाढ़ ग्रस्त घोषित करने का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है, किन्तु यह भी कहना सत्य नहीं है कि जोधपुर जिले में में सड़कों को बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

(3) यह सही है कि आवागमन कुछ समय के लिये अवरुद्ध हुआ है और सड़क टूटी है।

(4) जी नहीं। साधारण वर्षा में सड़क पर पानी नहीं रहता, अतिवृष्टि से सड़क पर पानी रुक जाता है।

इस समय नये सिरे से निर्माण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(5) अपेक्षाकृत सड़क कुछ संकड़ी है, इसको चौड़ा करने के लिये पांचवी पंच वर्षीय योजना में प्रस्ताव किया है।

सूची-(अ)

वर्ष 1973 की बाढ़ से क्षति ग्रस्त सड़कों व पुलियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

क्रम संख्या	नाम जिला	स्वीकृत धनराशि
1.	उदयपुर	46.00 लाख
2.	डूंगरपुर	95.00 लाख
3.	बांसवाड़ा	26.00 लाख
4.	चितौड़गढ़	12.00 लाख
5.	भीलवाड़ा	10.50 लाख
6.	पाली	34.00 लाख
7.	सिरोही	32.00 लाख
8.	झालावाड़	25.00 लाख
9.	कोटा	18.00 लाख
10.	टोंक	6.00 लाख
11.	जैसलमेर	5.50 लाख
12.	जालोर	23.00 लाख
13.	बाड़मेर	15.00 लाख
14.	जोधपुर (Flood restoration Works on raods in stone Mines area at Jodhpur).	2.00 लाख
	योग....	350.00 लाख

सरकारी कार्यालयों के लिये जयपुर में किराये पर लिये गये मकान

79. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में सरकारी या अर्द्ध सरकारी कार्यालय कहां कहां और किन अधिकारियों के मकानों में कितने किराये पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कार्यालय कार्य कुशलता, काम के निपटारे और सुविधा के लिए सचिवालय के पास होने चाहिए ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सचिवालय के आस पास की भूमि की बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस भूमि को लेने की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

राज्य में यातायात का राष्ट्रीयकरण

80. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सम्पूर्ण यातायात का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) राज्य में अभी राष्ट्रीयकृत कितने मार्ग हैं तथा यह राज्य के सम्पूर्ण मार्गों की कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक शतप्रतिशत मार्गों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य है।

(2) राज्य में 45 राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची संलग्न है। इनका प्रतिशत कुल मार्गों का 14.97 है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

नोखा तहसील की सड़कों पर डामर का कार्य

81. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नोखा, जिला बीकानेर में जसरासर से साधासर, उत्तमामदेसर, कुचौर आथूणी, मूंडसर से सींथल तक कंकरीट रोड पर कब तक डामर करवा दी जायगी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क बन जाने से बीकानेर-जयपुर का 40 मील का रास्ता कम हो जाएगा ?

उत्तर

(1) यह मार्ग स्वीकृत योजना में नहीं है, न विभाग की Maintenance List में ही लिया हुवा है। अतः इस समय इस पर डामर कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

पाली जिले में बाढ़ से क्षति

82. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में बाढ़ से क्षति ग्रस्त अथवा कृषि-कार्यों हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में कितना सीमेन्ट माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 73 में वितरण हेतु आवंटित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सुमेरपुर को आवंटित सीमेन्ट के परमिट बंशीलाल बाल्दिया प्रधान द्वारा अधिकतर तखतगढ़ और सुमेरपुर में ही दिये गये ? अगर नहीं तो किन किन पंचायतों में कितना कतना सीमेन्ट दिया गया ?

(स्थगित किया गया)

टोडा रायसिंह-मालेड़ा सड़क

83. श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह से मालेड़ा रोड के निर्माण की बजट स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष में हो चुकी थी फिर भी इस सड़क का निर्माण कार्य कतई नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त सड़क के बजट की राशि का कब कहां उपयोग किया गया ? अब इस सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी, हां। टोडारायसिंह से भासू तक 5 मील सड़क निर्माण करा दिया गया है। रेखण बाधा (Alignment dispute) के कारण कार्य प्रगति धीमी रही है। पुनः कार्य आरम्भ करा दिया गया है, और 2 मीलों में कार्य प्रगति पर है।

(2) बजट राशि का उपयोग अन्यत्र नहीं किया गया है। पांचवी पंच वर्षीय योजना में सड़क निर्माण पूरा होने की आशा है।

माण्डल तहसील में राहत कार्य

84. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) माण्डल तहसील में इस वर्ष कौन 2 से राहत कार्यों का कौन 2 से माह का चुकारा फरवरी, 1974 में किया गया अथवा अब तक भी बाकी है एवम् ऐसे काम कब कब बंद हो गए थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में ऐसे कौनसे कार्य हैं जिनका चुकारा 6 माह तक नहीं किया गया था ? ऐसी घटनाओं के कारण बताने का कष्ट करें।

(3) सरकार के आदेश कितनी अवधि में चुकारा करने के थे उनका पालन उक्त तहसील में कौन 2 से कार्य पर किया गया था ? विशेष रूप से सिंचाई के कार्यों की ऐसी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) जो चुकारा अब तक बाकी है अथवा 6 माह तक नहीं किया गया था

148

(श्री विजयसिंह राठौड)

उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के किसी भी अकाल राहत कार्य के मस्टररोल का भुगतान माह फरवरी, 1971 तक किया जाना शेष नहीं था। कुछ अनपेड वेजेज के मामले तो हैं परन्तु मस्टररोल के पूरे चुकारे का कोई मामला माह फरवरी, 1974 तक शेष नहीं था।

(2) तहसील माण्डल का कोई ऐसा राहत कार्य नहीं था जिसका भुगतान 6 माह तक नहीं हुआ हो।

(3) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार एक पखवाड़े का चुकारा पखवाड़ा समाप्त हो जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। सामान्यतया चुकारा समय पर होता रहा। परन्तु कुछ कार्यों में विलम्ब भी हुआ है। जुलाई-अगस्त, 1973 मास में कर्मचारियों की लम्बी हड़ताल के कारण भी कुछ विलम्ब हुआ। सिंचाई के कार्यों पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक विलम्ब हुआ। परन्तु जैसे जैसे तहसीलदार के पास भुगतान की राशि प्राप्त होती गई मजदूरों का उस राशि का भुगतान समय पर किया जाता रहा।

(4) किसी भी मस्टररोल का रेग्यूलर चुकारा होना 6 माह तक शेष नहीं था। ऐसी दशा में किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्युत् लाइन डालते समय मृत्यु

85. शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री बालूसिंह, निवासी ग्राम भवानीखेड़ा की मृत्यु विद्युत् लाइन खींचते समय दिनांक 17-8-73 को रायसर के पशु-पालन फार्म में हुई ? यदि हां, तो क्या विभाग कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करेगा ? यदि हां, तो कब ? और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि श्री बालूसिंह, निवासी भवानीखेड़ा की मृत्यु लाइन खींचते समय दिनांक 17-8-73 को रायसर में हो गई थी। जी हां, क्षति पूर्ति की राशि 7000) रु. चैक द्वारा क्षतिपूर्ति आयुक्त, अजमेर के पास भिजवा दी गई है जो नियमानुसार श्री बालूसिंह के उत्तराधिकारियों में वितरित कर दी जायगी।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची)

आगजनी के केस के मुलजिम

1. श्री टीकूराम पुत्र श्री पन्नाराम, साकिन डूंगरगढ़।

लूट खसोट के केसों के मुलजिमात

2. श्री रामनारायण विश्नोई, साकिन मूण्डसर।
3. श्री जीवराज पुत्र ईश्वरी विश्नोई, साकिन सांवतसरी।
4. श्री रामप्रताप पुत्र ईश्वरी विश्नोई, साकिन सांवतसरी।
5. श्री गोरधन पुत्र ईश्वरी विश्नोई, साकिन सांवतसरी।
6. श्री रामकुमार पुत्र श्री नागरदास स्वामी, साकिन डूंगरगढ़।
7. श्री शुभकरण पुत्र नागरदास स्वामी, साकिन डूंगरगढ़।
8. श्री रामप्रसाद सोनी, साकिन डूंगरगढ़।
9. श्री मुखजी महामाया होटल वाले मालिक का लड़का, साकिन डूंगरगढ़।
10. श्री बजरंगलाल पुत्र गणपतलाल माली, साकिन डूंगरगढ़।
11. श्री रामेश्वर, साकिन डूंगरगढ़।
12. श्री शिवप्रसाद सोनी पुत्र भँवरलाल, साकिन डूंगरगढ़।
13. श्री इन्दरचन्द भँवर, साकिन डूंगरगढ़।
14. श्री हनुमान पुत्र बालमुकुन्द, साकिन डूंगरगढ़।
15. श्री लालिया तांगेवाला, साकिन डूंगरगढ़।
16. श्री देवाराम पुत्र मोतीराम जाट, साकिन रीरी।
17. श्री दुलाराम पुत्र गोपालराम जाट, साकिन भोमासर।
18. श्री मांगाराम पुत्र मालाराम जाट, साकिन भोमासर।
19. श्री नारायण पुत्र रुघाराम जाट, साकिन भोमासर।
20. श्री दूलाराम पुत्र मालाराम जाट, साकिन, भोमासर।
21. श्री पूसाराम पुत्र आसूराम जाट, साकिन भोमासर।
22. श्री सुगनाराम पुत्र भोजराम जाट, साकिन भोमासर।
23. श्री सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाट, साकिन भोमासर।
24. श्री मालाराम पुत्र वेगाराम जाट, साकिन भोमासर।
25. श्री हमीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, साकिन उदासर।

26. श्री दूलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह, साकिन उदासर ।
27. श्री रामसिंह राजपूत की पत्नि, साकिन उदासर ।
28. श्री दलाराम पुत्र शिवजीराम मेघवाल, साकिन उदासर ।
29. श्री गणपत पुत्र मूला जाट, साकिन उदासर ।
30. श्री देवदास पुत्र धूमदास स्वामी, साकिन उदासर ।
31. श्री नानू पुत्र धीराज मेघवाल, साकिन उदासर ।
32. श्री हेमराम पुत्र लाभूराम जाट, उदासर ।
33. श्री मोहनराम पुत्र मेराराम जाट, साकिन उदासर ।
34. चेतनराम पुत्र रतनाराम जाट, साकिन उदासर ।
35. श्री राम पुत्र गंगाराम जाट, साकिन रीरी ।
36. श्री धोकाराम पुत्र रतनाराम, साकिन रीरी ।
37. श्री बीरताराम पुत्र गोधाराम, साकिन रीरी ।
38. श्री उदाराम पुत्र धीरजराम, साकिन रीरी ।
39. श्री पूना पुत्र मोतीराम, साकिन रीरी ।
40. श्री तुलछाराम पुत्र पूनाराम, साकिन रीरी ।
41. श्री अमरनाथ पुत्र हरिनाथ सिद्ध, साकिन रीरी ।

(151)

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 6 मार्च, 1974

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
6	अन्तिम से 13	उसके	उसका
33	,, 4	नत्थीसिंह	नत्थासिंह
39	,, 1	उक्च	उच्च
43	,, 1	1947	1974
45	,, 18	अतिरित्त	अतिरिक्त
65	ऊपर से 13	अफेक्टिव	इफेक्टिव
85	,, 4	करें	न करें
91	,, 4	में	मैं
92	,, 15	प्रगनिशलील	प्रगतिशील
93	अन्तिम से 12	वातावतण	वातावरण
96	,, 5	राष्ट्रीय पर	राष्ट्रीय स्तर पर
98	,, 5	प्राइमरी	प्राइमरी
115	ऊपर से 5	एक्सपोर्ट	एक्सप्लॉइट
131	अन्तिम से 7	क्षुद्धा	क्षुधा
133	,, 10, 11 व 12	दण्ड	घण्ट
166	ऊपर से 4	इशमा	इशारे
167	,, 9	स्थिति है	स्थिति जिम्मेदार है
170	,, 7	करता	करता है
172	,, 2	मोहन ाज	मोहनराज
172	अन्तिम से 14	थान	धान
176	,, 7	का	के
187	,, 11	बतना	बताता
196	,, 20	सेक्शत	सेक्शन
229	ऊपर से 10	चहाते	चाहते
237	अन्तिम से 11	में	के
250	,, 13	(डिण्डोली)	(हिण्डोली)